VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अगस्त 2022

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 15 SEPT, 1 PM | 2 AUG, 9 AM

LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM

JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for **PRELIMS 2023: 1 Oct** | प्रारंभिक 2023 के लिए **1 अक्टूबर**

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for **MAINS 2023: 1 Oct** | मुख्य 2023 के लिए **1 अक्टूबर**

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 7

1.2. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance) 9

1.3. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक {Personal Data Protection (PDP) Bill} 13

1.4. सोशल मीडिया-सेंसरशिप और विनियमन (Social media-Censorship and Regulation) 15

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 17

1.5.1. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) 17

1.5.2. भारत के 14वें उपराष्ट्रपति {14th Vice-President (VP) of India} 18

1.5.3. चुनावी बॉण्ड {Electoral Bonds (EB)} 18

1.5.4. जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची {Jammu and Kashmir (J&K) Electoral Roll)} 19

1.5.5. जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता (Recognising Minorities at District Level) 19

1.5.6. संविधान पीठ (Constitution Bench) 20

1.5.7. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 {Benami Transactions (Prohibition) Act of 1988} 20

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 22

2.1. भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora) 22

2.2. भारतीय अंटार्कटिक कानून, 2022 (Indian Antarctic Act, 2022) 24

2.3. दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति (Supply of Critical Minerals) 27

2.4. साझी सुरक्षा (Common Security) 30

2.5. परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) 32

2.6. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association For Regional Cooperation: SAARC) 35

2.7. ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network: THMCN) 38

2.8. चीन-ताइवान मुद्दा (China-Taiwan Issue) 40

2.9. क्षेत्रीय व्यापार और विकास में पूर्वोत्तर की भूमिका (Role of North East in Regional Trade and development) 42

2.10. चाबहार पोर्ट (Chabahar Port) 44

2.11. भारत-मिस्र संबंध (India-Egypt Relations) 46

2.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 48

2.12.1. भारत-मॉरीशस CECPA (India-Mauritius CECPA) 48
2.12.2. भारत और थाईलैंड के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूर्ण हुए (75 Years of Diplomatic Ties Between India and Thailand) 49
2.12.3. उत्पत्ति के नियम {Rules of Origin (ROO)} 50
2.12.4. नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) संधि {New Strategic Arms Reduction Treaty (NEW START) Treaty} 50
2.12.5. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STCW), 1978 {International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers (STCW), 1978}...50
2.12.6. शुद्धिपत्र (ERRATA) 51

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 52

3.1. भारत के लिए कॉम्पेटिटिवनेस रोडमैप (India’s Competitiveness Roadmap) 52
3.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 {Competition (Amendment) Bill, 2022} 56
3.3. जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) 58
3.4. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसका विनियमन (Promotion and Regulation of E-Commerce) 61
3.5. डिजिटल कर (Digital Tax) 64
3.6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) 66
3.7. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India) 69
3.8. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS) 71
3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts) 74
3.9.1. विदेशी बाजारों में निवेश के लिए मानदंड (Norms For Investments In Overseas Markets) 74
3.9.2. ब्लू बॉण्ड्स (Blue Bonds) 75
3.9.3. खाता संग्राहक {Account Aggregator (AA)} 75
3.9.4. कृषि ऋणों के लिए ब्याज छूट (Interest Subvention For Agriculture Loan) 75
3.9.5. अटल पेंशन योजना {ATAL Pension Yojana (APY)} 76
3.9.6. कर्मचारी राज्य बीमा योजना {Employees' State Insurance (ESI) Scheme} 76
3.9.7. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना {Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)} 76
3.9.8. ग्रामीण उद्यमी परियोजना {Grameen Udyami Project (GUP)} 77
3.9.9. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority: MPEDA) 77
3.9.10. जूट का उत्पादन (Production of Jute) 78
3.9.11. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) {UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) Scheme} 79
3.9.12. अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर अभिसमय (जिनेवा कन्वेंशन), 1949 {Convention on International Road Traffic of 1949 (Geneva Convention)} 79

3.9.13. भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार (Right of Way: RoW) नियम, 2016 में संशोधन {Amendment in Indian Telegraph Right Of Way (ROW) Rules, 2016}....79
3.9.14. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission: NIPAM) ...80
3.9.15. वर्क फ्रॉम होम के लिए मानदंड {Work From Home (WFH) Norms} 80
3.9.16. मूनलाइटिंग (Moonlighting)....81
3.9.17. कैंटिलन प्रभाव (Cantillon Effect) 81
3.9.18. दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल (World's Highest Railway Bridge)....81

4. सुरक्षा (Security) 82

4.1. सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction: WMDs) 82
4.2. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT) 85
4.3. जाली मुद्रा नोट (Counterfeit Currency Notes)....87
4.4. भारत-नागा युद्धविराम समझौता (Indo-Naga ceasefire agreement) 89
4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)....91
4.5.1. 'निदान/ NIDAAN या 'नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को-ऑफेंडर्स' {Nidaan (National Integrated Database on Arrested Narco Offenders} 91
4.5.2. फोरेंसिक जांच अनिवार्य (Forensic Probe Mandatory)....91
4.5.3. संयुक्त समुद्री बल {Combined Maritime Forces (CMF)} 92
4.5.4. ऑपरेशन स्काईलाइट (Operation Skylight) 92
4.5.5. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Exercise in News)....93
4.5.6. टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल {Anti-Tank Guided Missiles (ATGM)} 93
4.5.7. कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल {Vertical Launch Short Range Surface-To-Air Missile (VL-SRSAM)}....93
4.5.8. बटरफ्लाई माइन (Butterfly Mine)....94
4.5.9. शुद्धिपत्र (Errata)....94

5. पर्यावरण (Environment) 95

5.1. भारत का अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Updated NDCs) 95
5.2. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 {Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022}....97
5.3. एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending)....100
5.4. महासागर तापीय ऊर्जा (Ocean Thermal Energy) 102
5.5. तटीय क्षेत्र संरक्षण (Coastal Region Conservation)....104
5.6. अर्थ गंगा (Arth Ganga)....107
5.7. नए रामसर स्थल (New Ramsar Sites) 111

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 113
5.8.1. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन {Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)} 113
5.8.2. हर घर जल (Har Ghar Jal) 113
5.8.3. केंद्र सरकार ने भारत के 31वें हाथी रिज़र्व को अधिसूचित किया (Centre Notifies India's 31st Elephant Reserve) 114
5.8.4. इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम {Indian Virtual Herbarium (IVH)} 115
5.8.5. राष्ट्रीय जल पुरस्कार {National Water Awards (NWA)} 115
5.8.6. ओजोन परत (Ozone Layer) 115
5.8.7. पर एंड पॉली-फ्लोरो-अल्काइल पदार्थ (Per and polyfluoroalkyl substances: PFAS) 116
5.8.8. वर्ष 1950 के बाद छठी बार 'ला नीना' (La Nina) की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है (La Nina Conditions Enter 3rd Year, 6th Time Since 1950) 116
5.8.9. आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic Amplification) 117
5.8.10. स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एन्हांसमेंट {Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (STEVE)} 117
5.8.11. ज़ोंबी आइस (Zombie Ice) 118
5.8.12. टोंगा ज्वालामुखी (Tonga volcano) 118
5.8.13. शुद्धिपत्र (Errata) 118

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 119

6.1. मैनुअल स्कैवेंजिंग तथा 'नमस्ते' योजना (Manual Scavenging and NAMASTE Scheme) 119
6.2. स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health: RTH) 121
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 124
6.3.1. अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा (Review of Guardianship and Adoption Laws) 124
6.3.2. पालन 1000 (Paalan 1000) 124
6.3.3. महिला वैज्ञानिक (Women Scientists) 125
6.3.4. UGC ई-समाधान पोर्टल (UGC e-samadhan portal) 125
6.3.5. कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला (Functionally Literate District) 125
6.3.6. स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH पर वैश्विक प्रगति (2000–2021) रिपोर्ट (Progress on WASH in Healthcare Facilities, 2000–2021 Report) 125
6.3.7. भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या' रिपोर्ट 2021 (Accidental Deaths & Suicides in India report 2021) 126
6.3.8. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण {National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)} 126

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 128

7.1. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी (5G Spectrum Auction) 128
7.2. क्षय रोग या टीबी (Tuberculosis: TB) 129
7.3. जीनोमिक निगरानी (Genomic Surveillance) 132

7.4. स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors: SMRs) 133
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 135
7.5.1. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन {Quantum Key Distribution (QKD)} 135
7.5.2. एनोनिमाइजेशन ऑफ़ डेटा (AoD)' पर प्रारूप दिशा-निर्देश {Draft Guidelines on Anonymisation of Data (AoD)} 135
7.5.3. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन {Smart India Hackathon (SIH) 2022} 136
7.5.4. आई.टी.यू- क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम {ITU's- Regional Standardization Forum (RSF)} 136
7.5.5. हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस (Hydrogen Fuel Cell Bus) 137
7.5.6. रोशनी (Roshini) 137
7.5.7. लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान {Small Satellite Launch Vehicle (SSLV)} 138
7.5.8. अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए वेधशाला (Observatory to Monitor Space) 138
7.5.9. बृहस्पति (Jupiter) 139
7.5.10. नासा (NASA) ने आर्टेमिस-1 मिशन का प्रक्षेपण स्थगित किया (NASA Postpones Launch of Artemis-1 Mission) 139
7.5.11. पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ (Earth Records Shortest Day) 140
7.5.12. बेटेल्गेयूज़ (Betelgeuse) 141
7.5.13. एक्सो-मून्स (Exo-Moons) 141
7.5.14. पेन प्लस स्ट्रेटेजी (PEN Plus strategy) 141
7.5.15. कालाजार या विसेरल लीशमनियासिस (Visceral leishmaniasis/Kala-azar) 142
7.5.16. टोमैटो फ्लू (टोमैटो फीवर) {Tomato Flu (Tomato Fever)} 142
7.5.17. लैंग्या हेनिपावायरस {Langya Henipavirus (LayV)} 142
7.5.18. लंपी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease: LSD) 142

8. संस्कृति (Culture) 144

8.1. चोल-कालीन मूर्तियां (Chola Era Idols) 144
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 145
8.2.1. आदिचनल्लूर (Adichanallur) 145
8.2.2. भारतीय ज्ञान प्रणाली पहल {Indian Knowledge Systems (IKS) initiative} 146
8.2.3. अनंग ताल झील (Anang Tal Lake) 146
8.2.4. यूनेस्को फेलिक्स हौफौएट-बोग्नी शांति पुरस्कार (UNESCO Felix Houphouet-Boigny Peace Prize) 147

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 148

9.1. खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर (Manipulation of Sports Competitions) 148
9.2. मीडिया ट्रायल: स्वतंत्र वाक् और स्वतंत्र सुनवाई के बीच का द्वंद्व (Trial By Media: The Dichotomy Between Free Speech and Free Trial) 150

 ©Vision IAS

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News) 153

10.1. स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता हेतु योजना (SMILE Scheme for Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) 153

10.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0) 154

11. परिशिष्ट: नए रामसर स्थलों की सूची (Appendix: List of New Ramsar Sites) 156

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996** (पेसा अधिनियम) को लागू करने के लिए **नियमों** को अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पेसा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही **छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेसा कानून को लागू करने वाला देश का सातवां राज्य बन गया है।** इससे पहले पेसा अधिनियम को लागू करने वाले राज्य **आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान** और **तेलंगाना** हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 के बारे में

- **पेसा अधिनियम, 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तीकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है।
- **पंचायती राज मंत्रालय** राज्यों में पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु **नोडल मंत्रालय है।**
- पेसा अधिनियम को **"संविधान के भीतर संविधान"** कहा जाता है। यह अधिनियम **संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग IX पंचायतों से संबंधित है।** इस संबंध में **अनुच्छेद 244(1)** को (कुछ संशोधनों एवं अपवादों के साथ) **अनुसूची 5 के साथ** पढ़ा जाना चाहिए।
  - ये 10 राज्य **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना हैं।**
  - पेसा अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने **आदर्श पेसा नियम** बनाए थे। अब तक **सात राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित किया है।**

- **पेसा अधिनियम के उद्देश्य:**
    - अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए **ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना।**
    - ग्राम सभाओं को मुख्य रूप से **प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए** विशेष अधिकार देना।
    - **जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना** तथा साहूकारों एवं भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण से **जनजातीय लोगों** की सुरक्षा करना।
    - जनजातीय समुदायों को **लघु वनोपज (MFP)**[1], लघु जल निकायों एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों **पर मालिकाना हक देना।**

पेसा अधिनियम, 1996 को लागू करने से जुड़ी चुनौतियां

- **जागरूकता की कमी:** यद्यपि, पेसा अधिनियम वर्ष 1996 में अस्तित्व में आया था, किंतु यह देखा गया है कि पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के स्थानीय जनजातीय समुदायों को इस कानून का सीमित ज्ञान है। साथ ही, इसके तहत उन्हें दिए गए अधिकारों की भी उन्हें बहुत कम समझ है।
- **सीमित स्वायत्तता:** कई मामलों में यह देखा गया है कि ग्राम सभाओं पर गैर-जनजातीय लोगों का प्रभाव है। निचले स्तर पर, **ग्राम सभाओं और पंचायतों को राजस्व सृजन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं।** इसके परिणामस्वरूप, उनके पास कार्य करने की बहुत कम स्वायत्तता है।
- **पेसा के तहत प्रावधानों का उल्लंघन:** पंचायतों के कामकाज में लोगों की अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त व मजबूत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में ग्राम सभाओं के सशक्तीकरण की परिकल्पना की गई है।
    - उदाहरण के लिए- सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में **'कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957'** के तहत भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया है। स्थानीय लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। वहां के लोगों के अनुसार, यह फैसला अवैध है और पेसा अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।
- **कार्यान्वयन:** पेसा कानून को अपनाने और इसकी मूल भावना के अनुसार इसे लागू करने में कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए- इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियम-कानून नहीं बनाए गए हैं।
    - झारखंड राज्य में 26% आदिवासी जनसंख्या है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने में विफल रही है।
- **विशेषज्ञता:** यह संभव है कि पेसा कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को जनजातीय संस्कृति की उचित एवं पर्याप्त समझ न हो।
- **अपर्याप्त संस्थागत ढांचा:** ग्राम सभाओं को स्वशासन के केंद्र के रूप में सशक्त बनाने के लिए संस्थागत ढांचे और उचित पारितंत्र (जैसे पर्याप्त क्षमता, सूचना तक उचित पहुंच) आदि की कमी है।
- **स्पष्टता की कमी:** अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में पेसा अधिनियम में प्रावधान है कि **अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभाओं से 'परामर्श' किया जाना चाहिए।**
    - **यहां 'परामर्श (Consultation)' शब्द का बार-बार यह गलत अर्थ निकाला जाता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभाओं की मंजूरी आवश्यक नहीं है।** यही कारण है कि इन परामर्शों की अनदेखी से ही ऐसी परियोजनाएं अनुसूचित क्षेत्रों की आबादी को प्रभावित करती हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 की अन्य विशेषताएं

- **पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानूनों,** उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे।
- **प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी।** यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं।
- प्रत्येक ग्राम सभा **लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान**, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा व संरक्षा करेगी।
- **ग्राम सभा के पास गांव में विकास संबंधी सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने,** धन के उपयोग का प्रमाण-पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त, उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी।
- प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित **(न्यूनतम 50 प्रतिशत)** होंगी। साथ ही, **पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।**

[1] Minor Forest Produce

- **कार्यों का अतिव्यापन (Overlapping Functions):** पेसा कानून के तहत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति एवं भागीदारी प्राय: बहुत कम होती है। इसका कारण समुदायों द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रथागत संस्थाओं एवं अन्य समितियों की मौजूदगी रहती है।

आगे की राह

- **जागरूकता:** ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार-प्रसार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **वित्तपोषण:** पंचायतों से संबंधित **वित्त का विकेंद्रीकरण** किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम सभा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - ग्राम सभाओं को उनके संचालन के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत लघु जल निकायों और लघु खनिजों के दोहन के लिए दिए गए लाइसेंस से प्राप्त राजस्व पर ग्राम सभाओं का नियंत्रण भी शामिल है।
- **महिलाओं की भागीदारी:** चूंकि सभी संबंधित राज्यों में पारंपरिक जनजातीय परिषदों में पुरुषों का वर्चस्व है, इसलिए ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में **महिलाओं की कम-से-कम एक-तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।**
- **सामुदायिक स्वामित्व:** जिन क्षेत्रों में पेसा कानून लागू है, वहां संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।** सामुदायिक संसाधन आधारित सभी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वियन में ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- **कानूनों की एकरूपता: भारतीय वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों** में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे लघु वनोपज, जल निकायों और भूमि संसाधनों का स्वामित्व स्पष्ट रूप से पेसा क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सौंपा जा सकेगा।

निष्कर्ष

पेसा कानून निर्णय लेने की पारंपरिक प्रक्रिया को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन का समर्थन करता है। यदि इस कानून को इसकी मूल भावना के अनुसार लागू किया जाए, तो यह जनजातीय क्षेत्रों में लगभग मृतप्राय हो रही स्वशासन की प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकता है।

1.2. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के मामलों पर सुनवाई करते हुए **प्रशासकों की समिति (CoA)**[2] को भंग कर दिया। इसके बाद **फीफा परिषद ब्यूरो**[3] ने **AIFF** पर लगा हुआ निलंबन हटा लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रशासकों की समिति (CoA) की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। इस समिति का कार्य **AIFF के मामलों** का प्रबंधन करना था। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय खेल संहिता** एवं **आदर्श दिशा-निर्देशों** के अनुरूप AIFF के संविधान का निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया था।
- AIFF पर लगे निलंबन को समाप्त करने के लिए फीफा ने यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि CoA को भंग किया जाए। इसका कारण यह था कि इस समिति का AIFF के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था।
    - AIFF के प्रशासन में किसी **"तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव"** को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा-कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
- इस निर्णय के बाद भारत को **फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022** का आयोजन करने में भी मदद मिलेगी, जो अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित होने वाला है।

---

[2] Committee of Administrators

[3] Bureau of FIFA Council

भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस एवं प्रशासन

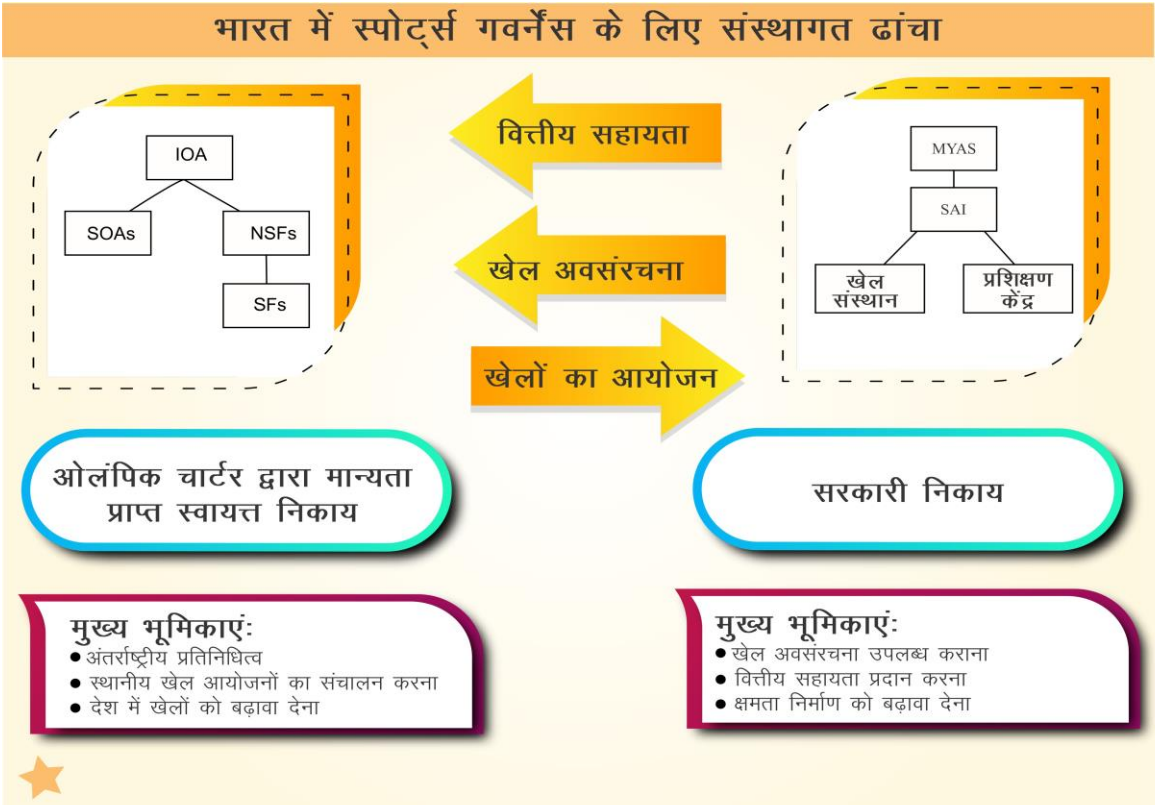

- स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा खेलों से जुड़े संगठन एवं संस्थाएं शासित होते हैं। इसके अंतर्गत **रणनीतिक उद्देश्य और फ्रेमवर्क** को परिभाषित करना भी शामिल है, जैसे-
  - **निरीक्षण** की प्रक्रिया[4] **(नियम एवं नीतियां)**, तथा
  - **डायरेक्शन (मिशन, लक्ष्य एवं रणनीति)**, जिसके आधार पर किसी खेल संगठन में निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है।
- भारत में, निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन के सामान्य तौर पर **दो पक्ष** हैं (इन्फोग्राफिक देखिए):
  - **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** तथा इसके अधीनस्थ संगठन (जैसे- भारतीय खेल प्राधिकरण); तथा
  - **ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन;** जैसे- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOA), राष्ट्रीय खेल संघ (NSF)** आदि।
    - क्रिकेट जैसे **गैर-ओलंपिक खेलों** से संबंधित संगठनों **(जैसे- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड)** का उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों से प्रत्यक्ष संबंध है।

खेल संगठनों से संबंधित समस्याएं और उनका प्रभाव

हालांकि खेलों के परिवेश/संस्कृति के विकास और सफलता के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है, किंतु भारत में खेल संगठनों एवं संस्थाओं को **अनेक समस्याओं** का सामना करना पड़ता है, जैसे-

प्रशासनिक समस्याएं	• **अस्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:** विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर) पर अनेक संगठनों की मौजूदगी से **भ्रम की स्थित उत्पन्न होती है। साथ ही, सेवाओं का दोहराव होता है और खेल पारितंत्र में कमियां उत्पन्न होती हैं।** • **पेशेवर क्षमता की कमी:** खेल संगठनों में राजनेताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और बड़े व्यवसायियों का वर्चस्व हो गया है। इसके कारण **इन संगठनों में स्थायी रूप से केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण, गुटबाजी, भाई-भतीजावाद और अनियमित चुनाव** आदि समस्याएं अत्यंत सामान्य हो गई हैं। ○ उदाहरण के लिए- AIFF अध्यक्ष के रूप में 12 वर्ष (चार-चार वर्ष के तीन कार्यकाल) पूरे करने के बावजूद भी AIFF के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहे थे। खेल संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के अध्यक्ष पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 12 वर्ष (तीन कार्यकाल) तक ही रह सकता है।

[4] Process of Oversight

	• **गवर्नेंस और प्रबंधन में अंतर** के कारण इनमें से एक के साथ अवांछित समझौता होता है। • निर्वाचक मंडल में एथलीटों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है अर्थात् खेल प्रशासन में खिलाड़ियों के मत का अभाव है। • **अन्य समस्याएं:** खेल संगठनों में **भेदभाव** (लैंगिक या क्षेत्रीय आधार पर), **अनैतिक गतिविधियों की व्यापकता,** जैसे **डोपिंग और अवैध सट्टेबाजी** की समस्याएं भी देखी जाती हैं।
वित्तीय समस्याएं	• **सीमित निधि:** भारत में वित्त-वर्ष 2010 में **स्पोर्ट्स मीडिया और स्पॉन्सरशिप उद्योग का आकार** लगभग **95 बिलियन डॉलर** था, लेकिन **इसका अधिकांश भाग क्रिकेट के आस-पास केंद्रित था।** • **केंद्र सरकार द्वारा सीमित धन प्रदान किया जाता है,** क्योंकि **'खेल' राज्य सूची का विषय है** (राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 33)। इसके अतिरिक्त, **वित्तीय अनियमितताएं** वित्तीय समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती हैं।
सहयोग और समन्वय से संबंधित समस्याएं	• **गवर्नेंस संबंधी संरचना:** कुछ खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि को छोड़ दिया जाए, तो भारत में खेल संघों और खेल आयोजनों की कोई स्पष्ट एवं कार्यात्मक संरचना नहीं है। 　○ उदाहरण के लिए- **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने टेबल टेनिस से जुड़े दिन-प्रतिदिन के मामलों को देखने के लिए एक CoA का गठन किया है, क्योंकि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंधन करने वाली कोई संस्था नहीं थी। • **अनेक अभिकर्ता:** खेल प्रबंधन में अनेक अभिकर्ताओं जैसे राज्य सरकारों, स्थानीय एवं जिला निकायों, निजी व्यवसायों {कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) या खेल लीग के माध्यम से} आदि की भागीदारी जमीनी स्तर पर सहयोग एवं समन्वय को कठिन बनाती है।
पारदर्शिता से संबंधित समस्याएं	• **जवाबदेही एवं पारदर्शिता का निम्न स्तर:** खेल संगठनों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। इसके कारण उनमें **अपारदर्शी तरीके से निर्णय लेने, भ्रष्टाचार** आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

इन सभी समस्याओं का परिणाम **अप्रभावी या खराब स्पोर्ट्स गवर्नेंस** के रूप में देखने को मिलता है। इसमें **नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और उत्तम नीति** का अभाव होता है। यह स्थिति न केवल भारत में **खेलों के विकास** को प्रभावित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी **भारत के प्रदर्शन और गौरव को नुकसान पहुंचाती है।**

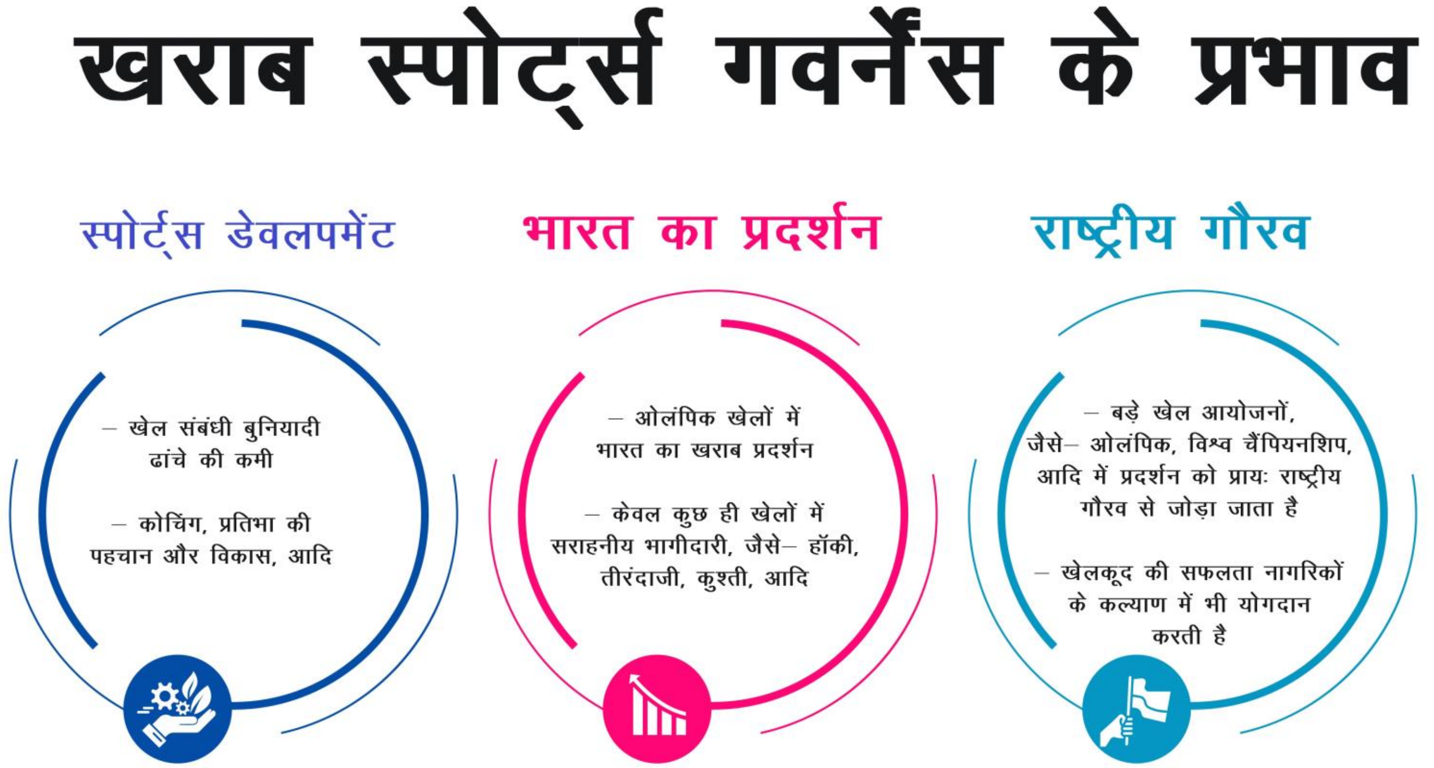

स्पोर्ट्स गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **खेल संघों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता (जैसे- कर लाभ के रूप में) प्रदान करना।**
- राष्ट्रीय खेल संघों के आयोजनों के लिए **खेल सुविधाएं** प्रदान करना।

* **भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011:** इसे **खेल संहिता** के रूप में भी जाना जाता है। इस संहिता में **वर्ष 1975** से जारी की गई विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं और न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन है।
    * यह संहिता खेलों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले **न्यूनतम मानक** प्रदान करती है। इन मानकों का अनुपालन करके खेल संस्थाएं खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मान्यता को बनाए रख सकती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए टीम भेजना, राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना एवं सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी ले सकती हैं।
    * दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये मानक **बाध्यकारी प्रशासनिक निर्देश हैं।** अत: खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए इनका अनुपालन आवश्यक है।

खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश

* हालांकि, भारत में खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक नवीन प्रयोग है, लेकिन इसने खेलों में धन के प्रवाह, पेशेवर दक्षता और खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के अवसरों को बढ़ाया है।
* इसके साथ ही, खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश कई समस्याओं का कारण भी बना है, जैसे **केवल लाभ से प्रेरित होना, हितों का टकराव, अवैध सट्टेबाजी** आदि। ये समस्याएं खेलों और खिलाड़ियों की शुचिता को प्रभावित कर रही हैं।
    * उदाहरण के लिए- चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मालिक खिलाड़ियों के साथ मिलकर अवैध सट्टेबाजी में लिप्त पाए गए हैं।

आगे की राह

* **सुपरिभाषित खेल कानून पारित करना चाहिए।** इससे स्पोर्ट्स गवर्नेंस में प्रत्येक हितधारक की इष्टतम भूमिका सुनिश्चित होगी। साथ ही, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ गवर्नेंस तथा प्रबंधन को अलग किया जा सकेगा।

- शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए **स्पोर्ट्स गवर्नेंस और प्रशासन में पेशेवर व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए।** उदाहरण के लिए- खेल संस्थाओं में सदस्यों का चयन करने और उन्हें बनाए रखने के लिए योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए।
- **स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित शैक्षिक संसाधन विकसित करना** और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे खेलों एवं खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के उपयोग और सेवाओं को इष्टतम किया जा सकेगा।
    - उदाहरण के लिए, मूल्य-आधारित संस्कृति, खेल योजना और अखंडता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों के लिए गवर्नेंस सिद्धांत अपनाने चाहिए।
- **जवाबदेही एवं पारदर्शिता की अनिवार्यताएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना चाहिए।** जैसे, प्रशासनिक निर्णयों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नियमित रूप से वक्तव्य एवं सूचना देना आदि।
- जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का पुनर्गठन और सुधार करने के लिए **बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाना** चाहिए, क्योंकि यही संस्थाएं ही अंततः राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस पिरामिड का निर्माण करती हैं। जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का बेहतर गवर्नेंस और प्रशासन राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को भी प्रभावित करेगा।

भारत में स्पोर्ट इकोसिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

भारत में खेल: ओलंपिक और अन्य

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय खेल संस्कृति क्रिकेट के खेल से आगे निकल गई है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य खेलों में दर्शकों की वृद्धि, भागीदारी और फिटनेस के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। यह डॉक्यूमेंट भारत में स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने आने वाली प्रासंगिक समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख करता है। साथ ही, इस डॉक्यूमेंट में हमारी प्राचीन खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और हमारे प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उपायों पर भी सुझाव दिया गया है।

1.3. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक {Personal Data Protection (PDP) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक को वापस ले लिया।** यह विधेयक वर्ष 2019 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

पृष्ठभूमि

- **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद** (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।
- **केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।** इस समिति का गठन उपर्युक्त निर्णय के आलोक में तथा दिग्गज तकनीकी कंपनियों द्वारा अपने भारतीय उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, इससे जुड़ी व्यापक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस समिति का कार्य डेटा संरक्षण के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करना था।
- **श्रीकृष्ण समिति ने वर्ष 2018 में** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष **अपनी रिपोर्ट** तथा डेटा संरक्षण विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था।

- **वर्ष 2019 में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था।** इसे बाद में एक **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)**[5] **को सौंप** दिया गया था। JPC ने नवंबर, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- सरकार ने कहा है कि इस **विधेयक के स्थान पर शीघ्र ही वैश्विक मानक कानूनों के अनुरूप एक व्यापक कानूनी ढांचा लाया जाएगा।** इसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल गोपनीयता संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा।

विधेयक को वापस लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई?

- **JPC द्वारा व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव:** JPC ने अनेक महत्वपूर्ण संशोधनों एवं सुधारों के सुझाव दिए हैं और सिफारिशें की हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि एक नया विधेयक लाना ही बेहतर होगा।
- **उच्च अनुपालन लागत:** प्रौद्योगिकी उद्योग (विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप्स) ने यह मुद्दा उठाया है कि PDP विधेयक में डेटा के स्थानीयकरण से संबंधित नियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसके कारण उनके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा।
- **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को संतुलित करना:** विशेषज्ञों के अनुसार, विधेयक के कई प्रावधान जैसे कि- डेटा का स्थानीयकरण, हार्डवेयर की प्रामाणिकता से संबंधित खंड तथा कई अन्य उपबंध डेटा संरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। इसके विपरीत, ये निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं।
- **विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताएं:** विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए, अपारदर्शी तरीके से लोगों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य के अनुरूप नहीं:** इससे कई और मुद्दे उजागर हुए हैं जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि- नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रैंसमवेयर का अधिक परिष्कृत होना, क्रिप्टो करेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में वाणिज्यिक आयाम जोड़ना आदि।
- **नागरिक स्वतंत्रता संगठनों द्वारा प्रकट की गई चिंताएं:** उदाहरण के लिए- यह विधेयक सेवा या लाभ प्रदान करने हेतु राज्य को बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करने में सक्षम बनाता है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी की जवाबदेही हेतु प्रावधानों की कमी है आदि।

आगे की राह

- नए डेटा संरक्षण कानून में उन **आलोचनाओं एवं समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए,** जो नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक द्वारा उठाई गई हैं।
- **वैश्विक अनुभवों वाले सर्वोत्तम प्रावधानों/पद्धतियों** पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) और सिंगापुर का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (PDPA)।
- मजबूत कानून बनाने के लिए **अधिक से अधिक हितधारकों से परामर्श करने** तथा विशेषज्ञों से सुझाव लेने की **आवश्यकता है।** यह सभी डेटा प्रसंस्करणकर्ताओं (processors) द्वारा उचित जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
- नए विधेयक द्वारा **छोटे भारतीय स्टार्टअप्स** और कंटेंट क्रिएटर्स को **समान अवसर प्रदान करने चाहिए।** वर्तमान में इस क्षेत्र में दिग्गज कंपनियों का प्रभुत्व है।

डेटा-संचालित नवाचार और निजता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

 डेटा-संचालित नवाचार और निजता	डेटा एक नया ईंधन है और डेटा-संचालित नवाचार, संवृद्धि के नए स्रोत हैं। हालांकि, डेटा सृजनकर्ताओं की निजता का उल्लेख किए बिना यह चर्चा अपूर्ण है। यह लेख विभिन्न प्रकार के डेटा, उनके उपयोग और नवाचार तथा निजता के बीच मौजूद अंतर-संबंधों की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त, यह एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है कि कैसे एक मध्यम मार्ग की पहचान की जा सकती है जो डेटा-संचालित नवाचारों की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए डेटा की निजता भी सुनिश्चित कर सके।	

[5] Joint Parliamentary Committee

1.4. सोशल मीडिया-सेंसरशिप और विनियमन (Social media-Censorship and Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ट्विटर की **वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट**[6] के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच भारत द्वारा ट्विटर से कंटेंट हटाने को लेकर की जाने वाली **कानूनी मांगों में अत्यधिक वृद्धि** हुई थी।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच ब्लॉकिंग के आदेश जारी करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान** पर था। इस मामले में पहले तीन स्थानों पर क्रमशः **जापान, तुर्की और रूस थे।**
- वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच सरकार ने गूगल को गूगल सर्च, यूट्यूब, जी-मेल और ब्लॉगर जैसी सेवाओं से कई तरह के कंटेन्ट हटाने के आदेश दिए थे।
  - **कंटेन्ट हटाने के कई कारणों में से कुछ निम्नलिखित थे:**
    - सरकार की आलोचना,
    - मानहानि,
    - एडल्ट सामग्री, और
    - किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना।

सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता क्यों?

- **समाज में सामंजस्य बनाए रखना: सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण** भारतीय समाज की विविधता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए- दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ किए गए हेट-क्राइम।
- **फेक न्यूज पर अंकुश लगाना:** सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की अधिकता ने **हिंसा, कट्टरता और डर के माहौल को बढ़ावा दिया है।**
  - उदाहरण के लिए- बाल तस्करी और अंगों के व्यापार की झूठी खबरों को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, भीड़ द्वारा हिंसा की गई तथा वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में तीन दर्जन से अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थीं।
- **साइबर स्टॉकिंग के मामले को कम करना:** साइबर स्टॉकर **सोशल मीडिया के माध्यम से गुमनाम रहते हुए** लक्षित व्यक्तियों की गतिविधियों पर आसानी से नज़र रखते हैं।
- **लोकतंत्र का संरक्षण:** विश्व ने **समाज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव** का सबसे खराब उदाहरण वर्ष 2021 में **यू.एस. कैपिटल पर भीड़ हिंसा** के रूप में देखा था।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 के माध्यम से विनियमन का विकास

- यह अधिनियम **पूरे भारत पर** लागू होता है। **इसके प्रावधान किसी भी व्यक्ति (चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो) द्वारा भारत गणराज्य के राज्यक्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होते हैं।**
- यह अधिनियम **इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों** को कानूनी वैधता प्रदान करता है। साथ ही, यह **इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की स्वीकृति** को भी मान्यता प्रदान करता है। यह एक आधुनिक कानून है, जो निम्नलिखित कृत्यों को **अपराध घोषित करता है:**
  - **हैकिंग, डेटा की चोरी व वायरस का प्रसार,**
  - **पहचान की चोरी एवं बदनाम करना (आपत्तिजनक संदेश भेजना),**
  - **पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर आतंकवाद आदि।**
- वर्ष 2008 में संशोधन के माध्यम से **धारा 66A को इस अधिनियम में** जोड़ा गया था। इस धारा को लेकर काफी विवाद होता रहता है। यह धारा अधिकारियों को **सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक माने जा सकने वाले' कंटेंट को पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार करने** की शक्ति प्रदान करती है।
  - हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में IT अधिनियम की **इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था।** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन करती है (श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद, 2013)।**
- इस अधिनियम में **डेटा की निजता संबंधी नियमों** को वर्ष 2011 में जोड़ा गया था। इन नियमों के अनुसार कंपनियों को **ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने से पहले ग्राहकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।**
- भारत सरकार ने वर्ष 2021 में **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[7], 2021** को अधिसूचित किया है।

---

[6] Twitter's Global Transparency Report

[7] Information Technology (Intermediatary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

IT नियम, 2021 में संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रारूप

- **मध्यवर्तियों का दायित्व:** वर्ष 2021 के नियमों के अनुसार **मध्यवर्तियों के लिए नियमों और विनियमों, निजता की नीति तथा अपनी सेवाओं के एक्सेस या उसके उपयोग हेतु उपयोगकर्ता-समझौते को 'प्रकाशित'** करने की आवश्यकता होती है।
  - इन नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्मित, अपलोड या साझा किए जाने वाले कंटेंट के संबंध में कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, ये नियम मध्यवर्तियों के लिए ऐसे प्रतिबंधों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना अनिवार्य करते हैं।
- **प्रतिबंधित कंटेंट का यथा शीघ्र हटाया जाना:** वर्ष 2021 के नियमों के तहत मध्यवर्तियों के लिए 24 घंटे के भीतर नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लेना तथा 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य किया गया है।
- **शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था:** वर्ष 2021 के नियमों के तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए **मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति** करनी होती है।
- **शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई** के लिए केंद्र सरकार **एक शिकायत अपीलीय समिति**[8] का गठन करेगी।

सेंसरशिप को प्रभावी बनाने में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

- **व्यक्तिपरकता (Subjectivity):** सेंसरशिप एक जटिल कार्य है। इसकी कोई वस्तुनिष्ठ (Objective) सीमा नहीं होती। यह पूर्ण रूप से देखने या पढ़ने वाले की नैतिक संवेदना पर निर्भर करता है। इसमें शालीनता, अश्लीलता आदि के डायनेमिक मानक होते हैं।
- **अनुचित उपयोग, अति विनियमन और दुरुपयोग की संभावना:** राज्य पहले से ही राजनीतिक लाभों से प्रेरित होते हैं। ऐसे में सेंसरशिप राज्यों को अपने निवासियों के विचारों और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अवसर व माध्यम प्रदान कर सकती है।
  - इसके अलावा, कमज़ोर आपराधिक न्याय प्रणाली, कानूनों की अस्पष्ट भाषा और विधिशास्त्र की स्पष्टता के अभाव से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना आसान हो जाता है।
- **कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी:** सेंसर की गई सामग्री की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी तरह गुप्त चैनलों के माध्यम से समाज तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में, सेंसर की गई सामग्री को लेकर व्यापक जिज्ञासा उठती है और लोग उसे देखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इसके कारण, सेंसरशिप का उद्देश्य असफल हो जाता है।

आगे की राह

- **स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना:** इसे संगठन के भीतर और/या उद्योग के कार्य-क्षेत्र के आधार पर, दोनों तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसकी प्रकृति मीडिया के कार्य-क्षेत्र पर निर्भर करती है।

---

[8] Grievance Appellate Committee

- **मीडिया संबंधी सभी कानूनों का संहिताकरण:** मीडिया संबंधी सभी कानूनों के संहिताकरण से मीडिया को बेहतर रूप से प्रबंधित किया जा सकेगा। इससे नागरिकों और कंटेंट निर्माताओं में व्याप्त शंका को कम करने तथा रचनात्मकता एवं बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **राज्य की सेंसर करने की शक्ति को सीमित करना:** शक्ति के दुरुपयोग तथा अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए, किसी भी विनियामक निकाय को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ऐसे में अपने सुझावों/सिफारिशों द्वारा एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है।
- **हेट स्पीच के समाधान हेतु अग्र-सक्रिय या गैर-दंडात्मक कदम अपनाना:** इस तरह के कदमों में सार्वजनिक शिक्षा; विविधता को प्रोत्साहित करना; खुले तौर पर अपमानजनक या भड़काऊ भाषणों का खंडन करना; सुभेद्य समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना आदि शामिल हो सकते हैं।
- **मीडिया में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना:** इसके तहत निजता, गरिमा और नागरिकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले नैतिक मानकों को विकसित किया जा सकता है। साथ ही, इन नैतिक मानकों को अलग-अलग प्रकार के मीडिया में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

मीडिया में सेंसरशिप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

मीडिया में सेंसरशिप: एक आवश्यक बुराई?

वर्तमान समय में भारतीय मीडिया एक छोर पर स्वतंत्रता को बचाने और दूसरे छोर पर हानिकारक कंटेंट को सेंसर करने के बीच उलझा हुआ है। यह डॉक्यूमेंट देश में कंटेंट सेंसरशिप से संबंधित आवश्यकता और मुद्दों की जांच करता है। साथ ही, इस डॉक्यूमेंट में हमारे वाक् और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ मीडिया सेंसरशिप को संतुलित करने के सर्वोत्तम तरीकों पर भी चर्चा की गयी है।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

1.5.1. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

- सांसदों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के मामले में राज्य सभा के सभापति ने कहा कि जब सदन का **सत्र चल रहा हो**, तो सांसदों को **आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं** होगी। साथ ही, सदस्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी समन से बच नहीं सकते हैं।
- संसदीय विशेषाधिकार **व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सांसदों को प्राप्त कुछ अधिकार** एवं उन्मुक्तियां (छूट) हैं। ये विशेषाधिकार उन्हें "अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन" करने के लिए प्रदान किये गए हैं।

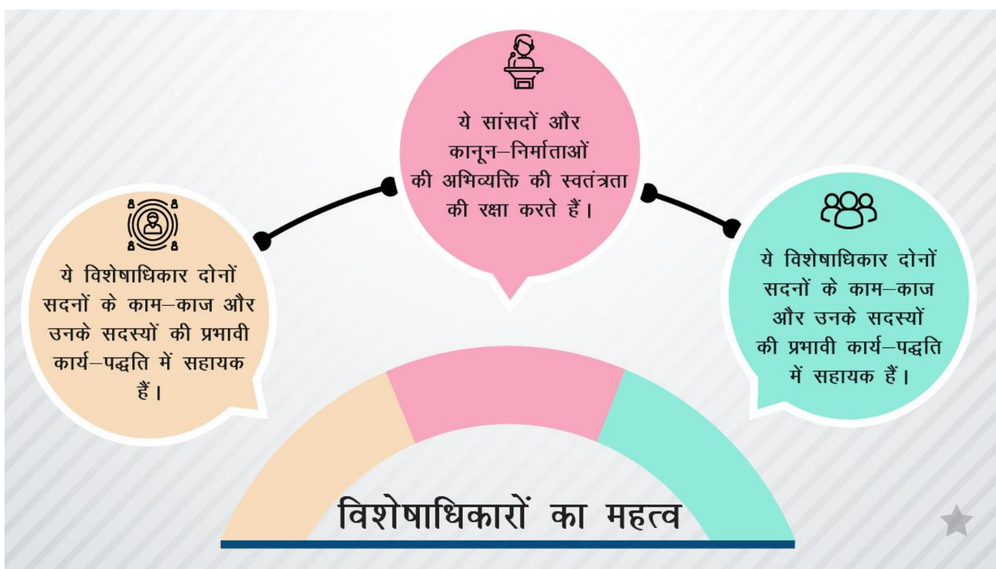

  - ये विशेषाधिकार **उन व्यक्तियों को भी** दिए जाते हैं, जो संसद की **किसी भी समिति में भाग लेते हैं और उसमें बोलते हैं।** इनमें भारत का **महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री** शामिल हैं।
  - जब इनमें से किसी भी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है, तो इस अवहेलना को **विशेषाधिकार का उल्लंघन** कहा जाता है। इसका उल्लंघन संसद के **कानून के तहत दंडनीय** है।

- संविधान के **अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधान मंडल के सदस्यों को** विशेषाधिकार दिए गए हैं।
    - इनमें से एक विशेषाधिकार यह है कि किसी संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र या समिति की **बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के बाद 40 दिन तक गिरफ्तार** नहीं किया जा सकता है।
    - संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को **पूर्णतः लिखित रूप देने के लिए कोई विशेष कानून नहीं** बनाया है।

1.5.2. भारत के 14वें उपराष्ट्रपति {14th Vice-President (VP) of India}

- जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
- उपराष्ट्रपति का पद, संविधान के **अनुच्छेद 63** के तहत **दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद** है।
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से होता है। **इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता** है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
- उपराष्ट्रपति **पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता** है। हालांकि, वह इस अवधि से पहले अपना त्यागपत्र दे सकता है। साथ ही, उसे पांच वर्ष की अवधि से पहले हटाया भी जा सकता है।
- वह **राज्य सभा के पदेन सभापति** के रूप में कार्य करता है।

1.5.3. चुनावी बॉण्ड {Electoral Bonds (EB)}

- भारतीय स्टेट बैंक के डेटा से पता चला है कि वर्ष 2018 के बाद से राजनीतिक दलों ने **चुनावी बॉण्ड से 10000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह** किया है।
- केंद्रीय बजट 2017-18 में **ब्याज मुक्त लिखतों (instruments) के रूप में चुनावी बॉण्ड की घोषणा** की गई थी। इसका उद्देश्य देश में **राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ़-सुथरा** बनाना है।
    - **चुनावी बॉण्ड शुरू करने के निम्नलिखित तर्क थे:**
        - राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित करना,
        - फर्जी/ धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को बाहर करना,
        - दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना,
        - काले धन पर अंकुश लगाना आदि।
- चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होता है। इसे **भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं** खरीद सकती हैं।
    - इसे 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के **गुणकों में बेचा जाता है। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉण्ड बेचने के लिए अधिकृत** किया गया है।

- **पात्रता:** पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने हाल ही के आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में **कम-से-कम एक प्रतिशत वोट** हासिल किया है।
    - बॉण्ड के खरीदारों को खरीदारी के समय पूर्ण **अपने ग्राहक को जानो (KYC) विवरण** जमा करना होता है। लेकिन**, लाभार्थी राजनीतिक दल को उस संस्था की पहचान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं** है, जिसने उसे बॉण्ड दिया है।

1.5.4. जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची {Jammu and Kashmir (J&K) Electoral Roll)}

- जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने एक घोषणा की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति **"जो जम्मू-कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है"**, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के प्रावधानों के अनुसार **जम्मू-कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध** हो सकता है।
    - मतदाता सूची को **अंतिम बार वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर RPA, 1957** के तहत संशोधित किया गया था। **अनुच्छेद 370** के निरस्त होने के बाद यह कानून **समाप्त हो गया है।**
    - **जम्मू-कश्मीर RPA, 1957** के तहत केवल वहां के **'स्थायी निवासी'** ही मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे।
    - अब शेष भारत की तरह **जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत** आयोजित होंगे।
    - अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद, अब **विधान सभा और संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची** होगी।
- सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी **निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा** किया जाता है।
    - ऐसा व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग से हो सकता है, लेकिन **वह कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू-कश्मीर में रह रहा** होता है। परन्तु, उस व्यक्ति का नाम उसके **मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया होना चाहिए।**
- जब अनुच्छेद 370 लागू था, तो जम्मू-कश्मीर में **'सामान्य रूप से रहने वाले' लोग केवल संसदीय चुनावों में मतदान करने के पात्र** थे। इन्हें **अस्थायी निवासी (NPR)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
    - NPR में वर्ष 1947 से जम्मू-कश्मीर में रह रहे **पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी** भी शामिल हैं।
- **जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची का संशोधन**
    - जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** के तहत **सात** नए विधान सभा क्षेत्र **(जम्मू संभाग के लिए छह और कश्मीर के लिए एक)** बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर **भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में नई मतदाता सूची तैयार कर रहा है।**
    - जम्मू-कश्मीर में चुनाव की किसी भी घोषणा के लिए आधार तैयार करने हेतु नई मतदाता सूची आवश्यक है। यहां राज्य विधान सभा के अंतिम चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे।

1.5.5. जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता (Recognising Minorities at District Level)

- उच्चतम न्यायालय ने जिलेवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह **इस तरह की मांग पर विचार नहीं कर सकता।** न्यायालय के मुताबिक **यह मांग उन पिछली मांगों के विपरीत** है, जिनके अनुसार इस तरह की पहचान **राज्य स्तर पर** की जानी चाहिए।
    - **केरल शिक्षा विधेयक मामले (1958)** में, उच्चतम न्यायालय ने इस **तर्क को खारिज** कर दिया था कि **अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर पर** की जानी चाहिए।
    - इसके अलावा, **टी.एम.ए. पाई मामले (2002) में,** उच्चतम न्यायालय ने माना था कि **भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर** किया जाता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर।
- **भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा**
    - **संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता** है। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संविधान के **अनुच्छेद 29 और 30** के तहत वर्णित किया गया है।
        - साथ ही, **अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी** की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
    - हालांकि, केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992** का उपयोग करते हुए **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी** को 'अल्पसंख्यक' घोषित किया है।
    - अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004** लागू किया गया है।

1.5.6. संविधान पीठ (Constitution Bench)

- हाल ही में, CJI ने आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय में **कम-से-कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष** कार्य करेगी।
    - वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की **संविधान पीठ के समक्ष कुल 492 मामले लंबित** हैं। इनमें **कानून और संविधान की व्याख्याओं के प्रश्नों से जुड़े 53 मुख्य मामले** भी शामिल हैं।
- संविधान पीठ उच्चतम न्यायालय की एक पीठ होती है। इसमें **5 या अधिक न्यायाधीश** किसी मामले की सुनवाई करते हैं।
    - वर्तमान में इनका **गठन** आवश्यकता पड़ने पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी आधार** पर किया जाता है।
- संविधान पीठों का गठन केवल तभी किया जाता है, जब **निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियां मौजूद हों:**
    - **संविधान का अनुच्छेद 143:** जब किसी मामले में **संविधान की व्याख्या से संबंधित** कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो।
    - **अनुच्छेद 145(3):** जब **भारत का राष्ट्रपति** अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर **उच्चतम न्यायालय से राय मांगे।**
    - जब उच्चतम न्यायालय की दो या तीन न्यायाधीशों वाली पीठ **कानून के समान प्रश्न पर परस्पर विरोधी निर्णय देती हैं,** तब एक बड़ी पीठ द्वारा **अंतिम निर्णय देना आवश्यक** हो जाता है।
    - जब तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए **किसी निर्णय पर** बाद में तीन-न्यायाधीशों की **एक अन्य पीठ संदेह** व्यक्त करती है, तब वह पहली पीठ के **फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक बड़ी पीठ** को भेजने का निर्णय लेती है।

- एक अन्य घटनाक्रम में, **पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण** (लाइव स्ट्रीमिंग) किया है।
- **सीधे प्रसारण का महत्व:**
    - यह अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त **'न्याय तक पहुंच' का अधिकार** सुनिश्चित करता है।
    - यह अधिक **पारदर्शिता व समावेशिता** लाता है और **न्याय तक पहुंच** को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान में, **देश के 25 उच्च न्यायालयों में से 6 (गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश)** की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण किया जाता है।

1.5.7. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 {Benami Transactions (Prohibition) Act of 1988}

- उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है।
- यह कानून **बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने और बेनामी रूप में रखी गई संपत्ति की वसूली/ जब्ती** के लिए वर्ष 1988 में पारित किया गया था। हालांकि, कानून के कार्यान्वयन के लिए **नियम, विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी हैं।** इस कारण से यह अभी तक अप्रभावी बना हुआ है।
    - बेनामी लेनदेन से तात्पर्य **ऐसे किसी भी लेनदेन से है,** जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है।
    - बेनामी लेनदेन का उपयोग **कर से बचने, गोपनीयता बनाए रखने, बेहिसाब धन कहीं और निवेश करने** आदि के लिए किया जाता है, ताकि संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छुपाया जा सके।
- वर्ष 2016 के संशोधन ने **बेनामी लेनदेन के दायरे और दंड का विस्तार** किया था। इसने बेनामी लेनदेन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा था।

- **निर्णय के मुख्य निष्कर्ष**
    - वर्ष 1988 के अधिनियम की **धारा 3(2)** (2016 के अधिनियम के अनुसार भी) मनमानी प्रकृति की है। इस कारण यह असंवैधानिक है। यह **संविधान के अनुच्छेद 20(1)** का उल्लंघन करती है। यह अनुच्छेद संबंधित कानून पारित होने की तारीख से पहले किये गए अपराध के लिए दंडित करने से रोकता है।
    - धारा 5 के तहत वर्ष 2016 के **दंडात्मक संशोधन, पूर्वव्यापी रूप (कानून बनने से पहले) से लागू नहीं** होंगे।
        - वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम की **धारा 5 किसी भी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति** देती है, जो बेनामी लेनदेन से जुड़ी है।
    - वर्ष 1988 से वर्ष 2016 के बीच के लेनदेन के लिए **अभियोजन या जब्ती की कार्यवाही** को रद्द कर दिया गया है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

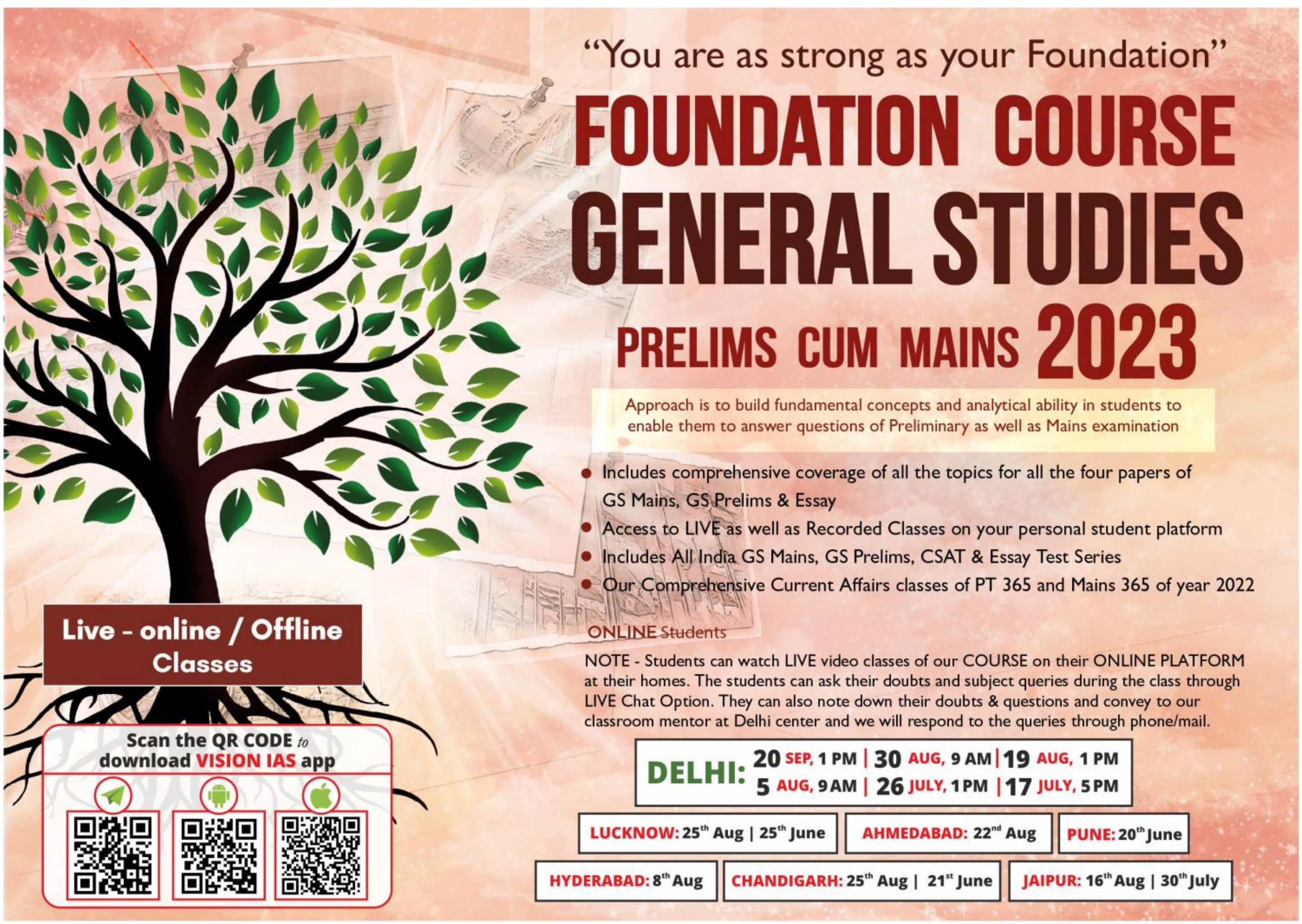

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय समिति ने भारतीय डायस्पोरा पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।

भारतीय डायस्पोरा के बारे में

- भारतीय डायस्पोरा ऐसे लोगों का समूह है, जो मूल रूप से भारतीय हैं और वर्तमान में भारत से बाहर (अस्थायी या स्थायी तौर पर) रह रहे हैं।
- **सामान्य तौर पर भारतीय डायस्पोरा में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **अनिवासी भारतीय (NRIs)[9],** जो भारत के नागरिक हैं,
    - **भारतीय मूल के व्यक्ति(PIOs)[10],** जो विदेशी नागरिक हैं,
    - **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI)[11],** आदि।
- वर्ष 2015 में PIO और OCI कार्ड धारकों को एक ही श्रेणी OCI के अंतर्गत कर दिया गया था।

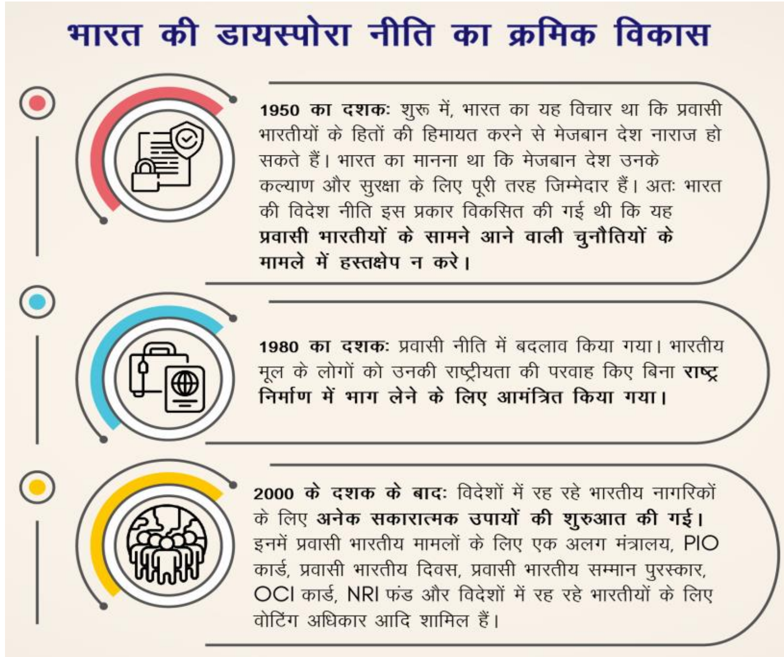

- विश्व में **सर्वाधिक प्रवासी भारत से ही हैं।** इनकी संख्या **31 मिलियन से अधिक** है। इनमें 13 मिलियन से अधिक NRIs और 18 मिलियन PIOs हैं, जो दुनियाभर में फैले हुए हैं।
- **भारतीय डायस्पोरा की संरचना अत्यधिक विविधतापूर्ण है।** इसमें श्रमिक, व्यापारी, राजनीतिक नेता, पेशेवर और छात्र आदि शामिल हैं। ये **विश्व भर में फैले हुए हैं,** किंतु इनका मुख्य संकेंद्रण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों, यूरोपीय संघ, दक्षिण एवं पश्चिम अफ्रीका तथा गिरमिटिया देशों में है।
    - **गिरमिटिया देश** ऐसे देश हैं, जो पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे। ब्रिटिशकाल के दौरान बागानी कार्य करने के लिए भारतीयों को गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूरों के रूप में वहां ले जाया गया था।
    - गिरमिटिया देशों में **फिजी, मॉरीशस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम** आदि शामिल हैं।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा विप्रेषण (Remittances) प्राप्तकर्ता देश रहा था।** प्रवासियों ने वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भारत भेजी थी। वर्ष 2022 में इसमें 2.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

---

[9] Non-Resident Indians

[10] Persons of Indian Origins

[11] Overseas Citizens of India

- अपने प्रवासियों के साथ भारत के जुड़ाव को **4Cs - केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट** और **कंट्रीब्यूट** शीर्षक के तहत निरूपित किया गया है।

भारतीय डायस्पोरा से प्रभावी संबंधों के संदर्भ में, समिति द्वारा पहचानी गई प्रमुख कमियां

- **प्रामाणिक डेटाबेस का अभाव:** चूंकि भारतीय डायस्पोरा द्वारा पंजीकरण कराना स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसलिए सभी प्रवासी विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/केंद्रों में पंजीकरण नहीं कराते हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी अस्थिरता के कारण भी डेटा में भिन्नता देखी जाती है।
- **एक बहुत बड़ी आबादी का छूट जाना:** निम्न/अर्द्ध-कुशल और ब्लू कॉलर श्रमिकों को प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है या वे सहज महसूस नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि आमतौर पर प्रतिभागियों की सामान्य प्रोफ़ाइल बहुत उच्च स्तर की होती है।
- **कोई स्पष्ट नीति नहीं:** सरकार समय-समय पर प्रवासियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नीतियां तैयार करती है।
- विभिन्न दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उत्प्रवासियों (Emigrants) के संरक्षण कार्यालयों में **बहुत सी शिकायतों का अभी तक समाधान नहीं किया गया है।**
- अपनी नौकरी गंवाने वाले **श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। इसमें** कोविड-19 महामारी के कारण खाड़ी देशों से लौटने वाले लोगों की बड़ी आबादी भी शामिल है।
- भारतीय डायस्पोरा के कल्याण के लिए **कार्यक्रमों और योजनाओं का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया है।**
- **संकट की स्थिति से जुड़ी चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- यूक्रेन और चीन में चिकित्सा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले हजारों भारतीय छात्रों को दुविधा में छोड़ दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे न तो इन देशों में पुनः लौटने में सक्षम हैं और न ही भौतिक रूप से अपने पाठ्यक्रमों में फिर से शामिल हो सकते हैं अथवा न ही वे भारत में अपना इंटर्नशिप या प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं।

भारतीय डायस्पोरा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **विशेष तौर पर पश्चिम एशिया के संदर्भ में:**
  - शेल गैस में उछाल (Boom) के कारण तेल की कीमतों में कमी, वैश्विक संवृद्धि की मंद गति और फिलीपींस से आने वाले कुशल श्रमिकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण **भारतीयों के लिए नौकरियां कम हुई हैं।**
  - शिया-सुन्नी विवाद के कारण **बढ़ते संघर्ष एवं अस्थिरता और** कट्टरपंथी इस्लामवाद ने **भारतीयों की सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न किया है।**
  - **शोषणकारी कफाला श्रम प्रणाली,** जो एक प्रायोजक (Sponcership) प्रणाली है। इसके तहत श्रमिक, एक अनुबंध के माध्यम से कफील (प्रायोजक) से जुड़े होते हैं, जो उनके प्रवास की स्थिति को नियंत्रित करता है।
  - **निताकत कानून: इसका** उद्देश्य सऊदी अरब में विदेशी श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को स्थानीय लोगों से प्रतिस्थापित करना है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यू.के.**
  - अमेरिका में भेदभावपूर्ण व्यवहार, संरक्षणवाद और सख्त एच-1बी वीजा मानदंड।
  - ब्रेक्जिट के बाद यू.के. में वीजा मानदंडों में संशोधन।
  - दोहरी नागरिकता की मांग।
- **सामान्य आर्थिक मुद्दे:** अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन, विपरीत कार्य स्थितियां, वेतन संबंधी मुद्दे, चिकित्सा और बीमा संबंधी समस्याएं, आदि।

समिति की सिफारिशें

- **नीतिगत दस्तावेज:** समिति ने भारतीय डायस्पोरा पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया है। यह नीति भारतीय समुदाय के साथ गहन और व्यापक जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी।
- **डेटा का रखरखाव:** भारतीय डायस्पोरा का एक प्रामाणिक डेटाबेस बनाने के लिए मंत्रालय स्तर पर ठोस प्रयास किए जा सकते हैं। इसका प्रवासी समुदाय के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने एवं लागू करने में उपयोग किया जा सकता है।
- **प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की समीक्षा:** इन आयोजनों में प्रवासी समुदाय की भागीदारी और सहभागिता अधिक व्यापक होनी चाहिए, ताकि इसमें प्रवासी समुदाय के कमजोर वर्गों को भी शामिल किया जा सके।
- **पैरा डिप्लोमेसी:** विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय एवं संपर्क के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।
- **शिकायत निवारण प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार** करना चाहिए, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** विदेशों में सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर प्रदर्शन के द्वारा संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न मिशनों/वाणिज्य दूतावासों में भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

* **मौजूदा प्रवासन और गतिशीलता समझौतों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।** इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रवासी श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों और उनकी शिकायतों को वास्तव में उक्त समझौता ज्ञापनों/समझौतों के माध्यम से हल किया जा रहा है।
* महामारी या अन्य आपदाओं के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों के लिए **व्यापक पुनर्वास योजना** पर कार्य किया जाना चाहिए।

प्रवासी आबादी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

* वर्ष 2015 में **प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (MOIA)** का **विदेश मंत्रालय (MEA)** में विलय कर दिया गया था। इस एकीकरण से भारतीय डायस्पोरा के मुद्दों से निपटने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है।
* भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी बढ़ाकर **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के आयोजन में सुधार किया गया है।**
* **इसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाएं शुरू की गयी हैं:**
  * भारत को जानें कार्यक्रम (Know India Programme: KIP);
  * भारतीय डायस्पोरा के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (Scholarship Programme for Diaspora Children: SPDS);
  * भारत को जानिए क्विज;
  * विदेश संपर्क सीरीज;
  * PIO संसदीय सम्मेलन (PIO Parliamentarian Conference); आदि।
* **विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सहायता और कल्याण के लिए संस्थागत ढांचे** का विकास किया गया है। इसमें **मदद (MADAD) पोर्टल, ई-माइग्रेट, भारतीय समुदाय कल्याण निधि (ICWF), प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK), भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र** आदि शामिल हैं।
* **शिकायत समाधान की मजबूत प्रणाली** को बनाए रखा गया है। इसमें ईमेल, ट्विटर, CPGRAMS[12] पोर्टल आदि के माध्यम से ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाता है।
* "विदेश संपर्क" बैनर के तहत **स्टेट आउटरीच प्रोग्राम** चलाया जा रहा है। इसमें विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एक गहन संवाद होता है। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले NRIs के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु सहयोग प्राप्त करना है।
* प्रवासी समुदाय को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने देश भारत के लिए योगदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। **इन कार्यक्रमों में;**
  * **विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च: वज्र (VAJRA)[13] फैकल्टी स्कीम,**
  * **प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क: प्रभास (PRABHASS)[14] और**
  * **वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक: वैभव (VAIBHAV)[15] जैसी योजनाएं शामिल हैं।**
* **वंदे भारत मिशन** के तहत स्वदेश लौटने वाले नागरिकों हेतु **"रोजगार में मदद के लिए कुशल कामगारों का आगमन डेटाबेस: स्वदेश" (SWADES)[16]** जैसी **पुनर्वास योजनाओं** को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उनके कौशल और अनुभव के आधार पर एक डेटाबेस तैयार करना है।

2.2. भारतीय अंटार्कटिक कानून, 2022 (Indian Antarctic Act, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय अंटार्कटिक कानून, 2022** अधिनियमित किया गया।

भारतीय अंटार्कटिक कानून, 2022 के बारे में

इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा **अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय** करना है। यह कानून **अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन** और **अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल** को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

---

12 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली / Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System

13 Visiting Advanced Joint Research

14 Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark

15 Vaishvik Bharatiya Vaigyanik

16 Skilled Workers Arrival Database for Employment Support

इस कानून के प्रमुख उद्देश्य

- बिना परमिट या प्रोटोकॉल से संबंधित किसी अन्य पार्टी की लिखित अनुमति के बिना, अंटार्कटिका के लिए किसी भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ निश्चित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करना।
- अंटार्कटिका की प्राकृतिक अवस्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले **खनन, ड्रेजिंग और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।**
- **अंटार्कटिक संधि और संबंधित कन्वेंशन के तहत निर्धारित भारत के दायित्वों को पूरा करना।**
- अंटार्कटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ते पर्यटन के प्रबंधन एवं अंटार्कटिक महासागर में मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में **भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना।**
- ध्रुवीय क्षेत्रों के गवर्नेंस और प्रबंधन में भारत की कुशलता एवं विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। इससे वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा।
- **भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कुशल और ऐच्छिक संचालन के लिए** एक सुस्थापित कानूनी तंत्र बनाना।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान

- **कानून किन पर लागू होगा:** इस कानून के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे:-
  - किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक;
  - भारत में प्रभावी किसी कानून के तहत निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था;
  - भारत में पंजीकृत या अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान में शामिल किसी भी पोत या विमान पर।
- केंद्र सरकार **अंटार्कटिका गवर्नेंस एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी।** इसमें दस सदस्य और दो विशेषज्ञ होंगे। यह समिति **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में** गठित की जाएगी। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - विभिन्न गतिविधियों **के लिए अनुमति देना, उसे निलंबित या रद्द करना;**
  - अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की **निगरानी करना। साथ ही, उनका कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना;**
  - अंटार्कटिक में विभिन्न गतिविधियों के लिए **अन्य पक्षकारों से शुल्क/ प्रभार पर वार्ता करना;**
  - **अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन योजना** आदि की स्थापना करना।

अंटार्कटिक संधि के बारे में

- इस संधि पर वर्ष 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे, यह 12 प्रारंभिक सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के पश्चात् वर्ष 1961 में लागू हुई थी।
  - **ये 12 देश हैं:** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ, USSR (अब रूस), यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **पक्षकार:** वर्तमान में 54 देशों ने इस संधि को स्वीकार किया है।
  - भारत **वर्ष 1983** में इस संधि में शामिल हुआ था और जल्द ही उसे सलाहकार का दर्जा प्राप्त हो गया था।
- **इस संधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:**
  - **अंटार्कटिक को विसैन्यीकृत करना।** इससे यह क्षेत्र परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान से मुक्त रहेगा।
  - इसे शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना।
  - इस क्षेत्र पर अधिकार से जुड़े विवादों को समाप्त करना।
- **यह संधि 60° दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कवर करती है।**
- इस संधि के पक्षकारों ने **तीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों** पर भी वार्ता की है। ये समझौते अंटार्कटिका में गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से **अंटार्कटिक संधि प्रणाली** के रूप में जाना जाता है-
  - **अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन[17], 1972**
  - **अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CCAMLR)[18], 1980**
    - **वर्ष 1985 में भारत द्वारा अनुसमर्थित।**
  - **अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल (Treaty)[19]/ मैड्रिड प्रोटोकॉल, 1991,**
    - **भारत ने वर्ष 1998 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।**

---

[17] Convention for the Conservation of Antarctic Seals

[18] Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

[19] Protocol on Environmental Protection to the Antarctic

- **परमिट-प्रणाली:** विभिन्न गतिविधियों के लिए समिति द्वारा दिया गया परमिट या भारत के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में शामिल अन्य पक्षकारों से लिखित अनुमति जरूरी होगी। इन गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं;
    - **अंटार्कटिक में प्रवेश करना और वहां ठहरना,**
    - **खनिज संसाधन से जुड़ी गतिविधियां संपन्न करना,**
    - **ऐसे जानवरों और पौधों या सूक्ष्म जीवों को अंटार्कटिक ले जाना, जो वहां के लिए स्थानीय नहीं हैं**
    - अंटार्कटिका से **जैविक नमूने** या किसी अन्य नमूने **को हटाना,**
    - **अंटार्कटिक के विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करना,**
    - अंटार्कटिका या समुद्र में **अपशिष्ट को छोड़ना।**

इस कानून के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां

- परमाणु विस्फोट करना और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान करना।
- नॉन स्टेराइल मृदा को इस क्षेत्र में लाना।
- विनिर्दिष्ट पदार्थों और उत्पादों को इस क्षेत्र में लाना।
- अंटार्कटिका में समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट, प्लास्टिक या अन्य पदार्थों का निपटान करना।
- किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक के किसी हिस्से को क्षति पहुंचाना, नष्ट करना या हटाना।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा प्राप्त की गई किसी भी चीज पर कब्जा करना, या उसकी बिक्री करना अथवा बिक्री के लिए प्रस्तुत करना, उसका व्यापार, परिवहन, स्थानांतरण करना या किसी अन्य को भेजना।

- **'अंटार्कटिक फंड' नामक एक कोष का गठन करना।** इसका उपयोग अंटार्कटिक से जुड़े शोध कार्यों की बेहतरी और अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाएगा।
- **इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है।** उदाहरण के लिए अंटार्कटिक में **परमाणु विस्फोट करने पर 20 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।**
- **दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पदनामित न्यायालय:** केंद्र सरकार एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को पदनामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण भी कर सकती है।
- **अंटार्कटिक में व्यावसायिक मत्स्यन के लिए विशेष अनुमति देना।**
- केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में नामित एक अधिकारी **भारत में निरीक्षण करेगा।** साथ ही, अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा।

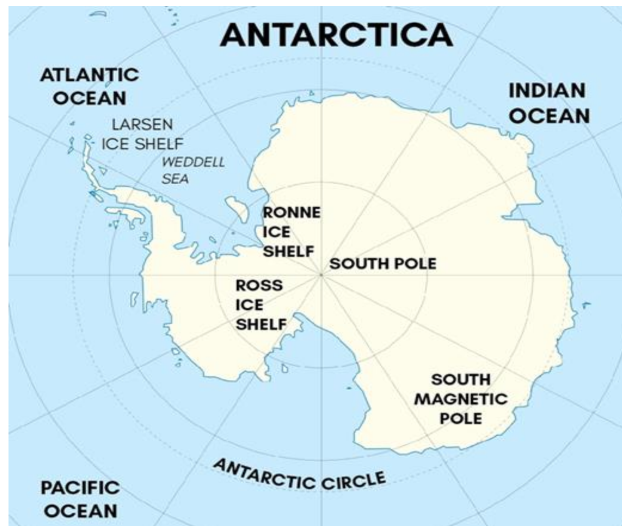

अंटार्कटिक के बारे में

- यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, सुदूर दक्षिणी और **शुष्कतम, सतत तेज पवनों के प्रवाह वाला (Windiest), शीतलतम और सर्वाधिक हिमाच्छादित** महाद्वीप है।
- यह कोई देश नहीं है और **न ही इसकी कोई सरकार है। यहां कोई स्थानीय आबादी भी नहीं है।** इसके बावजूद इस पूरे महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण (Scientific Preserve) क्षेत्र के रूप में अलग रखा गया है।
- **इस महाद्वीप के केवल 2% हिस्से पर बर्फ नहीं है।** इससे कठिन परिस्थितियों को सहने में सक्षम जानवरों और पौधों के लिए एक छोटा स्थान ही प्राप्त हो पाता है।
- **यहाँ पृथ्वी की कुल हिम का 90% और ताजे जल का 70% हिस्सा पाया जाता है।**

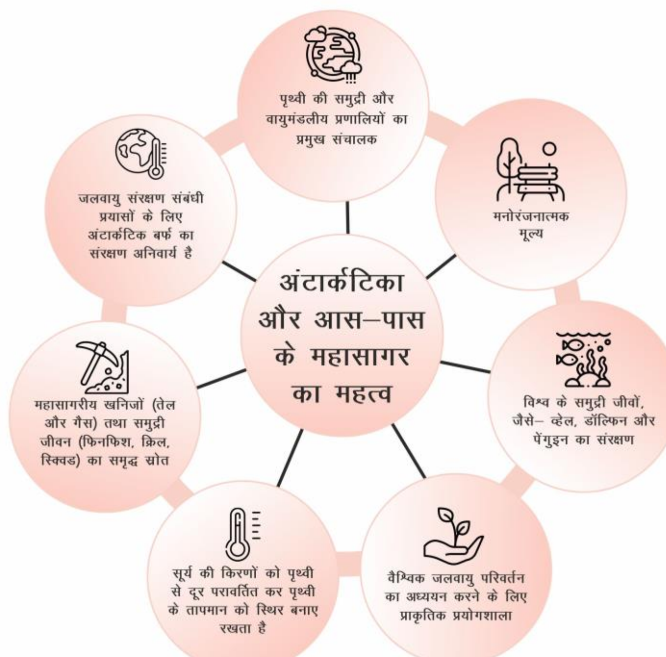

भारत और अंटार्कटिका

- वर्ष 1981 में भारत के अंटार्कटिक अभियान शुरू होने के बाद से अंटार्कटिक के लिए **कोई विशेष कानून नहीं था।**
- भारत, अंटार्कटिक से संबंधित निम्नलिखित का सदस्य है:
    - **राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधकों की परिषद (COMNAP)[20]:** इसमें प्रत्येक राष्ट्रीय अंटार्कटिक संचालन एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं।
    - **अंटार्कटिक अनुसंधान पर वैज्ञानिक समिति (SCAR)[21]** यह अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करती है और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **भारत के अनुसंधान स्टेशन:** शिरमाकर हिल्स (Schirmacher Hills) में **'मैत्री'**, लार्समैन हिल्स (Larsemann Hills) में **'भारती'**।
    - **दक्षिण गंगोत्री** वर्ष 1984 में स्थापित पहला भारतीय शोध केंद्र था।
- **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCPOR)[22], गोवा द्वारा भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है:** इसके तहत, भारत ने अंटार्कटिक में अब तक 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं।

2.3. दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति (Supply of Critical Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने यू.एस.ए. के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)[23] में स्वयं को शामिल नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है।

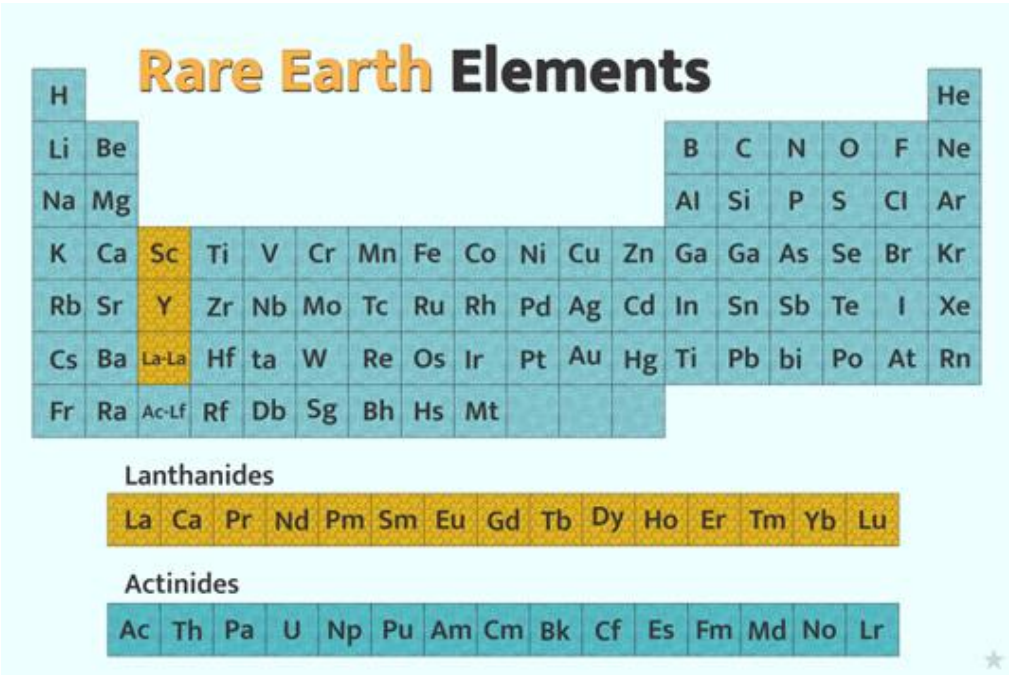

MSP के बारे में

- यह अमेरिका के नेतृत्व में 11 देशों की एक महत्वाकांक्षी साझेदारी है। इसका उद्देश्य **दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।** इन दुर्लभ खनिजों में **कोबाल्ट, निकल, लिथियम और अन्य दुर्लभ भू खनिज** शामिल हैं।
    - इसके सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग शामिल हैं।
- इस गठबंधन का **उद्देश्य** सरकारों और निजी क्षेत्रक से **निवेश प्राप्त करना है।** इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों के आर्थिक विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह गठबंधन **दुर्लभ खनिजों की अधिक मांग और इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व के कारण अस्तित्व** में आया है। उल्लेखनीय है कि इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में, विशेष रूप से उत्पादन के प्रसंस्करण चरण में चीन का प्रभुत्व है।

---

[20] Council of Managers of National Antarctic Programme

[21] Scientific Committee of Antarctica Research

[22] National Centre for Polar and Ocean Research

[23] Minerals Security Partnership

 ©Vision IAS

- वर्ष 2019 में **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** तथा **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन)** का कोबाल्ट और दुर्लभ भू खनिजों[24] के वैश्विक उत्पादन में **क्रमशः 70% और 60% का योगदान था।**

दुर्लभ खनिजों और उनके महत्व के बारे में

- **परिभाषा:** ये प्राथमिक और प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के ऐसे खनिज संसाधन हैं, जो:
  - **आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों में आवश्यक इनपुट्स** के रूप में काम करते हैं, तथा
  - इनकी अनुपलब्धता और मूल्य अस्थिरता के कारण **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान** का सामना करना पड़ता है।
- **इनमें शामिल हैं:** इनमें **धात्विक** और **अधात्विक दोनों** खनिज शामिल हैं। ये हैं- एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, नाइओबियम, रेनियम, टैंटलम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, 17 दुर्लभ भू खनिज (भारी और हल्के) आदि।
- **महत्व:** इन्हें **दुर्लभ** की श्रेणी में इसलिए रखा गया है, क्योंकि **अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव** अन्य कच्चे माल की तुलना में (अपेक्षाकृत) **अधिक** होता है। साथ ही, इनके **विकल्प** भी सीमित हैं।

MSP से बाहर होना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है?

आमतौर पर दुर्लभ खनिजों का उपयोग **उन्नत प्रौद्योगिकियों और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के उत्पादन** में किया जाता है, उदाहरण के लिए- सेमीकंडक्टर्स, हाइब्रिड कारों, पवन टरबाइनों, बैटरियों, रक्षा उपकरणों आदि के निर्माण में। ये भारत की अर्थव्यवस्था के **डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरण** में महत्वपूर्ण हैं। **इनसे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है-**

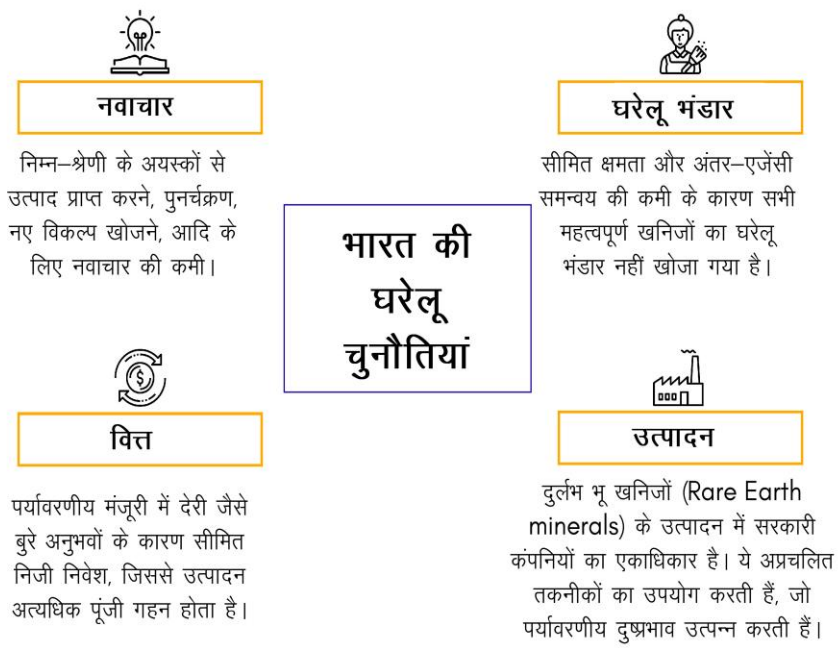

- सेमीकंडक्टर्स, बैटरी आदि में घरेलू विनिर्माण की क्षमता को हासिल करके विविध क्षेत्रकों में **आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत)** प्राप्त किया जा सकता है।
- ये बेहतर विद्युत नेटवर्क, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और बैटरी स्टोरेज के माध्यम से **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने** में मदद कर सकते हैं।
- ये **ई-मोबिलिटी** की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को **तेजी से अपनाने और उनका विनिर्माण करने** में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- इलेक्ट्रिक कारों में पारंपरिक कारों की तुलना में छह गुना अधिक दुर्लभ खनिजों का प्रयोग होता है।
- ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से **ऊर्जा प्रणाली का विकार्बनीकरण (Decarbonization)** करने में मदद कर सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों के लिए दुर्लभ खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए- **अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र** को समान आकार के गैस-संयंत्र की तुलना में **13 गुना अधिक दुर्लभ खनिजों** की आवश्यकता होती है।

दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चुनौतियां

- दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के उच्च भौगोलिक संकेंद्रण के कारण **अधिकतर देश इनके आयात पर निर्भर** हैं।

[24] Rare Earth Elements

- उदाहरण के लिए- दुर्लभ मृदा खनिजों की मूल्य श्रृंखला में चीन का प्रभुत्व है।

- **परियोजना विकास की लंबी समय-सीमा:** एक अनुमान के अनुसार खनन परियोजनाओं को खोज से लेकर उनके प्रथम उत्पादन तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। यह प्रवृत्ति लंबे समय के लिए **बाजार की तरलता को** कम करती है। साथ ही, **कीमत में उतार-चढ़ाव** के कारण घाटे की संभावना भी बढ़ जाती है।
- महामारी के कारण **संसाधन संपन्न देशों से निवेश में कमी के चलते बाजार अवरुद्ध हुआ है। इससे अयस्क की गुणवत्ता में गिरावट आई है** और उसके पर्यावरणीय प्रभावों में वृद्धि देखी गई है।
- इन खनिजों के महत्व और जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण **इनके लिए संघर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है।** इस प्रकार इन खनिजों की मूल्य श्रृंखला **राजनीतिक अस्थिरता और भू-सामरिक जोखिमों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है।**
- खदानों में दुर्घटनाओं तथा पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की जांच आदि के कारण **खनन गतिविधियों पर संधारणीयता व उत्तरदायी उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है।**
- **भारत की घरेलू चुनौतियां** दुर्लभ खनिजों के दोहन की भारत की क्षमताओं को और अधिक सीमित कर देती हैं।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)

- यह 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् **नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड** (NALCO), **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड** (HCL) और **मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड** (MECL) का एक संयुक्त उपक्रम है।
- यह विदेश में दुर्लभ और सामरिक खनिज परिसंपत्तियों की पहचान कर तथा उनके दोहन का कार्य करता है। इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, नियोडिमियम और अन्य दुर्लभ मृदा तत्व आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में यह दुर्लभ और सामरिक खनिजों के दोहन के लिए **ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के साथ कार्य कर रहा है।**

आगे की राह

सरकार ने विदेशी और सामरिक दुर्लभ खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करने तथा उनका अधिग्रहण करने के लिए **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** की स्थापना की है। इसके साथ ही, सरकार ने पारस्परिक लाभ के लिए **ऑस्ट्रेलिया-भारत दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी**[25] जैसे द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

- भविष्य की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करने, संभावित कमजोरियों की पहचान करने, संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु **दुर्लभ खनिजों पर एक आसूचना केंद्र स्थापित करना चाहिए।**
- बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय और दुर्लभ खनिजों की खोज में तेजी के लिए भारतीय खान ब्यूरो की क्षमता में वृद्धि करते हुए **घरेलू अन्वेषण पर ध्यान देना चाहिए।**
- **अनुसंधान और नवाचार पर व्यय को बढ़ावा देना चाहिए।** इससे उनकी बनावट का अध्ययन किया जा सकेगा, खनन और खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाया जा सकेगा, सामग्री की गहनता को कम किया जा सकेगा और एक वैकल्पिक सामग्री की खोज की जा सकेगी।
    - इससे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सीफ्लोर मैसिव सल्फाइड या पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में भारत को मदद मिल सकती है।
- दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में विविधता लाकर या उनके **रणनीतिक भंडारण** की सहायता से **आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाना चाहिए।** इससे **अल्पकालिक आपूर्ति बाधाओं को कम** करने में मदद मिलेगी।
- प्राथमिक आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए **पुनर्चक्रण को बढ़ाना** चाहिए। साथ ही, जन जागरूकता बढ़ाकर इसमें जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

---

[25] Australia-India Critical Minerals Investment Partnership

- संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं हेतु विदेशी खानों के रणनीतिक अधिग्रहण और समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।** इसमें MSP में शामिल होने के लिए प्रयास करना भी शामिल है।

2.4. साझी सुरक्षा (Common Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पाल्मे इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो (IPB) और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (ITUC) ने **कॉमन सिक्योरिटी 2022** नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

साझी सुरक्षा की अवधारणा क्या है?

- कॉमन सिक्योरिटी या साझी सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या व्यक्ति की सुरक्षा अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालकर या कम करके कायम नहीं रखी जा सकती है। इसके लिए अन्य राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों को भी समान स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
    - विश्व के एक भाग में होने वाले किसी भी संघर्ष का दूसरे भाग के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
    - यूक्रेन या अफगानिस्तान में होने वाले संघर्ष का प्रभाव अन्य विकासशील देशों पर देखा जा सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति पर दिखाई देता है।
- साझी सुरक्षा की अवधारणा सुरक्षा के संकुचित पारंपरिक और वास्तविक दृष्टिकोण से परे है।
    - **सुरक्षा का पारंपरिक विचार** बाहरी खतरों या हमलों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा या रक्षा करना था।
    - **साझी सुरक्षा** की अवधारणा **अहिंसक दृष्टिकोण के बारे में है।** यह सुरक्षित होने की सार्वभौमिक आवश्यकता से जुड़ी है।

वर्तमान युग में साझी सुरक्षा के समक्ष जोखिम

- **बहुध्रुवीय विश्व में बहुपक्षवाद की चुनौतियां:** वर्तमान समय में नियमों की अनदेखी और उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था की वैधता संकट में है।
    - अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसा कि इराक, फिलिस्तीन/ इजराइल, यमन, सीरिया और यूक्रेन से जुड़े हालिया संघर्षों में देखा गया है।
- **सैन्यीकरण:** अधिक तीव्र और घातक परमाणु हथियारों में किया गया भारी निवेश, परमाणु-शक्ति संपन्न राज्यों के बीच बढ़ता तनाव तथा नए तकनीकी विकास ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
    - यह ऐसे दुष्चक्र को प्रेरित करता है, जहां लोगों की बजाय हथियारों पर धन खर्च किया जाता है। इससे असमानता में वृद्धि होती है। यह भय और अलगाव को बढ़ावा देता है। इसे नियंत्रित करने के लिए और अधिक सैन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है।
    - **कोरियाई प्रायद्वीप** विशेष चिंता ग्रस्त क्षेत्र है। यहां परमाणु युद्ध का खतरा अधिक रहता है और इसके कारण वहां सैन्यीकरण बढ़ रहा है।

- **सत्तावादी शासन व संकुचित होती लोकतांत्रिक व्यवस्था:** पिछले 15 वर्षों में सत्तावादी शासन के लगातार विस्तार और प्रमुख लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हो रहे संकुचन से लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है।
    - गैर-लोकतांत्रिक राज्य न केवल क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि ये अपने नागरिकों के लिए संरक्षा या सुरक्षा प्रदान करने में भी विफल रहे हैं।

- **ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट:** जलवायु परिवर्तन असमानता को बढ़ावा देता है, असुरक्षा को बढ़ाता है और मौजूदा संबंधों को अस्थिर करता है। इसके साथ ही, यह जबरन प्रवास को बढ़ाता है और प्रमुख व दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को तेज करता है।
    - पारिस्थितिक निम्नीकरण और संघर्ष के बीच का संबंध खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।
    - विश्व में सबसे खराब पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले 15 देशों में से 11 देश वर्तमान में संघर्षरत हैं।
- **असमानता:** विश्व की लगभग आधी जनसंख्या प्रतिदिन 5.50 डॉलर से भी कम पर गुजारा करती है।
    - बढ़ती आय असमानता से राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है और लोकलुभावनवाद (Populism) तथा राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। इनसे हिंसा और युद्ध में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **वर्तमान और भविष्य की महामारी:** अल्प वित्त-पोषित स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ-साथ बढ़ती स्वास्थ्य असमानता तथा प्रतिबंधित वैक्सीन समता (Vaccine Equity) ने हालिया महामारी की तैयारियों में कमजोरियों को प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त, इन कारणों ने महामारी की रोकथाम एवं भविष्य की महामारियों के समक्ष मौजूद जोखिम को भी सामने ला दिया है।

साझी सुरक्षा प्राप्त करने के तरीके

- **शांति के लिए वैश्विक संरचना को मजबूत करना**
    - साझी सुरक्षा के सिद्धांतों को शामिल करने वाले ढांचे को विकसित करने के लिए **क्षेत्रीय निकायों,** जैसे- सार्क, खाड़ी सहयोग परिषद और आसियान एवं अफ्रीकी संघ **को प्रोत्साहित करना चाहिए।**
    - सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से **संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के बीच सामरिक स्थिरता वार्ता को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।** इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भी सामरिक वार्ता की बहाली की जानी चाहिए।
    - **संयुक्त राष्ट्र संघर्ष-निवारण रणनीतियों में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों** को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **निरस्त्रीकरण को विकास से जोड़ना:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु उपकरणों और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीके खोजने की जरूरत है। इसके अलावा, सैन्य कर्मियों के गैर-सैन्य व्यवसायों में अवसरों के सृजन का समर्थन भी किया जाना चाहिए। गैर-सैन्य व्यवसायों का अर्थ "हथियारों को विंडफार्म में बदलने" के विचार से है। इन अभिनव तरीकों में शामिल हैं:
    - एक **'वैश्विक शांति लाभांश (Global Peace Dividend)'** उत्पन्न करने के लिए सैन्य खर्च में कमी करना। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों व संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों को वित्त पोषित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जलवायु के अनुकूल रोजगारों के उचित अंगीकरण में भी सहायता प्राप्त होगी।

    - सैन्य सेवा के विकल्प के रूप में सिविल सेवा विकल्प बनाकर **सैन्य कर्मियों पर होने वाले खर्च को कम करना।**
- **परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण को पुनर्जीवित करना**
    - विशेष रूप से परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में **हथियार नियंत्रण संधियों को बहाल किया जाना चाहिए।** उदाहरण के लिए- इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी (INF)।
    - **परमाणु परीक्षण करने वाले देशों द्वारा** विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को **तत्काल पीड़ित सहायता और पर्यावरणीय उपचार प्रदान करना चाहिए।**
- **नई सैन्य प्रौद्योगिकियों और बाह्य अंतरिक्ष के हथियारों का विनियमन:**
    - पारंपरिक परमाणु हथियार कमान और नियंत्रण प्रणालियों से अलग **परमाणु कमान व नियंत्रण प्रणालियों पर होने वाले साइबर हमलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।**
    - मानव के हथियारों और सशस्त्र संघर्ष पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए **स्वायत्त हथियार प्रणालियों को प्रतिबंधित करना चाहिए।**
    - **बाह्य अंतरिक्ष संधि को मजबूत करने** और इस क्षेत्र के अधिक सैन्यीकरण को रोकने के लिए उत्तरदायी स्पेस गवर्नेंस की एक नई संस्कृति स्थापित करनी चाहिए।
- **नागरिक समाज को सहभागी बनाना और उन्हें शामिल करना:** नागरिक समाज को एक प्रहरी और एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक गुटबंदी के विरोध में कार्य करना चाहिए। इसके लिए मौजूदा और नई संधियों में शामिल सत्यापन तथा विश्वास-निर्माण उपायों की सहायता ली जा सकती है।
    - **गैर-सरकारी संगठनों को लोगों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।** यह कार्य न केवल साझी सुरक्षा पर होना चाहिए, बल्कि सैन्यीकरण के रूपांतरण और उससे परे भी होना चाहिए।

2.5. परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NPT की पंचवर्षीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- NPT ने वर्ष 2020 में 50 साल पूरे किए थे।
- NPT की पंचवर्षीय समीक्षा बैठक 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।

NPT के बारे में

- इसे **वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया** गया था। इसे **वर्ष 1970** में लागू किया गया।
- इसे **"वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की आधारशिला"** के रूप में वर्णित किया गया है। यह सबसे व्यापक रूप से पालन की जाने वाली वैश्विक संधियों में से एक है।
- यह संधि, **एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु-हथियार संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व** करती है।

- यह संधि परमाणु-हथियार संपन्न देशों (NWS)[26] को परिभाषित करती है। इसके अनुसार, ये वो देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन शामिल हैं।
    - इसके अतिरिक्त, यह माना जाता है कि चार अन्य देशों (भारत, पाकिस्तान, इज़रायल और उत्तर कोरिया) के पास भी परमाणु हथियार हैं।
    - **दक्षिणी सूडान और इन चार देशों को छोड़कर विश्व के सभी देश NPT के पक्षकार हैं।**
- NPT समीक्षा सम्मेलन को हर पांच साल में संधि के संचालन की समीक्षा करने और इसे मजबूत करने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) परमाणु हथियार हासिल नहीं करने के लिए NPT के तहत प्रतिबद्धताओं के साथ **गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों (NNWS)** द्वारा अनुपालन की पुष्टि करती है।
    - **अनुच्छेद III** के अनुसार, NNWS को सभी शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों में सभी परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा हेतु IAEA के साथ समझौतों को पूरा करना आवश्यक होता है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

- इसकी स्थापना **वर्ष 1957 में** की गई थी। इसका उद्देश्य **परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकीकृत एक विशेष एजेंसी है। हालांकि, इसकी स्थापना स्वायत्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि "IAEA संविधि" (The Statute of the IAEA) - के माध्यम से की गई थी।
- **इसकी तीन मुख्य भूमिकाएं हैं:**
    - विश्व में **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना,** विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए;
    - नागरिक उपयोग हेतु परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री के लिए **परमाणु सुरक्षा एवं संरक्षा को बढ़ावा देना; तथा**
    - 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं में यह सत्यापित करना कि परमाणु सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया गया है।

NPT की उपलब्धियां

- **परमाणु हथियारों की संख्या में कमी:** वर्ष 1986 में परमाणु हथियारों की संख्या 70,300 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 रह गयी है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 12,500 से अधिक परमाणु हथियार हैं।
- **दुनिया भर में प्रसार को सफलतापूर्वक रोका गया:** 1970 के बाद से, केवल चार देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए हैं। इससे परमाणु-हथियार संपन्न देशों की कुल संख्या नौ हो गई है।
- **पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल:** यह संधि IAEA की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
    - इसने ईरान के परमाणु समझौते में परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और उत्तर कोरिया की तुलना में इसे कम वर्षों में करने में मदद की है।
- **परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाना:** इसके अतिरिक्त, दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके तहत उन्होंने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है।

NPT के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष चुनौतियां

- **प्रत्येक परमाणु-हथियार संपन्न देश का संधि के साथ गैर-अनुपालन:** इनमें शामिल हैं-
    - शस्त्रागार के आकार में वृद्धि (रूस, चीन), या अधिकतम संख्या में वारहेड की सीमा को बढ़ाना (यूनाइटेड किंगडम),
    - नई और अधिक खतरनाक हथियार प्रणालियों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम) के निर्माण सहित, प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों पर अरबों रुपये खर्च करके **नए परमाणु हथियारों की स्पर्धा को बढ़ावा देना।**

[26] Nuclear-Weapon States

- परमाणु हथियारों की स्पर्धा को समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम) के लिए उचित विश्वास में वार्ता को आगे बढ़ाने में विफलता।

- **अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश:** संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से यू.एस. ए. का हटना; सऊदी अरब-ईरान के बीच बढ़ता तनाव; परमाणु शक्ति बनने की तुर्की की आकांक्षाएं; अमेरिका-उत्तर कोरिया वार्ता में रुकावट, ये घटनाएं परमाणु प्रसार का रास्ता अपनाने के लिए राष्ट्रों का ध्रुवीकरण कर सकती हैं।
- **संधि में खामियां:** NPT हथियार नहीं रखने वाले देश को परमाणु हथियार रखने से मना नहीं करता, बल्कि यह अधिग्रहण (acquisition) पर रोक लगाता है। सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश NPT पर एक गैर-परमाणु हथियार देश के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। साथ ही, पहले से बनाए गए हथियारों का त्याग करने से इंकार कर सकता है।
  - संधि का उल्लंघन करने वालों के लिए या संधि से हटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **नई प्रौद्योगिकियों का उदय:** नई प्रौद्योगिकियां और हथियारों के प्रकार सुरक्षा को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं। इनमें आक्रामक साइबर, काउंटर-स्पेस और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं।
- **यूक्रेन पर आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नुकसान हुआ है।** इससे अन्य देशों के भी अप्रसार और निरस्त्रीकरण से दूर जाने की संभावना बन रही है।
- **सैन्य समूहों का गठन: सैन्य समूहों का गठन:** ऑस्ट्रेलिया को AUKUS व्यवस्था के तहत परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण की अनुमति देने के प्रस्ताव के कारण, अप्रसार प्रयासों पर, संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। इस प्रस्ताव से **अप्रसार प्रयासों और विखंडनीय सामग्री नियंत्रण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।**

NPT और अन्य प्रमुख संधियों पर भारत का रुख

भारत ने सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार,

- भारत ने पांच प्रमुख परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के पक्ष में इसके भेदभाव पूर्ण नियमों के कारण NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं या इसमें शामिल नहीं हुआ है। साथ ही, यह संधि दुनिया को परमाणु संपन्न और गैर-परमाणु संपन्न देशों में विभाजित करती है।
- **भारत ने परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW)[27] का भी विरोध किया** है। भारत का मानना है कि यह संधि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान या उसका गठन नहीं करती है, न ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है।
  - TPNW किसी भी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाती है।
- **भारत व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT)[28] का भी विरोध करता है,** क्योंकि इसकी प्रकृति भेदभाव पूर्ण है।
  - CTBT ने पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक ऐसे व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन पर वार्ता शुरू करने का समर्थन करता है,** जो सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करने वाला विश्व का एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच हो।
- **भारत इसके तहत प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (Fissile material cut off treaty) का समर्थन करता है।** यह परमाणु हथियारों के **दो मुख्य घटकों {अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (HEU) और प्लूटोनियम} के उत्पादन को प्रतिबंधित** करेगी।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), 2022 की रिपोर्ट परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रकाश डालती है

- परमाणु शस्त्रागारों की **कुल संख्या में कमी** आई है। अगले दशक में इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- कुल परमाणु हथियारों के 90% से अधिक **रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास हैं।
- परमाणु हथियारों से लैस नौ देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखा हुआ है। इन देशों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) शामिल हैं।**

आगे की राह

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पर अधिक दांव:** वे नई **सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि** (START)[29] का विस्तार करने के लिए सहमत होकर स्वयं की मदद कर सकते हैं। यह चीन को भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल करने के लिए उपयोगी होगा।

---

[27] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

[28] Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

[29] Strategic Arms Reduction Treaty

- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) का पालन करना:** यह परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु देशों-पक्षकारों के लिए NPT के अनुच्छेद-VI के दायित्व को पूरा करने में एक मजबूत योगदान देगा।
- **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना:** सभी NPT पक्षकारों को परमाणु प्रसार के जोखिम को बढ़ाए बिना **सुरक्षित तरीके से उन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए** काम करना चाहिए।
- विश्व में अधिक क्षेत्रों को परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। इसमें NWS को प्रमुखता से शामिल होना चाहिए।

परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण: सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम

जब तक किसी एक देश के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, दूसरे देश भी उन्हें हासिल करना चाहेंगे। जब तक ऐसा कोई हथियार अस्तित्व में रहेगा, इसकी विश्वसनीयता की चुनौती बनी रहेगी। दुर्घटनावश, गलत अनुमान या डिजाइन में किसी खामी के चलते इन हथियारों के उपयोग का अंदेशा बना रहेगा। इससे जुड़ा ऐसा कोई भी प्रयोग विनाशकारी होगा! अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तनों के कारण आज इन हथियारों के प्रयोग का जोखिम और बढ़ गया है। यह डॉक्यूमेंट वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के महत्व और उसकी आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह इसे प्राप्त करने में मौजूद बाधाओं और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर भी चर्चा करता है।

2.6. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association For Regional Cooperation: SAARC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भूटान के पूर्व प्रधान मंत्री, शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) ने सार्क (SAARC) की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संगठन को फिर से जीवंत करने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास करने का भी आह्वान किया है।

सार्क के बारे में

- सार्क एक **क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- सार्क में **आठ सदस्य देश शामिल हैं:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- इसका **सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू** में स्थित है।
- **उद्देश्य:**
  - दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना,
  - उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना,
  - आर्थिक संवृद्धि में तेजी लाना,
  - क्षेत्रीय अखंडता, आपसी विश्वास, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना आदि।
- **पिछला सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था।** वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाला शिखर सम्मेलन पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों के कारण रद्द हो गया था। उसके बाद से इसके सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सके हैं।

- ○ **सार्क आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है।** इसका अर्थ है कि यदि एक भी सदस्य भाग नहीं लेने का फैसला करता है, तो शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता।
- ○ **वर्ष 2016 में,** भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ **इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था।**

सार्क के पुनरुद्धार की आवश्यकता

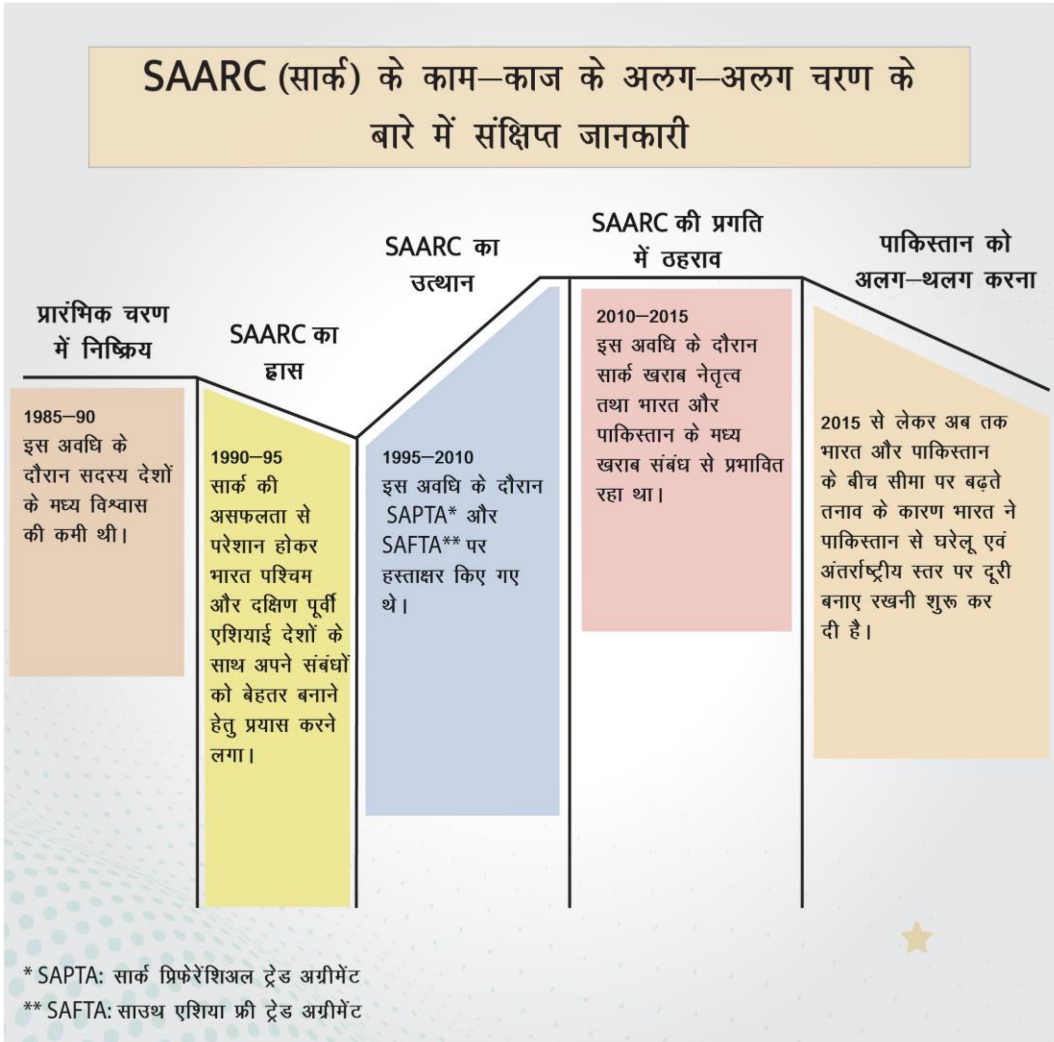

- **संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधि:** एक संगठन के रूप में सार्क, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इसके सदस्य देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को दर्शाता है।
- **क्षेत्र के साझा मुद्दों से निपटना:** दक्षिण एशियाई देश अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति में घनिष्ठता से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे एक जैसे पारंपरिक और उभरते हुए मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इन उभरते हुए मुद्दों में आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल (या जल संसाधन)-राजनीति, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं।
  - ○ सार्क इन मुद्दों का समय पर समाधान करने हेतु वार्ता शुरू करने का एक मंच हो सकता है।
- **क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण:** विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, कुल व्यापार के 5% से भी कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के साथ, दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। यह पूर्वी एशिया के अंतर-क्षेत्रीय व्यापार (35%) और यूरोप के अंतर-क्षेत्रीय व्यापार (60%) की तुलना में बहुत कम है।
- **भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय आधार:** विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के भारत के उद्देश्य में, इसकी क्षेत्रीय भूमिका प्रमुख आधार बन सकती है।
- **इसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं है:** बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल **(बिम्सटेक/BIMSTEC)** के सदस्यों के बीच एक समान पहचान और साझा इतिहास की कमी है। इस कारण से बिम्सटेक सार्क की जगह नहीं ले सकता।
  - ○ इसके अलावा, बिम्सटेक का ध्यान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित है। इस प्रकार यह सभी दक्षिण एशियाई देशों को शामिल करने के लिए एक उचित मंच नहीं हो सकता।

सार्क की विफलताएं और चुनौतियां

- भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों ने इन देशों के मध्य संघर्ष को बढ़ा दिया है। इससे सार्क की संभावनाएं गंभीर रूप से बाधित हुई हैं।
  - ○ उदाहरण के लिए- पाकिस्तान के असहयोग के कारण मोटर वाहन समझौते और सार्क उपग्रह परियोजना जैसी कुछ प्रमुख पहलें रुक गई हैं।

- ○ वर्ष 2019 में सार्क की मंत्री स्तरीय बैठक में **भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों ने एक दूसरे के भाषणों का बहिष्कार किया था।**
- **विवाद समाधान तंत्र का अभाव:** सार्क के पास विवादों के समाधान या विवादों में मध्यस्थता करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता अर्थात् साफ्टा (SAFTA)[34]:** संवेदनशील सूचियों की उपस्थिति को देखते हुए, **यह कहा जा सकता है कि साफ्टा को वास्तविकता में अभी भी लागू नहीं किया जा सका है।** पारगमन सुविधाओं का अभाव भी व्यापार संबंधों के सुदृढ़ विकास को बाधित करता है।
  - ○ उदाहरण के लिए- भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सड़क और रेल संपर्क होने के बावजूद इनके साथ व्यापार ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य कारण पारगमन सुविधाओं की कमी है।
- **मुद्दों पर आम सहमति बनाने में विफलता:** आपस में समानताएं होने के बावजूद, आदान-प्रदान के द्वारा विकसित विचारों का लाभ उठाने के लिए इन देशों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किए हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इसका सुस्त होना:** इस क्षेत्र के राजनीतिक तनावों और संघर्षों को देखते हुए **यूरोपीय संघ के समान दक्षिण एशियाई संघ का निर्माण संभव नहीं** है। इनके कारण दक्षिण एशियाई देश, असुरक्षा का प्रश्न उठाते हुए संघ के निर्माण के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं।

सार्क की उपलब्धियां

- **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA)[30]:** इस समझौते पर वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। यह केवल वस्तुओं तक ही सीमित है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सहित किसी भी सेवा को शामिल नहीं किया गया है।
- **दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता (SAPTA)[31]:** इसे वर्ष 1995 में सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।
- **सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता (SATIS)[32]:** SATIS के तहत सेवा उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार करने के लिए गैट्स-प्लस 'सकारात्मक सूची' संबंधी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है।
- भारत में **सार्क विश्वविद्यालय** की स्थापना की गई है।
- **सार्क फूड बैंक** की स्थापना एक आपातकालीन स्रोत के रूप में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह संकट या प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप और ऐसी ही अन्य समस्याओं का सामना करने के लिए बनाया गया है।
- **सार्क मध्यस्थता परिषद** की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य संघर्षों को सुलझाने के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करना है। इसकी स्थापना **इस्लामाबाद** में की गई है।
- सदस्यों द्वारा **सार्क विकास कोष** को वर्ष 2010 में मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (SARSO)[33]** की स्थापना ढाका में की गई है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच में वृद्धि करने हेतु सामंजस्यपूर्ण मानकों को विकसित करना है।

- **आतंकवाद से निपटना:** सार्क द्वारा आतंकवाद से निपटने हेतु द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय स्तरों पर कई रणनीतियों और तंत्रों को स्वीकार व निर्माण किया गया है। इनके बावजूद भी यह संगठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सामान्य और व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाया है।
- **भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच विषमता:** सार्क के छोटे सदस्य देश भारत को "बिग ब्रदर" के रूप में देखते हैं। इस कारण, ये सार्क के तहत हुए विभिन्न समझौतों को अपने देश में लागू करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते रहे हैं।
- **संसाधनों की कमी:** सार्क संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है और सदस्य देश अपने-अपने योगदान को बढ़ाने के लिए भी अनिच्छुक रहे हैं।
- **जल विवाद:** दक्षिण एशियाई जल विवाद के समाधान हेतु शीघ्र ही एक प्रभावी और सहायक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अभाव में, यह विवाद भविष्य में विभिन्न देशों के मध्य संघर्ष और एक देश में आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- **सार्क बैठक का भौतिक या आभासी आयोजन शुरू करना बहुत जरूरी है।**
- **देशों के आपसी मतभेदों का समाधान:** इस क्षेत्र की विशेष जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक वार्ता, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

---

[30] South Asian Free Trade Agreement

[31] South Asia Preferential Trading Agreement

[32] SAARC Agreement on Trade in Services

[33] South Asian Regional Standards Organization

[34] South Asia Free Trade Agreement

- **आर्थिक एकीकरण सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र को इसके सुरक्षा तत्वों से प्रभावित होने की बजाय इसके आर्थिक और सामाजिक तत्वों को अनिवार्य रूप से वरीयता देनी चाहिए।
- **सार्क चार्टर को फिर से परिभाषित करना चाहिए। इसमें शामिल है:**
  1. अत्यधिक और अनावश्यक सुरक्षा उपायों को हटाना,
  2. 'सार्क माइनस'[35] अवधारणा को अपनाना और
  3. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ऊर्जा व्यापार संपर्क, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[36] समन्वय, वीजा व्यवस्था तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना।

2.7. ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network: THMCN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन और नेपाल **ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMCN)** बनाने पर सहमत हुए हैं।

THMCN के बारे में

- THMCN को **ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क** के रूप में भी जाना जाता है। इस आर्थिक गलियारे को वर्ष 2019 में **नेपाल और चीन के बीच चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- इस गलियारे का **उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन और संचार में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।**
- THMCN का उद्देश्य **चीन और शेष दक्षिण एशिया के बीच एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है।** इसके अलावा, इसके उद्देश्य में सीमा नियंत्रण को मजबूत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR)[37] के एकीकरण में सहायता करना शामिल है।

भारत के लिए चिंताएं

- **हिमालयन क्वाड:** कई विशेषज्ञ मानते हैं कि **चीन चार हिमालयी देशों चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से मिलकर एक हिमालयन क्वाड** बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका भारत की सुरक्षा और सामरिक परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - चार हिमालयी देशों के बीच सहयोग से अलग, यह **क्वाड एक पूर्ण रूप से क्षेत्रीय सैन्य-राजनीतिक गठबंधन** है। यह अवधारणा सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दोनों मामलों में **शीत युद्ध की मानसिकता से प्रेरित है। इस प्रकार के छोटे-छोटे समूह क्षेत्रीय टकराव और विभाजन का कारण बनेंगे।**

परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के मौजूदा कारक:
- **वित्त-पोषण और पारदर्शिता संबंधी चिंता:** नेपाल सरकार ने चीन के प्रति तीन मुख्य चिंताएं व्यक्त की हैं।
  - नेपाल चीन से वाणिज्यिक ऋणों की बजाय अनुदान और उदार ऋण प्राप्त करने को प्राथमिकता देता है।
  - नेपाल चाहता है कि ब्याज की दर और पुनर्भुगतान करने का समय, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त-पोषण एजेंसियों की दर एवं समय के अनुरूप हो।
  - BRI परियोजनाएं प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खुली होनी चाहिए।
- **चीन की ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) पर आशंका:** चीन के वित्त-पोषण को कम करने के समर्थक नेपाली अधिकारियों को श्रीलंका के वित्तीय संकट का एक बहाना मिल गया है।

---

[35] Saarc Minus

[36] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

[37] Tibet Autonomous Region

- प्रस्तावित हिमालयन क्वाड चीन की भू-सामरिक प्रतिरोध नीति का एक परिणाम है। चीन द्वारा यह नीति घेराबंदी की हिंद-प्रशांत रणनीति के विरुद्ध अपनाई गई है।

- **नेपाल के साथ संबंधों पर प्रभाव:** स्थल अवरुद्ध नेपाल पारंपरिक रूप से व्यापार और पारगमन मार्गों के लिए भारत पर निर्भर है। अब चीन की बुनियादी ढांचे की कूटनीति (Infrastructure Diplomacy) ने विकास और संवृद्धि का वादा किया है। साथ ही, चीन ने इसके तहत नेपाल को वैकल्पिक व्यापार मार्ग भी प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। यह भारत पर नेपाल की निर्भरता को कम करेगा।
  - नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के दोनों पड़ोसियों (चीन और नेपाल) के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयासों के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- **दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को चुनौती देना:** सड़कों और बंदरगाहों के माध्यम से कई एक्सेस पॉइंट बनाने में मदद करके चीन, दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक विकल्प पेश कर सकता है। वह दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को चुनौती दे सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** THMCN बुनियादी ढांचे की पहल **लुंबिनी** के पास से होकर गुजरेगी, जो भारतीय सीमा के निकट है। इसने भारतीय रणनीतिकारों की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं संवेदनशील अल्पाइन पारिस्थितिकी-तंत्र से होकर गुजरेंगी। यहां सड़कों और सुरंगों के निर्माण से ऊपरी हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है।
  - नई सड़कें अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले लोगों की पहुंच को बढ़ावा देंगी। साथ ही, यह संकटग्रस्त (Endangered) प्रजातियों, जैसे कि बाघ, गैंडा और हाथियों के अंगों के अवैध व्यापार में सुविधा प्रदान करेंगी, क्योंकि चीन में इनकी कीमत अधिक है।

भारत के लिए आगे की राह

- **नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करना:** नेपाल का चीन के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। इसलिए, भारत को नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और अवसंरचनात्मक पहलें शुरू करनी चाहिए। इससे न केवल नेपाली नागरिकों को वास्तविक लाभ पहुंचेगा, बल्कि नेपाल में आने वाले संकटों को भी दूर करने में मदद मिलेगी।
- **पर्यावरणीय चिंता का समाधान करना:** हिमालयी क्षेत्र के देशों को एक साथ मिलकर एक "तृतीय ध्रुव परिषद" बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही, इन देशों को सामूहिक रूप से पर्वत श्रृंखला से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से भी निपटना चाहिए।
- **सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी सुधार करना:** भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच को पर्याप्त रूप से विकसित करना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों से वस्तुओं सहित सैनिकों की भी सुगम आवाजाही में मदद मिलेगी।

हिमालयी क्षेत्र में चीन की पहुंच:

- चीन **हिमालय को वैश्विक संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण के लिए अगले फ्रंटियर के रूप में देखता है**, विशेष रूप से:
  - जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। साथ ही, इस तथ्य के कारण कि **हिमालय 4-5 अरब लोगों के लिए एशियाई जल भंडार के रूप में कार्य करता है।**
  - **हिमालयी उपक्षेत्र में अभी भी अज्ञात खनिज निक्षेप विद्यमान हैं।**
- इस क्षेत्र में चीन की पहुंच को **व्यापक सुरक्षा समझौते करने, बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सहायता देने, व्यापार पर अधिक ध्यान देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने** आदि के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में, **कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना भी चीन की बढ़ती पहुंच का ही उदाहरण है।** इसके कुछ और उदाहरणों में शामिल हैं:
  - **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** जो कि विवादित हिमालयी सीमा क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। यह मुख्य रूप से चीन द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थन से बनाया जा रहा है।
  - चीन ने **अफगानिस्तान और चीन को जोड़ने** वाले सीमा-पार फाइबर लिंकेज बनाने के लिए **वाख़ान कॉरिडोर फाइबर ऑप्टिक सर्वे प्रोजेक्ट में भी निवेश** किया है।

हिमालयी क्षेत्र में भारत की रणनीति:

- आजादी के बाद भारत ने अपनी हिमालयी सीमाओं को दुर्गम और खराब तरीके से जोड़ने का विकल्प चुना है। भारत ने ऐसा चीन के आक्रमण से संबंधी चिंताओं के कारण किया है। इस कदम ने सीमाओं और भीतरी इलाकों के बीच, विशेष रूप से इसके हिमालयी मोर्चे पर बड़े पैमाने पर संपर्क काट दिया है।
- भारत ने वर्ष 2013 में हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए अपनी योजनाएं तैयार करनी शुरू की थी। भारत सरकार ने कई **"रणनीतिक रेल परियोजनाओं"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं को जोड़ने वाली 14 रेलवे लाइन शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- **हिमालयन रेल एक्सप्रेस** का उद्देश्य भारत के **जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र लेह को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हवाई** से जोड़ना है।

भारत के लिए बाधा:

- भारत द्वारा किया जाने वाला कनेक्टिविटी विकास अब तक **पाकिस्तान और नेपाल के साथ अनसुलझे सीमा विवादों** के कारण सीमित रहा है।
- **भारत द्वारा रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से न अपनाने** के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है।
- तिब्बती पठार पर बेहतर परिस्थितियां विद्यमान हैं। इसकी तुलना में **भारत की ओर दुर्गम हिमालयी भू-भाग** स्थित है।

2.8. चीन-ताइवान मुद्दा (China-Taiwan Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी स्पीकर ने ताइवान द्वीप की यात्रा की, जिससे उस द्वीप की स्थिति पर तनाव बढ़ गया है। चीन इस पर अपना दावा करता है, इसलिए इस यात्रा से अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है।

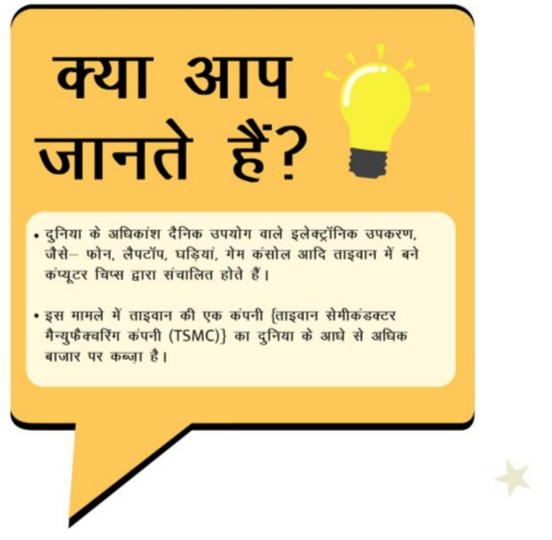

चीन-ताइवान संघर्ष की पृष्ठभूमि

- **ताइवान चीन के दक्षिण-पूर्वी तट से 100 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है।** ताइवान जलडमरूमध्य इसे चीन से अलग करता है। ग़ौरतलब है कि ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था।
- ताइवान पहली बार 17वीं शताब्दी में पूर्ण चीनी नियंत्रण में आया, जब **क्विंग राजवंश** ने इस पर प्रशासन शुरू किया। फिर, 1895 में **पहले चीन-जापान युद्ध** में हार के बाद उन्होंने यह द्वीप जापान को सौंप दिया।
- **द्वितीय विश्व युद्ध में** जापान की हार के बाद 1945 में चीन ने फिर से इस द्वीप पर कब्जा कर लिया।
- वर्ष 1949 में चीन में गृहयुद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और उन्होंने बीजिंग पर अधिकार कर लिया। च्यांग काई-शेक और राष्ट्रवादी पार्टी (जिसे **कुओमिन्तांग** के नाम से जाना जाता है) भागकर ताइवान चले गए, जहां उन्होंने अगले कई दशकों तक शासन किया था।
  - चीन इस इतिहास का हवाला देते हुए कहता है कि ताइवान मूल रूप से एक चीनी प्रांत था।
  - हालांकि, ताइवानी उसी इतिहास की ओर इशारा करते हुए तर्क देते हैं कि वे उस आधुनिक चीनी राज्य का हिस्सा नहीं थे, जो 1949 में माओ के अधीन स्थापित किया गया था।
- चीन अन्य देशों पर ताइवान को मान्यता न देने, या **ऐसा कुछ भी न करने के लिए कूटनीतिक दबाव डालता है, जिससे ताइवान को मान्यता प्राप्त हो।**
  - वर्तमान में, केवल 13 देश (वेटिकन सहित) ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं।

> **फर्स्ट आईलैंड चेन**
>
> - फर्स्ट आईलैंड चेन में **कुरील द्वीप समूह, जापानी द्वीप समूह, रयूकू द्वीप, ताइवान, उत्तर-पश्चिम फिलीपींस शामिल हैं। यह चेन बोर्नियो तक विस्तारित है।**
> - यह चेन रक्षा की पहली पंक्ति है और **पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिण चीन सागर और सुलु सागर** के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करती है।
>   - इस चेन में **बाशी चैनल** और **मियाको जलडमरूमध्य** स्थित हैं। ये चीन के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं।
>   - चोक पॉइंट ऐसा सामरिक संकीर्ण मार्ग होता है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र की आवाजाही को बाधित किया जा सकता है।
> - यह वर्ष 1951 में अमेरिका द्वारा तैयार की गई **आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी** (चित्र देखें) का एक हिस्सा है। इसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला बनाकर तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) और चीन को रोकने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य इन दोनों देशों की समुद्र तक पहुंच को रोकना था।
>
>
>

ताइवान के लिए अमेरिकी नीति क्या है?

- ताइवान द्वीप अमेरिका के अनुकूल क्षेत्रों की तथाकथित **"फर्स्ट आईलैंड चेन"** का हिस्सा है। इस सूची में वे देश शामिल हैं, जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अमेरिका वर्तमान में **एक-चीन नीति (One-China policy)** का पालन करता है। यह नीति केवल एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को मान्यता देती है, जिसके साथ अमेरिका के औपचारिक राजनयिक संबंध है।

- हालांकि, अमेरिका ने **ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को** बनाए रखा है। वह अपने **ताइवान रिलेशन्स एक्ट, 1979** के तहत ताइवान की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए उसे हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करता है।

- अमेरिका ताइवान के लिए अब तक का **सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता** रहा है और एक '**सामरिक अस्पष्टता' की नीति** का पालन करता है। इसका अर्थ है कि अमेरिका जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वह हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं।

एक-चीन नीति

- यह नीति इस **तथ्य की स्वीकृति** है कि अलग-अलग चीनी राज्यों के बजाय **'चीन की केवल एक ही सरकार' है।**
- इसके अलावा, इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश **ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग** जैसे विवादित राज्यक्षेत्रों को चीनी मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं।

ताइवान पर भारत का क्या रुख है?

- **भारत ने 1949 से एक चीन नीति का पालन किया है,** जो **ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से** के रूप में स्वीकार करती है।
- **भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।** हालांकि, 1995 में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया है, जो वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करते हैं।
  - भारत की **एक्ट ईस्ट विदेश नीति** के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ताइवान के साथ वार्ता को सुविधाजनक बनाते हुए बढ़ावा देती है।
    - उदाहरण के लिए- नई दिल्ली में **भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA)** और **ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (TECC) एक्सचेंज** स्थापित हैं।
- **भारत एक कूटनीतिक तर्क के लिए इस नीति का उपयोग करता है। इस तर्क के अनुसार यदि भारत "एक चीन" नीति में विश्वास करता है, तो चीन को भी "एक भारत" नीति में विश्वास करना चाहिए।**
  - **भारत ने 2008 के बाद से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणाओं में इस नीति का उल्लेख करना बंद कर दिया है।** भारत ने चीन द्वारा भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करने के विरोध में इसका उल्लेख करना बंद किया है। चीन द्वारा यह वीजा जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को जारी किया गया था।
  - **हालांकि, ताइवान के साथ भारत के संबंध अभी भी सीमित है।**

संबंधित सुर्ख़ियां

- हाल ही में, चीन ने हांगकांग पर पुनः नियंत्रण की 25वीं वर्षगांठ मनायी। इस दौरान उसने **वन कंट्री टू सिस्टम्स (OCTS)** के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया।
- **OCTS के बारे में**
  - **वन कंट्री टू सिस्टम्स (OCTS) के बारे में**
    - इसे मूल रूप से **चीन और ताइवान को एकजुट** करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। लेकिन, ताइवान ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
    - यह विचार तब फिर से सामने आया, जब चीन ने **ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ताएं शुरू** की। पूर्व में ब्रिटेन और पुर्तगाल क्रमशः **हांगकांग और मकाऊ** पर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे।
    - चीन के अनुसार, इस प्रणाली के तहत **मुख्यभूमि चीन का भाग होते हुए भी हांगकांग और मकाऊ की भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियां** हो सकती हैं।
    - दोनों क्षेत्र **चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र** बन गए। इनकी **अपनी भिन्न मुद्राएं तथा आर्थिक और कानूनी प्रणालियां** हैं।
      - ✓ हालांकि, **रक्षा और विदेश मामलों पर चीन** निर्णय लेता है।
    - इसके अलावा, हांगकांग के पास **सभा करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** है। साथ ही, कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं, जो **मुख्य भूमि चीन में उपलब्ध नहीं** हैं।
      - ✓ इन स्वतंत्रताओं को **मूल कानून** द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल कानून एक लघु-संविधान है। यह हांगकांग और चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है।
      - ✓ मूल कानून **50 वर्षों के लिए मान्य** है। यह **हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक** मान्य होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि **इस अवधि के बाद क्या होगा।**
- **हांगकांग और मकाऊ के बारे में**
  - **प्रथम अफीम युद्ध** के बाद **वर्ष 1842** में अंग्रेजों ने **हांगकांग पर अधिकार** कर लिया था। वर्ष 1898 में, ब्रिटेन और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

©Vision IAS

इसके तहत अंग्रेजों को **हांगकांग के आसपास के द्वीप 99 वर्षों के लिए पट्टे (लीज़) पर** दे दिए गए।

- दूसरी ओर, **मकाऊ पर 1557 ई. से पुर्तगालियों का शासन** था।
- वर्ष 1980 के दशक में, चीन ने दोनों क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन और पुर्तगाल **के साथ वार्ता** शुरू की।
- वर्ष **1997 में हांगकांग** चीनी नियंत्रण में वापस आ गया। वहीं **मकाऊ** की संप्रभुता **वर्ष 1999** में स्थानांतरित कर दी गई।

2.9. क्षेत्रीय व्यापार और विकास में पूर्वोत्तर की भूमिका (Role of North East in Regional Trade and development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह से होते हुए कोलकाता से अगरतला तक** माल ढुलाई के लिए ट्रांस-शिपमेंट का सफल परीक्षण किया गया।

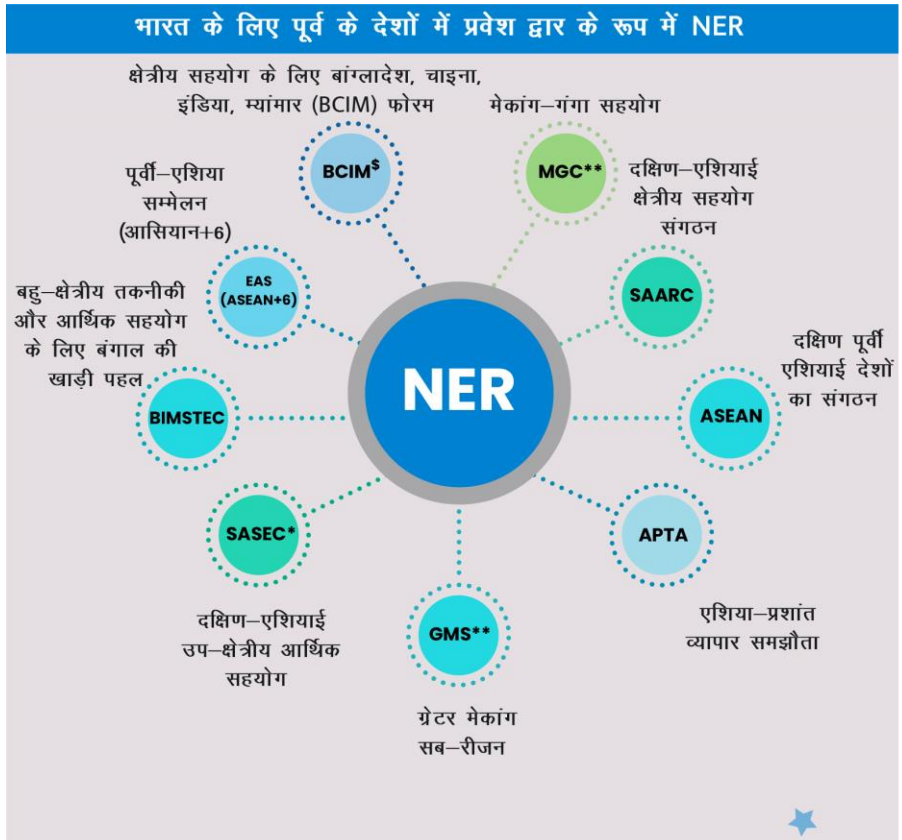

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सीमापारीय ट्रांस-शिपमेंट अभ्यास वर्ष 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित **द्विपक्षीय समझौते का परिणाम** है। इस समझौते में ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा प्रदान करने और मोंगला एवं चटगांव बंदरगाहों के उपयोग हेतु सहमति दी गई है।
- सड़क मार्ग से कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 1650 किलोमीटर है, जो **जलमार्ग से घटकर केवल 620 किलोमीटर रह जाएगी।**
- भारत बांग्लादेश के माध्यम से **अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने** की रणनीति पर कार्य कर रहा है। इससे **पारगमन लागत एवं समय दोनों कम होंगे और व्यापार में भी वृद्धि** होगी।
- यह मार्ग **अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता** प्रदान करेगा।

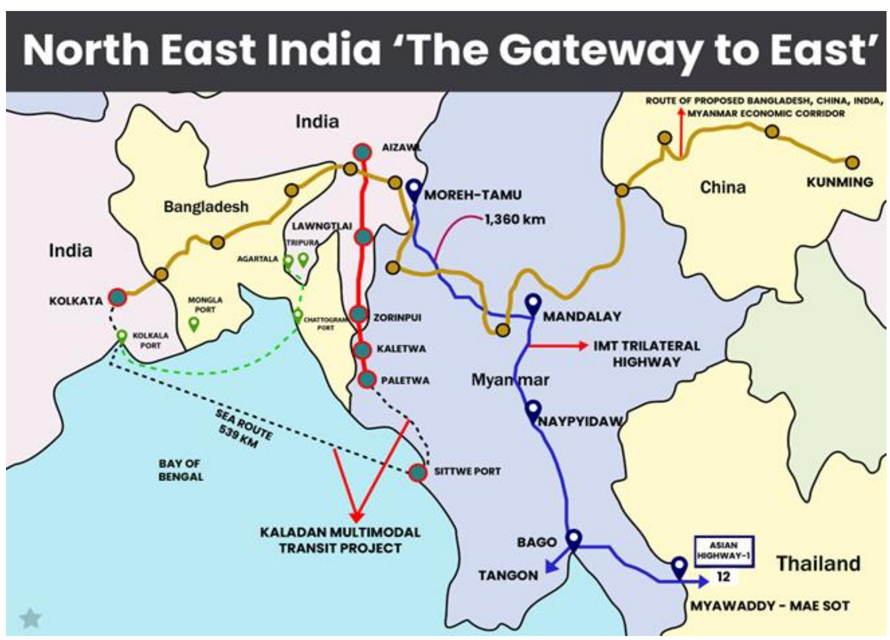

क्षेत्रीय व्यापार और विकास में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) की क्षमता

- **सामरिक अवस्थिति:** "चिकन नेक" या **सिलीगुड़ी गलियारा** पूर्वोत्तर में भारत का प्रवेश द्वार है। इसी क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसियों के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। यह भारत को उभरती चीन-केंद्रित व्यवस्था का प्रतिरोध करने में भी सक्षम बनाता है।
- **विभिन्न इनपुट संसाधनों से संपन्न क्षेत्र:** NER सामाजिक (विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि), भौतिक (संभावित ऊर्जा आपूर्ति केंद्र), मानव (किफायती श्रम) और प्राकृतिक (खनिज एवं वन) संपदा से संपन्न है।

- **विशाल कृषि क्षमता:** उपजाऊ मृदा और अन्य कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण NER में कृषि व्यापार की भारी संभावनाएं मौजूद हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य शर्त:** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की इसके पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी है। यह कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय केंद्र और विकास केंद्र के रूप में कार्य कर सकती है। इससे NER की **क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम होगी और समृद्ध स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।**

भारत की अन्य सीमापारीय कनेक्टिविटी पहलें

- **कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन सुविधा:** यह भारत और म्यांमार के मध्य एक समुद्र, नदी व भूमि आधारित परिवहन प्रणाली है। यह पहले समुद्री परिवहन के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों को **म्यांमार के सितवे बंदरगाह** से जोड़ती है और फिर नदी परिवहन तथा सड़क मार्ग के माध्यम से **मिजोरम** (भारत) को जोड़ती है।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** 1360 कि.मी. लंबा यह सीमापार परिवहन नेटवर्क **मोरेह (भारत) को बागान (म्यांमार) से जोड़ते हुए माई सॉट (थाईलैंड)** से जुड़ जाएगा।
- **मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा:** इस गलियारे में हो **ची मिन्ह (वियतनाम), बैंकॉक (थाईलैंड), नोम पेन्ह (कंबोडिया), दवेई (म्यांमार) और चेन्नई (भारत)** को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
- **स्टिलवेल रोड (लेडो रोड और बर्मा रोड):** यह भारत के **लेडो (असम) को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग (युन्नान प्रांत)** से जोड़ने वाला ओवरलैंड रोड है। ध्यातव्य है कि लेडो रोड को द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापान के विरुद्ध चीन को सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया था।
- **दिल्ली-हनोई रेलवे लिंक:** यह म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर होते हुए भारत को वियतनाम से जोड़ने हेतु प्रस्तावित है।
- **तामू-कलेवा-कलेम्यो मैत्री सड़क:** यह म्यांमार के सागिंग क्षेत्र में तामू से कलेम्यो तक 160 कि.मी. की क्रॉस बॉर्डर सड़क है। यह भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का हिस्सा है।
- **म्यांमार में रि-टिडिम रोड:** यह म्यांमार के चिन प्रांत में रि (Rhi) से टिडिम तक 80 कि.मी. की क्रॉस बॉर्डर सड़क है।
- **बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार (BCIM) आर्थिक गलियारा:** यह चीन के कुनमिंग को म्यांमार और बांग्लादेश से होते हुए कोलकाता से जोड़ने वाला सीमा-पार परिवहन नेटवर्क है।

NER की क्षमता का दोहन करने में चुनौतियां

- **आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संबधी चुनौतियां:** विद्रोही/उग्रवादी भारतीय सेना से बचने के लिए अक्सर कमजोर सीमाओं का उपयोग करते हैं। वे सशस्त्र विद्रोह, अलग संघीय राज्यों और स्वायत्त इकाइयों की मांग तथा नृजातीय संघर्षों को बढ़ावा देते हैं।
- **आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी बाधाएं:** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ मूल सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद, बुनियादी ढांचे और निवेश की कमी के कारण आर्थिक संबंधों में पर्याप्त सुधार नहीं हो सका है।
- **क्षेत्रीय विकास का अभाव:** नीति आयोग के अनुसार, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार में, भारत के अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का हिस्सा 95 प्रतिशत था। NER क्षेत्र का योगदान केवल 5% था।
    - साथ ही, अन्य राज्यों की तुलना में NER में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह भी बहुत कम है।
- **सीमापारीय अनौपचारिक व्यापार की प्रधानता:** कमज़ोर सीमाएं, क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी बाधाएं, सीमा शुल्क और आप्रवासन मंजूरी में देरी अनौपचारिक व्यापार की वृद्धि के मूल कारण हैं।
    - इसके अलावा, लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के कारण कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अनौपचारिक व्यापार का पता लगाने में भी कठिनाई होती है।
- **चीनी प्रभाव:** भारत का अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार और निवेश चीन की तुलना में नगण्य है। उदाहरण के लिए- चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

क्षेत्रीय व्यापार और विकास में NER की क्षमता का दोहन करने के लिए आगे की राह

- **सीमा सुरक्षा को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए- अस्थिर कश्मीर घाटी में भारतीय सीमा सुरक्षा बल इजराइल द्वारा विकसित स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम और निगरानी रडार तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। NER की सीमा सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना:** नागा राजनीतिक संघर्ष और असम एवं अन्य पहाड़ी राज्यों के बीच विद्यमान अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी संबंधित परियोजनाओं को और तेज करना:** सभी सीमापार मल्टीमॉडल परिवहन तंत्रों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए।
    - यह भी जरूरी है कि ये मल्टीमॉडल गलियारे **स्थानीय एवं ग्रामीण बाजारों तथा लॉजिस्टिक्स से जुड़े हों।** इससे स्थानीय समुदायों और व्यवसायों को भी व्यापक लाभ मिल सकेगा।

- **उत्पादन केंद्र:** NER को कृषि-प्रसंस्करण, बागवानी और वस्त्र उद्योग जैसे उद्योगों के लिए प्राकृतिक रूप से बढ़त हासिल है। इन उद्योगों को रोजगार आधारित रणनीति का उपयोग करके विस्तारित किया जाना चाहिए।
    - साथ ही, **रबर के उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट जैसे अन्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।**
- **विकास में लोगों की भागीदारी:** कनेक्टिविटी में वृद्धि, जैसे- सुदूर गांवों में रेलवे की शुरुआत आदि के कारण इस क्षेत्र में देश के अन्य भागों से लोगों के आगमन में वृद्धि होगी। इस आगमन से स्थानीय आबादी में भय और आशंकाओं के बढ़ने की संभावना है। इस भय और आशंका को समझने के लिए उनके साथ संवेदीकरण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना अनिवार्य है।
- **मानव संसाधन को मजबूत बनाना:** अधिकारियों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए क्षमता निर्माण करने से क्षेत्र में गुणवत्ता एवं वितरण सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।
    - शीर्ष उद्योग संघों द्वारा सहायता प्राप्त **राज्य स्तरीय व्यापार संवर्धन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए।** यह इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए सही कदम हो सकता है।

2.10. चाबहार पोर्ट (Chabahar Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने 'चाबहार दिवस' मनाया। इस दौरान भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह एवं INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) अंतरमहाद्वीपीय व्यापार मार्ग की प्रगति की समीक्षा की।

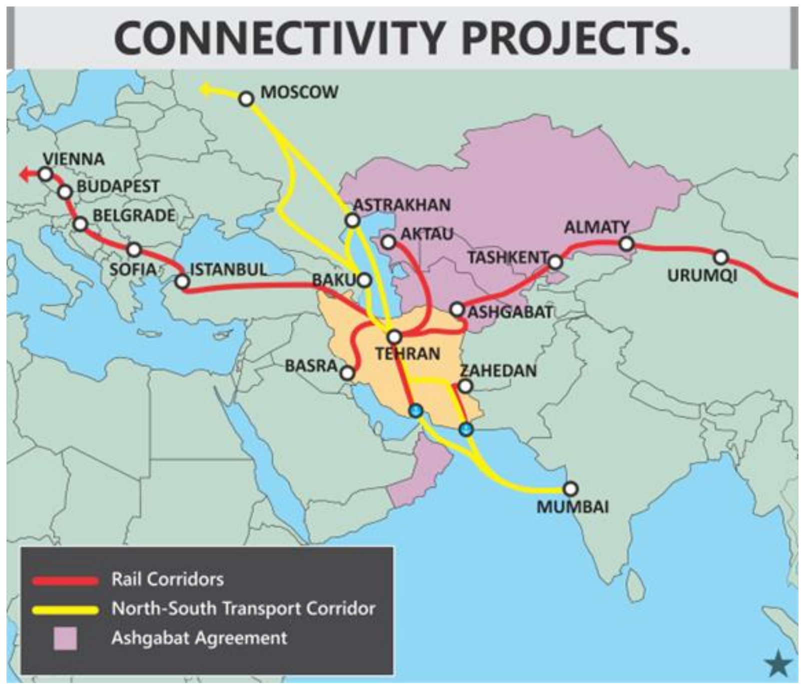

चाबहार पोर्ट के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के **सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत** में ओमान की खाड़ी में स्थित है।
- यह **ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह (Deep-Sea Port) है, जिसकी खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है।**
- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के साथ इसकी भौगोलिक निकटता है। इसके साथ ही यह **तेजी से विकसित हो रहे INSTC पर एक प्रमुख ट्रांजिट सेंटर के रूप में अवस्थित है।** ये सारी स्थितियां इसे इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों में शामिल होने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- **भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने 2016 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर (चाबहार एग्रीमेंट) स्थापित** करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें **चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा के साथ जाहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण** तथा **अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग** के रूप में इसे जरांज-डेलाराम राजमार्ग से जोड़ना शामिल था।
    - भारत द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से अफगानिस्तान में 215 कि.मी. लंबे जरांज-डेलाराम हाईवे का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का भू-राजनीतिक महत्व:

- **भारत-ईरान व्यापार, राजनयिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना,** जो बढ़ते चीन-पाकिस्तान सहयोग को संतुलित कर सकता है।

- यह स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS)[38] देशों तक पहुंचने के लिए INSTC के तहत एक ट्रांजिट हब के रूप में **चाबहार बंदरगाह का विकास करता है।**
  - **CIS देशों** में अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन शामिल हैं।
- चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए समुद्र आधारित व्यापार मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा और इन क्षेत्रों में स्थित देशों के साथ व्यापार नेटवर्क स्थापित कर सकेगा।
  - ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। इस बंदरगाह ने 2018 से, **भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**
- **सामरिक महत्व:** यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 कि.मी. दूर है। इसलिए, यह बंदरगाह भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक महत्व का होगा।

- **मानवीय कार्य:** चाबहार बंदरगाह को एक ऐसे स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां से मानवीय कार्यों को संचालित किया जा सकता है।
- **हिंद-प्रशांत रणनीति का हिस्सा:** चाबहार पोर्ट भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक प्रमुख अंग है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के साथ यूरेशिया का संबंध भी शामिल है।
  - चाबहार बंदरगाह का विकास अश्गाबात समझौते का पूरक होगा। इसका उद्देश्य मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करना है।

चाबहार परियोजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां

- **ईरान का रुख:** वर्ष 2020 में, ईरान ने अपने दम पर रेलवे लाइन का निर्माण करने का फैसला किया। ईरान द्वारा ऐसा करने के पीछे तर्क यह था कि **परियोजना को शुरू करने एवं वित्त पोषण में भारतीय पक्ष की ओर से देरी की गई थी।**
- **अमेरिकी प्रतिबंध:**
  - भारत **उस निर्माण कंपनी के साथ समझौता करने में झिझक रहा है, जिसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)** से संबंध हैं और जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है।
  - हालांकि, इस परियोजना को **संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेष छूट मिली हुई है,** फिर भी अमेरिका के निशाने पर होने की चिंता के कारण **उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों को खोजना मुश्किल था।**
- **चीन के साथ ईरान की निकटता:** चीन और ईरान ने आपस में सहयोग के लिए एक **25 वर्षीय विस्तृत सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।** इसके अलावा **दोनों देशों ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर का रणनीतिक साझेदारी समझौता भी किया है।**
  - इस सौदे में **चाबहार के शुल्क-मुक्त क्षेत्र में चीनी भागीदारी,** पास की एक तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की एक बड़ी भूमिका शामिल है।

भारत के लिए आगे की राह

- **भारत के लिए प्रतिबद्धताओं की समय-सीमा और सुपुर्दगी को ध्यान में रखना** महत्वपूर्ण होगा।
- भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक **संतुलन स्थापित करने** और क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है।

---

[38] Commonwealth of Independent States

- हाल ही में, उज्बेकिस्तान ने भी चाबहार बंदरगाह को एक ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में संयुक्त रूप से उपयोग करने के लिए रुचि दिखाई है। **क्षेत्रीय देशों के साथ बंदरगाह का संचालन और संयुक्त रूप से उपयोग करना** महत्वपूर्ण होगा।
- एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, **एक शांतिपूर्ण विस्तारित पड़ोस** (ईरान-अफगानिस्तान) **न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है,** बल्कि **महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- INSTC, 7200 किमी. लंबा एक **मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क है,** जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
  - INSTC, **फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से** तथा रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है।
  - **वर्तमान में, इसमें भारत सहित 13 सदस्य हैं।**
  - हाल ही में, INSTC ने ईरान के रास्ते, रूस से भारत को पहली शिपमेंट भेजने के साथ अपना संचालन शुरू किया।
- **भारत के लिए INSTC का महत्व**
  - भारत और रूस के बीच **माल ढुलाई लागत को 30% तक कम करना** और ट्रांजिट समय (स्वेज नहर की तुलना में लगभग आधा) में कमी करना।
  - यह **भारत को मध्य एशिया और उससे आगे आर्कटिक, नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्र में सुगम पहुंच प्रदान** करने में मदद करेगा। साथ ही, व्यापार और निवेश लिंक का भी विस्तार करने में मदद करेगा।
  - **यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन की सहायता से वर्तमान व्यापारिक भागीदारों,** विशेष रूप से ऊर्जा कनेक्टिविटी **पर निर्भरता को कम करेगा।**
  - इसे **चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में भी देखा** जा रहा है।
- **भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले अन्य नियोजित कॉरिडोर**
  - भारत-रूस को जोड़ने वाला चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा।
  - भारत का अरब-भूमध्यसागरीय (Arab-Med) गलियारा, भारत को ग्रीस और मध्य पूर्व के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ता है।

2.11. भारत-मिस्र संबंध (India-Egypt Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मिस्र ने मिस्र-भारत राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है।

भारत-मिस्र संबंधों का महत्व

- **भू-रणनीतिक:** मिस्र की अवस्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी अवस्थिति इसे **यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार मार्गों का केंद्र बनाती है।**
- **भू-राजनीतिक:** भारत, पश्चिम एशिया पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में **मिस्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।**

- ○ **इजराइल के सीमावर्ती पड़ोसी के रूप में मिस्र की सामरिक अवस्थिति** का अर्थ है कि इसकी वर्तमान नीतियां भारत के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं।
- ○ मिस्र ऐसे **बहुपक्षीय मंचों को अधिक वरीयता देता है, जिनमें विकासशील देश शामिल होते हैं, जैसे- गुटनिरपेक्ष आंदोलन** (NAM)[39], **G77 आदि।** उल्लेखनीय है कि इन संगठनों का दक्षिण-दक्षिण सहयोग में व्यापक योगदान है।

- **सुरक्षा के संदर्भ में आपसी हित:** मिस्र पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में महत्वपूर्ण भागीदार है, जहां इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादी संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मिस्र तेल और गैस निर्यात करने वाला एक मध्यम आय वाला देश है। इसके विपरीत भारत तेल और गैस आयात करने वाला निम्न आय वाला देश है।
- **सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में संभावित भागीदार:** भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है तथा मिस्र उत्तरी अफ्रीका में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक मिस्र में स्थित है। साथ ही, मिस्र हरित हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख देशों में से एक है, जहां भारतीय कंपनियां भी निवेश करने में रुचि रखती हैं।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उभरती निर्भरता:** रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण इन दोनों देशों से मिस्र में आयात होने वाले गेहूं में गिरावट आई है। इसने मिस्र के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया है। इस परिस्थिति में, भारत मिस्र के लिए गेहूं के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।
  - ○ हाल ही में, भारत ने देश में गंभीर हीट वेव की दशाओं के चलते मिस्र को गेहूं के निर्यात प्रतिबंध से छूट प्रदान की थी।

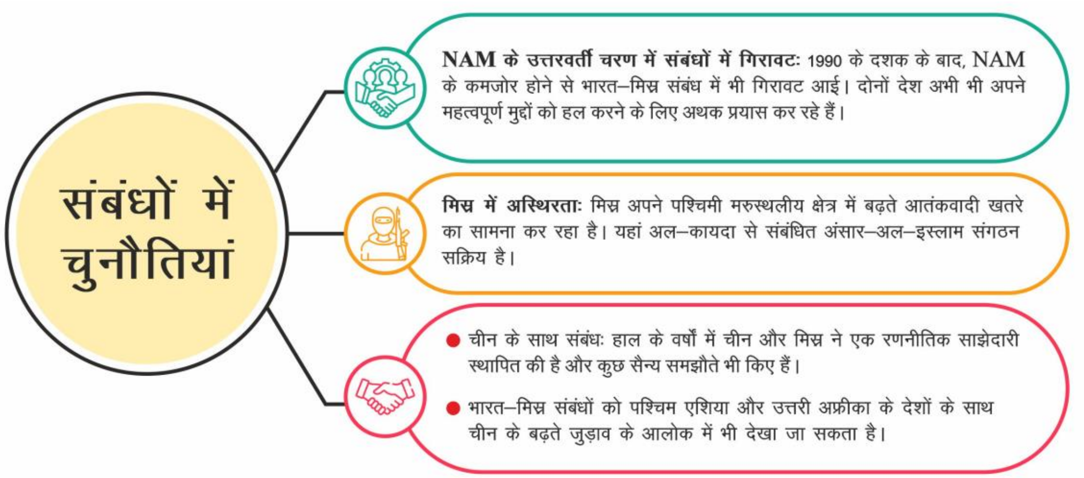

आगे की राह

- **आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाना:**
  - ○ **अधिकांश अप्रयुक्त क्षमताओं वाले क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए:** जैसे- पर्यटन, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनिया फार्मास्यूटिकल्स, IT, नए युग की प्रौद्योगिकियां इत्यादि।
  - ○ **द्विपक्षीय व्यापार में बाधक समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए:** दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, द्विपक्षीय संस्थागत सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय केंद्रीय बिंदुओं की पहचान की जानी चाहिए।

---

[39] Non-Aligned Movement

- प्रस्तावित **'स्वेज नहर मुक्त व्यापार क्षेत्र'**[40] में भारतीय निवेश अफ्रीका और यूरोप में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

- **संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने का व्यावहारिक तरीका:** अशांत परिस्थितियों में भी अरब देशों से मिस्र की निकटता है। ऐसे में भारत और मिस्र के बीच **राजनीतिक और खुफिया विभागों के संपर्कों का गहन होना** पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा।
    - मिस्र, इजराइल के साथ घनिष्ठ रूप से खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान करता है। इससे मिस्र, भारत और इजराइल के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की संभावना से सभी को लाभ होगा।
- **अफ्रीका में अवसरों का लाभ उठाना:** भारतीय निर्यातक मिस्र को अफ्रीका का केंद्र मानकर तथा त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाकर अफ्रीकी महाद्वीप में व्यापक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
    - त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते ने **पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार** (COMESA)[43], **पूर्वी अफ्रीकी आयोग** (EAC)[44] **और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय** (SADC)[45] के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों हेतु साझा बाजारों को एकजुट किया है।
- **सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के अवसर:** मिस्र अपने पड़ोसी देशों (जैसे- जॉर्डन, सूडान आदि) के साथ विद्युत कनेक्शन स्थापित करके एक क्षेत्रीय विद्युत इंटर-कनेक्शन केंद्र बन सकता है।

सहयोग के क्षेत्र

- **राजनीतिक संबंध:** भारत-मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। वर्ष 1955 में दोनों देशों ने एक **मैत्री संधि** पर हस्ताक्षर किए थे तथा बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से सहयोग किया है।
- **आर्थिक संबंध:** भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता वर्ष 1978 से लागू है। यह समझौता **मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रावधान** पर आधारित है।
    - **वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र विस्तार हुआ है।** यह व्यापार वित्त-वर्ष 2020-21 की तुलना में **75% की बढ़त के साथ 7.26 बिलियन हो गया है।** यह बढ़त भारत के पक्ष में है।
- **रक्षा संबंध:** दोनों देश अपने सामूहिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु कार्य कर रहे हैं। इसमें सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव का विस्तार, संयुक्त सैन्य अभ्यासों **(जैसे- डेज़र्ट वारियर)** की शुरुआत तथा संयुक्त रक्षा उद्योग सहयोग शामिल हैं।
    - भारत ने हल्के लड़ाकू विमान (LCA)[41] के साथ-साथ हेलीकॉप्टरों के विनिर्माण हेतु भी उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की पेशकश की है। ऐसा इसलिए, क्योंकि मिस्र स्थानीय रूप से उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और मिस्र ने **आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह** भी स्थापित किया है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र (MACIC)[42] दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता रहा है। यह हिंदी, उर्दू और योग कक्षाओं; सेमिनार; फिल्म शो; प्रदर्शनियों व स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी जैसी नियमित गतिविधियां आयोजित करता है।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्रों** में अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान शामिल हैं।

2.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

2.12.1. भारत-मॉरीशस CECPA (India-Mauritius CECPA)

- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते **(CECPA)**[46] के सामान्य काम-काज एवं कार्यान्वयन की **समीक्षा के लिए उच्चाधिकार प्राप्त JTC का गठन** किया गया था।
    - CECPA वर्ष 2021 में लागू हुआ था। यह **भारत द्वारा अफ्रीका में किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।**
    - **भारत-मॉरीशस CECPA में निम्नलिखित शामिल हैं:**

[40] Suez Canal Free Trade Zone

[41] Light Combat Aircraft

[42] Maulana Azad Centre for Indian Culture

[43] Common Market for Eastern and Southern Africa

[44] East African Commission

[45] Southern African Development Community

[46] Comprehensive Economic Cooperation and Partnership agreement

- वस्तुओं का व्यापार,
- उत्पाद के उत्पत्ति संबंधी नियम,
- सेवाओं में व्यापार,
- सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय,
- विवाद निपटान,
- नेचुरल पर्सन्स (जैसे कि पेशेवर आदि) की आवाजाही,
- दूरसंचार,
- वित्तीय सेवाएं आदि।

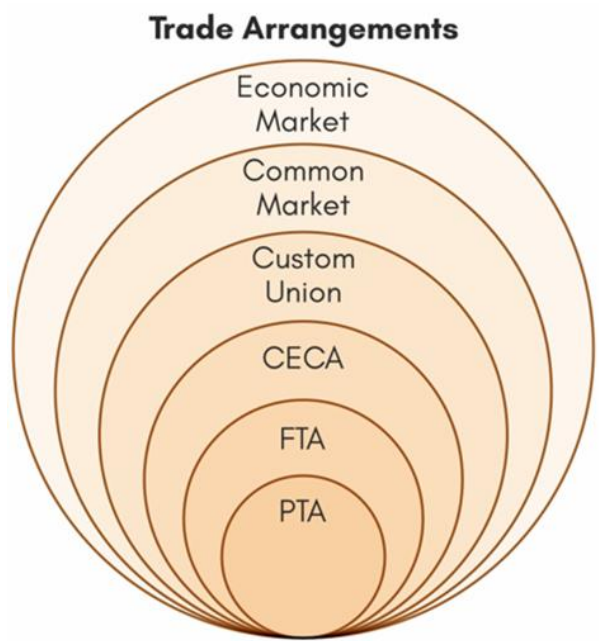

- **भारत-मॉरीशस संबंध**
  - **आर्थिक:** वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 786.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मॉरीशस, भारत (2020-21) में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था।**
  - **सामरिक:** मॉरीशस भारत के सागर/ SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन में एक विशेष स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्गों के निकट स्थित है।
  - **भारतीय आबादी:** मॉरीशस की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 70% है।
  - **रक्षा सहयोग:** भारत ने मॉरीशस को एक डोर्नियर विमान और ध्रुव नामक एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर सौंपा है।
- **भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियां:**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव,
  - मॉरीशस के माध्यम से भारत में निवेश की राउंड-ट्रिपिंग की जा रही है आदि।

2.12.2. भारत और थाईलैंड के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूर्ण हुए (75 Years of Diplomatic Ties Between India and Thailand)

- वर्ष 1947 से, भारत और थाईलैंड के बीच जीवंत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं।
  - हाल के वर्षों में, **भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' नीति** से समर्थन मिला है। इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं।
- **भारत-थाईलैंड संबंध**
  - **आर्थिक:** वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।
  - **रक्षा सहयोग:**
    - रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2012) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
    - इंडो-थाई कार्पेट और मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
    - भारत वर्ष 2015 से कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।
  - **द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र:** संयुक्त आयोग की बैठक, विदेश कार्यालय परामर्श, संयुक्त कार्य बल आदि।
  - **कनेक्टिविटी:** दोनों देशों के मध्य **कनेक्टिविटी संबंधी प्रमुख पहलें हैं:**
    - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग,
    - एशियाई राजमार्ग नेटवर्क (UNESCAP के तहत),
    - बिम्सटेक (BIMSTEC) ढांचे के तहत बिम्सटेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स स्टडी (BTILS)।

- **सांस्कृतिक:** बौद्ध धर्म एक साझा सूत्र है, जो दोनों देशों को जोड़ता है। लाखों थाई बौद्ध **लुंबिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर** की यात्रा करते हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** दोनों देश आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक, मेकांग गंगा सहयोग (MGC), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
- **भारतीय आबादी:** थाईलैंड में भारतीय मूल के लगभग 250,000 लोग रहते हैं।

2.12.3. उत्पत्ति के नियम {Rules of Origin (ROO)}

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि **सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 (CAROTAR) तथा FTA के तहत उत्पत्ति के नियम (ROO) के प्रावधानों के बीच विवाद के मामले में** FTA या इसके ROO से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।
  - FTA **शून्य या रियायती** आधारभूत सीमा शुल्क दर पर अधिकांश **वस्तुओं के आयात की अनुमति** देता है।
  - **भारत ने** संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, जापान, सिंगापुर आदि सहित कई देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- CAROTAR का उद्देश्य **FTA के माध्यम से** भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क वंचन को रोकना है।
  - CAROTAR नियमों के तहत, आयातकों को FTA के तहत शुल्क रियायत का दावा करने के लिए मूल देश से वस्तु में **35% मूल्य वर्धन** का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
  - **न्यूनतम जानकारी की एक सूची** (जो आयातक के पास होना आवश्यक है) भी प्रस्तुत की जाती है।
- **उत्पत्ति के नियम (ROO) के बारे में**
  - ROO किसी देश में **आयातित उत्पाद की उत्पत्ति वाले राष्ट्र का निर्धारण** करने के लिए निर्धारित मानदंड हैं।
  - इसके तहत जिस देश ने भारत के साथ FTA किया है, वह **किसी तीसरे देश की वस्तु को केवल अपना लेबल लगाकर** भारतीय बाजार में नहीं उतार सकता है।
  - उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित **मूल्य वर्धन** करना होगा।

2.12.4. नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) संधि {New Strategic Arms Reduction Treaty (NEW START) Treaty}

- रूस ने 'न्यू स्टार्ट संधि' के तहत **अपने परमाणु शस्त्रागार के अमेरिकी निरीक्षण को अनुमति देने से इंकार कर दिया है।**
- न्यू स्टार्ट, **अमेरिका और रूस के बीच अंतर-महाद्वीपीय रेंज वाले परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करने के लिए** एक समझौता है। साथ ही, यह सामरिक हथियारों पर भी एक सीमा आरोपित करता है। यह समझौता वर्ष 2011 में लागू हुआ था।
- न्यू स्टार्ट संधि के तहत **उन परमाणु आयुधों की संख्या को 1,550 तक सीमित किया गया है,** जिन्हें अमेरिका और रूस तैनात कर सकते हैं।

2.12.5. नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STCW), 1978 {International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers (STCW), 1978}

- **'भारत और ईरान'** ने STCW के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के मध्य **नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- **STCW अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी से संबंधित न्यूनतम मानकों** को स्थापित करने के लिए एक बहुपक्षीय सम्मेलन है।
  - इसे **वर्ष 1978 में अपनाया** गया था। यह **वर्ष 1984 में लागू** हुआ था।
  - **भारत** ने इसे **वर्ष 1984** में अधिसूचित किया था। भारत के लिए यह **वर्ष 1985** से प्रभावी हुआ था।

○ इसके अनुपालन और कार्यान्वयन की समीक्षा **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** करता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय **जिनेवा** में स्थित है। इसे **वर्ष 1948** में स्थापित किया गया था।

2.12.6. शुद्धिपत्र (ERRATA)

- जून 2022 की मासिक पत्रिका में **'सुर्ख़ियों में रहे स्थल'** टॉपिक में टाइपिंग त्रुटि के कारण, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को गलती से कंबोडिया के राष्ट्रपति के रूप में वर्णित कर दिया गया था।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

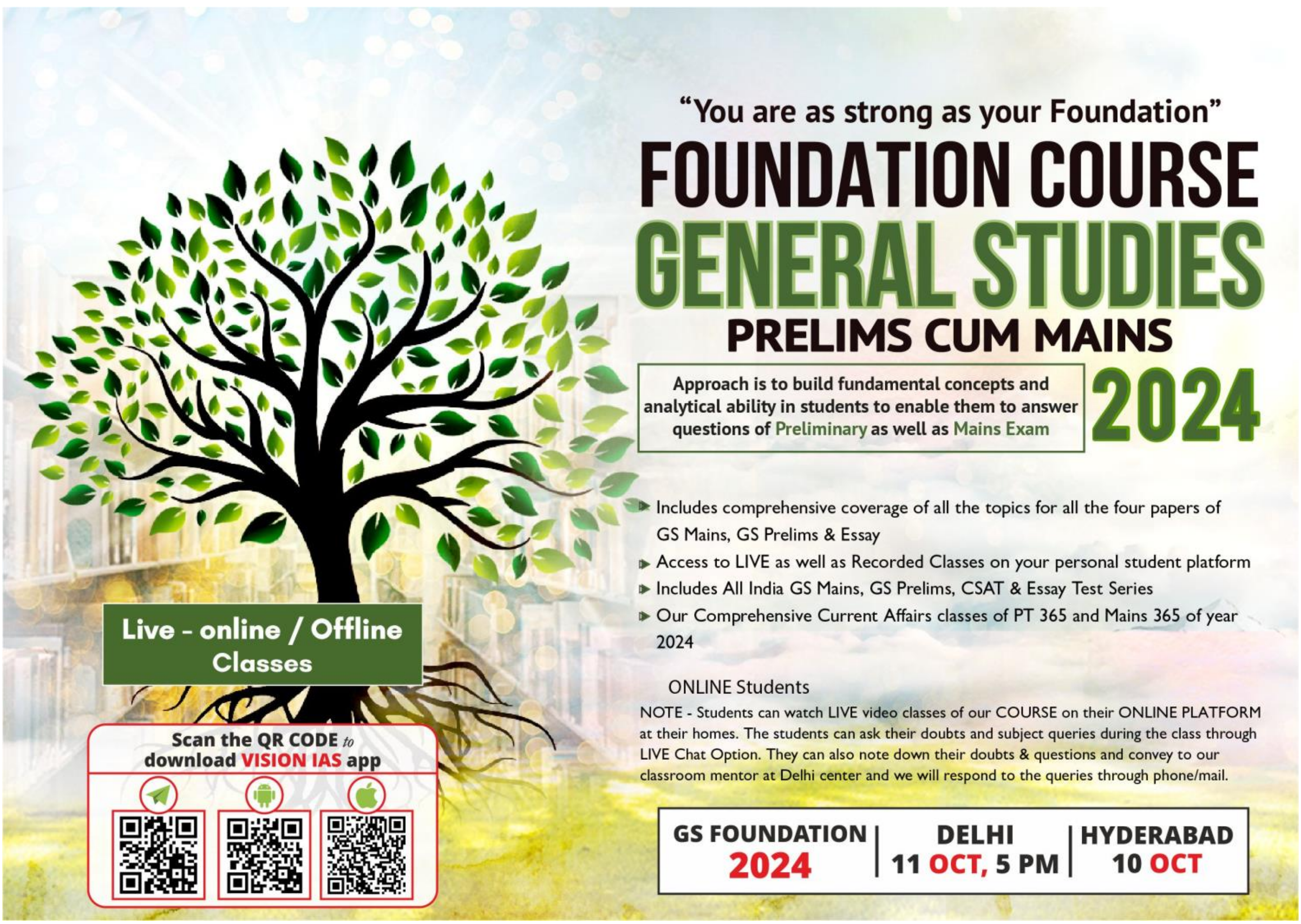

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत के लिए कॉम्पेटिटिवनेस रोडमैप (India's Competitiveness Roadmap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)[47] ने **"द कॉम्पेटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया@100"** जारी किया है। यह रोडमैप EAC-PM द्वारा, **इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस** के सहयोग से जारी किया गया है।

इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में

- **इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया** वस्तुतः हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस के वैश्विक नेटवर्क में भारतीय भागीदारी की भूमिका निभाता है।
- यह प्रतिस्पर्धा और इससे संबंधित रणनीति के मामले में अनुसंधान एवं ज्ञान के प्रसार के लिए एक समर्पित एक निकाय है।

प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) क्या है और इस मामले में भारत की स्थिति क्या है?

- प्रतिस्पर्धात्मकता में कई पक्ष शामिल होते हैं, जैसे- **बाजार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, प्रतिस्पर्धी निर्यात, बेहतर FDI अंतर्वाह,** आदि। सरल शब्दों में कहें तो, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को संभव करने वाला कोई भी समष्टि-चर (Macro-Variable) भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है।
    - किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता उस देश की **समग्र उत्पादकता के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है।** उत्पादकता से आशय **मूल्य सृजन हेतु देश की परिसंपत्ति और उपलब्ध श्रम शक्ति को जुटाने संबंधी प्रभावकारिता से है।**
        - दूसरे शब्दों में, उत्पादकता आर्थिक प्रदर्शन की एक माप है। इसकी सहायता से इनपुट के आधार पर जो आउटपुट (उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं) प्राप्त होता है, उनकी तुलना की जाती है। इससे यह पता लगाया जाता है कि कम-से-कम इनपुट के आधार पर अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि आउटपुट अधिक है तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी अधिक प्रतिस्पर्धी होती है।
        - **उच्चतर उत्पादकता** से आशय **उच्चतर मूल्य सृजन**[48] और **उपलब्ध श्रम शक्ति के बड़े हिस्से को उत्पादक गतिविधियों में शामिल करने की क्षमता** से है।
- भारत, **1991 के आर्थिक सुधारों के बाद** उच्च संवृद्धि दर बनाए हुए है। ऐसे में **दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बनने के क्रम में **भारत ने उत्पादकता में काफी वृद्धि** हासिल की है।
- हालांकि, **प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना** केवल **आर्थिक प्रदर्शन पर निर्भर** नहीं करता है। यह अन्य कारकों, जैसे - **सरकार की**

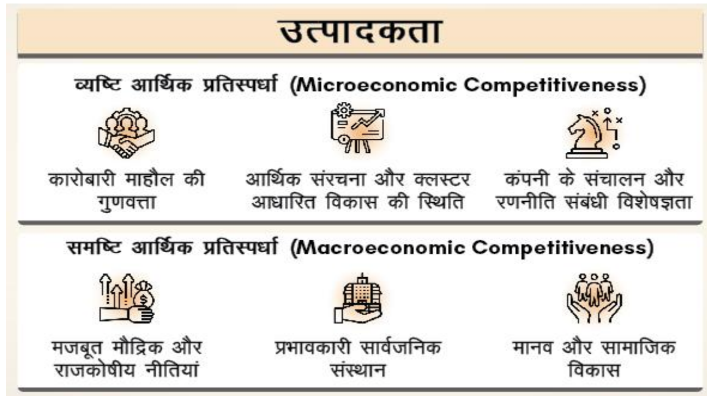

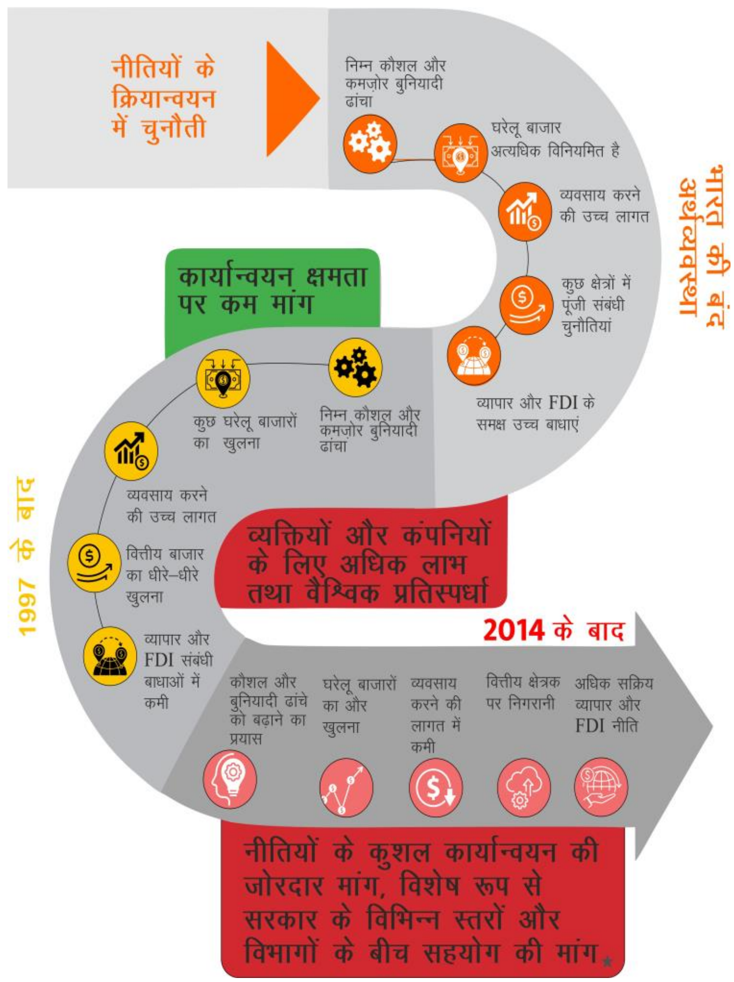

---

[47] The Economic Advisory Council to the Prime Minister

[48] Higher value creation

दक्षता, मानव पूंजी, नवाचार (Innovation), लचीलापन आदि पर भी निर्भर करता है।

- उदाहरण के लिए- **विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Index)**[49] **2021** में भारत की स्थिति में **6 स्थानों का सुधार** हुआ है। इस सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति में यह सुधार मुख्य रूप से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन के कारण हुआ है।

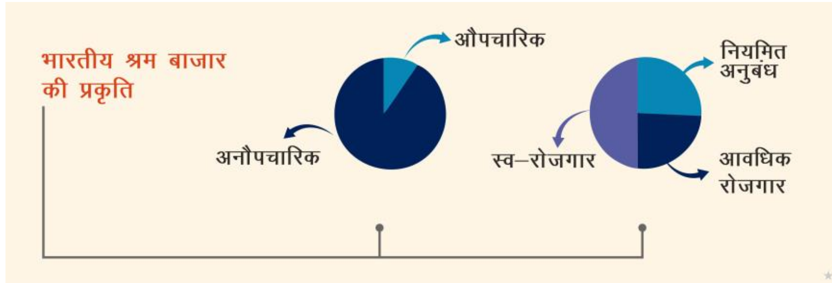

भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के समक्ष कौन-सी चुनौतियां हैं?

- **साझा समृद्धि संबंधी चुनौती (Shared Prosperity Challenge):** भारत की हेडलाइन GDP वृद्धि मजबूत और तीव्र रही है। हालांकि, कमजोर सामाजिक प्रगति, बढ़ती असमानता और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान विकास की स्थिति बताती है कि यह वृद्धि कई भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने में विफल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत की GDP वृद्धि दर का सामाजिक प्रगति से कोई ताल-मेल नहीं है।
- **रोजगार संबंधी चुनौतियां:** श्रम बल, विशेष रूप से महिलाओं और कम कुशल श्रमिकों के लिए औपचारिक रोजगार का सृजन करने में भारत को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। वहीं, अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया है।
- **नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां:** भारत में 1990 के दशक से ही महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार जारी हैं। इन प्रयासों के बावजूद, संबंधित नीतियों का प्रभाव साझी समृद्धि, आवश्यक रोजगार सृजन और कंपनियों के उचित विकास पर महत्वाकांक्षी एजेंडे जैसा नहीं रहा है।
- **बाह्य घटनाक्रमों का प्रभाव:** पिछले कुछ वर्षों में, **बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैश्वीकरण के बदलते पैटर्न, जलवायु परिवर्तन, निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली नीतियों, डिजिटल रूपांतरण एवं अन्य तकनीकी बदलावों** ने कई नई चुनौतियां पैदा की हैं। ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं:
  - महामारी के बाद व्यापार में व्यवधान, ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, GDP की वृद्धि दर को बनाए रखना, मुद्रास्फीति का दबाव, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं आदि।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी क्षेत्रकों में कई उपाय किए गए हैं। हालांकि, इन उपायों के बावजूद अभी भी कई बाधाएं मौजूद हैं।

उठाए गए कदम और संबंधित बाधाएं

क्षेत्रक	प्रगति / पहल	बाधाएं / चुनौतियां
कृषि (Agriculture)	यह क्षेत्रक देश में **खाद्य सुरक्षा** के लिए महत्वपूर्ण है। भारत खाद्यान्न की **अत्यधिक कमी वाले देश** से **निवल निर्यातक देश** बन गया है।	• **कृषि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्रक** बना हुआ है। इस क्षेत्रक में कुल श्रम बल का 40% से अधिक हिस्सा रोजगार में है। हालांकि, यह क्षेत्रक निम्नलिखित चुनौतियों का सामना भी कर रहा है: ○ **लाभ में कमी और सीमित वृद्धि दर,** ○ **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य,** ○ **उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी चुनौतियां,** आदि।
विनिर्माण (Manufacturing)	1991 के बाद से **औद्योगिक नीति में प्रगतिशील उदारीकरण** हुआ है। हाल के दिनों में **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** में भी समग्र रूप से सुधार हुआ है।	• 1991 के बाद से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान GDP का 15-17% रहा है। • सेवा क्षेत्रक की तुलना में **विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि दर सीमित रही है।** इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं: ○ **बुनियादी ढांचे का अभाव,**

[49] World Competitiveness

		○ **लॉजिस्टिक संबंधी उच्च लागत,** ○ **सीमित अनुसंधान एवं विकास,** आदि।
शिक्षा (Education)	वर्तमान में **25 करोड़** से अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसके साथ-साथ **लैंगिक समानता भी लगातार बेहतर हो रही** है।	• वित्त-वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में **सकल नामांकन अनुपात** (GER)[50] 27.1% है। • केवल **46.2% स्नातक** ही **रोजगार के योग्य** हैं।
ऊर्जा (Energy)	कुल विद्युत उत्पादन में **अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की हिस्सेदारी बढ़ रही है।** यह अप्रैल 2022 तक 39.43% थी।	• **विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा क्षमता से कम उत्पादन करना, विद्युत की अत्यधिक हानि,** आदि। • ऊर्जा (विशेषकर तेल और गैस) के आयात पर **अत्यधिक निर्भरता।**
स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare)	इस क्षेत्रक का आकार लगभग **350 बिलियन डॉलर** का है। यह देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रकों में से एक है। इसमें **47 लाख** लोगों को रोजगार मिला हुआ है।	• सरकार द्वारा **स्वास्थ्य देखभाल पर कम व्यय,** जो कि 2021-22 में GDP का केवल 2.1% था। • **उच्च मातृ मृत्यु दर** और **बाल मृत्यु दर** तथा **कुपोषण एवं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों** की बढ़ती घटनाएं।
नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)	**वैश्विक नवाचार सूचकांक**[51] में भारत **46वें स्थान** पर है। भारत में **100 से अधिक यूनिकॉर्न** हैं। इस प्रकार, यह **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र वाला देश** है।	• बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी **नीतियों में अस्थिरता;** उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य **कमजोर जुड़ाव।** • **निष्क्रिय कंपनियों** की अधिक संख्या, **कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व** और **महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व** आदि से संबंधित मुद्दे।
मानव पूंजी (Human Capital)	हर साल **कार्यबल में 1.2 करोड़ से अधिक नए लोग जुड़ रहे हैं। शहरीकरण में वृद्धि हो रही है,** हालांकि इस वृद्धि की रफ़्तार थोड़ी धीमी है।	• **20%** से अधिक आबादी **गरीबी रेखा से नीचे** है। • शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ राज्यों के बीच **बढ़ती आय असमानता।** • औपचारिक क्षेत्रक में **कुशल श्रमिकों की कमी** और **रोजगार में अपग्रेडेशन (उन्नति) के सीमित अवसर।**
व्यापार और निवेश (Trade and Investment)	**वैश्विक निर्यात** में हिस्सेदारी बढ़ी है। साथ ही, FDI के माध्यम से **पूंजी अंतर्वाह में भी वृद्धि** हो रही है।	• **वैश्विक GDP में बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद निर्यात में वृद्धि दर न के बराबर है।** इससे **सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी में कमी** आई है (लगभग 18%)। • **FDI की वृद्धि दर में गिरावट** और FDI का कुछ क्षेत्रकों में अत्यधिक संकेंद्रण।

आगे की राह

भारत को वर्ष 2047 तक मध्यम या उच्च आय वाला देश बनने एवं इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है:

- **सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधी एजेंडों में एकीकरण स्थापित** करने की; और
- समृद्धि के चार लक्ष्यों पर आधारित संरचनात्मक रूपांतरण[52] लाने की (इन्फोग्राफिक देखें)।

---

[50] Gross Enrolment Ratio

[51] Global Innovation Index

[52] Structural Transformation

 ©Vision IAS

उपर्युक्त नई प्राथमिकताओं और नीतिगत कार्रवाइयों हेतु गवर्नेंस व्यवस्था के सभी स्तंभों की ओर से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इससे अर्थव्यवस्था में लचीलापन और समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

- **औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियां:**
  - क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान करने एवं उन्हें दूर करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए **प्रतिस्पर्धी संघवाद[53] को बढ़ावा देना आवश्यक है।**
  - गतिशील स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वहां के नेताओं को **प्रोत्साहित करना चाहिए।**
  - नीतियों को तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन के बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसके लिए, **सरकार के सभी स्तरों में प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- **व्यावसायिक माहौल संबंधी नीतियां:**
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से** कृषि, विनिर्माण आदि में **उत्पादकता को अधिकतम करना चाहिए।**
  - भारत को ठोस नवाचार, तीव्र वाणिज्यीकरण और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले **व्यावसायिक माहौल का निर्माण करना चाहिए।** इससे भारत स्वयं को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत व्यावसायिक माहौल वाले देश के रूप में स्थापित कर पाएगा।
- **सामाजिक नीतियां:**
  - कम कुशल श्रमिकों एवं महिलाओं के लिए **प्रासंगिक अवसर पैदा करने चाहिए।**
  - संधारणीय विकास और समृद्धि के लिए **दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।**
- **उद्यम संबंधी नीतियां:**
  - रचनात्मक अर्थव्यवस्था तथा **विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी** के मध्य एक प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वाणिज्य एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मानवीय रचनात्मकता एवं विचारों और बौद्धिक संपदा के साथ-साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच प्रभावी जुड़ाव का निर्माण करना चाहिए।
  - निवेशकों के बीच भारत को लेकर स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को सुधारते हुए एक ग्लोबल इंडिया का निर्माण करना चाहिए।
  - **तकनीक आधारित नवाचार के लिए अनुसंधान, प्रतिभा और बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश को बढ़ाना चाहिए।**

भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

इंडिया@75 और इसके आगे	भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष पीछे मुड़कर देखने का अवसर देता है कि इतने वर्षों के दौरान प्रत्येक भारतीय के जीवन में कितना अंतर आया है और उसके अतीत का गौरव कितना पुनर्जीवित है। यह भविष्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करने का अवसर भी प्रदान करता है, खासकर तब, जब भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है।	

[53] Competitive Federalism

3.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 {Competition (Amendment) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा लोक सभा में "प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022" प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक को **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)**[55] के गठन हेतु प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लाया गया था।
- **CCI के मुख्य कार्य या लक्ष्य हैं:**
  - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना,
  - बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना,
  - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, तथा
  - भारत में अन्य भागीदारों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता को बनाए रखना।
- वर्ष 2018 में **श्री इंजेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में **प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति**[56] का गठन किया गया था। इस समिति को दो मुख्य कार्य सौंपे गए थे- (i) प्रतिस्पर्धा संबंधी मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की समीक्षा करना; और (ii) इस संबंध में सिफारिशें करना कि अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए CCI को कैसे मजबूत किया जाए।
- **श्री इंजेती श्रीनिवास समिति** ने वर्ष 2019 में ही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन समिति द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट पर आधारित हैं।

विधेयक में शामिल मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन:** स्पष्टता लाने हेतु 'उद्यम (Enterprise)', 'प्रासंगिक उत्पाद बाजार (Relevant Product Market)', 'समूह (Group)' और 'नियंत्रण (Contro)' जैसी कुछ **शब्दावलियों की परिभाषाओं में बदलाव** किए गए हैं।
  - उदाहरण के लिए- विधेयक में 'नियंत्रण' शब्द के अर्थ का विस्तार किया गया है। अब इसमें मैनेजमेंट, आंतरिक मामलों, या रणनीतिक वाणिज्यिक निर्णयों पर "भौतिक प्रभाव (Material Influence)" का प्रयोग करने की क्षमता को शामिल किया गया है।
- **विलय या सम्मिलन (Combinations) के मामले में स्वीकृति हेतु समय-सीमा में कमी:** इसके तहत सम्मिलन की स्वीकृति हेतु समय-सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, सम्मिलन की त्वरित स्वीकृति हेतु आयोग द्वारा 20 दिनों के भीतर प्रथम दृष्टया (Prima Facie) राय बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

इस विधेयक में शामिल अन्य प्रावधान

- CCI के आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT)[54] के समक्ष अपील के लिए **किसी भी दंड राशि का 25% जमा करने की आवश्यकता** होगी।
- **CCI** को उन्हीं तथ्यों और मुद्दों से जुड़े मामलों पर **फिर से विचार करने से इनकार करने की शक्ति दी गई** है, जिन पर वह पहले ही निर्णय ले चुका है।
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित सूचना CCI के समक्ष दाखिल करने के लिए **3 वर्ष की सीमित अवधि** होगी।
- **CCI के अध्यक्ष और अन्य सदस्य** सेवानिवृत्त होने के बाद बाद **2 वर्ष (पहले 1 वर्ष) तक** ऐसी कंपनी में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो एक पक्षकार के रूप में आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए उपस्थित हुआ हो।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **सदस्यों के लिए अतिरिक्त योग्यता।**
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के दायरे का विस्तार किया गया है। ऐसे समझौतों के तहत यदि कोई पक्षकार प्रतिस्पर्धा-विरोधी क्षैतिज समझौते को सुकर बनाता है तो उसे भी इसमें शामिल किया गया है।

---

[54] National Company Law Appellate Tribunal

[55] Competition Commission of India

[56] Competition Law Review Committee

- **कॉम्बिनेशंस के तहत** कंपनियों का अधिग्रहण, विलय या एकीकरण शामिल होता है।

- **कॉम्बिनेशंस की परिभाषा का विस्तार:** इसके तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **डील वैल्यू या सौदे के मूल्य की उच्चतम सीमा के संबंध में प्रावधान:** इसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य वाले सौदे से संबंधित लेन-देन के लिए **प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचित करना अनिवार्य** किया गया है। यदि सौदे में शामिल पक्षकारों का "भारत में व्यापक कारोबार संचालन" है तो भी प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचित करने का प्रावधान किया गया है।
    - साथ ही, CCI अब यह जांचने और मानदंडों को निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करेगा कि किसी उद्यम का "भारत में व्यापक कारोबार संचालन" है या नहीं।
- **जुर्माने की राशि में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- पहले गलत ब्यौरा देने या जानकारी देने में विफल रहने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगता था। अब इसे बढ़ाकर अधिकतम 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
    - CCI के निर्णयों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने में विफलता जैसे कुछ अपराधों के लिए सजा को कैद की बजाए जुर्माने में तब्दील कर दिया गया है।
- **महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति:** यह विधेयक **CCI** को **सरकार की पूर्व अनुमति** से महानिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार देता है।
    - महानिदेशक के पास **तलाशी और जब्ती अभियान (छापे) सहित जांच करने का अधिकार** होगा।
    - मौजूदा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को CCI के महानिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार है।
- **प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यवाहियों में निपटान और प्रतिबद्धता (Settlement and Commitment) फ्रेमवर्क का समावेश:** यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों {उत्पादक संघों (Cartels) को छोड़कर} और बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग पर लागू होगा।
    - किसी मामले में **सभी हितधारकों के पक्ष को सुनने के बाद** प्रतिबद्धता या निपटान के संबंध में **CCI के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी।**
- **"लेनिएन्सी (क्षमा) प्लस" व्यवस्था की स्थापना:** इसके तहत CCI किसी आवेदक पर लगाए गए दंड में अतिरिक्त छूट दे सकता है। यह अतिरिक्त छूट आवेदक द्वारा किसी अन्य उत्पादक संघ (कार्टेल) की असंबद्ध बाजार (Unrelated Market) में मौजूदगी का खुलासा करने पर दी जा सकती है।
- **खुले बाजार की खरीद और शेयर बाजार के लेन-देन** के लिए आयोग को अग्रिम रूप से सूचित करने संबंधी अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान किया गया है।
- **गन-जंपिंग के मामले में जुर्माने का विस्तार:** गन-जंपिंग के मामले में जुर्माना की राशि को सौदे के मूल्य का 1% करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा अधिनियम के तहत, इससे संबंधित जुर्माने की राशि संपत्ति या टर्न-ओवर (जो भी अधिक हो) के 1% के बराबर है।
    - **गन-जंपिंग:** यदि दो पक्ष किसी अधिसूचित लेन-देन को CCI द्वारा स्वीकृति मिलने से पहले ही संपन्न कर लेते हैं, या किसी अनिवार्य रूप से सूचित करने वाले लेन-देन को CCI के संज्ञान में लाए बिना संपन्न कर देते हैं, तो उसे **गन-जंपिंग** कहते हैं।

प्रस्तावित संशोधनों का महत्व

- **यह CCI की समीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाता है।** विशेष रूप से, डिजिटल और अवसंरचना के क्षेत्र में, जहां अधिकांश द्वारा संपत्तियों या कारोबार की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- **यह कार्टेल के सूत्र-धारकों (जैसे- सलाहकार) पर जवाबदेही निर्धारित करने और उन्हें दंडित करने के लिए** क़ानूनी आधार प्रदान करता है। साथ ही, हब-एंड-स्पोक कार्टेल संबंधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाता है।
    - **हब-एंड-स्पोक व्यवस्था:** यह एक प्रकार का कार्टेलाइज़ेशन है, जिसमें लंबवत रूप से जुड़े भागीदार एक हब के रूप में कार्य करते हैं और आपूर्तिकर्ताओं या खुदरा विक्रेताओं (स्पोक्स) पर क्षैतिज प्रतिबंध लगाते हैं।
- यह कॉम्बिनेशंस की त्वरित स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **लेनिएन्सी प्लस** व्यवस्था, चल रही कार्टेल जांच में शामिल पक्षों को अन्य कार्टेल के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **यह शेयर बाजार की खरीद में शामिल हितधारकों को राहत प्रदान करता है।**

* **निपटान और प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क के लाभ:**
    * इससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी;
    * इससे शामिल पक्षों को कठोर जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा;
    * यह CCI द्वारा जुर्माने की राशि की वसूली को सुगम बनाता है, क्योंकि ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है; और
    * यह व्यवहार में तत्काल परिवर्तन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में सुधार को सक्षम बनाएगा।

निष्कर्ष

इस विधेयक के तहत CCI को विस्तृत विनियम और दिशा-निर्देश अधिसूचित करने का कार्य सौंपा गया है। यह संबंधित विषयों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने तथा शेष चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। प्रस्तावित संशोधन तकनीकी प्रगति के कारण बाजार की तेजी से बदलती प्रकृति को समायोजित करने में सहायक होगा। साथ ही, इससे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को आधुनिक परिस्थितियों के साथ ताल-मेल बिठाने में सहायता मिलेगी।

3.3. जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐसे मोड़ पर है, जहां **जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी कम** होने लगी है।

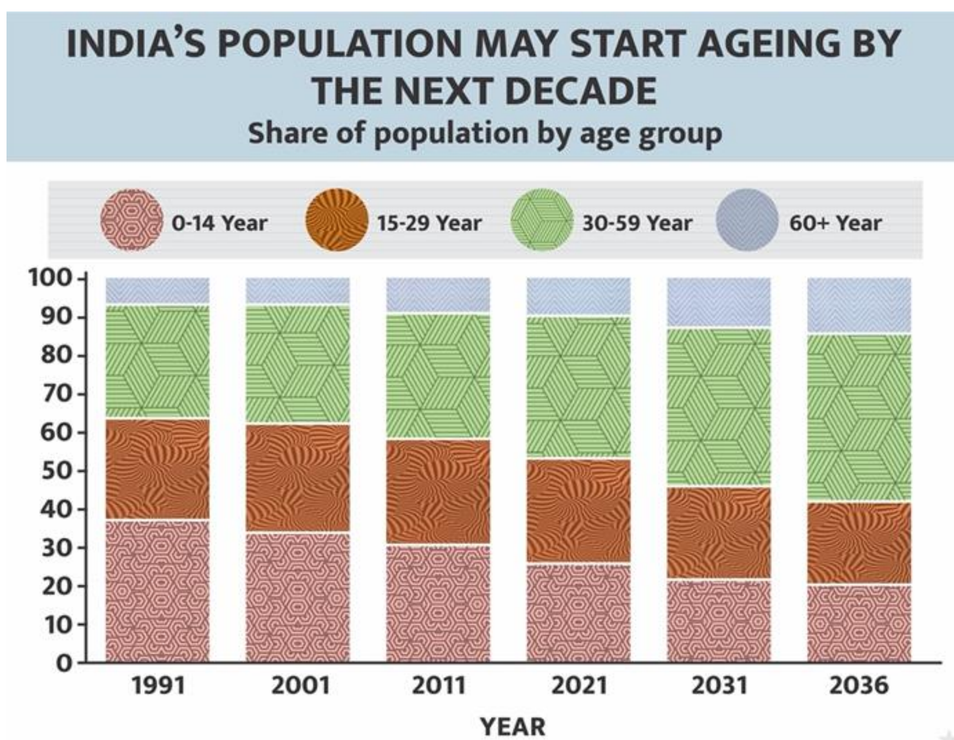

अन्य संबंधित तथ्य

* यह रिपोर्ट **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा जारी की गई है।
* **रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    * वर्ष 2021 में कुल जनसंख्या में **15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की आबादी** 27.2% थी। इस रिपोर्ट में **यह संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2036 तक युवाओं की आबादी घटकर 22.7% रह जाएगी।**
    * वर्ष 1991 में कुल युवा आबादी

22.27 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 33.34 करोड़ हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, **"वर्ष 2021 में कुल युवा आबादी 37.14 करोड़"** होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं।

- **बिहार और उत्तर प्रदेश** जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि हुई थी। अब इन **राज्यों की युवा आबादी में गिरावट देखने** को मिल सकती है।
- **केरल, तमिलनाडु** और **हिमाचल प्रदेश** जैसे राज्यों में 2036 तक युवाओं की तुलना में **बुजुर्गों की आबादी अधिक होने का अनुमान** है।

जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)[57] के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश **आर्थिक वृद्धि की क्षमता** को दर्शाता है। ऐसा **कुल जनसंख्या में युवाओं की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप** हो सकता है।
- एक देश को जनसांख्यिकीय लाभांश तब प्राप्त होता है, जब इसकी **कामकाजी आयु (15 से 64 वर्ष) की आबादी गैर-कामकाजी लोगों की तुलना में अधिक होती है।**
  - तुलनात्मक रूप से कामकाजी आयु की अधिक आबादी की स्थिति को **जनसांख्यिकीय लाभांश का पहला चरण** कहा जाता है।
  - जब कामकाजी लोगों की आबादी प्रौढ़ (Mature) होने लगती है, तो सेवानिवृत्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में यह आबादी बुढ़ापे में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत करने हेतु प्रेरित हो सकती है।
  - यदि प्रौढ़ और कामकाजी लोग जबरन बचत नहीं करते हैं, तो उस पैसे को या तो उपभोग व्यय के रूप में या दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि में निवेश किया जाता है।

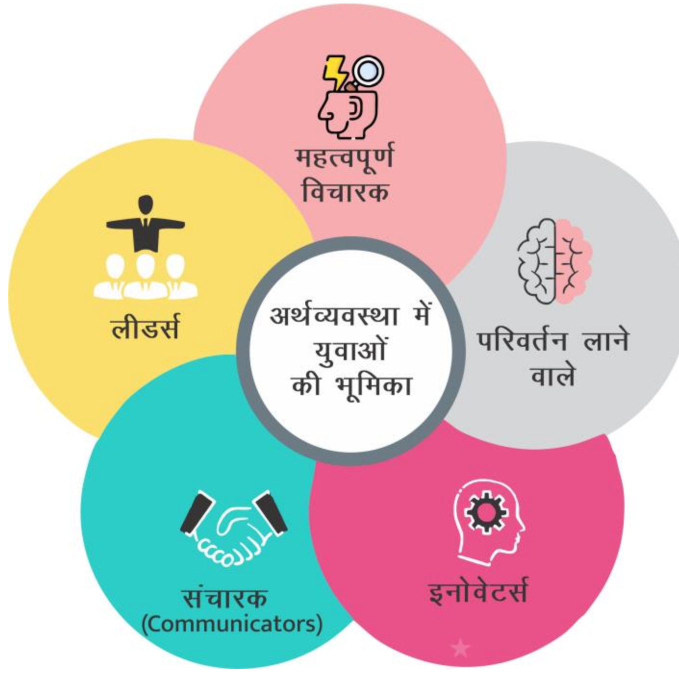

- जब वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रौढ़ और कामकाजी जनसंख्या बचत करने लगती है, तो उसे **जनसांख्यिकीय लाभांश का दूसरा चरण** कहा जाता है। ऐसा जनसांख्यिकीय लाभांश के बाद के चरण में ट्रांजीशन अवस्था में हो सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश के फायदे

- **श्रम बल में वृद्धि** से **आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि** होती है। ऐतिहासिक रूप से, जनसांख्यिकीय लाभांश ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की समग्र **आर्थिक संवृद्धि में 15% तक का योगदान** दिया है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश के चलते सरकार का खजाना भी बढ़ने लगता है। इसके चलते बच्चों आदि पर खर्च करने के बाद भी सरकार के पास अतिरिक्त पैसा बचने लगता है। परिणामस्वरूप, सरकार अतिरिक्त पैसे को बुनियादी ढांचे में निवेश करने लगती है।
- इससे महिला श्रम बल में भी वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, प्रजनन क्षमता में भी गिरावट आती है। ऐसी स्थिति भी संवृद्धि का एक नया स्रोत हो सकती है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश से बचत दर में वृद्धि होती है, क्योंकि सर्वाधिक बचत कामकाजी आयु में ही की जाती है।

जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन के लिए प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (NYP-2014):** यह शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित है।
- **स्किल इंडिया मिशन:** इसने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)[58] और सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) के माध्यम से कौशल, दक्षता, व्यावसायिक मानकों तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए समान मानदंडों की व्यवस्था की है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया:** सरकार अब सक्षम व्यापारिक परिवेश, वित्त तक पहुंच और स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है।
- **महिला केंद्रित दृष्टिकोण:** मनरेगा, PMEGP, मुद्रा (MUDRA) जैसी योजनाओं में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभांश को **आर्थिक संवृद्धि में तेजी लाने के एक अवसर** के रूप में देखा जाता है, **लेकिन यह स्वत: ही नहीं** होता है।

---

[57] United Nations Population Fund

[58] National Skills Qualification Framework

जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिए आगे की राह

- **मानव पूंजी में निवेश:** प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बीच में पढ़ाई छोड़ने की बजाय 'एक साल अधिक' पढ़ता है, तो उससे व्यक्ति की आय में 10% की अतिरिक्त वृद्धि होती है।
  - **पाठ्यक्रम संबंधी योजना और क्षमता का आकलन**[59] कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हैं, जो रोजगार और नौकरी पाने के लिए आवश्यक हैं। ये नीतिगत निर्णय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और कौशल स्तर को बढ़ावा देने में सहायक सकते हैं।
  - सरकार की पहलों के अलावा, **कर्मचारियों के कौशल और प्रशिक्षण में कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ाना चाहिए।** इससे उच्च कौशल वाले श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

  - होम विजिटिंग जैसी **समुदाय-आधारित सेवाओं का विस्तार** करना चाहिए। ये सेवाएं सभी बच्चों के लिए अच्छी पोषण व्यवस्था को बढ़ावा देने और उसमें सुधार करने में योगदान कर सकती हैं।
- **कम कौशल वाली नौकरियों को बढ़ावा देना:** यह कृषि और विनिर्माण में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अतीत में, जापान और चीन द्वारा भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई थी।
- **गिग अर्थव्यवस्था का पर्याप्त विनियमन:** नीति आयोग का अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में 9 करोड़ से अधिक लोग गिग इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन कार्यबलों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा या चिकित्सा सुविधाएं और स्थायी नौकरियां हों।
- **भौगोलिक रूप से विकेंद्रीकृत संवृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं-
  - कौशल-शिक्षण के केंद्रों के रूप में स्कूलों का विकास करना,
  - भविष्य में रोजगार उत्पन्न करने वाले स्टार्ट-अप्स स्थापित करना,
  - कुछ चुनिंदा शहरों पर ही ध्यान न देकर, दूसरे शहरों पर भी देना, और
  - टियर 2 व टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना।
- **महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना:** महिला भागीदारी के लिए समय संबंधी बाधा को दूर करने हेतु परिवार में महिलाओं के योगदान को पहचानने की आवश्यकता है।
- **घरेलू बचत और निवेश:** जनसांख्यिकीय लाभांश का पहला चरण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए, निकट भविष्य में जनसांख्यिकीय लाभांश के दूसरे चरण हेतु तैयार रहने एवं उसका लाभ उठाने के लिए अभी से कार्य करने की आवश्यकता है।

---
[59] Curriculum Planning And Competency Mapping

अन्य संबंधित तथ्य

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022

- हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA)**[60] ने "वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022" रिपोर्ट जारी की है।
- **रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - इस साल **विश्व की जनसंख्या 8 अरब** तक पहुंच जाएगी।
    - विश्व की जनसंख्या **1950 के बाद से सबसे धीमी दर से बढ़ रही है।**
    - विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2020 में घटकर 1% से भी कम हो गयी।
    - वर्ष 2050 तक **वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक की वृद्धि भारत सहित आठ देशों** में केंद्रित होगी।
    - **विश्व की जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी** वर्ष 2022 में 10% थी, जो 2050 में बढ़कर 16% हो जाएगी।
    - विश्व स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा **2019 में 72.9 वर्ष थी, जो कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में घटकर 71 वर्ष** हो गई।
    - **भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
        - भारत, वर्तमान में 1.4 अरब लोगों का देश है। भारत, वर्ष 2023 तक जनसंख्या के मामले में **चीन को पीछे छोड़कर** सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। साथ ही, इसके **2100 तक शीर्ष स्थान** पर बने रहने की संभावना भी है।
        - वर्ष 2022 में विश्व की जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी **मामूली रूप से कम** हुई है।

ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022

- इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)[61] द्वारा जारी किया गया है।
- **रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - महामारी की वजह से **15 से 24 वर्ष** के आयु वर्ग के लोगों के लिए **श्रम बाजार की चुनौतियां और बढ़** गई हैं।
    - भारत में, औसतन **92%** बच्चों ने भाषा संबंधी कम-से-कम एक बुनियादी क्षमता खो दी है। **82% बच्चों ने गणित में कम-से-कम एक बुनियादी क्षमता खो दी** है।
    - **मनरेगा ने रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:**
        - यह योजना **सवैतनिक रोजगार** प्रदान कर रही है, **विशेषकर महिलाओं को।**
        - यह योजना **कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (Sequestration)** में भी मदद कर रही है, क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूमि, जल और वृक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये अनुकूलन लाभ (Adaptation Benefits) प्रदान करते हैं।
    - **ऑरेंज इकोनॉमी** (रचनात्मक अर्थव्यवस्था) **दुनिया भर में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक** है। यह **स्थापत्य कला, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, शिल्प तथा वीडियो गेम** जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है।

3.4. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसका विनियमन (Promotion and Regulation of E-Commerce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति[62] ने **"भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसके विनियमन"**[63] पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:
    - या तो एक नया **डिजिटल मार्केट कानून** बनाया जाए, जिससे भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित व्यावसायिक कार्य-कलापों का नियमन हो सके। समिति ने इन व्यावसायिक कार्य-कलापों में डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों द्वारा डेटा संग्रह और डेटा के उपयोग को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। या फिर,

---

[60] United Nations Department of Economic and Social Affairs

[61] International Labour Organization

[62] Parliamentary Standing Committee on Commerce

[63] Promotion and Regulation of E-Commerce in India

○ उपर्युक्त से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम** में **स्पष्ट दिशा-निर्देशों को शामिल** किया जाए।

- साथ ही, समिति ने विनियमन के लिए एक **एक्स-पोस्ट मॉडल** (Ex-post Model) के बजाय एक **एक्स-एंटी मॉडल** (Ex-ante Model) का प्रस्ताव रखा है।
    - **एक्स-एंटी मॉडल** में डेटा संग्रह और उसके उपयोग सहित बिग टेक कंपनियों के लिए एक **आचार संहिता** होती है। (**नोट:** एक्स-पोस्ट मॉडल में डेटा संग्रह और उपयोग के बाद उसके परिणामों पर नज़र रखी जाती है।)
    - इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि **उपभोक्ताओं से प्राप्त डेटा का उपयोग उपभोक्ता के हितों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं** किया जाएगा।
    - इसमें **'गेटकीपर्स' के रूप में कार्यरत बिग टेक कंपनियां** शामिल होंगी। यहां गेटकीपर्स से आशय ऐसे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म्स से है, जो छोटी कंपनियों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। **इससे डिजिटल बाजारों को बेहतर तरीके से विनियमित करने में मदद मिलेगी।**
- वर्तमान में, **प्लेटफॉर्म-टू-बिजनेस (P2B)** उपयोगकर्ता संबंध को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी विनियमन का अभाव है। साथ ही, विनियमन के **एक्स-पोस्ट मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता** बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, विकसित होते और तेजी से बदलते बाजारों में हमेशा बेहतर प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित नहीं होता है, विशेष रूप से जब ऐसे बाजार में गेटकीपर्स शामिल हों।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्रक के बारे में

- ई-कॉमर्स से आशय इंटरनेट पर **वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं बेचने से जुड़ी गतिविधियों** से है।
- भारत में ई-कॉमर्स के तहत होने वाला भुगतान, वर्ष 2021 से 2025 के मध्य **18.2% की CAGR[64] से बढ़ने का अनुमान है।**
- इसके **वर्ष 2024 तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर; वर्ष 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर;** और **वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- ई-कॉमर्स पर FDI नीति के अनुसार, **ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति है।**

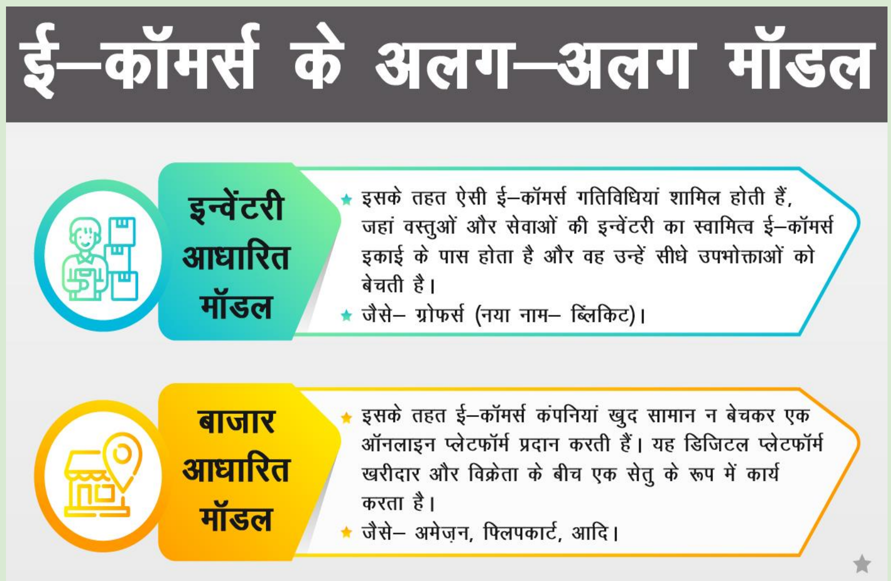

भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 {Consumer Protection (e-commerce) Rules 2020}:** इसके तहत, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को **उत्पाद की सूची के साथ-साथ उत्पाद के मूल देश[65] को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश** दिया है। इसके अलावा, कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर उत्पादों की सूची को निर्धारित करने वाले मापदंडों का भी खुलासा करना होगा।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर **खुदरा विक्रेताओं के शामिल होने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए** प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए DPIIT[66] **विक्रेता-खोज और मूल्य-खोज[67] संबंधी प्रोटोकॉल को निर्धारित करने हेतु ONDC का उपयोग** करने की योजना बना रहा है।
- **अन्य:** राष्ट्रीय खुदरा नीति, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, डिजिटल इंडिया, आदि।

---

64 चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर / Compound Annual Growth Rate

65 Country Of Origin

66 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग / Department for Promotion of Industry and Internal Trade

67 Vendor Discovery and Price Discovery

अन्य मुद्दे और रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें

विषय	चिंताएं	सिफारिशें
साइबर हमले	• **ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा** संबंधी चिंताएं, और • अपने व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्थानांतरित करने से कारोबारी कंपनियों का हतोत्साहित होना।	• **इसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध नीति या कानून बनाने आवश्यकता है।** इसके तहत साइबर अपराध से संबंधित सभी पहलुओं जैसे कि एक समर्पित साइबर अपराध डिविजन आदि के गठन हेतु फ्रेमवर्क को निर्धारित किया जाना चाहिए।
FDI नीति	• वर्तमान में FDI नीति ई-मार्केटप्लेस में **प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों से निपटने** तक ही सीमित है। • इस **नीति में बार-बार बदलाव से** नीतिगत व्यवस्था में अनिश्चितता आती है। इससे "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" पर नकारात्मक असर पड़ता है। • FDI नीति के तहत शर्तों को DPIIT द्वारा **तैयार और अधिसूचित** किया जाता है, लेकिन इन्हें **प्रवर्तन निदेशालय** द्वारा लागू किया जाता है। इसके चलते अनेक व्यापारिक संगठनों के बीच भ्रम और असंतोष पैदा होता है।	• ई-कॉमर्स क्षेत्रक में **एक संतुलित FDI नीति** सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे नीतिगत व्यवस्था में **निश्चितता आएगी** और **संभावित निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने** में मदद मिलेगी। • **FDI नीति के तहत प्रवर्तन व्यवस्था[68] को मजबूत** किया जाना चाहिए। साथ ही, FDI नियमों की अनदेखी करने वाली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।
डेटा का अभाव	• वर्तमान में, सरकार द्वारा ई-कॉमर्स के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़ों को **जुटाने और उनके रखरखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है,** जैसे - GDP और रोजगार देने आदि में ई-कॉमर्स बाजार की हिस्सेदारी से संबंधित आंकड़े। • ई-कॉमर्स कंपनियां **DPIIT में पंजीकृत नहीं हैं।**	• DPIIT को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर ई-कॉमर्स के संबंध में **उचित डेटा जुटाना चाहिए** और इसे **आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना चाहिए।** • सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए **DPIIT में पंजीकृत होना अनिवार्य** किया जाना चाहिए। साथ ही, पंजीकरण की प्रक्रिया सरल एवं ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप होनी चाहिए।
प्रभुत्व का दुरुपयोग	• विनियामकीय फ्रेमवर्क में **आवश्यक संशोधन करने में देरी** से डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा पर **प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।**	• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को **प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति** (CLRC)[69] **की सिफारिशों को अपनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करना चाहिए।** साथ ही, इस डिजिटल युग में बाजारों को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रबंधित करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में आवश्यक संशोधन भी करने चाहिए।**
विनियामकीय व्यवस्था में खामियां	• ई-कॉमर्स से संबंधित **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के बीच समन्वय की कमी** के कारण वर्तमान विनियामक व्यवस्था में प्रवर्तन संबंधी कई कमियां मौजूद हैं।	• CCI के भीतर **एक विशेषज्ञ निकाय** के रूप में **डिजिटल मार्केट डिवीजन** का गठन जाना चाहिए। इसे ई-कॉमर्स से संबंधित सभी मौजूदा विनियामकों (जैसे- DPIIT, आदि) की भागीदारी में डिजिटल मार्केट्स के विनियमन का काम सौंपा जाना चाहिए।
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[70] का उल्लंघन	• **नकली उत्पादों की सुगम उपलब्धता से असली उत्पादों वाले वास्तविक विनिर्माताओं को राजस्व की हानि होती है।** साथ ही, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वाले उत्पादों की सुरक्षा न होने से नवाचार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।	• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जाने वाले उत्पाद प्रामाणिक हैं और IPR संबंधी नियमों का ठीक से पालन किया गया है। इसके लिए **विक्रेताओं और प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह** बनाया जाना चाहिए।
ऑफलाइन और ऑनलाइन विक्रेताओं के साथ अलग-अलग	• वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत **वस्तुओं के मामले में 40 लाख रुपये** और **सेवाओं के मामले में 20 लाख रुपये** से कम	• टर्नओवर से संबंधित सीमा के आधार पर GST पंजीकरण के संबंध में ऑफलाइन विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली **छूट को** ऑनलाइन विक्रेताओं को भी प्रदान करना चाहिए।

68 Enforcement mechanism

69 Competition Law Review Committee

70 Intellectual Property Rights

व्यवहार	टर्नओवर वाले **ऑफलाइन विक्रेताओं** को GST पंजीकरण से छूट दी गई है। हालांकि, सभी **ऑनलाइन विक्रेताओं** के लिए **पंजीकरण** और **कर के भुगतान को अनिवार्य किया गया है।**	• **GST कंपोजिशन स्कीम** के तहत 1.5 करोड़ रुपये की टर्नओवर सीमा को ऑनलाइन विक्रेताओं पर भी लागू करना चाहिए।
ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दे	• ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में **प्रतिस्पर्धा-विरोधी** व्यवहारों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता हैं। यहां प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों में शामिल हैं- (i) **प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी का अभाव** - अर्थात् कुछ चयनित विक्रेताओं को वरीयता प्रदान करना; (ii) **अत्यधिक छूट देना** - अर्थात् वरीयता वाले विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त छूट को प्लेटफॉर्म द्वारा वित्त-पोषित करना, (iii) **गैर-पारदर्शी सर्च रैंकिंग,** (iv) **डेटा का दुरुपयोग करना,** आदि।	• ई-कॉमर्स कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया जाए कि वे अपने ब्रांड का लाइसेंस **किसी तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को न दे सकें।** • सरकार को **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेटा के संग्रह, इसके उपयोग** और तीसरे पक्ष के साथ ऐसे **डेटा के साझाकरण** को विनियमित करने हेतु **एक स्पष्ट नीति तैयार करनी चाहिए।**

निष्कर्ष

वर्तमान समय में बाजार की बदलती प्रकृति को देखते हुए **ई-कॉमर्स क्षेत्रक में समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधार करना जरुरी है।** इससे ग्राहकों में विश्वास पैदा होगा और एक-समान अवसर मिलने से उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।

3.5. डिजिटल कर (Digital Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, G24 समूह में शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने **डिजिटल सर्विस टैक्स** से संबंधित संप्रभु वचन[71] देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। **OECD**[72] के इस प्रस्ताव के तहत देशों से भविष्य में इक्वलाइजेशन लेवी (EL)[73] जैसे किसी भी **डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने** की मांग की गई है। भारत और G24 समूह के अन्य देशों के इस कदम से अब "वैश्विक कर समझौते" को लागू करने में देरी हो सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- डिजिटल सर्विस टैक्स वस्तुतः **OECD** की **"दो स्तंभों वाली योजना"**[75] का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना तथा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। ज्ञातव्य है कि **भारत सहित 137 देशों ने वर्ष 2021 में ही इस योजना पर सहमति** व्यक्त की थी। (बॉक्स देखें)

भारत में डिजिटल टैक्स के बारे में

- डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं या डिजिटल कारोबारी गतिविधियों पर लगने वाले कर को डिजिटल टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का **प्रत्यक्ष कर** है।
- भारत ने वर्ष 2016 में **6% के इक्वलाइजेशन लेवी (अर्थात् डिजिटल टैक्स)** की शुरुआत की थी। इसके तहत ऑनलाइन

G24 के बारे में

- यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास पर एक अंतर-सरकारी समूह है। यह ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (BWI)[74] के मंच पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों में मौद्रिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के विचारों को रखता है।
- **भारत भी G24 का एक सदस्य है।**
- G24 को वर्ष 1971 में G77 द्वारा स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
    - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति पर नजर रखना;
    - मौद्रिक विषय से संबंधित घटनाक्रमों का मूल्यांकन करना; तथा
    - IMF के फ्रेमवर्क के भीतर किसी एक देश या देशों के समूह द्वारा लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन करना।

[71] Sovereign Commitments

[72] आर्थिक सहयोग और विकास संगठन / Organisation for Economic Co-operation and Development

[73] समकारी शुल्क / Equalisation Levy

[74] Bretton Woods Institutions

[75] OECD's Two-Pillar Plan

विज्ञापन सेवाओं तक सीमित विदेशी डिजिटल कंपनियों (जैसे कि गूगल, फेसबुक आदि) पर कर लगाया गया था। इस प्रकार के कर को "डिजिटल ऐड्वर्टाइज़िंग टैक्स (DATs) कहा जाता है।

- भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे का विस्तार कर इक्वलाइजेशन लेवी को इसमें शामिल किया। यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। इसे सामान्य रूप से **EL 2.0 (या इक्वलाइजेशन लेवी 2.0)** के नाम से जाना जाता है।
    - इसके तहत अब **विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार और सेवाओं पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स (DST) या EL लगाया जा रहा है।** इन कंपनियों में अमेज़न, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और 2 करोड़ या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां शामिल हैं।
- डिजिटल सर्विस टैक्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय डिजिटल बाजार से अर्जित राजस्व पर विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता उचित कर का भुगतान करें।

डिजिटल टैक्स को लागू करने के पक्ष में तर्क

- **अप्रासंगिक कानूनों की खामियों को दूर करना:** वर्तमान में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, दोनों प्रकार के कर संबंधी विनियमों का निर्माण दशकों पहले परंपरागत आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रख कर किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय कर कानून:** इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुधार करना है। इससे जहां डिजिटल कंपनियां अपनी आर्थिक गतिविधियां संपन्न करती हैं, वहीं ऐसी कंपनियों पर कर लगाया जा सकेगा। इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से OECD के BEPS कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया था।
- **डिजिटल कंपनियों के कारोबार में वृद्धि:** मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसलिए डिजिटल कंपनियों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार, ऐसी कंपनियों के राजस्व या लाभ अर्जन पर कर लगाने की मांग करते रहे हैं।
- **न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा:** इक्वलाइजेशन लेवी से न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। इसके तहत डिजिटल कारोबार के माध्यम से भारतीय बाजारों में प्रभुत्व वाली कंपनियों पर सरकार कर लगाने में सक्षम होगी।
- **एक-समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना:** यह भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों या भारत में बिना भौतिक मौजूदगी वाली कंपनियों द्वारा संचालित ई-कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक-समान प्रतिस्पर्धी सुनिश्चित करता है।

OECD की दो स्तंभों वाली योजना (OCED's Two Pillar Plan) के बारे में

- **स्तंभ 1 - कर अधिकारों का पुनर्वितरण[76]:** यह 20 बिलियन यूरो से अधिक टर्नओवर तथा 10% से अधिक लाभ कमाने वाली करीब 100 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNEs) पर लागू होता है। यह ऐसी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर कर के रूप में उस देश की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है, जहां ऐसी कंपनियां अपने उत्पादों का विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करती हैं।
- **स्तंभ 2 - ग्लोबल एंटी-बेस एरोजन मैकेनिज्म[77]:** यह वर्ष 2023 से, वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस्व वाली बड़ी MNEs पर 15% का न्यूनतम वैश्विक निगम कर (GMCT)[78] निर्धारित करता है।
    - UTPR (अंडरटैक्स्ड पेमेंट रूल) वर्ष 2024 से लागू हो जाएगा। इसलिए स्तंभ 2 से संबंधित नीति का निर्माण वर्ष 2022 तक किया जाना है, जो वर्ष 2023 में प्रभावी हो जाएगा।
- G20 और OECD देशों द्वारा एक **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** (न्यूनतम वैश्विक कर) पर सहमति व्यक्त की गई है। **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** को **ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट (GMCTR)** के नाम से भी जाना जाता है। GMCTR वस्तुतः BEPS[79] के समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है।
- BEPS वस्तुतः **बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली टैक्स प्लानिंग (साधारण भाषा में कर चोरी) संबंधी रणनीतियों** को संदर्भित करता है। इसके तहत कंपनियां कर नियमों में व्याप्त कमियों और अस्पष्टता का फायदा उठाती हैं।
- इसके चलते **बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स हेवन देशों** में अपना मुनाफा दिखाकर **कम कर या लगभग न के बराबर कर का भुगतान** करती हैं।
- ग्लोबल मिनिमम टैक्स समझौते का उद्देश्य 1. उपर्युक्त कमियों का लाभ उठाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम लगाना और 2. जिस देश में अपनी आर्थिक उपस्थिति से वे लाभ कमाती हैं, उस देश में उन्हें कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करना है, भले ही वे उस देश में भौतिक रूप से मौजूद न हों।

---

[76] Pillar One i.e., Reallocation of Taxing Rights

[77] Pillar Two i.e., Global anti-base erosion mechanism

[78] Global Minimum Corporation Tax

[79] आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण/ Base Erosion and Profit Shifting

डिजिटल टैक्स से जुड़ी चुनौतियां

- **प्रतिकारी प्रशुल्क (Retaliatory Tariffs):** संयुक्त राज्य अमेरिका के USTR[80] द्वारा की गई जांच में डिजिटल सर्विस टैक्स को **एक पक्षपाती कदम माना गया है।** इसके बाद यू.एस.ए. द्वारा घोषित **प्रतिकारी प्रशुल्क** (बदले की भावना से लगाया गया शुल्क) से "डिजिटल व्यापार युद्ध" का खतरा पैदा हो सकता है।
  - USTR का कहना है कि डिजिटल सर्विस टैक्स के तहत यू.एस.ए. के डिजिटल कारोबार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इसकी परिधि से विशेष रूप से घरेलू (भारतीय) डिजिटल कारोबार को बाहर रखा गया है।
- **डेटा भंडारक में बढ़ोतरी:** सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती जटिलता के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में सीमा-पार डेटा को भंडारित और उनका उपयोग करना सरल हो गया है।
  - इससे डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न डेटा के मूल्य पर, कर आरोपित करने का मुद्दा सामने आता है।
- **उपभोक्ताओं पर बोझ:** विशेषज्ञों के अनुसार, इन करों के भार को उपभोक्ताओं पर थोपा जा सकता है। हालांकि, इसको प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जा सकता है, बल्कि इसके तहत कंपनियां अपने **उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को बढ़ा सकती हैं।** इसलिए, हो सकता है कि उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़े।
- **आम-सहमति का अभाव:** किसी सेवा के संबंध में कर अनुपालन (Tax Compliance) से उत्पन्न विवाद या उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए **मध्यस्थता (Arbitration)** जैसी विवाद समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अलग-अलग देशों में आम-सहमति का अभाव ऐसे उपायों को साकार करने में एक प्रमुख बाधा है।
- **कर-संप्रभुता (Tax Sovereignty) पर प्रतिकूल प्रभाव**: भारत और अन्य विकासशील देशों ने एक ऐसे प्रावधान पर आपत्ति जताई है, जो देशों को भविष्य में किसी भी डिजिटल सर्विस टैक्स (जैसे- इक्वलाइजेशन लेवी) को लागू करने से रोकता है। ऐसे प्रावधानों से निसंदेह किसी देश द्वारा अपने **अधिकार-क्षेत्र में कानून बनाने का संप्रभु-अधिकार** प्रभावित होगा।

आगे की राह:

- **समन्वय**: इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को तैयार करने और डिजिटल कर को लागू करने से उपजने वाले विवादों के समाधान हेतु एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए देशों के मध्य समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **नया मॉडल:** वर्तमान में एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में ही कर आरोपित किया जाता है। यह मॉडल, किसी व्यवसाय के एक स्थायी जगह पर होने की धारणा पर आधारित है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, देशों ने कर के नए आधार का सुझाव दिया है। ऐसे में किसी देश में उपभोक्ताओं की संख्या इस समस्या का हल कर सकती है।
- **द्विपक्षीय संधि:** दोहरे कराधान की समस्या का समाधान करने के लिए घरेलू (आंतरिक) कर कानून की जगह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कर संधियों पर पुनः समझौता करने की आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर विद्यमान वर्तमान आर्थिक माहौल में देश अपने कर-संप्रभुता संबंधी अधिकारों के अनुसार नीति निर्धारित करना चाहते हैं। ऐसे समय में कर संबंधी संधियों के दायरे के बाहर, डिजिटल सर्विस टैक्स एक अंतरिम विकल्प प्रदान करता है। यह पहले कर के दायरे से बाहर रहने वाली आय पर कर लगाने का एक विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार यह इस समस्या के अंतिम और व्यापक समाधान तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराता है।

3.6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA)** से यह कहा है कि वह RRBs को वित्तीय रूप से संधारणीय[81] बनाने में सहायता करे।

---

80 US Trade Representative

81 Financially Sustainable

अन्य संबंधित तथ्य

- RRBs ने वित्त वर्ष 2021 और साथ ही वित्त वर्ष 2022 में **निवल लाभ**[82] अर्जित किया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले लगातार दो वर्षों तक RRBs ने घाटा दर्ज किया था।
- RRBs को वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सरकार ने **वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान उन्हें 10,890 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड पूंजी उपलब्ध** कराने का फैसला किया है।
    - इस पूंजी में **केंद्र का हिस्सा 5,445 करोड़ रुपये** होगा। शेष राशि का योगदान **राज्यों और प्रायोजक बैंकों** (Sponsor Banks) की तरफ से किया जाएगा।
    - यहां वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने का अर्थ है- RRBs को स्थायी रूप से लाभप्रद स्थिति में बनाए रखना।

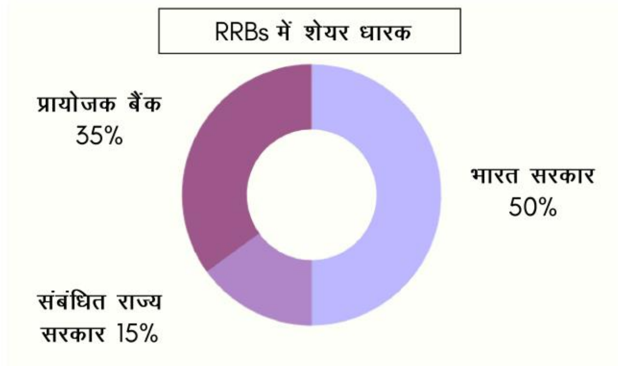

RRBs के बारे में

- **नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी। इसके लिए **वर्ष 1975 में एक अध्यादेश जारी** किया गया था। इसके अगले वर्ष **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत इसे और मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है।
- वर्तमान में, **43 अनुसूचित वाणिज्यिक RRBs**[83] हैं। वर्ष 2005 में इनकी संख्या 196 थी। ये 43 RRBs **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934** की **दूसरी अनुसूची के तहत** आते हैं।

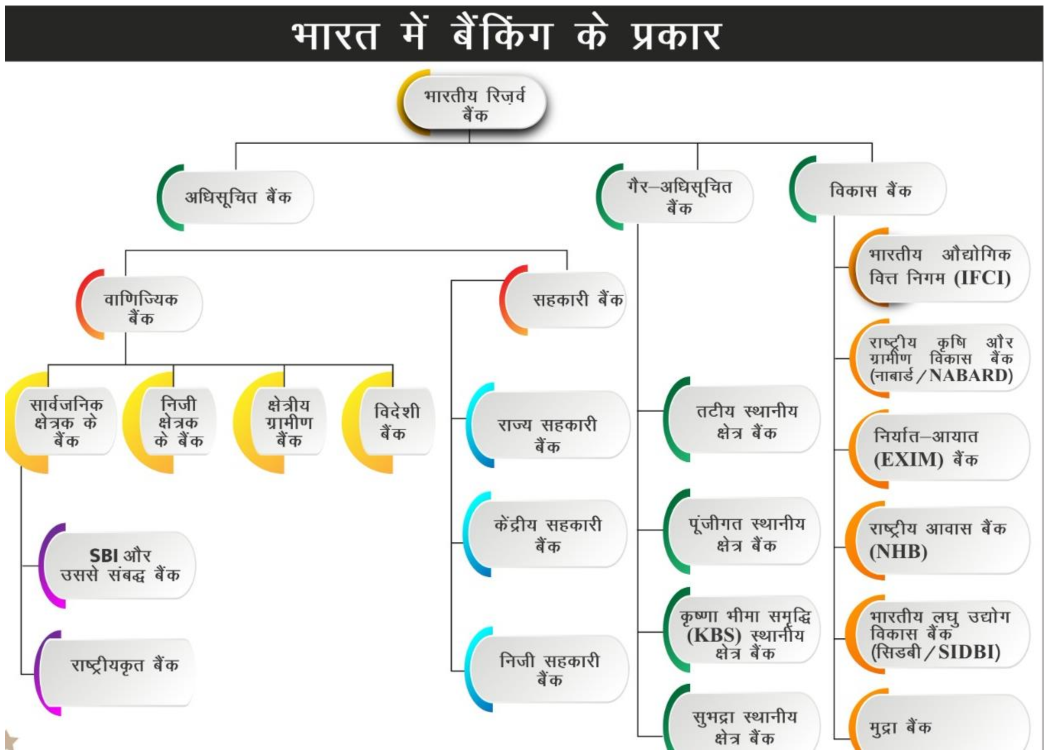

    - वाणिज्यिक काम-काज में सुधार और इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का लाभ उठाने हेतु RRBs का समेकन (Consolidation) किया गया है। इसके कारण इन बैंकों की संख्या कम हो गई है।
- **उद्देश्य:**
    - लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग व ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
    - कृषि, व्यापार, वाणिज्य, लघु उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों का विकास करना।
    - इन बैंकों द्वारा निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:
        - **पैरा-बैंकिंग सुविधाएं:** जैसे- लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, आदि।

---

82 Consolidated Net Profit

83 Scheduled Commercial RRBs

- **सरकारी कार्यों का निष्पादन:** मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण, पेंशन का वितरण, आदि।

- **विशेषताएं:** ये **क्षेत्र-आधारित और ग्रामीण विकास के लिए** समर्पित बैंक हैं। इनमें **ग्राहक अनुभव के मामले में सहकारी बैंकों** तथा **वित्तीय संसाधनों को जुटाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों** की विशेषताएं शामिल हैं।

RRBs का महत्व

ये बैंक **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत की बजाय **81 प्रतिशत से अधिक** ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इनके द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा **60 प्रतिशत** के आस-पास है। इस कारण इनकी भूमिका निम्नलिखित के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाती है:

- ये कमजोर वर्गों, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए **संस्थागत ऋण देते हैं।** उदाहरण के लिए- RRBs के लघु आकार के बावजूद, कृषि के लिए कुल ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) प्रवाह में इनकी हिस्सेदारी 12.1 प्रतिशत थी।
- ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा दे रहे हैं।
- ये **ग्रामीण आबादी का बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं,** ताकि उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- ये सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को **आसान व प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं।**
- ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ग्रामीण भारत में **रोजगार** को बढ़ावा देते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL)[84]

यह उन क्षेत्रकों को दिया जाने वाला ऋण है, जिन्हें देश की बुनियादी जरूरतों के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

RRBs के समक्ष समस्याएं

- **वित्तीय व्यावहारिकता (Financial Viability):** RRBs की कई शाखाओं में परिचालन की लागत अधिक और व्यवसाय सीमित है। इस कारण इनका **रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA)** कम है। उदाहरण के लिए- पिछले 5 वर्षों में तीन सबसे बड़े RRBs का **RoA 0.5% से भी कम** रहा है।
  - रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) शब्द एक **वित्तीय अनुपात को संदर्भित** करता है। इससे यह पता चलता है कि **कोई कंपनी अपनी कुल परिसंपत्ति के संबंध में कितने लाभ की स्थिति** में है। यह गणना इस प्रकार की जाती है: **RoA = कुल परिसंपत्ति / निवल आय।**
- **सीमित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Limited Capital Adequacy Ratio):** RRBs के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात **13%** रखा गया है, जो पूरा नहीं हो पाया है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात {CRAR}**[85] के रूप में भी जाना जाता है।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी की माप है। इसे **बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में** व्यक्त किया जाता है।
- **ऋण चूक (Loan Delinquencies):** RRBs की ऋण वसूली में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप, इनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए- इनकी NPAs वित्त वर्ष 2021 में 9.4% थीं। वित्त वर्ष 2020 में ये 10.4% थीं।

---

84 Priority Sector Lending

85 Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio

- NPA के मामले में RRBs के बीच भी बड़ी असमानताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए- भारतीय स्टेट बैंक (SBI), 14 RRBs का प्रायोजक बैंक है। इन RRBs का सकल NPA केवल वित्त वर्ष 2011 में ही 5.44% था।

- **विनियमन संबंधी विसंगतियां (Regulatory Discrepencies):** RRBs की निगरानी **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD)** द्वारा की जाती है। हालांकि, इनकी वार्षिक योजनाओं और वित्त की निगरानी RBI एवं नाबार्ड दोनों करते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक का अपना नियंत्रण होता है। इससे RRBs का **स्वामित्व और उन पर नियंत्रण** स्पष्ट नहीं हो पाता है।

आगे की राह

हाल ही में, **वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS)**[86] ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति मध्यम से दीर्घ अवधि में RRBs को व्यवहार्य बनाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, **निम्नलिखित उपाय भी किए जा सकते हैं:**

- प्रायोजक बैंकों द्वारा RRBs के लिए **समय-आधारित व्यवहार्यता योजना का निर्माण** करना चाहिए। यह योजना महामारी के बाद RRBs के आर्थिक सुधार में सहयोग करने और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप के साथ होनी चाहिए। RRBs के विफल हो जाने पर प्रायोजक बैंक को बदलने के विकल्प तलाशे जा सकते हैं।
- **कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS)** के माध्यम से RRBs की परिचालन लागत को कम किया जाना चाहिए। साथ ही, इनके ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु **डिजिटलीकरण को तेज करना चाहिए।**
  - **CBS** बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग है। यह ग्राहकों को अपने खातों का प्रबंधन करने और दुनिया के किसी भी हिस्से से कई बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में, बैंकिंग लेन-देन के लिए बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- RRBs के ऋण पोर्टफोलियो में विवधता लानी चाहिए। यह कार्य उनके वाणिज्यिक परिचालनों को बढ़ाकर तथा MSMEs[87] को ऋण उपलब्ध कराकर पूरा किया जाना चाहिए।
- उच्च प्रतिफल के लिए RRBs को अन्य बैंकों (RRBs सहित) के स्थायी ऋण लिखतों[88] में निवेश करने की अनुमति देकर GNPA में कमी की जा सकती है। उन्हें **बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (CRILC)**[89] तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। इससे वे उधारकर्ताओं के विवरण तक पहुंच कर अपने NPAs को कम कर सकते हैं।
- परिचालनात्मक रूप से मजबूत RRBs को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अपनी विनियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोत प्राप्त होंगे।

3.7. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार स्वर्ण (सोना) निक्षेप वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है। इन्हें वर्ष 2030 तक विकसित किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाना है।

---

[86] Department of Financial Services

[87] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों

[88] Debt Instruments

[89] Central Repository of Information of Large Credit

भारत में स्वर्ण उद्योग का अवलोकन

- चीन के बाद **भारत, दुनिया में स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश** है।
- वर्ष 2020 में स्वर्ण का उत्पादन 1.6 टन से अधिक रहा था। आने वाले समय में भारत में सोने की खदानों से **स्वर्ण का उत्पादन 20 टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है।**
- **स्वर्ण भंडार और संसाधन:** राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल स्वर्ण अयस्क भंडार **501.83 मिलियन टन** अनुमानित है।
  - भारत के **कुल स्वर्ण भंडार का 88% हिस्सा कर्नाटक में स्थित है।** स्वर्ण अयस्क के लिए **धारवाड़ शैल समूह** सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना है।
  - **50% से अधिक स्वर्ण खनिज संसाधन कर्नाटक में हैं।** इसके अलावा, **33% राजस्थान में, 6% बिहार में और 5% आंध्र प्रदेश** में स्थित हैं। शेष 6%संसाधन देश के अन्य आठ राज्यों में मौजूद हैं।

क्या आप जानते हैं?

भारत में स्वर्ण का खनन **प्रथम सहस्राब्दी ई.पू.** से हो रहा है। स्वर्ण खनन में **बीसवीं शताब्दी** तक कोलार गोल्ड फील्ड का प्रभुत्व था।

- स्वर्ण खनिज संसाधन का आशय आर्थिक रूप से व्यवहार्य सोने के भंडार से है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, **भारत के स्वर्ण का आयात 33.41% बढ़कर 46.16 बिलियन डॉलर** पहुंच गया था। यह वित्त वर्ष 2020-21 में 34.6 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार, भारत के लिए स्वर्ण उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

घरेलू स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है?

- **उच्च घरेलू मांग को पूरा करना:** वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की मांग में भारत की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है।
- **आयात पर निर्भरता को घटाना:** भारत अपनी स्वर्ण जरूरतों का लगभग **89% हिस्सा आयात से पूरी** करता है। इसके परिणामस्वरूप कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। साथ ही, इससे चालू खाता घाटे (CAD)[90] पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने** तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय करों एवं रॉयल्टी में वृद्धि करने के लिए भी यह आवश्यक है।
- इससे विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में **रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।**
- **इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।**
- विशेष रूप से मध्यम और छोटे उद्यमों में **ज्वेलरी फैब्रिकेशन, रिफाइनिंग अदि जैसे संबंधित सेवा उद्योगों की शुरुआत होगी एवं उन्हें सहायता मिलेगी।**

घरेलू स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने के समक्ष बाधाएं

- **व्यावसायिक गतिविधि का उच्च जोखिम:** स्वर्ण खनन से पहले का उत्पादन चरण[91] काफी लंबा होता है। इन क्षेत्रों की खोज एवं उनके विकास के लिए भारी पूंजी के निवेश की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, उत्पादित स्वर्ण की मात्रा और विनिमय दरों से मुनाफा तय होता है।
- अपर्याप्त सड़क और रेल संपर्क के चलते **स्वर्ण खनन वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का खराब विकास।**

---

[90] Current Account Deficit

[91] Pre-production Stage

- **खनन लाइसेंस के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु जटिल विनियामक प्रक्रियाएं:** आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं। अक्सर इस कार्य में काफी देरी होती है। इससे परियोजना के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- अन्वेषण और खनन[95] उद्योग में **कुशल श्रम बल की कमी है।**
- संचालन में दक्षता पैदा करने और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए खनन व रिफाइनिंग क्षेत्र में **तकनीकी अपग्रेडेशन** की आवश्यकता है।
- **भू-गर्भीय डेटाबेस की खराब गुणवत्ता** एवं गहराई में स्थित खनिजों के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना मिलता है।
- **स्वर्ण खनन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं,** जैसे- पर्यावरण को नुकसान, जल आपूर्ति का दूषित होना तथा महत्वपूर्ण वन पारितंत्र का विनाश।

भारत में स्वर्ण खनन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957[92] में संशोधन किए गए हैं:**
  - **वर्ष 2015: नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत देने की नई व्यवस्था** प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य खनिज संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना था।
  - **वर्ष 2020:** राज्य सरकारों को पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य **खनन कार्यों की निर्बाध निरंतरता को सुगम बनाना था।**
  - **वर्ष 2021:** स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के 500 खनन ब्लॉक्स की पारदर्शी नीलामी को सक्षम बनाया गया था।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP)[93], 2016:** इस नीति का उद्देश्य गैर-ईंधन एवं गैर-कोयला खनन अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। ऐसा निजी कंपनियों को ई-नीलामी के माध्यम से आयोजित पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** इस नीति ने सरल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रियाओं तथा स्पष्ट समय-सीमा के साथ अधिक सुव्यवस्थित परमिट प्रदान करने की विधि प्रदान की है। यह नीति अन्वेषण को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- **खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015[94]:** इन नियमों को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन स्वर्ण सहित गहराई में स्थित खनिजों के खनन के लिए समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया गया था।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी FDI की अनुमति दी गई है।**

आगे की राह

- मेक इन इंडिया पहल का उपयोग करके **खनन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।**
- अंतर्देशीय जलमार्गों और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके **स्वर्ण खनन वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए।**
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर स्वर्ण खनन को **निवेशकों के लिए व्यवहार्य एवं आकर्षक बनाना चाहिए।**
- निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी-गहन खनन परियोजनाओं हेतु **जोखिम भारित पूंजी उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।**
- भू-गर्भीय डेटाबेस को शामिल करते हुए **डिजिटल डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार** करना चाहिए। इसमें मानचित्रों की गुणवत्ता तथा सूचनाओं तक पहुंच में सुगमता शामिल होनी चाहिए।
- भारत के कराधान ढांचे को स्वर्ण खनन क्षेत्र की रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से एकीकृत करने के लिए व्यापक कराधान नीति निर्मित करनी चाहिए।
- **संधारणीय खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए।**

3.8. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और अर्नेस्ट एंड यंग (EY)[96] ने **"इंडिया: द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल[97]"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में **भारतीय SaaS उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति और उसके द्वारा निर्मित व्यापक प्रभाव पर प्रकाश** डाला गया है।

---

[92] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (or MMDR Act), 1957

[93] National Minerals Exploration Policy

[94] Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015

[95] Exploration and Mining

[96] Ernst & Young

[97] India: The Next Global SaaS Capital

SaaS के बारे में

- SaaS वस्तुतः सॉफ्टवेयर सेवाओं की डिलीवरी हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मॉडल है। इसके तहत **क्लाउड सेवा प्रदाता** द्वारा उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर **सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराई** जाती हैं। उदाहरण के लिए- गूगल वर्कस्पेस, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, गिटहब आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- **SaaS की मुख्य विशेषताएं:**
  - SaaS सेवाओं को **सॉफ्टवेयर प्रदाता से किराए** पर लिया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
  - यह सेवा एक निश्चित मूल्य के भुगतान पर प्रदान की जाती है।
  - इसके तहत सॉफ्टवेयर को **कई डिवाइस के माध्यम एक्सेस** किया जा सकता है।
- यह क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की तीन श्रेणियों में से एक है। अन्य दो हैं:
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर ऐज ए सर्विस (Infrastructure as a Service: IaaS):** इसके तहत कंपनी द्वारा पट्टे (Lease) पर सर्वर, नेटवर्क संसाधन इत्यादि सहित एक संपूर्ण डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है। सेवा प्राप्त करने वाला इसका उपयोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने, एप्लीकेशन बनाने, डेटा स्टोर करने आदि के लिए करता है।
  - **प्लेटफॉर्म ऐज ए सर्विस (PaaS)[98]:** इसके तहत मुख्य रूप से एप्लीकेशन बनाने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट टूल और आधारभूत संरचना सहित क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत में SaaS क्षेत्रक

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद **भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश है।

---

98 Platform as a Service

- यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत **वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश बन सकता है।
- वर्तमान समय में भारत में **18 SaaS यूनिकॉर्न** मौजूद हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में इनकी संख्या केवल एक थी।
- भारत में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में **SaaS कंपनियों की संख्या दोगुने से भी अधिक** हो गई है।

भारत में SaaS उद्योग के विकास हेतु उत्तरदायी कारण

- **भारत में मौजूद व्यापक उपभोक्ता आधार** की SaaS उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा निम्नलिखित कारकों ने भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए-
  - स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि;
  - वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण (जैसे- आधार और UPI);
  - महामारी के कारण बढ़ता रिमोट या हाइब्रिड वर्क मॉडल;
  - कंपनियों, लघु और मध्यम उद्यमों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण; आदि।
- **भारतीय SaaS यूनिकॉर्न की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थिति है।** साथ ही, बड़ी एवं उन्नत SaaS कंपनियों की बढ़ती संख्या ने भी इन उद्योगों को आवश्यक समर्थन प्रदान किया है।
- भारतीय SaaS कंपनियों में **अंतर्राष्ट्रीय वेंचर पूंजीपतियों की बढ़ती रुचि तथा व्यापक मौद्रिक उपलब्धता** ने SaaS उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान किया है।
- **भारत में डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल की व्यापक उपलब्धता ने भी** इन उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- परंपरागत ऑन-प्रिमाइस उत्पादों की जगह **ऑन-डिमांड, सब्सक्रिप्शन-आधारित मॉडल को अपनाने से** भी इस उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला है।
- **स्टार्ट-अप के लिए सहायक नीतियों** ने भी SaaS क्षेत्रक में महत्वाकांक्षी और गतिशील भारतीय उद्यमियों के प्रवेश हेतु अवसर प्रदान किए हैं।

भारत में स्टार्ट-अप को समर्थन प्रदान करने वाली नीतियां	
विनियामकीय नीतियां	• स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत **कर छूट** और **सरल अनुपालन** प्रक्रिया की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
वित्तीय नीतियां	• इसके तहत 945 करोड़ रुपये की **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड** की व्यवस्था और **क्रेडिट गारंटी योजना** जैसी पहलों को शुरू किया गया है।
तकनीकी नीतियां	• **स्टार्ट-अप पेटेंट आवेदनों के लिए फास्ट-ट्रैकिंग व्यवस्था** और संबंधित शुल्क में 80% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। • **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम**[99] द्वारा **स्टार्ट-अप के लिए अवसंरचना संबंधी योजना** शुरू की गई है। इसके तहत ऑफिस स्पेस, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं, इंटरनेट एवं बिजनेस सेंटर सुविधाओं के मामले में रेडी-टू-मूव सुविधा प्रदान की जाती है।
अन्य	• स्टार्ट-अप के लिए **समृद्ध योजना** आरंभ की गयी है। यह योजना कस्टमर-कनेक्ट, इन्वेस्टर-कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की सुविधा के माध्यम से स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देती है। **समृद्ध योजना** का पूरा नाम है - **उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि के लिए MeitY के स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर**[100]।

भारतीय SaaS क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **प्रतिभा और ज्ञान में व्यापक अंतराल:** भारत में SaaS क्षेत्रक हेतु आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाले प्रशिक्षित कार्यबल की कमी है।
- **डेटा संरक्षण और निजता:** इनसे संबंधित मानदंडों के अनुपालन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसे- यूरोपीय संघ के GDPR[101] का अनुपालन करना।
- **जागरूकता का अभाव:** विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय व्यवसायों द्वारा अपने परिचालन में SaaS के उपयोग को लेकर जागरूकता का अभाव है। साथ ही, वे इसे अपनाने से झिझकते भी हैं।

---

[99] National Small Industries Corporation

[100] Startup Accelerator of MeitY for Product Innovation, Development and Growth

[101] सामान्य डेटा संरक्षण अधिकार / General Data Protection Rights

- **व्यवसाय विस्तार से जुड़ी चुनौतियां:** भारतीय स्टार्ट-अप उद्यमों द्वारा व्यवसाय विस्तार में सामना की जाने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं:
    - शुरुआती चरण की भारतीय SaaS कंपनियों को विदेशों में फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ता है,
    - उन्हें बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तथा
    - वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में उन्हें गो-टू-मार्केट (GTM) रणनीतियों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
        - **गो-टू-मार्केट (GTM) रणनीति** किसी उत्पाद को सफलतापूर्वक बाजार में लॉन्च करने के लिए बनाई गई चरण-दर-चरण योजना होती है।
- **भारत में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी:** इसके कारण SaaS कुछ प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं।

आगे की राह

- **इस संबंध में संधारणीय प्रतिभा भंडार के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।** इसके लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने हेतु नियमित ज्ञान हस्तांतरण/ कौशल-साझाकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
- SaaS सुविधाओं को अपनाने के लिए **जागरूकता का प्रसार और भारतीय व्यवसायों को आवश्यक समर्थन** प्रदान किया जाना चाहिए।
- स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों की मदद से **SaaS क्षेत्रक में मेंटरशिप लिंकेज** द्वारा **SaaS उद्यमों को शुरुआती चरणों में आवश्यक सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- 5G के लॉन्च के बाद नेटवर्क को बेहतर बनाकर **तीव्रतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा** प्रदान की जानी चाहिए।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)

3.9.1. विदेशी बाजारों में निवेश के लिए मानदंड (Norms For Investments In Overseas Markets)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी **इन दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - प्रतिभूतियों में **निवेशकों के हितों की रक्षा** करना,
    - **प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा** देना और
    - प्रतिभूति बाजार को **विनियमित करना।**
- **दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं**
    - पहले, वैश्विक स्तर पर निवेश की अनुमति केवल **उन कंपनियों तक ही सीमित थी जिनका भारत से संबंध** रहा है या कम-से-कम भारत में उनका एक बैक-ऑफ़िस है।
    - हालांकि, अब वे उन देशों में स्थित **दुनिया भर की कंपनियों में निवेश** कर सकते हैं जो:
        - **प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOSCO)**[102] के हस्ताक्षरकर्ता हैं या
        - **जिन्होंने सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता** ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा
        - **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं।
    - विदेशी कंपनियों में **निवेश का स्थानांतरण या बिक्री केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999** के अनुसार पात्र संस्थाओं को ही किया जा सकता है/की जा सकती है।
- **AIFs और VCFs के बारे में**
    - **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)** का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी फंड है, जो एक **निजी रूप से जमा निवेश साधन** है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों (चाहे भारतीय हों या विदेशी) से धन जुटाते हैं।
    - **वेंचर कैपिटल फंड (VCFs)** एक प्रकार का AIF है। यह एक ऐसा निवेश कोष है, जो स्टार्टअप तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को पूंजी प्रदान करने के इच्छुक **अलग-अलग निवेशकों से फंड** जुटाता है।

IOSCO के बारे में

- इसे वर्ष **1983 में स्थापित** किया गया था। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी **मैड्रिड में है।**
- यह संगठन प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में दुनिया के **प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर** लाता है।

[102] International Organization of Securities Commissions

- यह वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडा पर **G-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)** के साथ कार्य करता है।
- भारत से, सेबी **IOSCO** का एक सामान्य सदस्य है; **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (IFSCA) एक सहयोगी (एसोसिएट) सदस्य है; और **बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE)**, **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)** और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसके संबद्ध (एफिलिएट) सदस्य हैं।

3.9.2. ब्लू बॉण्ड्स (Blue Bonds)

- **'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' (SEBI) ने 'ब्लू बॉण्ड्स' की अवधारणा** प्रस्तुत की है। इसे संधारणीय वित्त की एक विधा के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- ब्लू बॉण्ड **ऋण लिखत (Debt instrument)** का एक नया रूप है। **इसे स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवेश का समर्थन करने हेतु जारी किया जाएगा।**
    - नीली अर्थव्यवस्था का आशय आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था से है।
    - ब्लू बॉण्ड्स, नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए **निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाने का अवसर** प्रदान करते हैं।
    - **भारत,** नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे **समुद्री संसाधन खनन, सतत मत्स्यन, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति आदि में ब्लू बॉण्ड्स का उपयोग** कर सकता है।

3.9.3. खाता संग्राहक {Account Aggregator (AA)}

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की खाता संग्राहक प्रणाली में शामिल हो गया है।**
- खाता संग्राहक प्रणाली का उद्देश्य देश में **क्रेडिट को संसाधित और एक्सेस करने के तरीके को बदलना है।**
    - यह एक प्रकार की **RBI विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।**
- यह प्रणाली किसी व्यक्ति को सुरक्षित और डिजिटल रूप में एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त अपने खाते की जानकारी को इस प्रणाली में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करती है।
- **खाता संग्राहक प्रणाली का महत्व:**
    - उपयोगकर्ता के सभी बैंक खातों का एक ही स्थान पर समेकित डैशबोर्ड,
    - उपयोगकर्ता नियंत्रित डेटा साझाकरण आदि।

3.9.4. कृषि ऋणों के लिए ब्याज छूट (Interest Subvention For Agriculture Loan)

- मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए **लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज छूट** को बहाल कर **1.5 प्रतिशत** करने की मंजूरी दी है।
    - यह मंजूरी **वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 3 लाख रुपये तक** के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए प्रदान की गई है।
    - इस ब्याज छूट को रेपो दर में वृद्धि के कारण बैंकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बहाल किया गया है।
    - इससे पहले, **ब्याज छूट योजना** के लिए बैंकों को केंद्रीय सहायता **वर्ष 2020** में रोक दी गई थी। इसका कारण यह था कि बैंक स्वयं 7% पर लघु अवधि के कृषि ऋण देने में सक्षम थे।
- **संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS)** का उद्देश्य किसानों को रियायती ब्याज दरों पर लघु अवधि के ऋण प्रदान करना है।
    - इस योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसानों को **3.00 लाख रुपये तक का लघु अवधि कृषि ऋण**

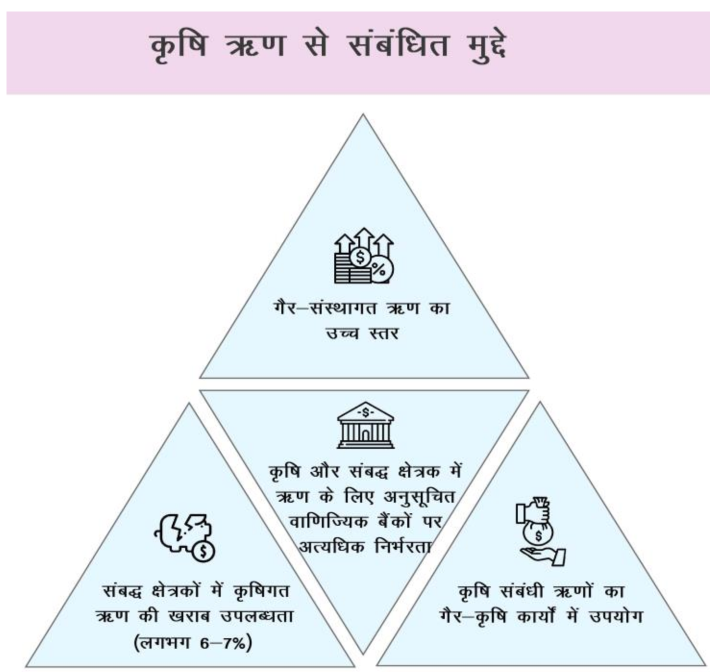

उपलब्ध कराया जाता है। इस पर **ब्याज दर 7% प्रतिवर्ष** होती है।

- समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन के रूप में **3% की अतिरिक्त ब्याज छूट** भी दी जाती है।
- अतः ऋण की समय पर अदायगी करने पर **किसान को प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर से ऋण** प्राप्त होता है।
- किसानों को दी जाने वाली यह सहायता **केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषित** है।
- ब्याज छूट योजना को **नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक** संयुक्त रूप से **कार्यान्वित** कर रहे हैं।

- **कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम**
  - **किसान क्रेडिट कार्ड से** किसानों को खेती के लिए समय पर ऋण सहायता मिल जाती है।
  - **कृषि बाज़ार अवसंरचना कोष** से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कृषि उपज बाजार समिति मंडियों तथा ग्रामीण कृषि बाजारों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।
  - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के तहत फसल के नुकसान/ क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.9.5. अटल पेंशन योजना {ATAL Pension Yojana (APY)}

- **हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय** के नए आदेश के अनुसार, **कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।**
- APY को वर्ष 2015 में स्वावलंबन योजना के स्थान पर आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **सभी भारतीयों** (विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों) **के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली** का निर्माण करना है।
  - इसमें **18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग** के सभी बैंक खाताधारक शामिल हो सकते हैं।
  - इसके तहत अंशदान के आधार पर अंशदाता को **60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होती है।**
  - **यह 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' (PFRDA**) द्वारा प्रशासित है।

3.9.6. कर्मचारी राज्य बीमा योजना {Employees' State Insurance (ESI) Scheme}

- 'श्रम एवं रोजगार मंत्रालय' (MoLE) ने ESI योजना के **विस्तार और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के साथ इसके अभिसरण** की घोषणा की है।
  - यह अभिसरण एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिसमें **ESI लाभार्थी ABPM-JAY पैनल में सूचीबद्ध अस्पतालों** का लाभ ले सकेंगे तथा ABPM-JAY लाभार्थी ESI सूचीबद्ध अस्पतालों का लाभ उठा सकेंगे।
- **ESI योजना को** MoLE द्वारा **'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948'** के तहत शुरू किया गया है।
  - इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कामगारों और उनके आश्रितों को **बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक** अक्षमता तथा कार्य के दौरान मृत्यु अथवा मजदूरी या आय अर्जन क्षमता के नुकसान के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

3.9.7. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना {Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)}

- केंद्र सरकार ने **ECLGS की सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये** करने की स्वीकृति प्रदान की है।
  - यह **अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों** के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है।
- ECLGS को **कोविड-19 संकट के दौरान आरंभ किया गया था।**
  - ECLGS, पात्र MSMEs को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों को **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी** द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। सदस्य ऋणदाता संस्थान हैं- बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।
  - **ECLGS के तहत अब तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये** के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

3.9.8. ग्रामीण उद्यमी परियोजना {Grameen Udyami Project (GUP)}

- मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने **'ग्रामीण उद्यमी परियोजना' (GUP) का दूसरा चरण** आरंभ किया है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' (NSDC) द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों** के समावेशी और सतत विकास के लिए **कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।**
    - यह परियोजना **छह राज्यों**- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
    - इसे **'सांसद परिषद योजना'** के तहत लागू किया जा रहा है।
- **इस परियोजना के** तहत प्रशिक्षण, **रोजगार की भूमिकाओं** (जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, फार्म मशीनीकरण आदि) में आयोजित किया जाता है जो **स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हैं।**

3.9.9. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority: MPEDA)

- हाल ही में, MPEDA की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर एक साल तक चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की गई है।
- इस समारोह के दौरान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा देश के **समुद्री संसाधनों के व्यापक विकास के लिए चार प्रस्तावों** को प्रस्तुत किया गया है। इनमें शामिल हैं:
    - **निर्यात में 90% तक योगदान देने वाले उत्पादों के लिए 20 बाजारों की पहचान करना।**
    - राज्य प्रशासन के परामर्श से **राज्यवार निर्यात विकास योजना** को तैयार करना।
    - **अगले 5 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर निर्यात मूल्य के लक्ष्य को पूरा** करना।
    - निम्नलिखित माध्यमों से **मछुआरों की आजीविका में वृद्धि** करना:
        - मछुआरों के जोखिम को कम करके,
        - उनके बीच जागरूकता का प्रसार करके,
        - उनकी आय को बढ़ाकर, तथा
        - मध्यस्थों से उनकी रक्षा करके।
- **MPEDA के बारे में:**
    - इसे 1972 में **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे **समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित** करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।
        - वर्ष 1961 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद का MPEDA में विलय कर दिया गया है।
- इसे **समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित** करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही, इसे **भारतीय संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण समुद्री खाद्य निर्यात** को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक उपायों को अपनाने हेतु भी अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **इसके कार्यों/दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **समुद्री खाद्य के निर्यात में आने वाले अवरोधों की पहचान करके सुधारात्मक उपायों को अपनाना।**
    - **समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों,** फिशिंग वेसल, पूर्व-प्रसंस्करण केंद्रों का **पंजीकरण** करना।
    - **बाज़ार संबंधी गतिविधियों** जैसे उपभोक्ता-विक्रेता की मीटिंग, संभावित बाजारों में प्रतिनिधियों के दौरे आयोजित करवाना आदि।
    - राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (RGCA) के माध्यम से जलीय कृषि की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए **अनुसंधान और विकास को बढ़ावा** देना।
    - निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना:

- **संधारणीय जलीय कृषि के लिए राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Sustainable Aquaculture):** यह जमीनी स्तर पर **क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से गरीब ग्रामीण जलीय किसानों को सशक्त** बनाने में मदद करता है।
- **मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और संधारणीय मत्स्यपालन के लिए नेटवर्क (Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing: NetFish)-** यह समुद्री संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और अन्य घटकों के सन्दर्भ में मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- वर्ष 2004 से MPEDA, **राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (NRCP)**[103] को क्रियान्वयित कर रहा है। यह यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पाद का निर्यात करने के लिए जीवाणुरोधी/पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों और पर्यावरण संदूषकों जैसे पदार्थों के अवशेषों की निगरानी करता है।

भारत का समुद्री उद्योग

- भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक** देश है।
- वर्तमान में, भारत **120 से अधिक देशों में निर्यात** करता है।
- **वर्ष 2022 में समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़कर 7.74 बिलियन अमेरीकी डॉलर** हो गया है।

3.9.10. जूट का उत्पादन (Production of Jute)

- कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत का जूट उत्पादन **वर्ष 2021-22 में घटकर 1.77 मिलियन टन** रह गया है। वर्ष 2011-12 में 2.03 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।
  - इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में **जूट की खेती के तहत औसत क्षेत्र में भी गिरावट** दर्ज की गई है।
  - वर्ष 2011-12 से वर्ष 2021-22 की अवधि में, **बांग्लादेश में जूट उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि** दर्ज की गई है।
  - जूट उत्पादों के **निर्यात में भारत की तुलना में बांग्लादेश लाभ की स्थिति** में है। **इसके निम्नलिखित कारण हैं:**
    - बांग्लादेश में सस्ता श्रम बल उपलब्ध है, इसलिए **उत्पादन लागत कम** है,
    - बिजली शुल्क भी कम है,
    - निर्यात के लिए **नकद सब्सिडी** प्रदान की जाती है,
    - जूट उत्पादों के लिए **विविधतापूर्ण बाजार मौजूद** है आदि।

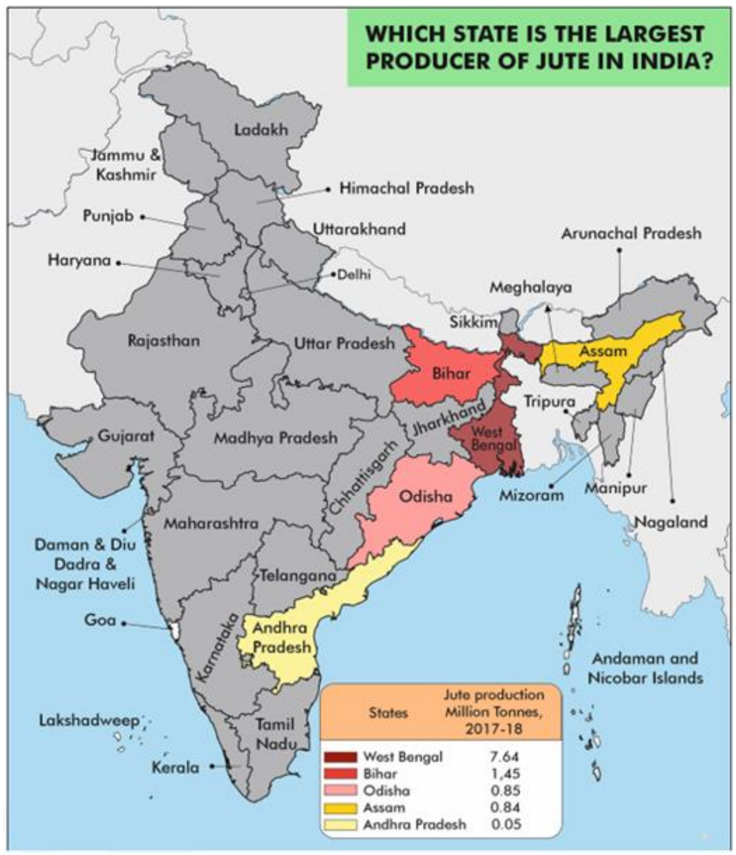

- **जूट अर्थव्यवस्था में गिरावट के निम्नलिखित कारण हैं:**
  - बाजार की कमी,
  - सरकारी खरीद की कमी
  - विविधीकरण का अभाव,
  - खराब अवसंरचना,
  - भारतीय जूट मिलों की दयनीय स्थिति आदि।
- जूट को **'सुनहरा रेशा'** (Golden Fibre) भी कहा जाता है। यह एक **लंबा, मुलायम और चमकदार प्राकृतिक रेशा** है। इसका उपयोग वस्त्र क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है।
  - जूट की फसल को **24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ आर्द्र जलवायु** की आवश्यकता होती है। इसे **न्यूनतम 1000 मिमी. वर्षा** की आवश्यकता होती है।
- भारत **कच्चे जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक** है। जूट मुख्य रूप से **पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में उगाया जाता है।**
  - **विश्व में जूट निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 7 प्रतिशत** है, वहीं बांग्लादेश का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत है।

---

103 National Residue Control Plan

- **जूट उद्योग के लिए किये गए उपाय**
  - **जूट के थैलों/ बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग:** वर्तमान में, 100% खाद्यान्न और न्यूनतम 20% चीनी **जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य** किया गया है।
  - **सुनहरा रेशा क्रांति** शुरू की गई है।
  - जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए **जूट मार्क इंडिया लोगो** जारी किया गया है।
  - प्रमाणित बीजों का उपयोग करने और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिए **जूट-ICARE** की शुरुआत की गई है।

3.9.11. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) {UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) Scheme}

- नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान/ UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की सफलता के पांच वर्ष पूरे हुए।
- उड़ान, (UDAN) एक **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)** है। यह क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने और **हवाई यात्रा को आम जनता के लिए वहनीय** बनाने की योजना है।
  - इसे **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016** की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है।
  - **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  - **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कोष (RCF)** कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी लगाकर योजना के व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF) संबंधी आवश्यकताओं का वित्त पोषण करता है।
  - RCS-UDAN को वर्ष 2020 के लिए नवाचार श्रेणी के तहत **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- पिछले पांच वर्षों में, उड़ान ने **देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि** की है।
  - इस **योजना की वजह से कार्यशील हवाई अड्डों की संख्या** 74 से बढ़कर अब **141** हो गई है।
  - इस योजना के तहत 425 नए मार्गों को शामिल किया गया है। इस तरह उड़ान योजना ने **29 से अधिक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है।**
  - उड़ान के तहत वर्ष 2026 तक **220 गंतव्यों** (हवाई अड्डे/ हेलीपोर्ट/ वाटर एयरोड्रोम) और **1000 मार्गों को जोड़ने का लक्ष्य** रखा गया है।
- **उड़ान योजना ने जरूरत के आधार पर नए-नए निर्णय लिए हैं। इस कारण से इसने निम्नलिखित पहलों का भी शुभारंभ किया है:**
  - **लाइफलाइन उड़ान:** महामारी के दौरान चिकित्सकीय सामान के परिवहन के लिए।
  - **कृषि उड़ान:** इसने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की बेहतर मूल्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - गुवाहाटी और इंफाल से/के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग** आरंभ किया है।

3.9.12. अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर अभिसमय (जिनेवा कन्वेंशन), 1949 {Convention on International Road Traffic of 1949 (Geneva Convention)}

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस अभिसमय के अनुपालन में देश भर में **अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP)** जारी करने के लिए प्रक्रिया के मानकीकरण पर अधिसूचना जारी की है।
- यह अभिसमय **एक अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। यह अनुबंधित पक्षों के बीच कुछ समान नियम बनाकर **अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देती है।**
- **भारत, इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है।** इसलिए, इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसके उपबंधों को स्वीकार करने के लिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार IDP जारी करना आवश्यक है।

3.9.13. भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार (Right of Way: RoW) नियम, 2016 में संशोधन {Amendment in Indian Telegraph Right Of Way (ROW) Rules, 2016}

- **RoW क्या है:** दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां ऐसी जमीनों पर टावर जैसी भौतिक नेटवर्क अवसंरचना के निर्माण के लिए मार्ग का अधिकार का उपयोग करती हैं, जिनका स्वामित्व उनके पास नहीं होता।

- नए संशोधनों का उद्देश्य **दूरसंचार नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और अपग्रडेशन को आसान बनाना** है। इस तरह से समग्र सेवाओं की **गुणवत्ता में सुधार** करना है।
  - RoW नियम, 2016 समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने और **विवादों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा** प्रदान करते हैं। इसके अलावा, **कंपनियों और सरकार के बीच समन्वय में सुधार** पर भी बल देते हैं।
  - इससे पहले **वर्ष 2021 में भी इन नियमों को संशोधित** किया गया था। उस समय ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने और क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए थे।
- **नवीनतम संशोधनों की मुख्य विशेषताएं**
  - 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए RoW **आवेदन प्रक्रियाओं को सरल** बनाया गया है।
  - नियमों के पालन की लागत को कम करने के लिए **प्रशासनिक शुल्क** को युक्तिसंगत बनाया गया है।
  - दूरसंचार लाइसेंसधारी **निजी संपत्ति के मालिकों के साथ समझौता** कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- साथ ही, 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए **गति शक्ति संचार पोर्टल पर एक नया 5G RoW आवेदन-पत्र** लॉन्च किया गया है।
  - पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, यह पोर्टल देश भर में **डिजिटल संचार अवसंरचना की सुचारू तरीके से स्थापना की सुविधा** प्रदान करता है।
  - यह पोर्टल दूरसंचार संबंधी सभी **RoW उपयोगों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल** होगा।

3.9.14. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission: NIPAM)

- हाल ही में, **NIPAM** ने 1 मिलियन छात्रों को **बौद्धिक संपदा (IP) जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल** कर लिया है।
- **NIPAM, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक फ्लैगशिप कार्यक्रम** है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को **बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान** करना है।
  - इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM)**[104] **के बौद्धिक संपदा कार्यालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **NIPAM के उद्देश्य:**
  - यह एक अखिल भारतीय महत्वकांक्षी मिशन है। इसका उद्देश्य **1 मिलियन विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों से संबंधित जागरूकता प्रदान करना** है।
  - इसका उद्देश्य **कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना** है।
  - इस मिशन का लक्ष्य **कॉलेज/विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनकी रचनाओं को नवोन्मेषी बनाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित** करना है।
  - इस मिशन का उद्देश्य पुनः संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से **समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित** करना है। इसके लिए **अटल इनोवेशन मिशन (AIM), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अन्य के सहयोग से** IP कार्यालय के मौजूदा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - **बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता पैदा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा** करना है।

3.9.15. वर्क फ्रॉम होम के लिए मानदंड {Work From Home (WFH) Norms}

- हाल ही में, वाणिज्य विभाग ने **SEZ नियम, 2006 में WFH के लिए नया नियम '43A' अधिसूचित किया है।** यह नया नियम SEZ के कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करेगा।

---

[104] The Office of the Patents, Designs and Trademarks

- इसमें सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (IT/ITeS) प्रदान करने वाली SEZ इकाइयों के ऐसे कर्मचारी शामिल हैं, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं तथा जो कार्यस्थल से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं।

- नए मानदंडों के तहत, ऐसी इकाइयाँ जिनके **50% तक कर्मचारी WFH का विकल्प चुनते हैं,** उन्हें इन कर्मचारियों का विवरण साझा करना होगा। साथ ही, SEZ विकास आयुक्त को आंतरिक योजनाओं को साझा किए बिना उपस्थिति का पालन करने का वचन देना होगा।
- इसके तहत, आवेदन जमा करने के **15 दिनों के भीतर विकास आयुक्त से कोई सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में 'डीम्ड अनुमोदन' का नया प्रावधान** शामिल किया गया है।

3.9.16. मूनलाइटिंग (Moonlighting)

- 'मूनलाइटिंग' से तात्पर्य मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना **एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना है।** (इसलिए, कई कंपनियों द्वारा इसे अनैतिक माना जाता है।)
    - **'वर्क फ्रॉम होम' के चलन ने कर्मचारियों को इस विकल्प** को अपनाने में मदद की है।
    - इससे अधिक कौशल वाले लोग **'साइड गिग' (side gig) करने के लिए** प्रोत्साहित हुए हैं।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान यह अधिक लोकप्रिय हुआ है,** क्योंकि इसके कारण लोगों को जीवनयापन के लिए एक से अधिक नौकरियां/कार्य करने का समय और अवसर प्राप्त हुआ है।

3.9.17. कैंटिलन प्रभाव (Cantillon Effect)

- कैंटिलन प्रभाव इस विचार को संदर्भित करता है कि **"एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण का कारण बनता है।"** इससे वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों में गड़बड़ी होती है तथा दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन होता है।
    - हालांकि, वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों द्वारा **धन को काफी हद तक तटस्थ माना गया है।** इनके अनुसार, इसकी आपूर्ति में बदलाव का अर्थव्यवस्था पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इसका नाम **18वीं सदी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री 'रिचर्ड कैंटिलन'** के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपने विचारों को **1755 ई. में 'एस्से ऑन नेचर ऑफ़ ट्रेड इन जनरल'** नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था।

3.9.18. दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल (World's Highest Railway Bridge)

- हाल ही में, चिनाब नदी पर **दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के ओवरआर्च डेक के दो सिरों को जोड़ने वाले गोल्डन जॉइंट** अर्थात आखिरी जोड़ को लगाया गया है।
    - इस पुल की लंबाई 1.3 कि.मी. है। **यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर अवस्थित है।** यह पुल **एफिल टॉवर से** 30 मीटर **ऊंचा** है।
- यह पुल **कश्मीर को हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।** साथ ही, यह '**कटरा से बनिहाल'** तक एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगा, जो कश्मीर रेलवे परियोजना के **उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला खंड का हिस्सा है।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction: WMDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन अधिनियम, 2022**[105] पारित किया है।

सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय कानून में WMDs की **कोई एकल और आधिकारिक परिभाषा** नहीं है। आमतौर पर इनमें **परमाणु, जैविक और रासायनिक (NBC)**[106] **हथियारों** को शामिल किया जाता है।
- एशिया और प्रशांत में शांति एवं निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD)[107] के अनुसार, **WMDs का आशय हथियारों के एक समूह से है, जिनमें निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं:**
  - ये कम समय में ही **अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम** होते हैं। साथ ही, ये लाखों नागरिकों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालने और विनाशकारी प्रभावों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम होते हैं;
  - विषाक्त और जहरीले रसायन **लोगों की मौत या गंभीर चोट** का कारण बन सकते हैं;
  - मनुष्यों, जीवों या पौधों को क्षति पहुंचाने या मारने के लिए **रोग उत्पन्न करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार कर सकते हैं;**
  - परमाणु विस्फोटक उपकरणों, रासायनिक, जैविक या विषाक्त पदार्थों आदि का शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों या सशस्त्र संघर्ष में उपयोग करने के लिए इनका **वितरण करते हैं आदि।**
- भारत के वर्ष 2005 के WMD अधिनियम के अनुसार, **WMDs जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार** हैं।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- यह **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली** (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
- यह विधेयक व्यक्तियों को WMDs और उनकी आपूर्ति प्रणाली से संबंधित किसी भी **प्रतिबंधित गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है।**
- **यह केंद्र सरकार को निम्नलिखित के लिए सशक्त बनाता है:**
  - व्यक्तियों को **ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए**, केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या अटैच कर सकती है।
  - सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए **धन, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगा सकती है।**

इस संशोधन का महत्व

- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना:** यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)[108] की सिफारिशों को लागू करने में सहायक होगा। ये प्रतिबंध और सिफारिशें सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्त-पोषण और उनकी आपूर्ति प्रणालियों के प्रसार के खिलाफ लागू किए जाएंगे।
- **मौजूदा कानून में कमियों को दूर करना:** वर्ष 2005 में पारित किया गया **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम** केवल सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।

---

105 Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022

106 Nuclear, Biological, and Chemical

107 United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific

108 Financial Action Task Force

- यह अधिनियम WMDs के केवल व्यापार को कवर करता है, उनके वित्त-पोषण को कवर नहीं करता है।

- **उभरते खतरों से निपटना** जैसे-ड्रोन के क्षेत्र में विकास या जैव चिकित्सा लैब में अनधिकृत कार्य। इनका दुर्भावनापूर्ण रूप से आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **वैश्विक प्रवर्तन को मजबूत करना,** ताकि आतंकवादी और काला बाजार नेटवर्क सहित गैर-राज्य अभिकर्ताओं को ऐसी सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त न हो सके।
- **वैश्विक WMD नियंत्रणों को लागू करना:** अब अपने स्वयं के कानून को अपडेट करने के बाद, भारत अन्य देशों (विशेषकर अपने पड़ोसी देशों) से भी उनके अपने संबंधित कानून को अपडेट करने की मांग कर सकता है।

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर–कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) कानून, 2005 {Weapons of Mass Destruction (WMD) and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005} के बारे में

इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हेतु **एक एकीकृत और व्यापक कानून प्रदान करना है:**
- यह सभी तीन प्रकार के WMD (अर्थात् परमाणु, रासायनिक और जैविक), उनकी आपूर्ति प्रणाली तथा संबंधित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों से संबंधित गैर–कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।

इस कानून के प्रावधानों के **उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है।**

इस कानून को वर्ष 2004 के **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प** (UNSCR) **1540** द्वारा लागू एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। यह संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के लिए WMD के प्रसार, उनकी आपूर्ति प्रणाली और गैर–राज्य अभिकर्ताओं तक संबंधित सामग्री की पहुँच के विरुद्ध प्रभावी उपाय करना तथा उन्हें लागू करना बाध्यकारी करता है।

भारत को और क्या करना चाहिए?

- **उद्योग और अन्य हितधारकों** के लिए उचित आउटरीच उपायों के माध्यम से संशोधन को लागू करना होगा, ताकि नए प्रावधानों के तहत उन्हें अपने दायित्वों का एहसास कराया जा सके।
- **भारत को WMD सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय फोकस में रखना चाहिए।** यहां तक कि जिन देशों के पास WMD प्रौद्योगिकी नहीं है, उन्हें भी वैश्विक नियंत्रण प्रणाली में कमजोर लिंक/कड़ियों को रोकने के लिए नियंत्रण ढांचे में अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के माध्यम से या द्विपक्षीय आधार पर **राष्ट्रीय कानून, संस्थानों और विनियामक ढांचे को विकसित करने में अन्य देशों को मदद करने की पेशकश** कर सकता है।

WMDs को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए वैश्विक संधियां		
संधियां/ कन्वेंशन/ संहिताएं	विवरण	भारत द्वारा अनुसमर्थित/ हस्ताक्षरित
जैविक हथियार कन्वेंशन , 1972 (Biological Weapons Convention, 1972)	• यह **जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है।**	हां
रासायनिक हथियार कन्वेंशन, 1992 (Chemical Weapons Convention, 1992)	• यह रासायनिक हथियारों के **विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित** करता है। • **इस कन्वेंशन के लागू होने के बाद रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।**	हां

परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT), 1970 {Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1970}	• इस संधि का उद्देश्य **परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना,** परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।	**नहीं।** भारत NPT का विरोध करता है, क्योंकि उसके अनुसार यह **संधि भेदभावपूर्ण प्रकृति** की है। भारत **परमाणु हथियारों के सार्वभौमिक प्रतिबंध का समर्थन** करता है।
परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), 2017 {Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 2017}	• यह संधि परमाणु हथियारों से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग लेने पर रोक लगाती है। • इनमें परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, धारण, भंडारण, उपयोग नहीं करने या उपयोग की धमकी नहीं देने की शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन में किसी भी राज्य को सहायता प्रदान नहीं करने का प्रावधान शामिल है।	**नहीं।** भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण या उसके विकास में योगदान नहीं करती है; न ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है।
व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996 {Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 1996}	• यह पृथ्वी पर कहीं भी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वियना में एक सी.टी.बी.टी. संगठन (CTBTO) स्थापित किया गया है। • इस संधि को लागू किया जाना अभी बाकी है।	**नहीं,** भारत CTBT का विरोध करता है। उसके अनुसार यह संधि भेदभावपूर्ण प्रकृति की है। भारत परमाणु हथियारों के सार्वभौमिक प्रतिबंध का समर्थन करता है।
हेग आचार संहिता (HCOC) (पहले "अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता" (ICOC), 2002 के रूप में ज्ञात) Hague Code of Conduct (HCOC) formerly known as "The International Code of Conduct" (ICOC), 2002	• यह आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइलों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए लागू की गई है। ये मिसाइल्स सामूहिक विनाश के हथियार पहुंचाने की क्षमता रखती हैं।	**हां**
बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) {Multilateral Export Control Regimes (MECR)}	• इसमें प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा किए गए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी समझौते शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य WMD के प्रसार का समर्थन करने वाली कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के प्रयास में सहयोग करना है। • MECR के तहत वर्तमान में ऐसी चार व्यवस्थाएं हैं: ○ परमाणु प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिए **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)**; ○ हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिए **ऑस्ट्रेलिया समूह** (AG); ○ सामूहिक विनाश के हथियार पहुंचाने में सक्षम रॉकेट और अन्य हवाई वाहनों के नियंत्रण के लिए **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)**; एवं ○ पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के लिए **वासेनार अरेंजमेंट।**	भारत **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)** को छोड़कर, अर्थात् 4 MECR में से तीन का सदस्य है।

4.2. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे** पर बीटा संस्करण आधारित एक **डिजी-यात्रा ऐप** की शुरुआत की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- डिजी-यात्रा ऐप, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक **बायोमेट्रिक सक्षम बाधारहित यात्रा अनुभव (BEST)**[109] है।
    - यह **डिजी-यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (DYCE)** का एक हिस्सा है।

DYCE के बारे में

- यह **डिजी यात्रा फाउंडेशन (Digi Yatra Foundation: DYF)** द्वारा संचालित एक पहल है।
- इसे वर्ष 2019 में कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत **एक संयुक्त उद्यम (JV) कंपनी** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **DYF के शेयरधारकों में शामिल हैं:**
    - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (26% हिस्सेदारी);
    - बैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL);
    - दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL);
    - **GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL);**
    - मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL); तथा
    - **कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड** (शेष 74% शेयरों में इन सबकी समान हिस्सेदारी है)।

- यह ऐप आईडी प्रूफ, वैक्सीन प्रूफ और बोर्डिंग पास जैसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (चेहरा पहचान प्रणाली) का प्रयोग करता है।
- इस प्रकार, इसके तहत यात्रियों का चेहरा उनके आईडी प्रूफ और यात्रा दस्तावेज के सत्यापन के रूप में कार्य करता है। यह ई-गेट के माध्यम से हवाई अड्डे पर प्रवेश, सुरक्षा जांच, विमान बोर्डिंग आदि के साथ-साथ सभी चेकपॉइंट्स पर यात्रियों के स्वचालित सत्यापन में सहयोग करता है।

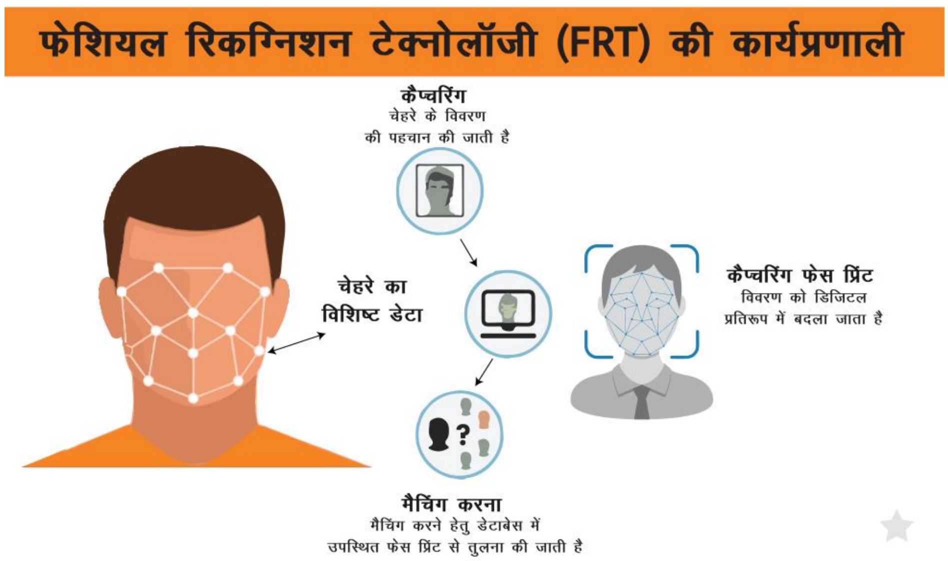

FRT के बारे में

- फेशियल रिकॉग्निशन **बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन** पर आधारित एक तकनीक है। यह किसी व्यक्ति के चेहरे की आकृति के आधार पर फेस पैटर्न की तुलनात्मक जांच और विश्लेषण करके किसी व्यक्ति को विशिष्ट रूप से चिन्हित या सत्यापित करती है।
- **अधिकतर FRT प्रणालियों के तहत निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों का उपयोग किया जाता है:**
    - कैमरा;
    - संग्रहीत इमेज का एक डेटाबेस; तथा
    - एक कंप्यूटर एल्गोरिदम।
        - एल्गोरिदम, कैमरे द्वारा ली गई इमेज की डेटाबेस में संग्रहित इमेज के साथ तुलना करके **'फेसप्रिंट'** का निर्माण करता है।
- फेसप्रिंट में चेहरे से संबंधित विशेष जानकारियां शामिल होती हैं, जैसे कि आंखों के बीच की दूरी। इसे फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम सत्यापित करता है।

[109] Biometric Enabled Seamless Travel experience

 ©Vision IAS

FRT के उपयोग से जुड़ी चिंताएं

- **निगरानी:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिटिक्स तथा क्लोज-सर्किट टेलीविज़न (CCTV) कैमरों के मौजूदा सेटअप के साथ फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग बड़े पैमाने पर जन-निगरानी से जुड़े मुद्दों को उत्पन्न कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए- चीन में फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग नस्लीय प्रोफाइलिंग तथा उइगर मुस्लिमों की ट्रैकिंग और नियंत्रण के लिए किया जा रहा है।
- **त्रुटिपूर्ण और गलत पहचान:** FRT के परिणाम केवल संभावनाओं पर आधारित होते हैं। यह तकनीक निश्चित परिणाम प्रदान करने की जगह केवल संभावनाओं के आधार पर छवि का मिलान या पहचान करती है। इसके अतिरिक्त, कुछ समूहों विशेषकर गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों, महिलाओं और युवाओं के संदर्भ में इसके परिणाम असमान रूप से त्रुटिपूर्ण रहे हैं। ऐसी त्रुटियां प्रशिक्षण एल्गोरिदम हेतु उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट में मौजूद असमानताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।
    - इसके परिणाम **"फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव"** हो सकते हैं। **फॉल्स पॉजिटिव** से आशय किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने या भ्रामक पहचान प्रस्तुत किए जाने से है। इसके विपरीत, **फॉल्स नेगेटिव** का तात्पर्य किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से सत्यापित नहीं करने से है।
- **अन्य कार्यों की ओर विस्तार:** इसमें कोई तकनीक या प्रणाली अपने मूल उद्देश्यों को त्यागकर व्यापक कार्यों को करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर लेती है।
    - उदाहरण के लिए- कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी तकनीकों के व्यापक उपयोग से **निगरानी संबंधी विस्तार** को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषकर प्रौद्योगिकी का उपयोग उन लोगों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए।

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है:**
    - उदाहरण के लिए **अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है। यह उल्लंघन डेटा को कैसे और किसके द्वारा एकत्रित, भंडारित, साझा, तथा उपयोग किया जाएगा, इस संबंध में स्पष्टता व सहमति की कमी के कारण हो सकता है।
    - सार्वजनिक स्थानों में निजता के अतिक्रमण से **अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण के अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है।
- **भारत में डेटा सुरक्षा विनियमों का अभाव:** ऐसे विनियमों की कमी सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के भीतर डेटासेट के एकत्रण, भंडारण, उन्हें सुरक्षित बनाए रखने तथा उनके साझाकरण के संबंध में चिंताए पैदा करती हैं।
- **साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे:** फेशियल डेटा को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में रखा गया है। हैकर्स द्वारा ऐसे डेटा पर अनधिकृत अधिकार से धोखाधड़ी, पहचान की चोरी आदि को बढ़ावा मिल सकता है।

- **तकनीकी सीमाएं:** विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो लोगों के चेहरों की सत्यापन संबंधी तकनीकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैमरे का एंगल, प्रकाश का स्तर, इमेज या वीडियो की गुणवत्ता, कपटवेश (disguises), समय के साथ शारीरिक उपस्थिति में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

भारत में फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली के उपयोग से संबंधित मामले

- **पेंशनभोगियों के 'जीवन प्रमाण-पत्र' के सत्यापन** तथा सेवानिवृत्त और बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है।
- तेलंगाना पुलिस ने **ऑपरेशन स्माइल के हिस्से के रूप में** इसका प्रयोग किया है। इस ऑपरेशन को बाल श्रम और लापता बच्चों से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समय-समय पर अभियान चलाने हेतु आरम्भ किया गया था।
- **जांच के उद्देश्य से राज्य की कानून एजेंसियों** (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि) द्वारा इसे अपनाया गया है।
- CBSE द्वारा छात्रों को **डिजिटल मार्कशीट जारी करने के लिए** FRT का उपयोग किया जाता है। इसका बहुकारक प्रमाणन के तहत एक सत्यापन तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) ने वित्तीय सेवाओं के लिए FRT की कार्यक्षमता के परीक्षण हेतु एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा** की है। यह कार्यक्रम **राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर** आरंभ किया जाएगा।
- पुलिस रिकॉर्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) **स्वचालित फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (AFRS)** का निर्माण करेगा।
  - AFRS का उपयोग अपराधियों, अज्ञात शवों तथा लापता/पाए गए बच्चों और व्यक्तियों की पहचान के लिए केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा।

आगे की राह

- फेशियल रिकॉग्निशन में संगठनों की मदद करने के लिए **गोपनीयता प्रभाव मूल्यांकन को अपनाया** जाना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के एकत्रण, उपयोग, साझाकरण और उसे बनाए रखने के संबंध में संगठनों की सहायता कर सकते हैं। साथ ही, इस तरह की व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले निजता/गोपनीयता संबंधी जोखिमों की पहचान करने में भी इस मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है।
- **निम्नलिखित के संबंध में सरकारी एजेंसियों द्वारा FRT का उपयोग किया जा सकता है-**
  - **अनिवार्यता की स्थिति में,** जो यह प्रमाणित करती हो कि लोकतांत्रिक समाज में लोगों की निजता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है; तथा
  - **आनुपातिक होने पर:** सरकार को यह प्रदर्शित करना होगा कि ऐसे हस्तक्षेप, अनिवार्यता के समानुपाती हैं अर्थात प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, न ऐसे कोई अन्य विकल्प मौजूद होने की पुष्टि की गई हो, जिन्हें उक्त उपायों की जगह लागू किया जा सके।
- डेटा को हटाने और मिटाने के विकल्प के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए **सहमति-आधारित मानकों एवं कानूनों को लागू** किया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, प्रारूप व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के उपयोग को इसकी उच्च स्तर की सुरक्षा के कारण 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **तकनीकी कदम उठाए जाने चाहिए:**
  - डेटासेट का विस्तार करके फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम में **नस्लीय और लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर** किया जाना चाहिए।
  - गोपनीयता/डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए **विकेन्द्रीकृत पहचान प्रबंधन को अपनाया** जाना चाहिए।
  - निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा **फेशियल डेटा के सुरक्षित संग्रहण/भण्डारण को सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
  - तकनीकी व्यवहार्यता और सटीकता निर्धारित करने के लिए **FRT प्रणाली के दायरे, संरचना तथा प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु प्रयास** किए जाने चाहिए।

4.3. जाली मुद्रा नोट (Counterfeit Currency Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा के मूल्य में गिरावट आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा का मूल्य **वर्ष 2016-17 के 43.47 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2021-22 में लगभग 8.26 करोड़ रुपये** हो गया है। यह **80% से अधिक की तीव्र गिरावट** को दर्शाता है।
- इस अवधि के दौरान, **विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अधिक मात्रा में जाली मुद्रा नोट जब्त किए हैं।**

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा का मूल्य लगभग **28 करोड़ रुपये** था। यह मूल्य वर्ष 2020 में बढ़कर **92.18 करोड़ रुपये** हो गया था।

जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए उठाए गए कदम

जाली नोटों की छपाई और प्रचलन से संबंधित कानूनी प्रावधान	• **भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से लेकर 489E के अंतर्गत** 'जालसाजी' को एक अपराध के रूप में घोषित किया गया है। इस कृत्य के लिए कानून के तहत जुर्माना या सात वर्ष की सजा अथवा आजीवन कारावास या दोनों के रूप में दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। • उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय नोटों के उत्पादन, तस्करी या प्रचलन की गतिविधियों को **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967**[110] के दायरे में लाया गया है।
RBI द्वारा अपनाए गए जालसाजी विरोधी उपाय	• **भारतीय बैंकनोटों में नोटों से संबंधित सुरक्षा उपायों को अपनाया** गया है। उदाहरण के लिए वॉटरमार्क/सिक्योरिटी थ्रेड/लेटेंट इमेज/माइक्रो-लेटरिंग/इंटेग्लियो/आइडेंटिफिकेशन मार्क/फ्लोरोसेंस/ऑप्टिकल वेरिएबल इंक इत्यादि। • **बैंकनोट की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का निरंतर उन्नयन** किया जाता है। • जाली या नकली नोटों के प्रचलन को रोकने में मदद करने के लिए नागरिकों को शिक्षित करने हेतु **जन जागरूकता अभियान** चलाए जाते हैं। • **नोट छँटाई मशीनों की भी स्थापना** की गई है। • जालसाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी बैंकों में **जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठों** का भी गठन किया गया है। • **नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन** किया जाता है।

जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN)[111] **के प्रचलन की निगरानी एवं जब्ती हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय**	• सरकार ने राज्यों और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया सूचना व जानकारी साझा करने के लिए **FICN समन्वय समूह** का गठन किया है।
	• देश में जाली मुद्रा के प्रचलन में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की **खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित** किया जा रहा है। साथ ही, ऐसे कृत्यों के लिए दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
	• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)[112] के अधीन एक **टेरर फंडिंग और फेक करेंसी प्रकोष्ठ** का गठन किया गया है। यह आतंकवादियों के वित्तपोषण और जाली मुद्रा से जुड़े मामलों की सघन जांच करेगा।
	• केंद्र/राज्य स्तर पर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का आयोजन किया जाता है।
	• FICN के प्रचलन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के रूप में **1000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण** किया गया था।
	• **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:**
	  ○ **नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों** को भारतीय मुद्रा की तस्करी/जालसाजी के बारे में संवेदनशील बनाने **के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।**
	  ○ FICN के तस्करों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विश्वास व सहयोग के निर्माण हेतु **भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य बल का गठन** किया गया है।

आगे की राह

भारत FICN की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सभी पारंपरिक उपायों को अपना रहा है। हालांकि, इस दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता सीमित रही है और इससे संबंधित समस्याएं अभी भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में सभी मूल्यवर्ग के जाली नोटों में बढ़ोतरी हुई है।

---

[110] Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967

[111] Fake Indian Currency Notes

[112] National Investigation Agency

इस मुद्दे से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं:

- **डिजिटल मुद्रा का अंगीकरण:** विशेषज्ञों का मानना है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) नकली नोटों के प्रचलन को रोकने में मदद कर सकती है। इसका कारण यह है कि CBDC का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
  - RBI एक डिजिटल मुद्रा लाने पर विचार कर रहा है। इसे डिजिटल लेन-देन के लिए भारतीय मुद्रा की जगह प्रयोग किया जा सकता है।
- **डिजिटल लेनदेन बढ़ाना:** नकद लेन-देन की जगह क्रेडिट/डेबिट कार्ड और डिजिटल लेन-देन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **कानून प्रवर्तन संबंधी विचार:** जालसाजी को रोकने के लिए नए कानूनों का निर्माण करना चाहिए तथा उनके प्रवर्तन हेतु रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए। इससे जालसाजों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले खतरे को दूर किया जा सकेगा।
- **मिश्रित विशेषताओं को अपनाना:** उच्च स्तर के व्यवहारिक जाली मुद्रा-रोधी प्रयासों के लिए मिश्रित विशेषताओं को अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- सिक्योरिटी थ्रेड को फोटो ल्यूमिनसेंट इंक के साथ प्रिंट किया जाना चाहिए।
- **सूचना का आदान-प्रदान:** नई विशेषताओं की प्रभावशीलता, विशेषताओं के स्थायित्व, लोक स्वीकृति, जालसाजी विधियों तथा विकासाधीन विशेषताओं के संबंध में विश्व के अन्य देशों के साथ सूचनाओं का विनिमय जारी रखना चाहिए।
- **नकली नोटों का पता लगाना:** बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रवेश करने वाले नकली नोटों का पता लगाने के लिए सभी बैंक शाखाओं में नोट छँटाई मशीन होनी चाहिए।

जाली नोटों के खतरे

काला बाजारी और भ्रष्टाचार

जाली मुद्रा के व्यापक प्रचलन के कारण बाजार में आपूर्ति की कमी उत्पन्न होती है। यह कालाबाजारी की एक और गंभीर समस्या को जन्म देती है। इसके परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार का दुष्चक्र उत्पन्न होता है।

मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रास्फीति

बाज़ार में जाली मुद्रा के प्रवेश से, चलन में मुद्रा की अवांछनीय वृद्धि होती है। इससे लोगों की क्रय शक्ति कृत्रिम रूप से बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। यह वैध मुद्रा के मूल्य को कम करती है। परिणामस्वरूप, मुद्रा का अवमूल्यन होता है।

जनता के विश्वास की हानि

जाली मुद्रा के चलन में वृद्धि से, लोगों का अपने देश की अर्थव्यवस्था और उनके पास मौजूद मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है।

आतंकवाद में वृद्धि

जाली मुद्रा लंबे समय से भारत में आतंकवाद के लिए फंडिंग का स्रोत रही है। उदाहरण के लिए–26/11 के मुंबई हमले के दौरान शुरूआती गतिविधियों को वित्त–पोषित करने के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा जाली मुद्रा रैकेट और हवाला (अवैध धन हस्तांतरण) चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

आर्थिक प्रभाव

आपराधिक नेटवर्क जाली नोटों को असली नोटों से बदल देते हैं। यह न केवल मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) को बढ़ावा देता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा भी पैदा करता है।

- **नागरिकों की भूमिका:** लोगों को FICN के बारे में जागरूक बनाने हेतु प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुद्रा के जाली होने के संदेह के संबंध में बैंकों/पुलिस को सूचित करने हेतु नागरिकों को जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।

4.4. भारत-नागा युद्धविराम समझौता (Indo-Naga ceasefire agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा)[113] और केंद्र सरकार के मध्य किए गए **"भारत-नागा युद्धविराम समझौते के 25 वर्ष पूर्ण** हुए हैं।

भारत-नागा युद्धविराम समझौते के बारे में

- 25 जुलाई 1997 को NSCN-IM और भारत सरकार के मध्य एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह युद्ध विराम समझौता **1 अगस्त, 1997 को प्रभावी** हुआ था।
- **इसके परिणामस्वरूप, भारत-नागा शांति वार्ता की शुरुआत** हुई थी।

---

[113] National Socialist Council of Nagalim (Isak-Muivah): NSCN (IM)

- इसने भारत और म्यांमार के मध्य स्थित क्षेत्रों में रहने वाले **नागाओं द्वारा लंबे समय से की जा रही राजनीतिक मांगों के समाधान की दिशा में एक अवसर** प्रदान किया है।
- हालांकि, इस समझौते के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी **नागा संघर्ष पर अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं खोजा जा सका** है।

नागा जनजाति के बारे में

- **नागालैंड लगभग पूरी तरह से नागा जनजातियों द्वारा अधिवासित** है। कुकी, कछारी, गारो, मिक्रि, असमिया आदि जनजातियां भी यहां अधिवासित हैं, लेकिन ये केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। तात्पर्य यह है कि यहां रहने वाले लोगों में नागा जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है।
- **प्रमुख नागा जनजातियों में** एओ, अंगामी, चांग, चाकेसांग, कचारी, खियामनिउंगन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, तिखिर, यिमखिउंग और जेलियांग शामिल हैं।
- **नागा कोई मिश्रित लोगों का समूह नहीं** हैं और न ही वे कोई एक भाषा बोलते हैं। उनकी **पोशाक और अन्य सांस्कृतिक अभिलक्षणों तथा उनकी शारीरिक विशेषताओं में व्यापक भिन्नता** पाई जाती है।
- **नागाओं में जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं** है। किंतु प्रत्येक नागा जनजाति कई कुलों में विभाजित है।
- नागाओं की **सांस्कृतिक परंपराओं** में ऐसी अनेक विशेषताएं शामिल हैं, जिन्हें सभी जनजातियों में एक समान रूप से देखा जा सकता है। जैसे **शत्रु का सिर काटकर लाना (head hunting), एक प्रकार का परीक्षण विवाह या शादी से पहले समागम की स्वतंत्रता, ऊंचाई वाले एक स्थान पर मृतकों का संस्कार** आदि।

नागा शांति वार्ता के मार्ग में अवरोध

- **मांगों की प्रकृति:** NSCN (IM), एक पृथक ध्वज एवं संविधान की मांग को शांति वार्ता प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मानता है। इसका कहना है कि इन मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किए बिना समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। अतः इसके लिए देश की संघीय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **विभिन्न नृजातीय समूहों के लिए साझा लक्ष्य खोजना:** नागालैंड में जनजातीय जुड़ाव का स्तर अत्यंत उच्च है। इस कारण सभी नागाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी समूह के दावे को लेकर अन्य गुटों के मध्य अब तक सहमति नहीं बन पाई है।
- **संविधान के अनुच्छेद 371A की सीमाएं:** इस अनुच्छेद की सीमाएं तब प्रकट हुईं, जब नागालैंड विधान सभा ने **अनुच्छेद 371A(1)(a)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। इसमें कहा गया था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अभिशासन हेतु संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, वर्ष 2013 में, सरकार ने नागालैंड विधान सभा के संकल्प को "असंवैधानिक और अमान्य" घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 371A(1)(a) **खनिज तेल के विनियमन और विकास पर नागालैंड की विधान सभा को विधायी शक्ति प्रदान नहीं** करता है।
  - अतः इस अनुच्छेद में संशोधन चल रही नागा शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि इस प्रश्न का समाधान किया सके कि नागा लोगों का भूमि एवं संसाधनों पर अधिकार है अथवा नहीं।

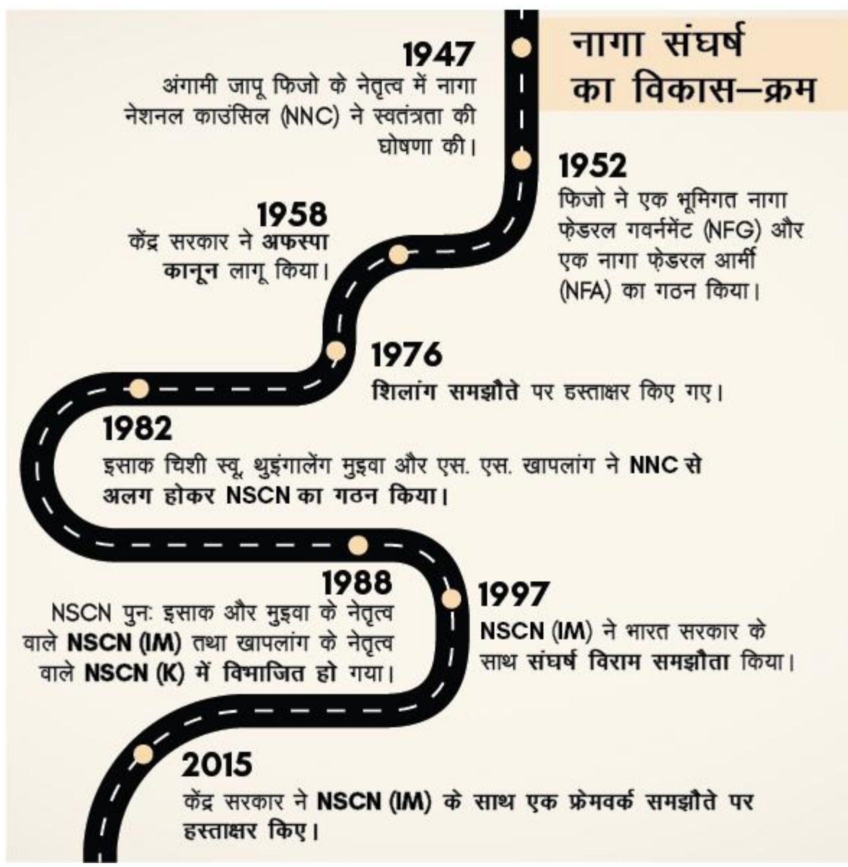

  - अनुच्छेद 371A विनिर्दिष्ट करता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; नागा रूढ़िजन्य विधि एवं प्रक्रिया; सिविल एवं दांडिक न्याय प्रशासन तथा भूमि एवं उसके संपत्ति स्रोतों के स्वामित्व व हस्तांतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा।
- **अन्य राज्यों से जुड़ी चिंताएं:** नागा अधिवासित क्षेत्रों का एक वृहद् नागालैंड में एकीकरण इस शांति प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना देगा। वृहद् नागालैंड को वे **नागालिम** कहते हैं। इसमें तीन राज्य यथा **असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के क्षेत्र शामिल होंगे।

- **अल्प पारदर्शिता और सीमित भागीदारी:** पिछली शांति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव था और सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने संबंधी विफलता भी सामने आई है। इसके अतिरिक्त, वार्ताओं में उनके मुद्दों को भी शामिल नहीं किया जा रहा है।
  - इसके अलावा, **इस क्षेत्र में जारी हिंसा, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा/AFSPA) के लागू रहने,** तथा **संघर्ष के समग्र प्रबंधन में लोगों के विश्वास में कमी के कारण** स्थिति व वार्ता और जटिल हो सकती है।

आगे की राह

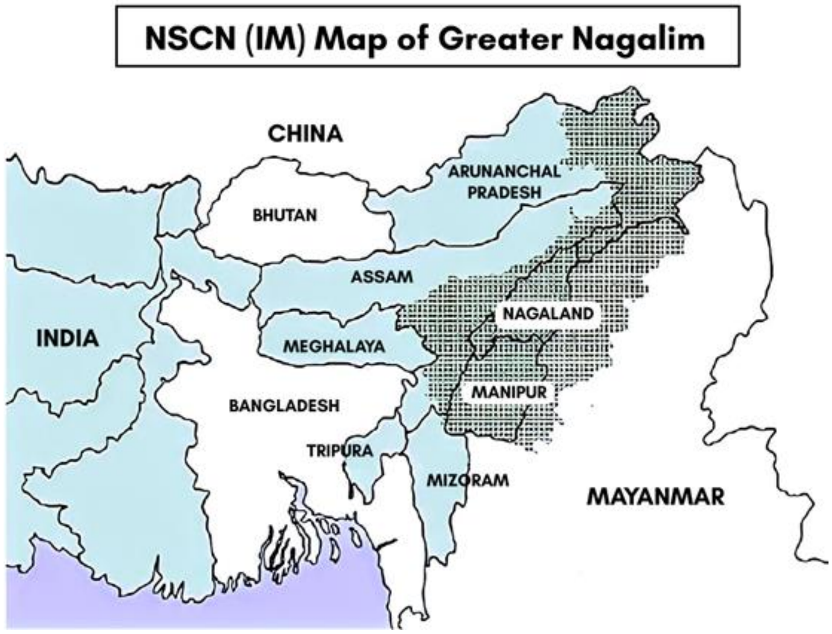

- **जहां तक संभव हो सके वार्ता को जनता की जानकारी से दूर रखा जाना चाहिए।** प्रचार, शांति वार्ता के संपन्न होने को लेकर बार-बार घोषणाएं, निंदा आदि ने वर्ष 2015 के बाद की वार्ताओं को विफल बना दिया है।
- **सरकार को समय सीमा घोषित करके समाधान निकालने की जल्दबाजी नहीं** करनी चाहिए। नागा संबंधों में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए समय, स्थान और सतत वार्ताओं को संचालित किए जाते रहना चाहिए।
- **मणिपुर के नागा अधिवासित क्षेत्रों में स्वायत्तता और एक अखिल-नागा निकाय के संचालन** जैसे पहलुओं पर अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही, इस दिशा में **प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी** चाहिए।
- **विश्वास-निर्माण के उपायों में** स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहमति जैसे घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे उपायों को केवल NSCN (IM) के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में ही लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता** है, ताकि लोगों की वास्तविक समस्याओं को एक बड़े मंच पर पहुंचाया जा सके। न केवल भारत और पूर्वोत्तर के बीच, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के मध्य भी अधिक पार-सांस्कृतिक खुलेपन (cross-cultural openness) की आवश्यकता है।

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

4.5.1. 'निदान/ NIDAAN या 'नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को-ऑफेंडर्स' {Nidaan (National Integrated Database on Arrested Narco Offenders}

- मादक पदार्थों के अपराधियों (तस्करी, विक्रय आदि गतिविधियों में लिप्त) के डेटाबेस के लिए **'निदान' पोर्टल** शुरू किया गया है।
- निदान अपनी तरह का पहला डेटाबेस पोर्टल है। यह पोर्टल विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा मादक पदार्थों के अपराधियों का डेटा प्राप्त करने के लिए **'वन-स्टॉप समाधान'** है।
  - इसे **'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' (NCB) ने विकसित किया है।**
    - यह **पहले लॉन्च किए गए नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मेकेनिज़्म (NCORD)** पोर्टल का हिस्सा है।
    - यह **ICJS** (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) और **ई-प्रिजन (क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन)** रिपॉजिटरी से डेटा प्राप्त करता है।
    - **इसे अपराध और अपराधियों की निगरानी की नेटवर्क प्रणाली या CCTNS के साथ एकीकृत करने** की योजना है।

4.5.2. फोरेंसिक जांच अनिवार्य (Forensic Probe Mandatory)

- दिल्ली पुलिस **देश का पहला ऐसा पुलिस बल** बन गया है, जिसने अपराधों में **फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य** कर दिया है। लेकिन, यह अनिवार्यता केवल छह वर्षों से अधिक की सजा वाले अपराधों पर ही लागू होगी।

- फोरेंसिक साक्ष्य **कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत विज्ञान का अनुप्रयोग है।**
    - **अदालती कार्यवाहियों के तहत प्रमुख डेटा का विश्लेषण** संभावित अभियुक्तों की दोषसिद्धि या बेगुनाही को साबित करने में मदद कर सकता है।
    - इसके तहत, प्रत्येक जिले को **एक फोरेंसिक मोबाइल वैन** आवंटित की जाएगी। यह घटना स्थल पर वैज्ञानिक और फोरेंसिक सहायता प्रदान करेगी। यह वैन **एक स्वतंत्र इकाई होगी, जो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगी।**

4.5.3. संयुक्त समुद्री बल {Combined Maritime Forces (CMF)}

- **भारत ने बहरीन स्थित 'संयुक्त समुद्री बल' (CMF) के साथ सहयोग** आरम्भ कर दिया है।
- CMF, **अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है।** इसके अधीन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पोत परिवहन मार्ग शामिल हैं।
    - CMF में 34 राष्ट्र शामिल हैं। इस समूह की **कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है।** भारत अभी इसका सदस्य नहीं है।
- CMF का **मुख्य फोकस क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकना, तस्करी-रोधी व समुद्री डकैती-रोधी कार्य करना,** क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं।
- **इसमें निम्नलिखित टास्क फोर्स शामिल हैं:**
    - CTF 150 (समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी),
    - CTF 151 (समुद्री डकैती-रोधी),
    - CTF 152 (अरब खाड़ी की सुरक्षा और सहयोग),
    - CTF 153 (लाल सागर समुद्री सुरक्षा)।

4.5.4. ऑपरेशन स्काईलाइट (Operation Skylight)

- भारतीय सेना ने कथित तौर पर अपनी **उपग्रह-आधारित प्रणाली की ऑपरेशनल तैयारी के लिए एक अभ्यास** आयोजित किया है। यह प्रणाली **ऑपरेशन 'स्काईलाइट'** के तहत देश भर में तैनात है।
    - संघर्ष के समय **जमीनी संचार प्रणाली बाधित हो जाने पर** उपग्रह-आधारित प्रणालियां संचार **क्षमताओं के लिए लचीलापन** प्रदान करती हैं।
- भारतीय वायुसेना और नौसेना के विपरीत, **थल सेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित उपग्रह नहीं** है।
    - वर्तमान में, सेना GSAT-7A की **संचार क्षमताओं का 30% उपयोग** कर रही है।
    - रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **GSAT-7B उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी** प्रदान की है।
- **GSAT-7 श्रृंखला के उपग्रह** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह हैं। ये **रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने** पर केंद्रित हैं।
    - **GSAT-7** उपग्रह को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय **नौसेना** अपनी संचार आवश्यकताओं के लिए करती है।
        - यह नौसेना को एक **सुरक्षित और रियल टाइम संचार लिंक** स्थापित करने में मदद करता है।
    - **GSAT 7A** को वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। यह **भारतीय वायु सेना के ग्राउंड रडार स्टेशनों, एयरबेस और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट (AEW&C)** के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है।
    - **GSAT-7B** मुख्य रूप से **थल सेना** की संचार जरूरतों को पूरा करेगा।
        - यह **सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को अपनी निगरानी बढ़ाने में मदद** करेगा।

4.5.5. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Exercise in News)

विनबैक्स (VINBAX) 2022:

- हाल ही में, **'भारत-वियतनाम' के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** 'विनबैक्स 2022' का सफल आयोजन संपन्न हुआ है।
- यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास था, **क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी (VPA) ने किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास किया है।**

अभ्यास 'पिच ब्लैक:

- यह एक **बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास** है। इसका **आयोजन द्विवार्षिक रूप से रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF)** करती है।
  - भारत 16 अन्य देशों के साथ इस अभ्यास में भाग लेगा।

अभ्यास वज्र प्रहार, 2022:

- यह **भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास** है।

अभ्यास अल-नजाह-IV (Al Najah-IV):

- यह **भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना** के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

4.5.6. टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल {Anti-Tank Guided Missiles (ATGM)}

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **स्वदेशी रूप से विकसित लेजर-निर्देशित ATGM** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण **मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन** से किया गया है।
- ATGM **विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ERA) से संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए क्रमबद्ध रूप से हाई एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक' (HEAT) वारहेड** का प्रयोग करता है।
- इसे **मल्टी-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता** के साथ विकसित किया गया है।

4.5.7. कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल {Vertical Launch Short Range Surface-To-Air Missile (VL-SRSAM)}

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने **VL-SRSAM की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया है। यह **स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा विकसित** मिसाइल है।
- VL-SRSAM **पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली** है। यह सी-स्किमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी कर सकती है।
- मिसाइल को **40-50 कि.मी. की दूरी पर और लगभग 15 कि.मी. की ऊंचाई** पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
  - इसका डिजाइन **अस्त्र मिसाइल** पर आधारित है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है।
- **VL-SRSAM की मुख्य विशेषताएं:**
  - **क्रूसिफ़ॉर्म विंग्स:** ये एक स्थिर वायुगतिकीय स्थिति प्रदान करते हैं।
  - **थ्रस्ट वेक्टरिंग:** यह अपने इंजन नियंत्रण से थ्रस्ट की दिशा बदलने का कार्य करती है।
  - **कनस्तरीकृत प्रणाली:** इसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कम्पार्टमेंट में भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है।

4.5.8. बटरफ्लाई माइन (Butterfly Mine)

- रूस पर **PFM-1** का उपयोग करने का आरोप लगा है। PFM-1 को **"बटरफ्लाई माइंस" के रूप में भी** जाना जाता है। ये **खिलौनों** की तरह दिखते हैं और **इसलिए बच्चों के लिए खतरनाक** हैं।
- PFM-1 और PFM-1S दो प्रकार के **'एंटी-पर्सनेल (anti-personnel) लैंड माइंस'** हैं। इन्हें आमतौर पर **'बटरफ्लाई माइंस' या 'ग्रीन पैरट'** कहा जाता है।
  - इन माइंस को **हेलीकॉप्टरों से गिराकर या तोपखाने** और **मोर्टार के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक प्रसार के माध्यम से बिछाया जा सकता है।**
- **लैंड माइंस पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** ने 'एंटी-पर्सनेल लैंड माइंस' को प्रतिबंधित किया हुआ है। हालांकि, **रूस और यूक्रेन इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।**

4.5.9. शुद्धिपत्र (Errata)

मासिक समसामयिकी, जुलाई 2022 के टॉपिक 4.2. में एक टाइपोलॉजिकल त्रुटि के कारण, पहले इन्फोग्राफिक में पश्चिमी थिएटर कमांड के उद्देश्य का गलत उल्लेख किया है - "डोपिंग-रोधी विवादों में प्रक्रियागत मसलों के समाधान के लिए".... जबकि यहां सही यह होना चाहिए था - "पाकिस्तान के साथ संलग्न सीमा के लिए"।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. भारत का अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Updated NDCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने **अपडेटेड NDCs**[114] को मंजूरी दे दी है। अब इस अपडेटेड NDCs को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)[115] को भेजा जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे पूर्व, UNFCCC के 26वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के दौरान सदस्य देशों ने "ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट" पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पक्षकार देशों से **2022 के अंत तक अपने NDCs के तहत 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था।**
- इसलिए, भारत के अपडेटेड NDCs को **भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों** और **साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)**[116] के सिद्धांत को ध्यान में रखने हुए तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के बारे में

- पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को **2020 के बाद की अपनी जलवायु कार्य-योजनाओं की** रूपरेखा तैयार करने तथा उसे प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। इन जलवायु **कार्य-योजनाओं** की रूपरेखा को NDCs के रूप में जाना जाता है।
- ये जलवायु **कार्य-योजनाएं** ही निर्धारित करेगीं कि विश्व पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है या नहीं। इन लक्ष्यों में पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में **ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे या संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना शामिल है।**
- इन्हें **हर पांच वर्ष में UNFCCC सचिवालय में प्रस्तुत/जमा किया जाता है।**

भारत के NDCs के बारे में

- भारत ने 2015 में UNFCCC को अपना पहला NDC प्रस्तुत किया था।
  - 2015 के NDC में आठ लक्ष्य शामिल थे। इसमें से तीन 2030 तक हासिल करने वाले मात्रात्मक लक्ष्य हैं:
    - **उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना,**
    - **स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि करना,** तथा
    - **वनावरण और वृक्षावरण बढ़ाकर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।**
- **अपडेटेड NDCs के बारे में:**
  - यह **2021-2030 की अवधि** के दौरान भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
  - नए NDCs के तहत **2015 के NDCs के तीन मात्रात्मक लक्ष्यों में से निम्नलिखित दो को अपडेट किया गया है:**
    - **उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना,** और
    - स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।

[114] राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान / Nationally Determined Contribution

[115] United Nations Framework Convention on Climate Change

[116] Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities

 ©Vision IAS

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

मात्रात्मक लक्ष्य

	वर्ष 2030 के लिए लक्ष्य	पूर्ववर्ती NDC, 2015	अपडेटेड NDC, 2022	प्रगति
1.	GDP के संदर्भ में **उत्सर्जन तीव्रता को कम** करना।	2005 के स्तर की तुलना में **वर्ष 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत की कमी** करना।	2005 के स्तर की तुलना में **वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत की कमी** करना।	2005 के स्तर की तुलना में **28% की अनुमानित कमी** हुई है।
2.	**गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना।** यह लक्ष्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) से वित्त सहित कम ब्याज वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से पूरा किया जाएगा।	लगभग **40%**	लगभग **50%**	जून, 2022 के अंत तक **41.5%** की प्राप्ति हुई है
3.	अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से **अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।**	**2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड** के बराबर।	पूर्ववर्ती NDC के समान	

गुणात्मक लक्ष्य (Qualitative Target)

	पूर्ववर्ती NDC, 2015	अपडेटेड NDC, 2022
4.	भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवनयापन के एक स्वस्थ व **संधारणीय तौर–तरीकों को आगे बढ़ाना।**	भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवनयापन के एक **स्वस्थ व संधारणीय तौर–तरीकों को आगे बढ़ाना।** साथ ही, इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कुंजी के रूप में 'लाइफ' – **"लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट"** – नामक एक जन–अभियान को भी शामिल किया गया है।
5.	आर्थिक विकास के इसी स्तर पर दूसरे देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग के विपरीत **जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को अपनाना।**	पूर्ववर्ती NDC के समान
6.	जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर **जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता प्राप्त करना। ऐसे** सुभेद्य क्षेत्रों में शामिल हैं– कृषि क्षेत्रक, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, आदि।	पूर्ववर्ती NDC के समान
7.	**घरेलू पूँजी के साथ–साथ विकसित देशों से नई एवं अतिरिक्त धनराशि जुटाना।** इससे फंड्स की कमी नहीं होगी और उपर्युक्त शमन व अनुकूलन कार्यों को पूरा किया जा सकेगा।	पूर्ववर्ती NDC के समान
8.	भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी को यथाशीघ्र अपनाने हेतु **क्षमता का निर्माण करना।** इसके अलावा, ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों हेतु संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए **घरेलू फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का निर्माण करना।**	पूर्ववर्ती NDC के समान

नई प्रतिबद्धताओं से संबंधित चुनौतियां

- **कोयले पर निर्भरता:** कोयला आधारित संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से बंद करने की गति की तुलना में अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने की गति कम है।
- **अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ने में बाधाएं:** इसमें अनियमित आपूर्ति; संबंधित कम्पोनेंट्स के लिए आयात पर अधिक निर्भरता; स्टोरेज की उच्च लागत; ग्रिड कनेक्टिविटी आदि से संबंधित बाधाएं शामिल हैं।
- **पंचामृत प्रतिबद्धताओं की पूर्ति:** ग्लासगो में की गई निम्नलिखित दो प्रतिबद्धताओं को आधिकारिक लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है:
    - 500 GW की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता हासिल करना, और
    - कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कम-से-कम एक बिलियन टन के बराबर कमी करना।

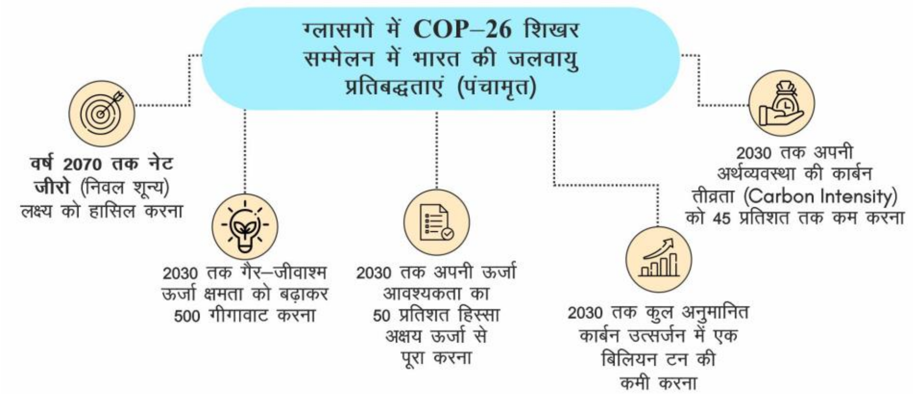

- **वित्तीय बाध्यताएं:** इन लक्ष्यों को हासिल करने हेतु विकसित देशों से 1 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त-पोषण की आवश्यकता होगी।
- **इसमें क्षेत्रक-आधारित शमन** दायित्व या कार्रवाई **का अभाव है।**

आगे की राह

- UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत **विकसित देशों के द्वारा नए व अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी प्रावधान भी किया जाना चाहिए।**
- मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों को समय से पूर्व चरणबद्ध रूप से बंद करना तथा भावी कोयला आधारित परियोजना में कमी लाना चाहिए।
- **इस संबंध में निवल शून्य लक्ष्यों** के लिए शमन संबंधी एक कुशल रणनीति को तैयार किया जाना चाहिए।
- **अक्षय ऊर्जा को अपनाने में** सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर आदि जैसे **औद्योगिक क्षेत्रक कठिनाई का सामना करते हैं।** इसलिए ऐसे क्षेत्रकों में चरणबद्ध रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के बजाए अक्षय ऊर्जा को अपनाने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा किए जा रहे प्रयास

- **करों में रियायत और प्रोत्साहन जैसे- विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा अक्षय ऊर्जा को अपनाने के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना।**
- **भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे उत्सर्जन में वार्षिक तौर पर 60 मिलियन टन की कमी होने का अनुमान है।
- **उजाला अर्थात् सभी के लिए किफायती एल.ई.डी. द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA)**[117] योजना को आरंभ किया गया है। इससे उत्सर्जन में वार्षिक तौर पर 40 मिलियन टन की कमी हो रही है।
- इस संबंध में **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP)**[118] और **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)**[119] को आरंभ किया गया है।
- **अक्षय ऊर्जा में वृद्धि हेतु नीतियां:** इसमें राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति; राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति; राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति; हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति आदि शामिल है।
- **अन्य योजनाएं:** इसमें सोलर रूफटॉप कार्यक्रम; अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्क; निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (PAT)[120] योजना; उज्ज्वला; फेम इंडिया योजना; किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (SATAT)[121], आदि शामिल है।

5.2. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 {Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित कर दिया।

---

117 Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All

118 National Afforestation Programme

119 National Mission for a Green India

120 Perform Achieve and Trade

121 Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के बारे में:

- यह विधेयक **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन** करने के लिए पेश किया गया है। यह अधिनियम देश में ऊर्जा दक्षता अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कानूनी फ्रेमवर्क, संस्थागत व्यवस्था और विनियामक तंत्र प्रदान करता है।
    - 2001 के अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:
        - नामित उपभोक्ता (Designated Consumer);
        - **उपकरणों के मानक और उनकी लेबलिंग;**
        - **ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता;**
        - संस्थागत ढांचे का निर्माण **(ऊर्जा दक्षता ब्यूरो);** और
        - **ऊर्जा संरक्षण कोष** की स्थापना।
    - वर्तमान में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (वर्ष 2010 में संशोधित) द्वारा भारत में इस क्षेत्र को प्रबंधित किया जाता है।
- इसके अलावा, 2001 के अधिनियम को वर्ष 2010 में **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010** के माध्यम से संशोधित किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य समय के साथ ऊर्जा बाजार के विकास के साथ उभरे नए कारकों से निपटने में इस अधिनियम को सक्षम बनाना था।
- **2022 के विधेयक का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत** में कमी करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रमुख प्रावधान

- **इसके द्वारा ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों के व्यापार के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया गया:**
    - इसने **केंद्र सरकार को** निर्धारित मानकों और मानदंडों से कम ऊर्जा खपत करने वाले नामित उपभोक्ता को **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया।**
    - इसके तहत निर्धारित मानदंडों से अधिक ऊर्जा खपत करने वाले **नामित उपभोक्ता को** मानदंड संबंधी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र खरीदने में सक्षम बनाया गया।**
- **इसके द्वारा भवन निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण मानदंडों के दायरे का विस्तार किया गया।**
- उपकरणों और यंत्रों के संबंध में लागू होने वाले ऊर्जा दक्षता मानदंडों को सख्त किया गया।
- **उल्लंघन करने से संबंधित दंड में वृद्धि की गई।**
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित विद्युत **अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई का प्रावधान किया गया।**
- केंद्र सरकार के बजाय **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई।**

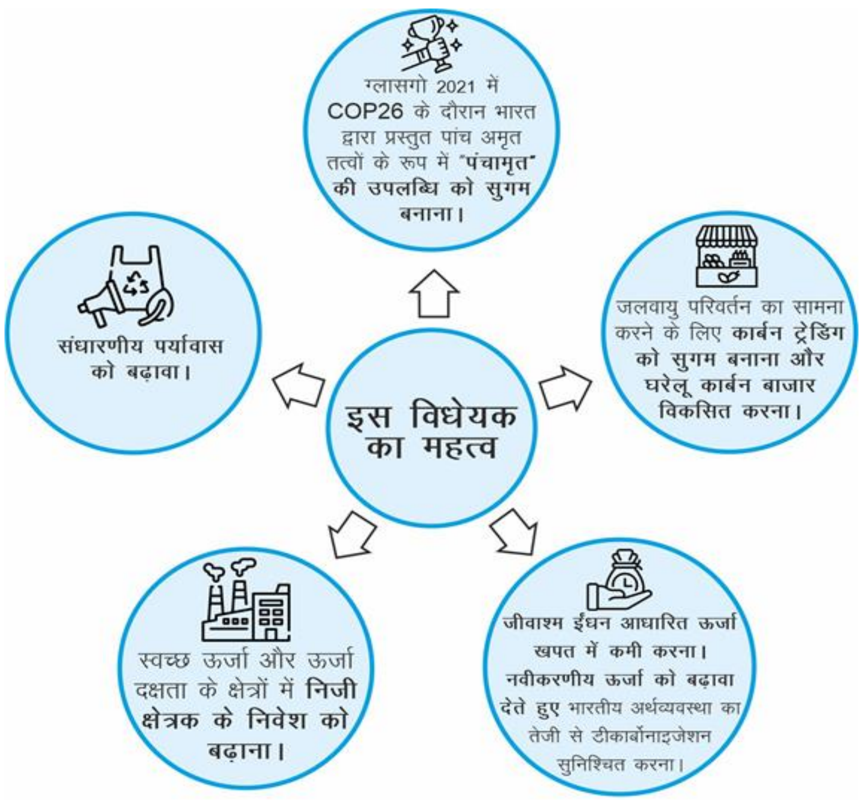

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **गैर-जीवाश्म स्रोतों आधारित ऊर्जा के उपयोग संबंधी अनिवार्यता:** यह केंद्र सरकार को नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा अथवा फीडस्टॉक के रूप में **गैर-जीवाश्म स्रोतों के एक निश्चित हिस्से के उपयोग को अनिवार्य** करने का अधिकार देता है। गैर-जीवाश्म स्रोतों से संबंधित ऊर्जा और फीडस्टॉक में एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बायोमास आदि शामिल हैं।
    - इस प्रावधान को **उद्योगों (खनन, इस्पात, सीमेंट, वस्त्र, रसायन एवं पेट्रो रसायन), परिवहन क्षेत्रक (रेलवे सहित) और वाणिज्यिक भवनों** के लिए अनिवार्य किया गया है।
- **कार्बन मार्केट की स्थापना:** यह विधेयक कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के निर्धारण का अधिकार देता है।
    - केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी इस **योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी** कर सकती हैं।
    - ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र या कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट **स्वैच्छिक आधार पर भी खरीदा जा सकता** है।
- **'ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता' पद को 'ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता' के साथ बदलना:** नई संहिता वस्तुतः ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग तथा अन्य हरित भवन संबंधी मानदंड और मानक प्रदान करेगी।

- **ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था में बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना:** नई संहिता विद्युत के एक निश्चित लोड वाले **कार्यालय भवनों या आवासीय भवनों** पर भी लागू होगी। पूर्व में, यह केवल **वाणिज्यिक भवनों पर ही लागू** होती थी।
    - इस सीमा को कम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।
- **वाहनों और पोतों के लिए मानक:** केंद्र सरकार अब निम्नलिखित के लिए ऊर्जा खपत मानक तथा प्रक्रियाओं हेतु मानदंड निर्धारित कर सकती है। ये मानदंड उपकरण और यंत्रों पर भी लागू होंगे।
    - वाहनों (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित वाहन), और
    - पोतों (जहाजों, नावों, रोल-ऑन-रोल-ऑफ पोत आदि)
- **दंड प्रावधानों में संशोधन:** यह विधेयक, अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा खपत संबंधी मानदंडों और मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर या गैर-जीवाश्म स्रोतों के निश्चित हिस्से का उपयोग करने में विफल रहने पर, आदि।
- **SERCs की विनियामक शक्तियाँ:** राज्य विद्युत विनियामक आयोगों **(SERCs)**[122] को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति दी गई है।

इस विधेयक से जुड़ी चिंताएं हैं:

- **विशेष रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे- अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर मौसम का प्रभाव पड़ता है।** इसलिए हो सकता है जब उद्योगों में विद्युत की अत्यधिक मांग हो तब ऐसे ऊर्जा स्रोत उस मांग की पूर्ति न कर पाएं।
- **ऊर्जा के संबंध में किफायती भंडारण प्रौद्योगिकियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।** इसलिए विशेष रूप से निरंतर विद्युत की मांग वाले उद्योगों सहित सभी प्रकार के उद्योगों की मांग के अनुसार विद्युत की आपूर्ति कर पाना कठिन हो सकता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसे ईंधनों में कम अनुसंधान एवं विकास किया गया है।** इसलिए इसके समक्ष तकनीकी और वित्तीय रूप से किफायती होने संबंधी समस्याएं बनी हुई है।

- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद का विस्तार:** इसकी सदस्य संख्या को 20-26 से बढ़ाकर 31-37 कर दिया गया है।
- **राज्य सरकार को नामित एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लगाने का अधिकार है।** इसका उद्देश्य अधिनियम के तहत ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- **अन्य प्रावधान-**
    - राज्य में ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार **राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (SECF)[123] का गठन कर सकती है।**
    - **ब्यूरो के नाम से मिलते-जुलते भ्रामक नाम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।**
    - **नामित एजेंसी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार** करना और उसे राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य किया गया है।

निष्कर्ष

हम इस तथ्य को इनकार नहीं सकते हैं कि देश के विकास के लिए ऊर्जा की पर्याप्त और सुनिश्चित आपूर्ति एक अनिवार्य घटक है। इसलिए बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के साथ, पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना देश को ऊर्जा-कुशल बनना होगा।

इस संशोधन विधेयक के परिणाम के रूप जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रभावों को साकार करने के लिए कुशल अवसंरचना, वित्त और नीति द्वारा समर्थित माहौल को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा (Review of Power Tariff Policy)

- **ऊर्जा पर संसदीय समिति ने भारत में विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा की है।** समिति ने इस मामले में पूरे देश में एकरूपता लाने की सिफारिश की है।
    - विद्युत, संविधान की **सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची** का विषय है। भारत में विद्युत क्षेत्र को **विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा शासित** किया जाता है।
    - विद्युत अधिनियम की **धारा 3** के तहत, केंद्र सरकार ने **वर्ष 2016** में अंतिम बार विद्युत प्रशुल्क नीति को अधिसूचित किया था। इस नीति में 4E पर बल दिया गया है:
        - सभी के लिए बिजली (Electricity),
        - सस्ती दरों के लिए दक्षता प्राप्त करना (Efficiency),
        - इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (Ease), और
        - पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय (Environmentally)

122 State Electricity Regulatory Commissions

123 State Energy Conservation Fund

- **संसदीय समिति की प्रमुख टिप्पणियां और सिफारिशें**

प्रमुख टिप्पणियां	सिफारिशें
राज्यों में **अत्यधिक जटिल और अलग-अलग प्रशुल्क दरें** मौजूद हैं।	**तार्किक रूप से उचित प्रशुल्क दरों का निर्धारण** किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रशुल्क दरों में एकरूपता लाई जानी चाहिए।
विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग के कारण दक्षता काफी कम हो गई है। **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि** लगभग 21% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।	निश्चित समय में सुधारों को लागू किया जाना चाहिए और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए।
कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत क्षेत्र का मुख्य आधार बने रहेंगे।	**कार्बन कैप्चर तकनीक** के माध्यम से उत्सर्जन को सीमित किया जाना चाहिए।
निवेश आकर्षित करने और **वित्तीय व्यवहार्यता** सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद **वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पर चिंता** बनी हुई है।	**बदली हुई परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने** और अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **प्रशुल्क नीति में संशोधन** किया जाना चाहिए।

5.3. एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय-सीमा से पहले ही **पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण (E10)** के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब भारत ने **पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य** को निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है।

भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (Ethanol Blended Programme:EBP)

- एथेनॉल (इथाइल अल्कोहल) एक **जैव ईंधन (Biofuel)** है। इसका उत्पादन **गन्ने या अन्य जैविक पदार्थ** जैसे खाद्यान्नों से प्राप्त **शर्करा के किण्वन** से किया जाता है।
- भारत ने वर्ष 2003 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल का मिश्रण करना था।
- वर्ष 2018 की **"राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति[124]"** में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में **20% एथेनॉल मिश्रण (E20)** की परिकल्पना की गई थी। अब इस लक्ष्य को 5 वर्ष पहले अर्थात् **वर्ष 2025 में ही हासिल किया जाना** है।
- वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना** शुरू की थी। इसका उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाले एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD)[125]** देश में ईंधन ग्रेड एथेनॉल उत्पादन करने वाले डिस्टिलरीज को बढ़ावा देने के लिए **नोडल विभाग है।**

स्वच्छ ईंधन के रूप में एथेनॉल के विकल्प

- **मेथेनॉल (Methanol): गैसोलीन में 15% मेथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल** के आयात में **कम-से-कम 15% की कमी हो सकती है।**
  - इसके अलावा, इससे पार्टिकुलेट मैटर (कणिकीय पदार्थ), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और सल्फर ऑक्साइड (SOx) के संदर्भ में ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में 20% की कमी आएगी। इससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- **ब्यूटाइल अल्कोहल (Butyl Alcohol) या ब्यूटेनॉल (Butanol):**
  - इसमें **एथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है।**
  - इसका रख-रखाव आसान होता है। साथ ही, इसमें अधिक ऊर्जा होती है इसलिए इसे अधिक मात्रा में पेट्रोल या डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
  - **इसका उत्पादन एथेनॉल संयंत्रों में आवश्यक बदलाव करके किया जा सकता है, जो महंगे विकल्प हैं।** हालांकि, इससे एथेनॉल संयंत्र की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी।
- **हाइड्रोजन:** यह **सर्वाधिक स्वच्छ ईंधनों में से एक है। इसे वायु के साथ दहन करने पर उप-उत्पाद के रूप में केवल जल उत्पन्न होता है** और कोई भी कार्बन-आधारित उत्सर्जन नहीं होता है।
  - **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।** यह हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों से संबंधित मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं पर विचार करने वाली **भारत की पहली वैज्ञानिक परियोजना है।**

---

[124] National Policy on Biofuels

एथेनॉल मिश्रण के समक्ष चुनौतियां

- **खाद्य और जल सुरक्षा:** गन्ना एक जल गहन फसल है। इसकी खेती को बढ़ावा देने से भूजल कम हो सकता है। दूसरी ओर, फीडस्टॉक के रूप में अन्य खाद्यान्नों का उपयोग करने से भारत का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकता है।
- **अनुकूल वाहन:** यद्यपि 10% मिश्रण के लिए किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत, जब E20 का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तब वाहनों के इंजन और उनके घटकों का परीक्षण तथा उन्हें E20 के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी।
    - साथ ही, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की लागत सामान्य वाहनों की तुलना में अधिक होगी। ध्यातव्य है कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहन एक से अधिक ईंधन पर चलने वाले वाहन होते हैं।

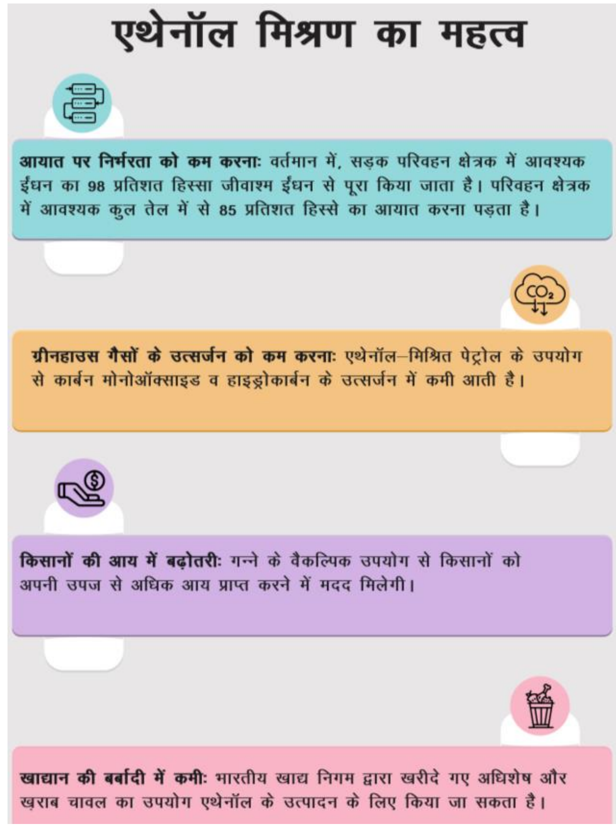

- **पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब:** वर्तमान में, एथेनॉल उत्पादन संयंत्र/ डिस्टिलरी "लाल श्रेणी (Red Category)" के अंतर्गत आते हैं।
    - इन्हें नई और अपना विस्तार करने वाली परियोजनाओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। इन मंजूरियों को प्राप्त करने में होने वाले विलंब के कारण प्रायः ऐसी परियोजनाओं में भी विलंब होता है।
- **कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने से संबंधित मुद्दे:** एथेनॉल के उत्पादन और दहन से CO_2 का उत्सर्जन होता है।
    - इसलिए, निवल शुद्ध CO_2 उत्सर्जन में कटौती से संबंधित लाभ, निम्नलिखित पर निर्भर करता है:
        - एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया गया है; और
        - एथेनॉल के उत्पादन से संबंधित भूमि उपयोग पर अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या रहे हैं।
- **अन्य मुद्दे:**
    - **मौसम संबंधी मुद्दे:** बाढ़ और सूखा फसल को प्रभावित करते हैं, जिससे फीडस्टॉक एवं एथेनॉल की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।
    - मिश्रण के लिए विभिन्न स्थानों पर **एथेनॉल के परिवहन** से लॉजिस्टिक्स की लागत और परिवहन संबंधी उत्सर्जन में वृद्धि होगी।
    - मार्केटिंग टर्मिनलों/ डिपो आदि में एथेनॉल हेतु **अतिरिक्त भंडारण टैंकों की आवश्यकता है।**

आगे की राह

- **गन्ने का विकल्प:** द्वितीय पीढ़ी (2G) सहित गैर-खाद्य फीडस्टॉक (उन्नत जैव ईंधन) से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
    - 2G जैव ईंधन प्रौद्योगिकी में नवाचार हेतु अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश की आवश्यकता है।
- **लॉजिस्टिक लागत को कम करना:** उदाहरण के लिए- देश के पूर्वोत्तर भाग में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए निवेशकों को DFPD की ब्याज सबवेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
    - साथ ही, पर्याप्त आसवन क्षमता[126] का निर्माण करके एथेनॉल का लंबी दूरी तक

[125] (Department of Food and Public Distribution

[126] Adequate Distillation Capacity

परिवहन करने से बचने की आवश्यकता है।

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** मार्केटिंग टर्मिनलों/ डिपो में एथेनॉल अनुकूल वितरण यूनिट्स और अतिरिक्त भंडारण टैंकों की आवश्यकता है।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[127] द्वारा सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए एक प्रणाली तैयार की जा सकती है। इसमें केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा मिलने वाली सभी मंजूरियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह, उच्चतर एथेनॉल मिश्रण के लिए भी कर-लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। यह E20 के अनुकूल डिजाइन के कारण होने वाली लागत वृद्धि को वहन करने में मदद करेगा।
- **जागरूकता पैदा करना:** सरकार को संबंधित उद्योगों के साथ साझेदारी कर एक राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान आरंभ करके जागरूकता का प्रसार करना चाहिए।

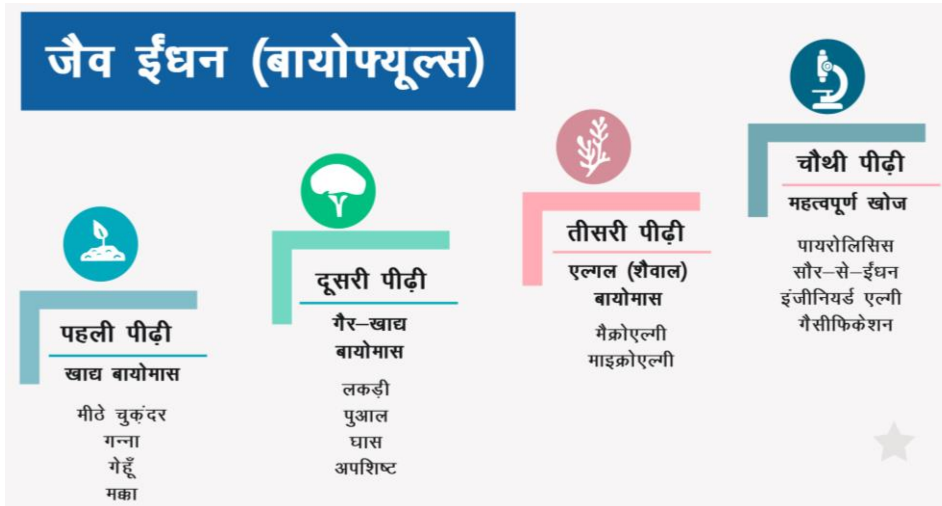

निष्कर्ष

घरेलू जैव ईंधन, आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने हेतु एक रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जैव ईंधनों का कुशल और सतर्कतापूर्वक उपयोग एक संधारणीय ऊर्जा का स्रोत सुनिश्चित कर सकता है। इससे रोजगार पैदा करने और किसानों की आय को दोगुना करने में भी सहायता मिल सकती हैं। साथ ही, इससे स्वच्छ भारत अभियान में भी सहायता और वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन (अपशिष्ट से संपदा निर्माण) को बढ़ावा मिल सकता है।

5.4. महासागर तापीय ऊर्जा (Ocean Thermal Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)[128] द्वारा भारत का पहला **महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)**[129] **संयंत्र** स्थापित किया जा रहा है। NIOT, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)[130] के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है।

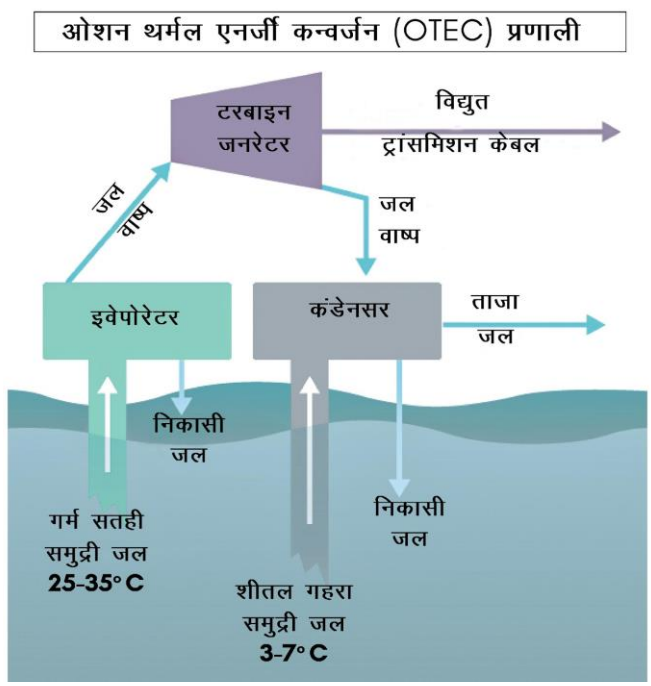

अन्य संबंधित तथ्य

- यह OTEC संयंत्र **लक्षद्वीप के कवरत्ती में** स्थापित किया जा रहा है। **इस संयंत्र की क्षमता 65 किलोवाट (KW) है।** इस संयंत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।
- यह OTEC संयंत्र **समुद्री जल को पेयजल बनाने** के लिए निम्न तापमान वाले तापीय विलवणीकरण (LTTD)[131] पर आधारित विलवणीकरण (Desalination) संयंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा।
    - LTTD संयंत्र, समुद्री जल को पेयजल में रूपांतरित करेगा। यह LTTD संयंत्र प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल का उत्पादन करेगा।

---

[127] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

[128] National Institute of Ocean Technology

[129] Ocean Thermal Energy Conversion

[130] Ministry of Earth Sciences

[131] Low Temperature Thermal Desalination

- इससे पहले भारत में 1980 में तमिलनाडु तट पर एक OTEC संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, यह योजना पूरी नहीं हो पाई।

महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) के बारे में

- OTEC, **समुद्री सतही जल और गहरे समुद्री जल के बीच तापमान में अंतर** (ताप प्रवणता) का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है।
    - सूर्य के ताप से महासागर का सतही जल, **गहरे जल की तुलना में अधिक गर्म** हो जाता है।
    - OTEC के तहत तापमान में इस अंतर का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने और समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जा सकता है।

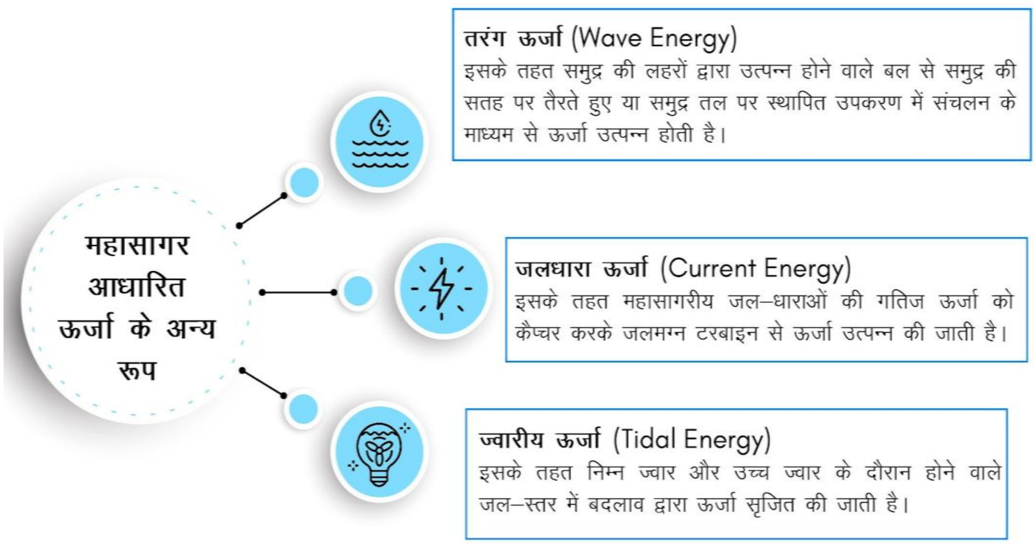

- OTEC प्रणाली के तहत **तापान्तर** (कम-से-कम **20 डिग्री सेल्सियस**) द्वारा **टरबाइन को चलाकर** बिजली पैदा की जाती है।
- **OTEC प्रणाली के प्रकार**
    - **बंद चक्रण प्रणाली (Closed Cycle Method):** इसके तहत वर्किंग फ्लूइड, जैसे- अमोनिया को हीट एक्सचेंजर में पंप किया जाता है। इससे अमोनिया वाष्पीकृत हो जाता है। इस वाष्पीकृत भाप द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। इसके पश्चात् भाप को समुद्र के गहरे ठंडे जल की मदद से पुनः तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसे पुनः हीट एक्सचेंजर में पंप किया जाता है।
    - **खुली चक्रण प्रणाली (Open Cycle System):** इसके तहत गर्म सतही जल को एक वैक्यूम चैंबर में अत्यधिक दबाव के तहत लाया जाता है। इससे जल भाप में बदल जाता है। इस भाप से टरबाइन को चलाया जाता है। इसके पश्चात् भाप को समुद्र के गहरे ठंडे जल की मदद से पुनः तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- **भारत की क्षमता:** उपयुक्त तकनीकी विकास के साथ, **भारत में OTEC की सैद्धांतिक क्षमता 180,000 मेगावाट** है।

लाभ

- **भारत की भौगोलिक स्थिति** OTEC के विकास के लिए **अनुकूल** है।
- इससे अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे- पवन और सौर ऊर्जा से अनियमित विद्युत के बजाय **विद्युत के लिए एक नियमित, स्वच्छ स्रोत** निर्मित हो सकेगा।
- **इससे पेय जल, हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन** किया जा सकता है।
- OTEC प्रक्रिया से संबंधित **ठंडा और पोषण युक्त जल के कई व्यावसायिक उपयोग हैं**, जैसे- एयर कंडीशनिंग, मत्स्य पालन, सी-वाटर-कूल्ड ग्रीनहाउस आधारित खाद्य उत्पादन आदि में।

OTEC से संबंधित चुनौतियां

- **उच्च अग्रिम (अप-फ्रंट) पूंजीगत लागत: उच्च अग्रिम पूंजी लागत** तथा पंपिंग और पाइपिंग अवसंरचना के रख-रखाव में भी अत्यधिक लागत आती है। यह **व्यापक पैमाने पर स्थापित करने पर ही किफायती** होगा।
- **कम अनुसंधान एवं विकास (Less R&D): अधिकतर OTEC प्रौद्योगिकियां फिलहाल अपने अनुसंधान और विकास के चरण या व्यावसायिकरण के आरंभिक चरण में हैं।**
- **पर्यावरणीय चिंताएं:**
    - OTEC संयंत्रों से अपेक्षाकृत **ठंडे, सघन और पोषणयुक्त जल की निकासी**;
    - समुद्री जीवों का केबल में उलझना और फंसना;
    - मशीनों से होने वाला शोर;

- ○ समुद्री जल में जीवनाशियों या अन्य संभावी प्रदूषकों के दुर्घटनावश बहाव आदि से समुद्री जीवों तथा पारितंत्र पर बुरा प्रभाव।
- इसके तहत शैवाल, सूक्ष्मजीवों, पादपों आदि के अनावश्यक एकत्रण से **जैविक-दूषण (Biofouling) में वृद्धि** होती है।

आगे की राह

- **OTEC संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता में तेजी लाना।**
- महासागर ऊर्जा क्षेत्रक में **अनुसंधान और विकास पर निवेश करना** तथा **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त व्यवहारिक स्थानों पर **OTEC की प्रायोगिक परियोजनाओं को स्थापित करते हुए** परियोजना को लागू करने से पहले **पर्यावरणीय प्रभावों का** व्यापक पैमाने पर **आकलन करना चाहिए।**

5.5. तटीय क्षेत्र संरक्षण (Coastal Region Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।** इस रिपोर्ट में यह जांच की गई है कि भारत के तटीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा उठाए गए कदम कितने सफल रहे हैं।

तटीय क्षेत्र (Coastal Zone) के बारे में

- यह भूमि और समुद्र के बीच एक सीमांत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में तटीय भूमि, अंतर-ज्वारीय क्षेत्र, तटीय पारितंत्र के साथ-साथ नदियां, ज्वारनदमुख (Estuaries), दलदली क्षेत्र एवं आर्द्रभूमियां शामिल होती हैं।
- **तटीय जल निकायों के अतिरिक्त,** तटीय पर्यावरण में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख पारितंत्रों में **मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास, पंक मैदान (Mud flats), ज्वारनदमुख/ पश्चजल; लैगून; बालू के टिब्बे (Sand Dunes)** आदि शामिल हैं।
- भारत की कुल तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। समें से मुख्य भू-भाग की तटरेखा लगभग 5,422 किलोमीटर लंबी है और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा क्रमश: 132 किलोमीटर तथा लगभग 1,962 किलोमीटर लंबी है।
- **देश में 9 तटीय राज्य हैं।** इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

भारत में तटीय क्षेत्रों का संरक्षण

- **MoEF&CC और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) दो नोडल मंत्रालय हैं,** जो मुख्य रूप से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रबंधित करते हैं।
- सरकार ने **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना** जारी की है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करना है, ताकि तटीय पर्यावरण को विभिन्न मानवजनित गतिविधियों से बचाया जा सके।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)**[132] **अधिसूचना 2019** का उद्देश्य तटीय क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों (ज़ोन) में वर्गीकृत करना और

CRZ के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है

- **ग्रेटर मुंबई नगरपालिका की सीमा के भीतर आने वाले CRZ क्षेत्र** – यहां की संवेदनशील तटीय पर्यावरण की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए।
- **केरल के CRZ क्षेत्र** – इसमें बैकवाटर्स (पश्चजल) और बैकवाटर आइलैंड्स (पश्चजल द्वीप) भी शामिल हैं।
- गोवा के **CRZ** क्षेत्र और सुंदरबन जैसे गंभीर रूप से सुभेद्य तटीय क्षेत्र।
- अन्य क्षेत्र– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत चिन्हित और मछुआरों के साथ–साथ तटीय समुदायों की भागीदारी में प्रबंधित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अन्य क्षेत्र।

[132] Coastal Regulation Zone

एकीकृत तरीके से गतिविधियों का प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि CRZ को MoEF&CC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **CRZ के कार्यान्वयन के लिए तीन संस्थान उत्तरदायी हैं:**
  - केंद्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA)[133],**
  - प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMAs/UTCZMAs)[134],** और
  - तटीय क्षेत्र वाले जिलों में **जिला स्तरीय समितियां (District Level Committees: DLCs)।**

CRZ अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC)

- इस मंत्रालय का **प्रभाव आकलन विभाग, CRZ** के अंतर्गत आने वाले तटीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह मंत्रालय, तटों के नजदीक 'श्रेणी **A** परियोजना' प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों का गठन करता है। ऐसी समिति में इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

NCZMA

- राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA) तटीय विनियमन के लिए शीर्ष एजेंसी है।
- यह तटीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (CZMPs) के वर्गीकरण में बदलाव के मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- यह राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (SCZMAs) को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

SCZMAs

- राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMAs) अपने संबंधित राज्यों से परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और MOEF&CC या SEIAA को स्वीकृति के लिए सिफारिश करते हैं।

SEIAA

- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) राज्य का एक निकाय है। ये SCZMAs की सिफारिशों के आधार पर 'श्रेणी B परियोजनाओं' को मंजूरी देते हैं।
- SEIAA की संरचना, केंद्र की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के समान है।

DLC

- जिला स्तरीय समितियां (DLCs), जिला स्तरीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करती हैं। ये CRZ अधिसूचना को लागू और उसकी निगरानी करती हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्र (COASTAL REGULATION ZONE: CRZ)

CRZ I

- इसमें तट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखने में भूमिका निभाने वाले व निम्नलिखित भू-आकृतिक विशेषताओं वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं:
  - मैंग्रोव और 1,000 वर्गमीटर से अधिक मैंग्रोव के लिए 50 मीटर का बफर क्षेत्र; प्रवाल, प्रवाल भित्तियां और उनसे जुड़ी जैव विविधता; रेत के टीले; जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स;
  - राष्ट्रीय उद्यान; समुद्री पार्क; अभयारण्य; आरक्षित वन; वन्यजीव पर्यावास और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित अन्य संरक्षित क्षेत्र;
  - लवणीय दलदल; कछुओं द्वारा घोंसला बनाने वाले स्थल; हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास; समुद्री घास के क्षेत्र; पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने वाले स्थल;
  - पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र या संरचनाएं/ विरासत स्थल/ निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच स्थित क्षेत्र।

CRZ II

- इसमें मौजूदा नगरपालिका सीमाओं/ अन्य शहरी क्षेत्रों के भीतर तटरेखा के निकट तक विकसित जल निकासी, सड़कें तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल होती हैं।

CRZ III

- इसमें अपेक्षाकृत अछूता (Undisturbed) और CRZ I या II के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों, मौजूदा नगर-पालिका की सीमा या अन्य शहरी क्षेत्र के भीतर का तटीय क्षेत्र शामिल है, जहां लगभग न के बराबर कृत्रिम अवसंरचना का निर्माण किया गया हो।

CRZ IV

- इसमें समुद्र की ओर वाले भाग पर बारह समुद्री मील तक निम्न ज्वार रेखा के बीच का जल क्षेत्र तथा ज्वार से प्रभावित अंतर्देशीय जलीय क्षेत्र शामिल हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

इसमें वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए तटीय पारितंत्र के संरक्षण को लेकर निष्पादन लेखापरीक्षा[135] के निष्कर्ष शामिल हैं। यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से CRZ अधिसूचना, 2019 को विनियमित करने वाले संस्थागत तंत्र की जांच के लिए की गई थी।

---

133 National Coastal Zone Management Authority

134 State/UT Coastal Zone Management Authorities

135 Performance Audit on Conservation of Coastal Ecosystems

क्षेत्र	निष्कर्ष और अवलोकन	अनुशंसा
संस्थागत ढांचा	• MoEF&CC ने **NCZMA को एक स्थायी निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं** किया था। यह एक तदर्थ निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। • कर्नाटक में **SCZMA का पुनर्गठन नहीं** किया गया था और गोवा, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में इसके पुनर्गठन में देरी हुई थी।	• **SCZMAs और NCZMA को** पूर्णकालिक सदस्यों के साथ **स्थायी निकाय बनाया जा सकता है।**
CRZ अधिसूचना के तहत परियोजना को स्वीकृति देना	• **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)[136] रिपोर्ट में कमियों के बावजूद भी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।** इनमें पुराने बेसलाइन डेटा का उपयोग, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन न करने, जैसी कमियां शामिल हैं।	• मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के प्रभावों का गहनता से पारिस्थितिकी आधार पर मूल्यांकन किया जाए। साथ ही, EIA अधिसूचना, 2006 में पहले से परिभाषित, संचयी आकलन (Cumulative Assessments) की पद्धति को भी लागू किया जाए।
परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद निगरानी और CRZ अधिसूचनाओं को लागू करना	• ऐसे कई उदाहरण **देखे गए हैं जहां SCZMAs, CRZ उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।** साथ ही, DLCs भी इन उल्लंघनों की पहचान करने और SCZMAs को इनके बारे में सूचित करने में विफल रही हैं।	• MoEF&CC **विभिन्न** एजेंसियों की भूमिकाओं और संरचना पर फिर से विचार कर सकता है, ताकि परियोजना को स्वीकृति देने के बाद की निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
राज्यों में तटीय पारितंत्रों का संरक्षण	• मन्नार की खाड़ी में जीवित प्रवाल आवरण के क्षरण के बावजूद भी तमिलनाडु के पास आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने की कोई रणनीति नहीं थी। • गोवा और गुजरात में **मैंग्रोव के संरक्षण के प्रयासों में कमी देखी गई।**	• राज्य सरकार को प्रवाल भित्तियों, कछुओं की नेस्टिंग साइट आदि के लिए **मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए।**
एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना	• तटों के लिए जोखिम रेखा (Hazard Line) के मानचित्रण का कार्य अगस्त, 2018 में पूरा कर लिया गया था। हालांकि, MoEF&CC ने अभी तक **तटों के लिए जोखिम रेखा की सीमा को जमीनी स्तर पर निर्धारित नहीं किया है।** • तटीय राज्यों द्वारा **गंभीर रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (CVCAs)[137] के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं (IMPs)[138] को अभी तैयार किया जाना है।**	• **पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए IMPs को** जल्द से जल्द **अधिसूचित** करने के लिए **MoEF&CC द्वारा** प्रयास किए जा सकते हैं।

तटीय क्षेत्रों के लिए खतरे

- **समुद्र तटीय अपरदन:** तटरेखा और बालू के टिब्बों (ड्यून्स) का अपरदन एक सामान्य प्राकृतिक परिघटना है। इनका अपरदन महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गति एवं तरंगों और पवनों की अपरदनात्मक क्रिया के कारण होता है।
- **पर्यावास की हानि और निम्नीकरण:** अव्यवस्थित शहरीकरण और अनियोजित बुनियादी ढांचों का विकास तटीय पर्यावास एवं संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियोजित बुनियादी ढांचों का तात्पर्य औद्योगिक, पर्यटन, मत्स्यन और कृषि गतिविधियों के साथ बिना किसी सामंजस्य के बुनियादी ढांचे के विकास से है।
- **प्रदूषण:** जल निकायों में संदूषित जल को उपचार किए बिना ही छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो रही हैं:
  - पादपों, प्राणियों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है,
  - समुद्री कार्यप्रणालियों में रुकावट आती है,
  - समुद्री जल की गुणवत्ता में कमी आती है, और
  - समुद्री जल से प्राप्त होने वाली सुविधाओं में कमी आती है।

---

136 Environmental Impact Assessment

137 Critically Vulnerable Coastal Areas

138 Integrated Management Plans

- **ग्लोबल वार्मिंग से** महासागरीय रासायनिक प्रक्रियाओं (Ocean Chemistry) में बदलाव हो रहा है। साथ ही, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियों के लिए खतरा है जो उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकती हैं।
    - इसके कारण समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों के समक्ष खतरा पैदा हो गया है।
- **अतिदोहन:** यह समुद्री पारितंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है।
    - सबसे व्यापक स्तर पर दोहन मत्स्यन के तहत देखा गया है और अधिकतर समुद्री मत्स्य उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
- **सुपोषण (Eutrophication):** सुपोषण की स्थिति के चलते शैवाल प्रस्फुटन (Algal Blooms) चक्र में वृद्धि, तटीय जल निकायों में एक व्यापक समस्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत शैवाल के अपघटन के दौरान अत्यधिक मात्रा में जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आती है।

भारत में की गई पहलें

- भारत में इससे संबंधित कई **कानूनों** को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; आदि।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत **तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाएं** जारी की गई हैं।
- MoEF&CC द्वारा निम्नलिखित **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को लागू किया गया है:
    - आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (NPCA)[139];
    - मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की रक्षा और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए **मैंग्रोव एवं प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन;**
    - वन्यजीव पर्यावासों का विकास।
- सरकार ने **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)**[140] को भी लागू किया है। ICZMP विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना है। यह देश के तटीय और समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2010 से 2020 तक गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के निर्धारित हिस्सों पर लागू की गई थी।
- MoEF&CC ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए **राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम**[141] के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- **ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण को भी लागू** किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना तथा समुद्री तटों और समुद्री जल निकायों में प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

आगे की राह

- तटीय समुदायों, कस्बों और पारितंत्र की **व्यापक जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट**[142] तैयार की जानी चाहिए, ताकि पारितंत्र-आधारित हस्तक्षेपों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके।
- बढ़ते शहरीकरण, पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को पर्यावरण के **अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए सार्वजनिक नीतियों** को बड़ी सावधानी से डिजाइन करने की जरूरत है। इन नीतियों में स्थानीय आर्थिक जरूरतों को शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है।
- **इष्टतम तटीय क्षेत्र प्रबंधन** उपग्रह के जरिए प्राप्त की गई जानकारियों का उपयोग करके, योजनाओं को विकसित किया जाना चाहिए। उपग्रह के जरिए प्राप्त की गई जानकारियों में तटीय भूमि का उपयोग, महत्वपूर्ण तटीय पर्यावास, सभी समुद्री/संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिक स्थिति संबंधी जानकारी शामिल होती है।
- **समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।** इसके लिए समुद्री एवं तटीय पारितंत्र और उसकी उत्पादकता, जैव विविधता, मानवता के लिए इसके महत्व तथा इसकी संवेदनशीलता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।
- तटीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते** को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे **सहयोग और समझौते** न केवल समुद्र के आस-पास के तटवर्ती देशों बल्कि समुद्री जलग्रहण क्षेत्र में स्थित देशों के साथ भी करने की आवश्यकता है।

5.6. अर्थ गंगा (Arth Ganga)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव"** कार्यक्रम में **अर्थ गंगा अवधारणा[143] के तहत कई नई पहलों की शुरुआत की गई।** इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)[144] द्वारा आयोजित किया गया था।

---

139 National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems

140 Integrated Coastal Zone Management Project

141 National Coastal Management Programme)

142 Comprehensive climate vulnerability assessment)

143 Arth Ganga Concept

144 National Mission for Clean Ganga

अर्थ गंगा के बारे में

- **इस अवधारणा को वर्ष 2019 में कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद** की बैठक के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- यह अवधारणा नमामि गंगे कार्यक्रम[145] के अंतर्गत गतिविधियों को जारी रखने के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। **नमामि गंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम (Flagship program) है।**
- **इसके तहत शुरू की गई नई पहलें हैं:**
    - **जलज (Jalaj):** इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। ये स्थान उन राज्यों में स्थित हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है। इसके तहत गंगा नदी के तटों के आस-पास आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए छोटी-छोटी दुकानों या फ्लोटिंग मोबाइल केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
    - **NMCG और सहकार भारती के बीच समझौता ज्ञापन:** इसके तहत निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा:
        - गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले पांच राज्यों में 75 **'सहकार गंगा ग्रामों (Sahakar Ganga Grams)'** की पहचान करना,
        - किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[147] और सहकारी समितियों के मध्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना,
        - गंगा ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती/जैविक उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) हेतु सुविधा प्रदान करना।
    - **पर्यटन संबंधी पोर्टल 'ImAvatar' की शुरुआत:** इसका उद्देश्य गंगा बेसिन के क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
        - पर्यटन को सुविधाजनक बनाया जाएगा,
        - स्थानीय उत्पादों के विपणन (कृषि और हस्तशिल्प दोनों) को बढ़ावा दिया जाएगा,
        - गंगा के घाटों एवं NMCG द्वारा बनाई गई अन्य परिसंपत्तियों की संधारणीयता को सुनिश्चित किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह (World Water Week) 2022

- विश्व जल सप्ताह, **स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टिट्यूट (SIWI)** द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जल संबंधी वैश्विक मुद्दों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को संबोधित करना है।
    - SIWI एक गैर-लाभकारी संस्थान है, जिसके पास जल के प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न तरह की विशेषज्ञताएं मौजूद है। इन विशेषज्ञताओं में स्वच्छता, जल संसाधन प्रबंधन, जल कूटनीति इत्यादि शामिल हैं।
- इस वर्ष इस आयोजन की थीम **"सीइंग द अनसीन: द वैल्यू ऑफ़ वाटर[146]"** थी।

---

[145] Namami Gange Programme

[146] Seeing the Unseen: The Value of Water

[147] Farmer Producer Organisations

अर्थ गंगा अवधारणा का महत्व

- **गंगा बेसिन के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा:** अर्थ गंगा परियोजना का उद्देश्य गंगा बेसिन के क्षेत्रों का विकास करना है, ताकि इन क्षेत्रों से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% का योगदान प्राप्त हो सके। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक लाभ होगा।
    - इससे **व्यापार और बाजारों तक पहुंच बेहतर होगी, स्थानीय समुदायों का आर्थिक विकास होगा और पर्यटन से आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा।**
- **गंगा संरक्षण में जन-भागीदारी को बढ़ावा:** ऐसी जन-भागीदारी निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है:
    - बड़े पैमाने पर लोगों के कौशल में वृद्धि करके,
    - सार्वजनिक/निजी क्षेत्रक की क्षमता का विकास करके, और
    - जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए **'गंगा दूतों'** को तैयार करके।
- **भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** यह परियोजना धार्मिक तीर्थ यात्रा, गंगा आरती, योग आदि को बढ़ावा देकर गंगा नदी के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करती है।
- **गंगा में प्रदूषण पर नियंत्रण:** यह परियोजना लोगों को अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर गंगा नदी के प्रदूषण को कम करती है।
- **गंगा नदी बेसिन के क्षेत्रों में संधारणीय आजीविका को बढ़ावा:** इसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, प्राकृतिक खेती आदि के साथ-साथ गंगा संरक्षण से संबंधित कौशल में वृद्धि करने वाली गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
- **किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सहायक:** यदि किसान स्थानीय कृषि उपज की आवाजाही के लिए फ्लोटिंग जेटी (फ्लोटिंग डॉक) का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लॉजिस्टिक लागत काफी कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से इनपुट (आगत) की लागत भी कम और फसल की पैदावार में वृद्धि हो सकती है।

अर्थ गंगा अवधारणा के कार्यान्वयन से जुड़ी संभावित चुनौतियां

- **पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि** के परिणामस्वरूप गंदगी की समस्या उत्पन्न होगी, फ्लोटिंग जेट्टी से होने वाले प्रदूषण में वृद्धि होगी और प्राकृतिक पारितंत्र प्रभावित होंगे।
- प्राकृतिक खेती जैसी **संधारणीय आजीविका पद्धतियों के बारे में सीमित जानकारी और सीमित ज्ञान होना।**

- **सीवेज उपचार संयंत्रों (STPs)[148] की खराब स्थिति** तथा स्लज (Sludge) एवं अपशिष्ट जल से कुशलतापूर्वक आर्थिक लाभ उत्पन्न करने हेतु **स्थानीय स्तर पर सीमित क्षमता का होना।**
- **अकुशल रूप से उपचारित अपशिष्ट जल को सिंचाई के लिए पुन: इस्तेमाल** करने से भूजल में भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों का रिसाव हो सकता है और वे खाद्य शृंखला में प्रवेश कर सकते हैं।

आगे की राह

- **कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए और अपशिष्ट निपटान के उचित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए,** ताकि नदियों पर अप्रत्यक्ष प्रभावों को सीमित किया जा सके।
- **उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीति** तैयार की जा सकती है।
- **अर्थ गंगा** को जन आंदोलन में बदलने के लिए **इस अवधारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।**
- अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार के लिए **STPs की क्षमता को बढ़ाने और उनकी कार्य कुशलता को बेहतर करने के लिए निवेश करना चाहिए।**

नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में

- यह **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा आरंभ की गई और **विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित** केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी तरीके से दूर करने, गंगा नदी के संरक्षण तथा कायाकल्प के लिए एक एकीकृत मिशन है।
- विश्व बैंक बोर्ड द्वारा इसके **दूसरे चरण** के लिए जून 2020 में **स्वीकृति दी गई थी।** इसके तहत **दिसंबर 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृति** दी गई है।
- **इसकी संरचना 5-स्तरीय है:**
    - भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय गंगा परिषद।**
    - केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में **एक अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स (Empowered Task Force: ETF)।**
    - **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)।**
    - **राज्य गंगा समितियां।**
    - संबंधित राज्यों में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संलग्न प्रत्येक निर्धारित जिले में **जिला गंगा समितियां।**
- **अन्य घटक:**
    - जन जागरूकता फैलाने के लिए **'गंगा टास्क फोर्स'।**
    - **गंगा प्रहरी,** जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला एक कार्यबल है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां**
    - उत्तराखंड और बिहार में गंगा नदी के जल में **'जैविक ऑक्सीजन मांग (BoD)[149]'** का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है, जो प्रदूषण रहित श्रेणी में आता है।
    - गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए **30,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।**
    - **92 सीवेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।**
    - **5015.26 मिलियन लीटर प्रतिदिन** की सीवरेज क्षमता निर्माणाधीन है।
    - 11 स्थानों पर **नदी के सतह की सफाई** चल रही है।
    - **1072 प्रदूषणकारी उद्योगों में से 885 उद्योगों में CPCB सर्वर से ऑनलाइन कंटीन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन (OCEMS)** कनेक्टिविटी स्थापित की गई।
    - **67 घाटों/श्मशान घाट परियोजनाओं** की शुरुआत की गई है।

---

148 Sewage Treatment Plants

149 Biological oxygen Demand

©Vision IAS

5.7. नए रामसर स्थल (New Ramsar Sites)

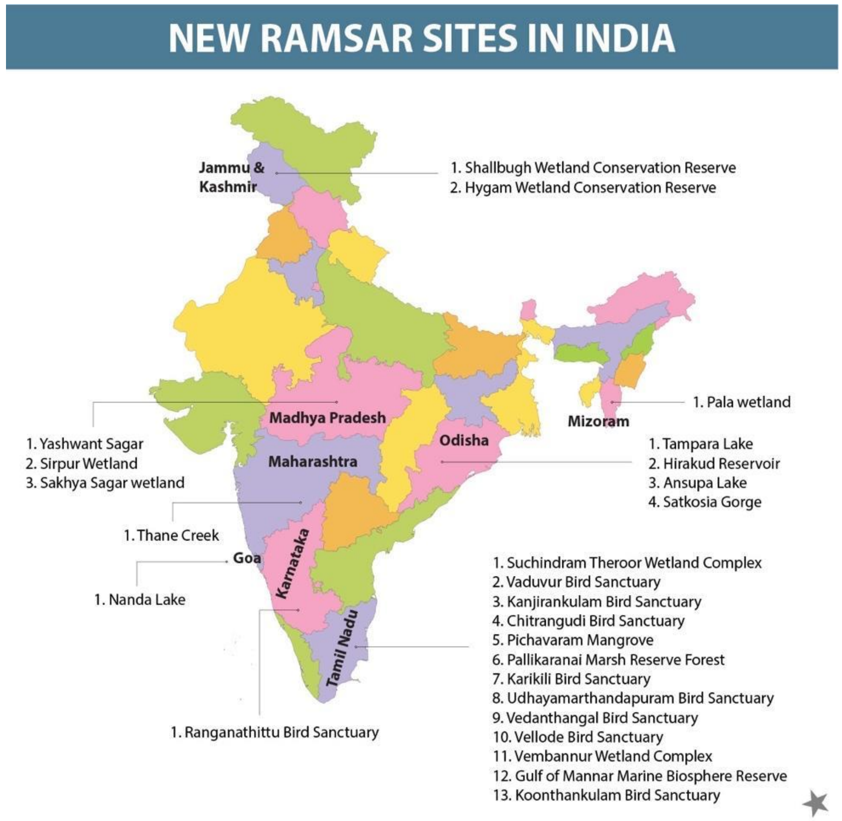

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 26 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अब भारत में रामसर स्थलों के रूप में नामित कुल **75 आर्द्रभूमियां हैं।** ये **13,26,677 हेक्टेयर** क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं।
- इन स्थलों को नामित करने से आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और संबंधित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में मदद मिलेगी।

नए रामसर स्थलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस डॉक्यूमेंट के अंत में परिशिष्ट देखें।

रामसर अभिसमय के बारे में

- **रामसर अभिसमय को** 1971 में अपनाया गया और यह 1975 में लागू हुआ। यह **एक अंतर-सरकारी संधि** है। यह आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
    - **आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग: इसे आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी विशेषताओं के रख-रखाव के रूप में परिभाषित किया गया है।** यह कार्य संधारणीय विकास के दायरे में पारितंत्र अनुकूल दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की सहायता से किया जाता है।
- भारत, **रामसर अभिसमय के पक्षकारों में से एक** है।
- इस अभिसमय में **5 औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार** हैं:
    - बर्डलाइफ इंटरनेशनल,
    - इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN),
    - अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (International Water Management Institute: IWMI),
    - वेटलैंड्स इंटरनेशनल,
    - WWF इंटरनेशनल।
- **रामसर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए मानदंड:** आर्द्रभूमि को रामसर अभिसमय द्वारा निर्धारित 9 में से कम-से-कम 1 मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जैसे-
    - यदि वह वल्नरेबल, एनडेंजर्ड या क्रिटिकली एनडेंजर्ड प्रजातियों या थ्रेटेन्ड पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय प्रदान करती हो या, वह नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करती हो आदि।
- तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप **संभावित रूप से जोखिम वाली आर्द्रभूमियों को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है।**

आर्द्रभूमि के बारे में

- **मौसमी या स्थायी रूप से जल-संतृप्त या जलमग्न भू-क्षेत्र** को आर्द्रभूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **रामसर अभिसमय के अनुसार आर्द्रभूमि:** प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी कच्छ, पंक, पीटभूमि या जल क्षेत्र, ठहरा या बहता हुआ, ताजा, खारा या लवणीय और निम्न ज्वार के समय छह मीटर से कम गहरा समुद्री जल क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है।
- भारत में 7 लाख से अधिक आर्द्रभूमि हैं। यह **लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर** है, यानी देश के **कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.86% हिस्से पर मौजूद हैं।**
- भारत में मानव निर्मित आर्द्रभूमि के क्षेत्रफल की तुलना में **प्राकृतिक आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल, लगभग दो गुना है।**

भारत में आर्द्रभूमि के समक्ष खतरे

- निम्नलिखित कारणों से **प्राकृतिक जल विज्ञान व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन:**
    - भू-जल के लवणीकरण और अधिक निकासी से;
    - जलग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण से;
    - वनों की कटाई सौर तटीय अपरदन से;
    - नहरों, बांधों एवं जलाशयों के निर्माण आदि से।
- **प्रदूषण:** शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों से अपशिष्ट प्रवाह एवं खेतों से अपवाह संबंधी **प्रदूषण के कारण आर्द्रभूमियों की पोषक संरचना प्रभावित होती है। इससे सुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है।** यहां तक कि कुछ आर्द्रभूमि और उनकी जल-आपूर्ति प्रणाली के मध्य की व्यवस्था भी बाधित हुई है।
- जलकुंभी, साल्विनिया, इपोमिया आदि, जैसी **आक्रामक प्रजातियों का प्रसार।**
- आर्द्रभूमि संसाधनों, जैसे- लकड़ी, मछली, जल, रेत आदि का **असंधारणीय दोहन।**
- आर्द्रभूमि के पर्यावास या उसकी कार्य-प्रणाली संबंधी विशेषताओं का उपयुक्त संरक्षण किए बिना **पर्यटन संबंधी अवसंरचना और मनोरंजन सुविधाओं का अनियमित विकास।**
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटीय आर्द्रभूमि का अस्तित्व खतरे में है। साथ ही, आंतरिक आर्द्रभूमि के समक्ष नदी के जल प्रवाह में परिवर्तन, वर्षा प्रतिरूप में बदलाव और बढ़ते तापमान के कारण शैवाल प्रस्फुटन संबंधी खतरे मौजूद हैं।

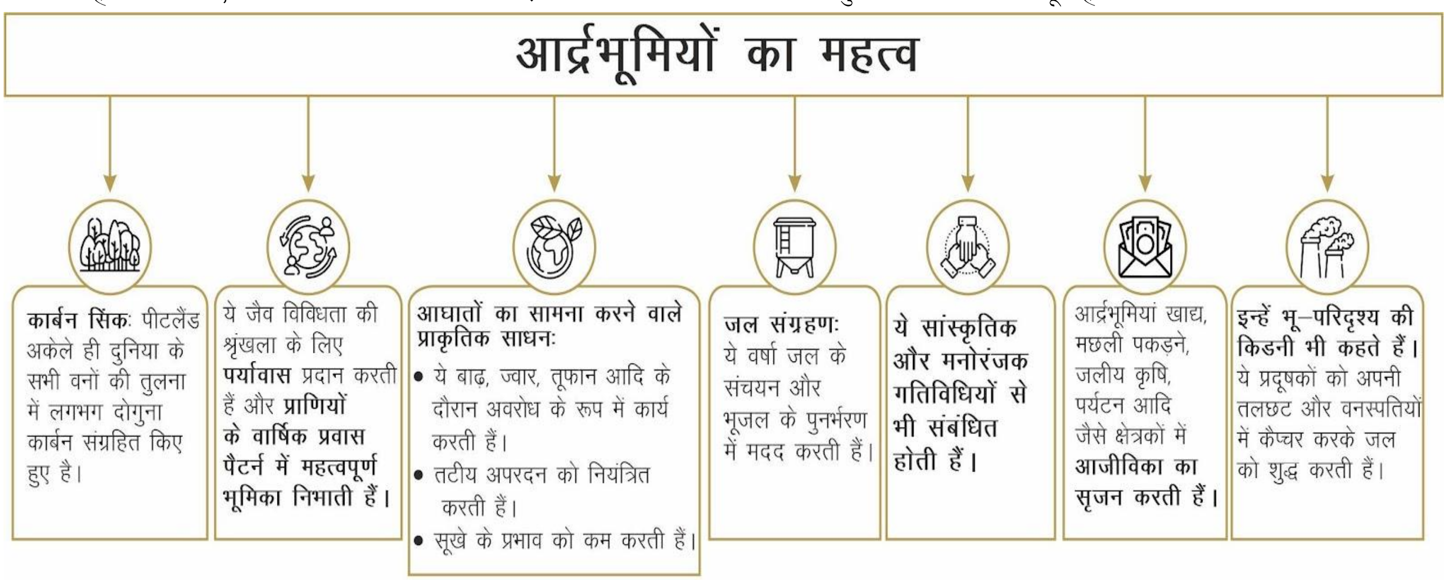

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास

- **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017:** इसका उद्देश्य संधारणीय संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से जलीय पारितंत्र का संरक्षण करना है।
- **आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (CWCM)[150] और वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल की स्थापना।**
- **राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (NPCA)[151]:** यह आर्द्रभूमि का गैर-आर्द्रभूमि उपयोगों के लिए रूपांतरण जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इन गतिविधियों में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग आदि शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह एक वैज्ञानिक और समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इसके तहत, गंगा से जुड़े 50 से अधिक जिलों में से प्रत्येक में 10 आर्द्रभूमियों के स्वास्थ्य कार्ड और प्रबंधन को विकसित करना है।
- **विनियम, जैसे-** जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019 आदि।

आगे की राह

- आर्द्रभूमि और जलीय पारितंत्र की पारिस्थितिकी दशाओं की निगरानी के लिए **एक समग्र एवं मानकीकृत व्यवस्था का विकास करना चाहिए।**
- निम्नलिखित उपायों द्वारा **निम्नीकृत आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार करना:**

---

150 Centre for Wetland Conservation and Management

151 National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems

- गाद की सफाई करके,
- भूजल जलभृतों का पुनर्भरण करके,
- आक्रामक प्रजातियों को हटाकर एवं
- वनीकरण जैसे प्रकृति-आधारित समाधान की सहायता से।

- **प्रदूषण मानकों का कड़ाई से क्रियान्वयन करना** और कचरे का उचित उपचार एवं निपटान करना।
- आर्द्रभूमि की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक **इष्टतम और निरंतर जल प्रवाह को सुनिश्चित करना।**
- आर्द्रभूमि संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करने एवं अतिक्रमण को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के क्षमता निर्माण द्वारा आर्द्रभूमियों की **भागीदारी के साथ संरक्षण करना।**

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

5.8.1. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन {Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)}

- भारत ने **CDRI के साथ 'हेडक्वार्टर एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर** किए हैं। इससे CDRI को **"स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था"** का दर्जा मिल गया है।
    - यह समझौता CDRI को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत सभी **अधिकारों, उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में सक्षम** बनाएगा।
    - भारत ने संयुक्त राष्ट्र के **विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर अभिसमय** को प्रभावी बनाने के लिए **संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947** को अधिनियमित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय को **वर्ष 1946** में अपनाया था।
- **'अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था'** के दर्जे का संबंध सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों से संपन्न संस्थाओं से है। इसमें देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं।
    - यह CDRI को आपदा रोधी अवसंरचना के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तपोषण करने और विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने या सदस्य देशों से वित्त एवं विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- हेडक्वार्टर एग्रीमेंट किसी **अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मेजबान देश के बीच एक समझौता** है। यह समझौता **संगठन के सुचारू संचालन** के लिए आवश्यक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है।
- **CDRI के बारे में**
    - इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
    - यह **राष्ट्रीय सरकारों**, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की **वैश्विक भागीदारी** है।
    - इसे वर्ष 2019 में भारत के प्रधान मंत्री ने **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन (न्यूयॉर्क)** में लॉन्च किया था।
    - इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा खतरों के प्रति **अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन (प्रतिरोधकता) को बढ़ावा** देना है। इससे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
    - वर्तमान में **31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के 2 संगठन** इसके सदस्य हैं।
    - यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए **सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते** के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.8.2. हर घर जल (Har Ghar Jal)

- **गोवा और दादरा-नगर हवेली तथा दमन व दीव** देश में क्रमशः **पहला 'हर घर जल'** प्रमाणित **राज्य** और पहले **केंद्र शासित प्रदेश** बन गए हैं।
- 'हर घर जल' **केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम** है। इसे **जल शक्ति मंत्रालय** के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में **जल जीवन मिशन (JJM)** के अंतर्गत लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति** सुनिश्चित करना है।
    - भारत में अब **52% से अधिक ग्रामीण परिवार नल से पेयजल** प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019 में कार्यक्रम के शुभारंभ के समय यह यह केवल 17% था।
    - जल जीवन मिशन (JJM) **जल के स्रोत की सततता बनाए रखने के लिए** जरुरी उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। **इन उपायों में शामिल हैं:**
        - अपशिष्ट जल (ग्रे वाटर) प्रबंधन के द्वारा पुनर्भरण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देना,
        - जल संरक्षण तथा
        - वर्षा जल संचयन।

- **जल जीवन मिशन के तहत सुधार**
    - **बस्ती की बजाय घरों तक जलापूर्ति** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - जलापूर्ति योजनाओं की 'दीर्घकालिक संधारणीयता' सुनिश्चित करने के लिए **सामुदायिक स्वामित्व** पर बल दिया जा रहा है।
    - **बच्चों पर विशेष ध्यान** दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
    - जलापूर्ति के प्रबंधन में **महिलाओं और कमजोर वर्गों की केंद्रीय भूमिका** तय की गई है।
    - पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **तकनीकी उपाय** किए गए हैं। इनमें शामिल हैं;
        - समर्पित डैशबोर्ड,
        - JJM के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग आदि।

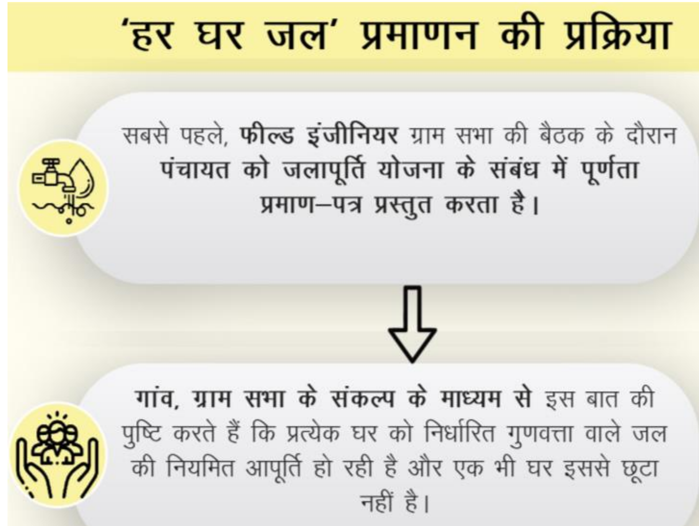

5.8.3. केंद्र सरकार ने भारत के 31वें हाथी रिज़र्व को अधिसूचित किया (Centre Notifies India's 31st Elephant Reserve)

- **अगस्त्यमलाई हाथी रिज़र्व** को एक नए हाथी रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस रिज़र्व में **तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के 1,197.48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र** शामिल हैं।
- **हाथियों के बारे में**
    - **भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस) निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है:**
        - मध्य और दक्षिणी-पश्चिमी घाट,
        - पूर्वोत्तर भारत,
        - पूर्वी भारत,
        - उत्तरी भारत और
        - दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में।
    - **इसकी संरक्षण स्थिति इस प्रकार है:**
        - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I** में शामिल है।
        - वनस्पतियों और वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के **परिशिष्ट-I** में शामिल है।
        - IUCN के रेड लिस्ट में स्थिति: **एंडेंजर्ड।**
    - वर्ष 2017 की गणना के अनुसार, **भारत में 29,964 हाथी** हैं।
        - **कर्नाटक** में हाथियों की संख्या सबसे अधिक (6,049) है। इसके बाद **असम** (5,719) और **केरल** (3,054) का स्थान है।
- **हाथियों के समक्ष प्रमुख खतरे:**
    - मानव-हाथी संघर्ष,
    - पर्यावास का नुकसान और बिखराव,
    - अवैध शिकार तथा
    - छोटी आबादी और अलग-अलग रहने के कारण आनुवंशिक विविधता का नुकसान।
- **हाथियों के संरक्षण हेतु प्रमुख पहलें**
    - भारत ने वर्ष 1992 में **'हाथी परियोजना'** शुरू की थी। परियोजना के तहत, सरकार हाथियों को बचाने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
    - **कई हाथी रिज़र्व** विकसित किए जा रहे हैं।

- ○ **मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलीफेंट्स (माइक/MIKE):** यह एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है।

5.8.4. इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम {Indian Virtual Herbarium (IVH)}

- IVH, **सूखे पादपों का एक डेटाबेस है।** यह इनके संग्रहण की उपयोगिता को अधिकतम करता है।
- इस डेटाबेस में डिजिटल छवियों के अलावा, **प्रत्येक प्रजाति के हर्बेरियम नमूने के बारे में संपूर्ण जानकारी,** जैसे- कुल, जीनस, प्रजाति आदि **शामिल होती है।**
    - ○ हर्बेरियम नमूनों को **पादप वर्गीकरण, संरक्षण,** पर्यावास क्षति और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए **महत्वपूर्ण साधन** माना जाता है।
- **इसे 'भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण' (BSI) ने विकसित किया है।**
    - ○ BSI, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। यह देश का **सर्वोच्च वर्गिकी (Taxonomy) अनुसंधान संगठन** है।

5.8.5. राष्ट्रीय जल पुरस्कार {National Water Awards (NWA)}

- जल शक्ति मंत्रालय ने **राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों (NWAs) की सूचना** दी है।
- **NWAs** सरकार की **'जल समृद्ध भारत'** की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं।
    - ○ इनका उद्देश्य **जनता को जल के महत्व के बारे में जागरूक** करना है। साथ ही, उन्हें **सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित** भी करना है।
    - ○ इसके तहत, विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को **प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार** प्रदान किए जाते हैं।

5.8.6. ओजोन परत (Ozone Layer)

- वर्ष 2022 में मध्य अक्षांश समताप मंडल में ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS)[152] की समग्र सांद्रता वर्ष 1980 में ओजोन के क्षय के गंभीर माने जाने से पूर्व के स्तर जैसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के **नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA)** के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है।
    - ○ यह अध्ययन NOAA के **ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक** पर आधारित है। यह सूचकांक, 1990 की शुरुआत में दीर्घकालिक ODS की अधिकतम सांद्रता के सापेक्ष इसमें से ओजोन-क्षयकारी क्लोरीन और ब्रोमीन की समग्र समताप मंडलीय सांद्रता की निगरानी करता है।
- ओजोन (O_3) **तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अत्यधिक अभिक्रियाशील गैस** है। यह मुख्य रूप से वायुमंडल की दो परतों में पाया जाता है।
    - ○ पृथ्वी का लगभग **90% ओजोन क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल** में है। समताप मंडल को ओजोन परत के रूप में भी जाना जाता है। क्षोभमंडल **पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत** है।
    - ○ ओजोन परत **सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित** करती है। इस प्रकार पृथ्वी पर सभी प्राणियों को इन हानिकारक किरणों से बचाती है।
    - ○ **ओजोन सांद्रता** को आमतौर पर **डॉबसन यूनिट** के माध्यम से मापा जाता है।
- **ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) के बारे में**
    - ○ ये लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले मानव निर्मित रसायन हैं। ये सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं।
    - ○ ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की समाप्ति के लिए अपनाया गया **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987), निम्नलिखित ODS के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है:**
        - ▪ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs),
        - ▪ हैलोन,
        - ▪ मिथाइल ब्रोमाइड (CH3Br),
        - ▪ ब्रोमोक्लोरोमीथेन (CH2BrCl) आदि।
    - ○ **ODS** के उपयोग: रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, अग्निशामक, फोम निर्माण आदि में।

> **ओजोन क्षयकारी क्षमता (Ozone depleting potential: ODP)**
>
> - ODS में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की **उच्च क्षमता** होती है।
> - ODP इस तथ्य की माप है कि एक रसायन **समान मात्रा में ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन (CFC-11) की तुलना में ओजोन परत को कितना नुकसान** पहुंचा सकता है।

[152] Ozone-Depleting Substances

5.8.7. पर एंड पॉली-फ्लोरो-अल्काइल पदार्थ (Per and polyfluoroalkyl substances: PFAS)

- हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, **दुनिया भर में कई स्थानों पर वर्षा का जल PFAS से दूषित है।**
- PFAS एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनमें **आंशिक या पूर्णतः फ्लोरीन युक्त कार्बन की शृंखलाएं** मौजूद होती हैं। इन शृंखलाओं की लंबाई भिन्न हो सकती है।
    - कार्बन-फ्लोरीन के इन मजबूत बॉन्ड के कारण, यह पर्यावरण में दीर्घकाल तक बने रह सकते हैं। इनके निम्नीकरण में अत्यधिक समय लगता है। इसलिए इन्हें **'फॉरेवर केमिकल्स' या चिरस्थायी रसायन** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
    - पर-फ़्लोरो-ऑक्टेन सलफोनिक ऐसिड (PFOS)[153] तथा पर-फ़्लोरो-ऑक्टेनिक ऐसिड (PFOA)[154] जैसे PFAS को **स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते** के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसके तहत सदस्य देशों पर इसके उत्पादन और प्रयोग को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

- **PFAS के प्रयोग से जुड़े मुद्दे**
    - अत्यधिक प्रयोग और पर्यावरण में इनकी सतत उपस्थिति के कारण, **ये व्यक्तियों और पशुओं के रक्त में पाए गए हैं।**
    - **ये स्वास्थ्य खतरों से जुड़े उच्च जोखिम को बढ़ावा** दे सकते हैं। जैसे-
        - प्रजनन क्षमता का ह्रास,
        - बच्चों में विकास संबंधी नकारात्मक प्रभाव,
        - शारीरिक हार्मोन्स के साथ हस्तक्षेप,
        - कॉलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर,
        - लीवर में खराबी,
        - गुर्दे और वृषण का कैंसर आदि।
- **एकत्रित और समाप्त कर पाना कठिन:** ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत जल और मृदा में आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। इनकी उपचारात्मक विधियां पूंजी गहन और ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महंगी हैं। ऐसी विधियों के दौरान ये मृदा एवं जल में प्रवेश कर सकते हैं।
- **PFAS जनित संदूषण को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय:** एक्टिवेटेड कार्बन टैंक के माध्यम से फिल्टरेशन जैसी विधियों का उपयोग करके PFAS का सुरक्षित निपटान एवं भस्मीकरण आदि किया जा सकता है। स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध PFAS के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और इनकी जगह अन्य सुरक्षित विकल्पों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। PFAS आधारित नॉन-स्टिक पैन और रसोई के अन्य बर्तनों का प्रयोग आदि को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

स्टॉकहोम समझौते के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संधि है। यह **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent organic pollutants: POPs) से** बचाने में मदद करती है।
    - POPs ऐसे रसायन होते हैं जो **लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते** हैं। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फ़ैल सकते हैं। यह जीवों के फैटी टिशू में एकत्रित तथा मानव और वन्यजीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **भारत इस समझौते का एक पक्षकार देश** है।

5.8.8. वर्ष 1950 के बाद छठी बार 'ला नीना' (La Nina) की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है (La Nina Conditions Enter 3rd Year, 6th Time Since 1950)

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2020 से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में **ला नीना की स्थिति** बनी हुई है। इस प्रकार यह स्थिति **तीसरे वर्ष भी जारी** है।

---

153 Perfluorooctane Sulfonic Acid

154 Perfluorooctanoic Acid

- पिछले 24 महीनों से अर्थात् सितंबर 2020 से यह स्थिति लगातार बनी हुई है। अगले 6 महीनों तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है। यही कारण है कि इसे **'ट्रिपल डिप'** ला नीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **ला नीना के बारे में:**
    - **ला नीना** मौसम से जुड़ी परिघटना है, जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे **'लिटिल गर्ल'** के रूप में भी जाना जाता है।
    - यह परिघटना तब प्रकट होती है, जब **पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर (EEP) में समुद्री सतह का तापमान (SSTs) सामान्य से अधिक ठंडा** हो जाता है।
        - इसकी वजह से EEP यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर एक **मजबूत उच्च दबाव का क्षेत्र** बनता है।
    - यह **अल नीनो की विपरीत स्थिति** है। अल नीनो को **लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड** के रूप में भी जाना जाता है। EEP में असामान्य रूप से समुद्री सतह का गर्म तापमान इसकी विशेषता है। यह **मानसून को कमजोर** करने के लिए जाना जाता है।
    - **ला नीना और अल नीनो** एक साथ **अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)**[155] के क्रमश: **"ठंडे"** और **"गर्म"** चरण हैं। इनके कारण **पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर** के जल का तापमान बदलता रहता है।
    - आम तौर पर अल नीनो और ला नीना **प्रत्येक 4-5 वर्षों में घटित** होते हैं। ला नीना की तुलना में **अल नीनो की आवृत्ति अधिक** है।

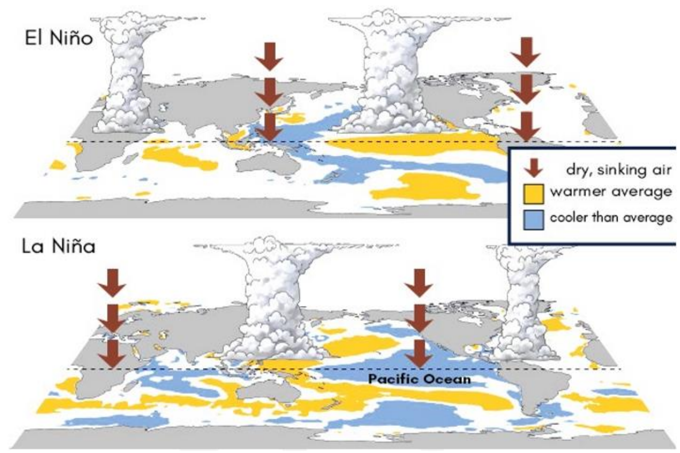

- **ला नीना के प्रभाव**
    - इसकी वजह से **भारत में अधिक मानसूनी वर्षा** होती है।
    - **अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी** में लगातार तथा तीव्र **हरिकेन** और **चक्रवात** आते हैं।
    - **पेरू और इक्वाडोर** में सूखे का कारण बनता है।
    - **ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़** आती है।
    - **पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर और सोमालियाई तट से दूर के क्षेत्रों में उच्च तापमान** देखा जाता है।

5.8.9. आर्कटिक प्रवर्धन (Arctic Amplification)

- आर्कटिक **शेष दुनिया की तुलना में चार गुना तेजी** से गर्म हो रहा है।
- आर्कटिक प्रवर्धन आर्कटिक पर **निम्न अक्षांशों के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि** को संदर्भित करता है।
    - **वैश्विक तापन, आइस-अल्बीडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, जल वाष्प फीडबैक और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट** इस प्रवर्धन के प्राथमिक कारण हैं।
- **प्रभाव:**
    - यह इस **क्षेत्र के जीवों** विशेष रूप से ध्रुवीय भालू, व्हेल और सील को **प्रभावित करता है।**
    - इससे नए समुद्री-व्यापार मार्ग खुलेंगे।
    - यह प्राकृतिक संसाधनों के और अधिक दोहन को सुगम बनाएगा।

5.8.10. स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एन्हांसमेंट {Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (STEVE)}

- यह एक **औरोरा जैसी रहस्यमयी परिघटना** है। इसमें **प्रकाश की बैंगनी रेखा** का निर्माण होता है।
    - औरोरा की घटना **ऊपरी वायुमंडल** में विद्यमान परमाणुओं **के साथ सौर पवनों के ऊर्जावान कणों की अंतर्क्रिया** के कारण होती है।
    - औरोरा का निर्माण **मुख्य रूप** से दोनों गोलार्द्धों के **उच्च अक्षांशों** में होता है।
    - **औरोरा के विपरीत STEVE वातावरण में काफी कम** दिखाई देता है।
- STEVE को **पहली बार वर्ष 2017 में देखा गया** था और तब से अक्सर इसे देखा जा रहा है।
    - इसे अक्टूबर से फरवरी माह के बीच **न्यूजीलैंड, कनाडा, अलास्का और यूनाइटेड किंगडम** में देखा गया है।

---

[155] El Nino-Southern Oscillation

5.8.11. ज़ोंबी आइस (Zombie Ice)

- हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली ज़ोंबी बर्फ की चादर **अंततः वैश्विक समुद्री जल स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी।**
- ज़ोंबी या मृत बर्फ ऐसी बर्फ है, जो **अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है। लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है।** ऐसा इसलिए है, क्योंकि मूल ग्लेशियरों में ही अब बर्फ के पुनर्निर्माण में कमी आती जा रही है।
- **पुनर्पूर्ति के अभाव में** और जलवायु में परिवर्तन के कारण **पिघल रही ज़ोंबी बर्फ,** अनिवार्य रूप से **समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करेगी।**

5.8.12. टोंगा ज्वालामुखी (Tonga volcano)

- एक नए अध्ययन के अनुसार, टोंगा (जनवरी 2022) में ज्वालामुखी विस्फोट **ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में वृद्धि** कर सकता है।
    - आम तौर पर, **ज्वालामुखी विस्फोट का वायुमंडल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है,** क्योंकि ज्वालामुखियों से निकलने वाले कण आने वाले सौर विकिरण को रोक लेते हैं।
- हंगा टोंगा-हंगा हापाई (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai) ज्वालामुखी के **जल के नीचे विस्फोट से 146 टेराग्राम** (1 टेराग्राम 1 ट्रिलियन ग्राम के बराबर) जल वाष्प का समताप मंडल में प्रवेश हुआ है।
    - यह अतिरिक्त जलवाष्प समताप मंडल में वर्षों तक बना रहेगा। यह **समताप मंडल के रसायनिक संगठन और गतिकी को प्रभावित** कर सकता है। साथ ही, **सतह के गर्म होने का कारण** भी बन सकता है।

5.8.13. शुद्धिपत्र (Errata)

- जून 2022 के जल असुरक्षा संबंधी टॉपिक 5.6 में टाइपिंग त्रुटि के कारण कथन "फाल्कन मार्क वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार, जहां जल की उपलब्धता 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम है, वहां जल की अभावग्रस्तता मौजूद है।" को गलत लिख दिया गया था।
- सही कथन है, **"फाल्कन मार्क वाटर स्ट्रेस इंडेक्स" जल की अभावग्रस्तता का आकलन करने के लिए विश्व का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सूचकांक** है। इसके अनुसार:
    - 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्र को- जल संकट (वॉटर स्ट्रेस)
    - 1,000 घन मीटर से कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्र को- जल की अभावग्रस्तता, और
    - 500 घन मीटर से कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्र को- पूर्णतः जल की अभावग्रस्तता" से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मैनुअल स्कैवेंजिंग तथा 'नमस्ते' योजना (Manual Scavenging and NAMASTE Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए **'नमस्ते (NAMASTE)' योजना** तैयार की है।

मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE/ नमस्ते) के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य **100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से** सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई, **नालियों की सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन**, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान आदि में।
- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- यह **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
    - **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)**[156] 'नमस्ते' योजना के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी होगी।**
    - इस योजना के लिए उचित समन्वय की सुविधा के उद्देश्य से **राष्ट्रीय, राज्य तथा शहरी स्तर पर 'नमस्ते' प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।**
- **NAMASTE योजना के उद्देश्य हैं:**
    - भारत में स्वच्छता संबंधी कार्यों से किसी की मौत नहीं हो।
    - सभी कार्य **कुशल श्रमिकों द्वारा स्वच्छता का काम** किया जाए।
    - कोई भी **सफाई कर्मचारी, मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में न आए।**
    - स्वच्छता कर्मचारियों को **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना** और उन्हें **स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार** प्रदान करना।
    - सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSWs) की **वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच होना।**
    - सुरक्षित स्वच्छता कार्य को लागू एवं इसकी **निगरानी सुनिश्चित करने** के लिए राष्ट्रीय, राज्य

हाथ से मैला उठाना बनाम सीवरों की जोखिमपूर्ण सफाई

- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। हालांकि, यह हाथ से मैला ढोने के कार्य से अलग है। वर्तमान में **मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य "हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**[157]**"** के तहत प्रतिबंधित है।
    - सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के जोखिमपूर्ण कार्य से **वर्ष 2017 से अब तक कम-से-कम 351 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।** हालांकि, अब देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा अस्तित्व में नहीं है।
    - हाथ से मैला ढोने वाले सभी लोगों की गणना की गई है और पुनर्वास योजना के लिए उनका नामांकन किया गया है।
    - **मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) का 'नमस्ते' योजना में विलय किया जाएगा।** ज्ञातव्य है कि SRMS योजना हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करती है।

[156] National Safai Karamchari Financial Development Corporation

[157] Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

और शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)[158] स्तरों पर निरीक्षण एवं निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना।

  - स्वच्छता सेवा की चाहत रखने वालों (व्यक्तियों एवं संस्थानों) को पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए **जागरूक करना।**

- इस योजना में **सीवर/सेप्टिक टैंक कामगारों (SSWs) की पहचान** करने की परिकल्पना की गई है। इसमें उन **अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है** जो सफाई के जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं।
  - चिह्नित किए गए SSWs और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही, उन्हें **पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन सहित आजीविका सहायता भी प्रदान की** जाएगी।
  - **NAMASTE योजना के इस चरण के तहत पांच सौ अमृत शहरों** (AMRUT)[159] को शामिल किया जाएगा।
  - **चिह्नित सफाई कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को** विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही **सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।** इन योजनाओं में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि शामिल हैं।

मैला उठाने की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **स्वच्छता अभियान ऐप:** इसकी मदद से अस्वच्छ शौचालयों की अवस्थिति का एक डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके साथ ही, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की जाएगी, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।
- **243 शहरों में सफाई-मित्र सुरक्षा चैलेंज: इसके तहत 243 शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंक को मशीनीकृत किया जाएगा।** यदि हाथ से मैला ढोने की शिकायत की जाती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए एक **हेल्पलाइन जारी की जाएगी।**
- **बदलती शब्दावली:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के सरकार के निर्णय का समर्थन करने के लिए अब 'मैनहोल' शब्द के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसकी जगह केवल "मशीन-होल" शब्द का उपयोग किया जाएगा।
- **सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ, 2014 वाद:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में **हाथ से मैला ढोने की प्रथा का जारी रहना भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का पूरी तरह से उल्लंघन है।** इस अनुच्छेद के द्वारा "अस्पृश्यता का उन्मूलन" कर दिया गया है और "किसी भी रूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध" लगा दिया गया है। **न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "इस कानून को पूरी तरह से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने" का निर्देश जारी किया है।**

हाथ से मैला ढोने की प्रथा के बारे में

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा का तात्पर्य अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल की सफाई करने से है। इसे **"हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013"** की धारा 2 (1) (g) में परिभाषित किया गया है। (नीचे दिया गया बॉक्स देखें)
- दुर्घटना होने पर मैला उठाने वाले व्यक्तियों की मौत सेप्टिक टैंकों में पाई जाने वाली **मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के शक्तिशाली मिश्रण** से होती है।
- हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में कुल 58,098 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 43,797 व्यक्तियों के जाति संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि **97.25% अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत समुदायों से हैं।** अन्य लोगों में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत समुदाय शामिल हैं।

"हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के प्रमुख प्रावधान

'हाथ से मैला ढोने वाले' कौन हैं?	• **अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, गटर एवं सीवर या रेलवे ट्रैक के आस-पास मानव मल को हटाने या उठाने** के लिए नियोजित किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रूप में परिभाषित किया गया है। • ऐसा व्यक्ति **किसी के द्वारा भी नियोजित** किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- उसके गांव के किसी व्यक्ति, किसी एजेंसी या किसी ठेकेदार द्वारा। • भले ही उसे स्थायी नौकरी पर रखा गया हो या अनुबंध के आधार पर, दोनों ही दशाओं में उसे इस कानून के तहत शामिल किया गया है। • **अपवाद** - मानव मल को साफ करने के लिए नियोजित व्यक्ति जो **उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर और उपकरण** की मदद से ऐसा करता है, उसे इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं माना जाएगा। • **'सफाई कर्मचारी'** कहे जाने वाले लोगों के एक अन्य समूह को भी कभी-कभी हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में माना जाता है। हालांकि, **सफाई कर्मचारी** आमतौर पर **नगरपालिकाओं**, सरकारी या निजी संगठनों में **झाड़ू-पोछा लगाने वाले या सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले लोग** होते हैं।
यह कानून हाथ से मैला ढोने की	• इस कानून के तहत मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहला कदम **"अस्वच्छ शौचालयों" के इस्तेमाल को समाप्त करना**

[158] Urban Local Bodies

[159] अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

प्रथा पर कैसे रोक लगाता है?	है। साथ ही, स्थानीय प्राधिकरणों (नगर निकायों, छावनी बोर्डों और रेलवे अधिकारियों) के लिए कुछ समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है। ○ अस्वच्छ शौचालय (इनसैनिटरी लैट्रीन) ऐसे शौचालय होते हैं, जिनमें मल को साफ़ करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। • **सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपी गई है।** ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक और स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्हें आवश्यक प्रयास करने चाहिए।
कानून में इन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है:	• अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों को हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में नियोजित करना। • सुरक्षात्मक गियर के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को नियोजित करना। • अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना। • इस अधिनियम के लागू होने की एक निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग को समाप्त नहीं करना या उनमें बदलाव नहीं करना।
हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास	यह कानून हाथ से मैला ढोने वालों के **पुनर्वास के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है।** ऐसा वैकल्पिक रोजगार में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता तथा संपत्ति खरीदने में सहायता के माध्यम से किया जाएगा।
हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने की जिम्मेदारी	प्रत्येक **स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत), छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

आगे की राह

- **हितधारकों से परामर्श:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के तौर-तरीकों के बारे में कानूनी प्रावधानों को पूर्णतः स्पष्ट किया जाना चाहिए और उसमें मौजूदा कानूनी खामियों को दूर किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार से निपटना:** खुली नालियों का डिजाइन अत्यंत ख़राब तरीके से तैयार किया गया है। इससे लोगों को, ठोस कचरा खुली नालियों में बहाने का अवसर मिल जाता है जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार से निपटना जरूरी है।
- **संविदा या अनुबंध कर्मियों को स्थाई बनाना:** इससे उनकी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- **मशीनीकरण को सुगम बनाना:** NAMASTE योजना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- **उचित अपशिष्ट निपटान:** गर्भ निरोधकों, सैनिटरी नैपकिन और डायपर आदि के अनुचित निपटान से नालियों के अवरुद्ध होने की संभावना बनी रहती है और उन्हें मशीनों से साफ करना कठिन हो जाता है। ऐसे अपशिष्ट निपटान के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही, नगर निकायों को उचित निपटान के लिए कूड़ेदान उपलब्ध कराने चाहिए।
- **व्यवहार संबंधी परिवर्तन:** किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति के मल को साफ नहीं कराया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर व्यवहार एवं दृष्टिकोण संबंधी बदलाव की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हाथ से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार) सभी के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की मुख्य पहलों में से एक है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी और बहु हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

6.2. स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health: RTH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य सभा में सभी नागरिकों के लिए **'स्वास्थ्य के अधिकार' को मूल अधिकार** बनाने पर चर्चा की गई। इससे संबंधित विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

स्वास्थ्य के अधिकार (RTH) के बारे में

- स्वास्थ्य को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने से राज्यों का यह कानूनी दायित्व होगा कि वे:
  - समय पर, स्वीकार्य और वहनीय तरीके से उचित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करें।
  - स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों के लिए प्रावधान करें।
- इसमें **सुरक्षित और पीने योग्य पानी, स्वच्छता, भोजन, आवास, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं शिक्षा एवं लैंगिक समानता** आदि शामिल हैं।
- स्वास्थ्य के अधिकार में कुछ **स्वतंत्रताएं (Freedoms) एवं पात्रताएं (Entitlements)** दोनों शामिल हैं:
  - स्वतंत्रताओं के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को **अपने स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार** (उदाहरण के लिए- यौन और प्रजनन अधिकार) और हस्तक्षेप से मुक्त होने का अधिकार (उदाहरण के लिए- किसी भी प्रकार की यातना और बिना सहमति के चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्ति) शामिल है।
  - पात्रताओं के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा की एक ऐसी प्रणाली तक पहुंच का अधिकार शामिल है जो सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर[160] का लाभ लेने का समान अवसर प्रदान करती है।

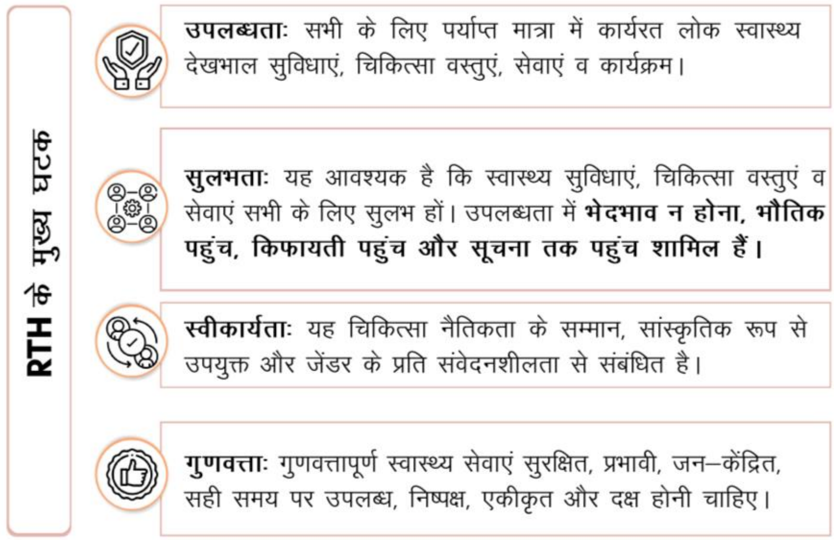

- **RTH की मुख्य विशेषताएं**
  - **समावेशिता:** इसमें **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य नीति और इससे जुड़े कार्यक्रमों के तहत उन लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो "अधिक समता (greater equity)" की दिशा में सबसे पीछे रह गए हैं। इस अधिक समता की परिकल्पना, 2030 के संधारणीय विकास एजेंडा तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में की गई है।
  - **गैर-भेदभावपूर्ण:** इसके तहत प्रावधान किया गया है कि लोग जाति, आयु, नृजातीयता या किसी अन्य मानदंड के आधार पर **बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य के अधिकार का उपयोग** कर सकें।

RTH पर संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान स्पष्ट रूप से मूल अधिकार के रूप में RTH की गारंटी नहीं देता है।
- **बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य, 1984** वाद में सुप्रीम कोर्ट ने **अनुच्छेद 21 के तहत RTH की व्याख्या की है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।**
- **भारतीय संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य** और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में राज्य की भूमिका पर **कई संदर्भ मौजूद हैं।** (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

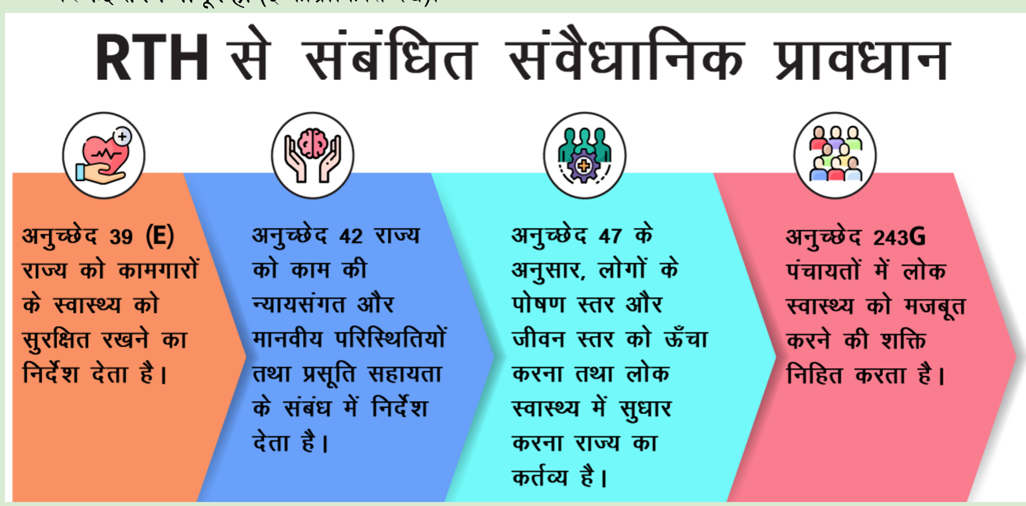

---

[160] Highest Attainable Level

- **सहभागी:** इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि **राष्ट्रीय हितधारक, स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के सभी चरणों में सार्थक रूप से शामिल हों**। इन हितधारकों में **गैर-सरकारी संगठनों जैसे गैर-राज्य भागीदार शामिल हैं**। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के चरणों में मूल्यांकन, विश्लेषण, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और निर्धारण आदि शामिल हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "प्रत्येक मानव के लिए मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक सुनिश्चित करने" की परिकल्पना की है।
- दुनिया के आधे से अधिक देशों ने अपने राष्ट्रीय संविधानों में अपने नागरिकों को **सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के लिए कुछ विशिष्ट अधिकारों** की **गारंटी दी** है। इनमें उरुग्वे, लातविया और सेनेगल जैसे देश शामिल हैं।

भारत में RTH को हासिल करने के लिए की गईं पहलें

- वर्ष 2019 में 15वें वित्त आयोग के तहत **स्वास्थ्य क्षेत्रक पर गठित एक उच्च-स्तरीय समूह** ने सिफारिश की थी कि **RTH को मूल अधिकार घोषित किया जाए।**
    - इसने **स्वास्थ्य के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने** की भी सिफारिश की थी।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017)** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है जिसके लिए वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया था।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017** मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने हेतु लाया गया था।
- **दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD)[161], 2021** का उद्देश्य;
    - दुर्लभ रोगों की घटनाओं और इनके प्रसार को कम करना,
    - इन रोगों के रोगियों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, और
    - स्वदेशी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना।

RTH प्रदान करने में चुनौतियां

- **स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च:** कुल मिलाकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से कम रहा है।
- **उप-इष्टतम क्षमता:** भारत में **प्रत्येक एलोपैथिक डॉक्टर कम-से-कम 1,511 लोगों को स्वास्थ्य सेवा** प्रदान करता है, जबकि WHO प्रत्येक 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर की सिफारिश करता है।
- भारत में नर्स-जनसंख्या अनुपात 1:670 है जबकि WHO का मानदंड 1:300 का है। साथ ही, प्रत्येक 1,000 की आबादी पर मात्र 0.5 बेड हैं।
- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Primary Health Care: PHC) क्षेत्रक:** वर्ष 1978 की **अल्मा-अता (Alma-Ata) घोषणा-पत्र** के अनुसार 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु PHC एक मूल आधार है।
    - भारत में 60% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक डॉक्टर है जबकि ऐसे लगभग 5% केन्द्रों में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इससे अलग-अलग बीमारी से ग्रसित रोगियों को पृथक करने में बाधा आती है तथा रोगों की प्रारंभिक पहचान करने एवं रोकथाम करने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **पहुंच में क्षेत्रीय असमानता:** लगभग 70% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
    - जबकि, लगभग 80% डॉक्टर, 75% औषधालय और 60% अस्पताल शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं।
- **कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता:** भारत को वर्तमान में अपनी आबादी की देखभाल के लिए 6.4 मिलियन अतिरिक्त स्वास्थ्य संसाधनों की आवश्यकता है।
- **उपेक्षित रोग:** ये रोग मुख्य रूप से कम आय वाले देशों, ग्रामीण क्षेत्रों और जहां गरीबी अधिक है, वहां निर्धन एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इन रोगों के उपचार के लिए फार्मा उद्योग द्वारा भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **खराब गवर्नेंस:** सार्वजनिक क्षेत्रक की स्वास्थ्य सेवाएं या तो बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं या लगभग नि:शुल्क होती हैं। दुर्भाग्यवश इसे अविश्वसनीय एवं साधारण गुणवत्ता वाला माना जाता है। आम तौर पर लोग सार्वजनिक क्षेत्रक के अस्पतालों में इलाज कराना पसंद नहीं करते हैं। वे तभी इन अस्पतालों में आते हैं, जब वे निजी अस्पतालों का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।

आगे की राह

- **RTH के लिए व्यापक कानून:** कानूनी रूप से गारंटी प्राप्त अधिकार, स्वास्थ्य तक पहुंच को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगा और इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए:
    - **संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों (पंचायतों और नगर पालिका)** की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि इनमें किसी प्रकार के संघर्ष या टकराव की स्थिति पैदा न हो।

---

[161] National Policy for Rare Diseases

- कानून के माध्यम से **भारतीय संविधान में RTH का स्पष्ट रूप से उल्लेख** किया जाना चाहिए। साथ ही, इसमें चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।
- एक ऐसे संस्थागत तंत्र का भी निर्माण किया जाना चाहिए जो **सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ एक नेटवर्क** स्थापित कर सके।
- यदि महामारी की स्थिति पैदा होती है तो रोगियों की पहचान, उनका परीक्षण एवं उपचार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न प्रक्रियाओं और तंत्रों का उल्लेख अधिनियम में स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
- **चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता** के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए।
- समाज की सामाजिक गतिशीलता (Dynamics) को ध्यान में रखते हुए **स्वास्थ्य देखभाल एवं सफाई कर्मियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए।**

- **वित्त-पोषण में वृद्धि करना:** प्रत्येक नागरिक के लिए RTH सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर GDP के 3% तक करना अनिवार्य है।
- **स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का डिजिटलीकरण करना:** इससे साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण और निर्णय-निर्माण सुनिश्चित होगा।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

6.3.1. अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा (Review of Guardianship and Adoption Laws)

- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि तथा न्याय पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने **'अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा'** विषय पर **118वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की है।

क्षेत्र	टिप्पणियां	सुझाव
दत्तक ग्रहण पर कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956** (HAMA) तथा **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** (JJ अधिनियम), दोनों दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें मानदंड अलग-अलग हैं। ○ HAMA केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है। • **HAMA के तहत** बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता को **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (CARA) में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। • **गोद लेने के इच्छुक माता-पिता** तो बहुत हैं, लेकिन उतनी संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। • **गैर-पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान (CCI**) अधिक हैं और उनके खराब संचालन की वजह से 762 बच्चों की मौत हुई है। • दत्तक ग्रहण संबंधी मामले **विधि और न्याय मंत्रालय** तथा **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा निपटाए जा रहे हैं।	• दोनों **कानूनों में एकरूपता** लाई जाए और दत्तक ग्रहण पर एक **साझा और व्यापक कानून** लाया जाए। • नए कानून में LGBTQ समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। • **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (CARA) में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। • अनाथ/ परित्यक्त बच्चों का जिला स्तरीय सर्वेक्षण किया जाए। • सभी **गैर-पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों (CCI**) का किसी तीसरे पक्ष से सर्वे कराया जाए। ऐसे संस्थानों को **गैर-पंजीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को** दिया जाए। • बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दत्तक ग्रहण कानूनों को **एक मंत्रालय के अधीन लाने की आवश्यकता है।**
अभिभावकत्व पर कानूनों की समीक्षा	• **हिंदू अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम में अविवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चे के लिए 'अधर्मज' (अवैध)** शब्द का प्रयोग किया गया है।	• **'अधर्मज' शब्द** को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता है। • HAMA में संशोधन किया जाना चाहिए और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माता और पिता, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

6.3.2. पालन 1000 (Paalan 1000)

- सरकार ने बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **पालन 1000 अभियान**, पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया है।

- **'पालन 1000 (प्रथम 1000 दिनों की यात्रा)** अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) पर केंद्रित है।
    - पहले 1000 दिन बच्चे के **शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस नींव का निर्माण** करते हैं।
    - यह ऐप **पोषण करने वाले को व्यावहारिक सलाह प्रदान करेगा** कि वे अपनी दिनचर्या में क्या कर सकते हैं। यह शिशु के माता-पिता की कई प्रकार की समस्याओं और शंकाओं को हल करेगा तथा बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

6.3.3. महिला वैज्ञानिक (Women Scientists)

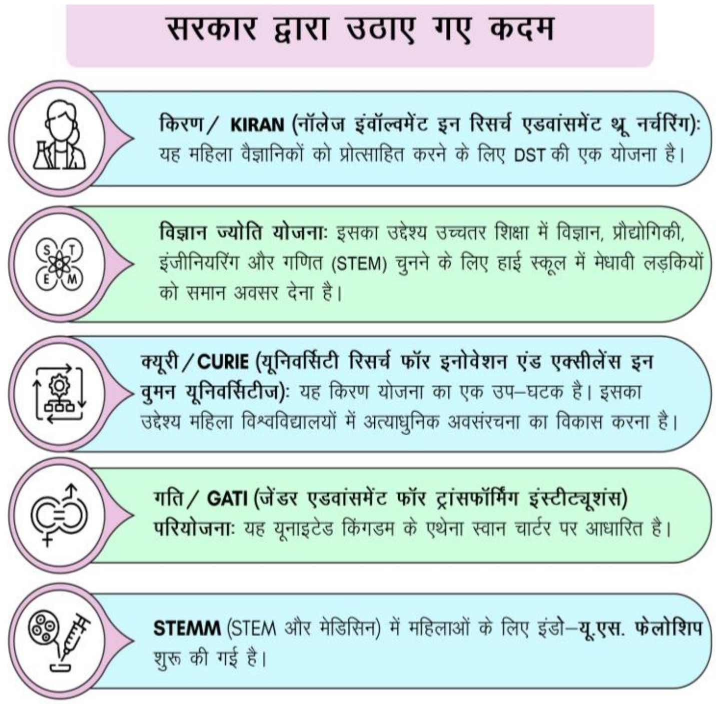

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दशकों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **DST डेटा के मुख्य निष्कर्ष**
    - **शोधकर्ताओं में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2018 में बढ़कर 18.7%** हो गई थी। यह वर्ष 2015 में 13.9% थी।
        - हालांकि, प्राकृतिक विज्ञान और कृषि (प्रत्येक 22.5%) तथा स्वास्थ्य विज्ञान (24.5%) की तुलना में **इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (14.5%) क्षेत्र में कम महिला शोधकर्ताएं** थीं।
    - वर्ष 2018-19 में **बाहरी छात्रों (जो विश्वविद्यालय आदि में नियमित रूप से अध्ययनरत नहीं हैं) (प्रायोजित) से संबंधित** अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में **28%** महिला प्रतिभागी (2000-01 में 13%) शामिल थीं।
    - **स्नातकोत्तर स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बेहतर** रही है। लेकिन **डॉक्टरेट के बाद के चरणों में गिरावट** दर्ज की गई है।
- **महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं:**
    - **सामाजिक अवस्थिति:** महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव, कम आयु में विवाह आदि।
    - **संथाओं से जुड़ी प्रथाएं:** नियमों और प्रथाओं में लैंगिक भेदभाव, कुछ क्षेत्रों का महिलाओं के लिए प्रतिबंधित होना आदि।

6.3.4. UGC ई-समाधान पोर्टल (UGC e-samadhan portal)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शीघ्र ही UGC ई-समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल वर्तमान में मौजूद विभिन्न पोर्टलों और हेल्पलाइनों का विलय करके **शिकायत दर्ज करने के लिए एकल माध्यम** के रूप में कार्य करेगा।
    - इसका उद्देश्य **शिकायतों का त्वरित समाधान** करना है। साथ ही, उन **संस्थानों की निगरानी भी करना है, जो शिकायतों पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं।**
- यह पोर्टल **चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा।** इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए **विशेष समय-सीमा भी निर्धारित** की गई है।

6.3.5. कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला (Functionally Literate District)

- मध्य प्रदेश का **मंडला जिला भारत का पहला 'कार्यात्मक रूप से साक्षर' जिला** बन गया है। यह **एक आदिवासी बहुल क्षेत्र** है।
- एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से तब साक्षर कहा जा सकता है, **जब वह अपना नाम लिखने तथा गिनने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।**
- यह किसी **व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने** की क्षमता को भी संदर्भित करता है, जिसमें उसके समूह और समुदाय के **प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है।**

6.3.6. स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH पर वैश्विक प्रगति (2000–2021) रिपोर्ट (Progress on WASH in Healthcare Facilities, 2000–2021 Report)

- इस रिपोर्ट को **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** (UNICEF) ने जारी किया है।
    - यह **WASH** (जल, सफाई और स्वच्छता) तथा **संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण** (IPC) पर केंद्रित है।

- **प्रमुख निष्कर्ष**
    - विश्व की आधी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में **बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव** है। इसके कारण लगभग 4 बिलियन लोगों का जीवन जोखिम में है।
    - स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में **संभावित संक्रमण की रोकथाम की कमी** गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
    - **अस्वच्छ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र में रोग संचरण** की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, **एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी उत्पन्न होने लगता है।**

6.3.7. भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या' रिपोर्ट 2021 (Accidental Deaths & Suicides in India report 2021)

- NCRB ने **'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या' रिपोर्ट 2021** प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में **प्रति दस लाख की आबादी पर 120 लोगों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे**, जो अब तक का उच्चतम स्तर है।
    - इस रिपोर्ट में भारतीयों के **भावनात्मक स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव** को भी रेखांकित किया गया है।
    - इस रिपोर्ट में किसानों द्वारा आत्महत्या सहित आत्महत्या के अन्य मामले, आकस्मिक मौतों, यातायात दुर्घटनाओं आदि का **आयु-समूह-वार और लिंग-वार** विवरण दिया गया है।
        - **किसानों द्वारा आत्महत्या** भारत में एक गंभीर चिंता और विमर्श का मुद्दा है।
- **NCRB दो अन्य वार्षिक रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है:**
    - **भारत में अपराध:** यह रिपोर्ट **पुलिस थानों में दर्ज किए गए संज्ञेय अपराधों, हताहत हुए पुलिस कर्मियों, पुलिस फायरिंग तथा पुलिस और नागरिकों के हताहतों की सूचना** देती है।
    - **कारागार सांख्यिकी:** इसमें अलग-अलग प्रकार की जेलों की संख्या व उनकी मौजूदा क्षमता, जेल अधिकारियों की संख्या और प्रशिक्षण तथा जेल बजट एवं व्यय जैसे आंकड़े दिए जाते हैं।
        - यह रिपोर्ट इस सिद्धांत पर आधारित है कि **कैदियों के सफल सुधार के लिए जेलों का बुनियादी ढांचा कितना पर्याप्त** होना चाहिए।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)**
    - इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसे **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) और गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों** के आधार पर स्थापित किया गया है।
    - **इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।**
    - NCRB **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS)**, सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो आदि के कार्यों को भी देखता है।

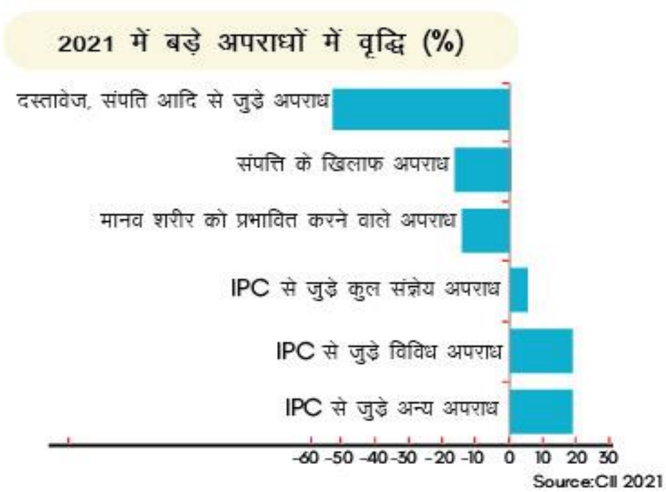

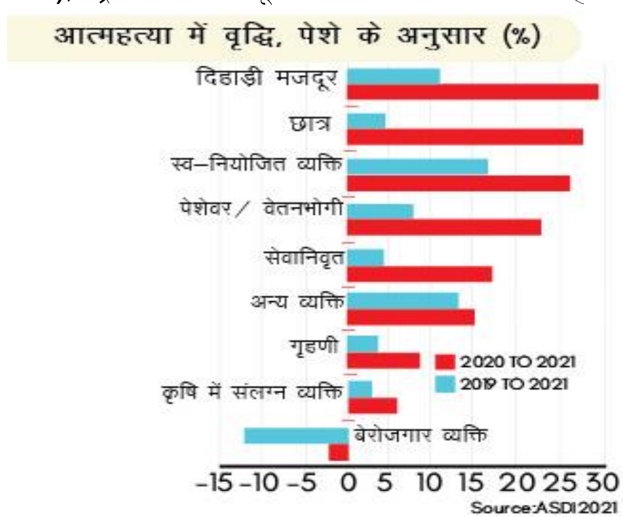

6.3.8. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण {National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)}

- हाल ही में, **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के रजत जयंती समारोह** का आयोजन संपन्न हुआ है। NPPA, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (DoP) का संबद्ध कार्यालय है।

- NPPA का **गठन वर्ष 1997** में किया गया था। यह **दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक** के रूप में कार्य करता है। **इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है:**
  - **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) के प्रावधानों को लागू करना।**
  - **दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना,** उनकी कमी की पहचान करना और उपचारात्मक कदम उठाना।
  - **बल्क ड्रग्स और फॉर्मूलेशन के लिए** उत्पादन, निर्यात एवं आयात आदि से जुड़े **डेटा का रखरखाव** करना।
- **इस अवसर पर निम्नलिखित पहलों का भी शुभारंभ किया गया है:**
  - **इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को लॉन्च किया गया है।** यह प्रणाली DPCO, 2013 के तहत अधिदेशित विभिन्न प्रपत्रों को जमा करने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करेगी।
  - इसके अलावा, अपडेटेड फीचर्स के साथ '**फार्मा सही दाम 2.0' ऐप** को लॉन्च किया गया है। यह ऐप उपभोक्ता शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ **स्पीच रिकग्निशन की सुविधा से युक्त** है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी (5G Spectrum Auction)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने अलग-अलग 10 बैंड्स में स्पेक्ट्रम की पेशकश की थी, लेकिन **600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज** और **2300 मेगाहर्ट्ज बैंड** में स्पेक्ट्रम के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
- **लगभग दो-तिहाई बोलियां 5G बैंड** (3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़) के लिए थीं, जबकि एक चौथाई से अधिक मांग 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए थी।
- भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को पछाड़ते हुए **रिलायंस जियो इस नीलामी प्रक्रिया में शीर्ष बोलीदाता** के रूप में उभरा।

5G स्पेक्ट्रम के बारे में

- स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। **मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयरवेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती हैं।**
- **स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति है।** प्रत्येक देश में एयरवेव्स के उपयोग की निगरानी सरकार या नामित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। यह प्राधिकरण इसे प्रबंधित करता है और आवश्यक लाइसेंस जारी करता है।
- **ऑपरेटर 5G सेवाएं देने के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड का एक साथ उपयोग करेंगे।** यह सेवाओं की गति और कवरेज की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- दुनिया भर के ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार 5G सेवा प्रदान करने के लिए **लो-बैंड, मिड-बैंड** और **हाई-बैंड स्पेक्ट्रम के मिश्रण का उपयोग** करने की योजना बना रहे हैं।

5G स्पेक्ट्रम	विशेषताएँ
लो बैंड:	• 1 गीगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला प्रत्येक स्पेक्ट्रम लो-बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। • यह ऑपरेटर्स के लिए **व्यापक कवरेज प्रदान करना संभव बनाएगा**। हालांकि, इसमें 5G नेटवर्क की स्पीड और लेटेंसी 4G नेटवर्क की तुलना में मामूली रूप से ही बेहतर होगी। • इसमें 5G नेटवर्क के प्रदर्शन की गुणवत्ता मुख्य रूप से सेल साइट (cell site) से निकटता पर निर्भर करेगी। • इसके तहत, कम आबादी वाले क्षेत्रों में कवरेज प्रदान करना और निर्मित क्षेत्रों में इनडोर कवरेज प्रदान करना आवश्यक है।
मिड-बैंड	• **1-6 गीगाहर्ट्ज़** की रेंज में आने वाले स्पेक्ट्रम को मिड-बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। • इसे 5G के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह लंबी दूरी तक पर्याप्त मात्रा में डेटा ले जाने में सक्षम है। • यह शहरों में उच्च क्षमता वाले व्यापक 5G नेटवर्क प्रदान करता है।
हाई-बैंड	• यह स्पेक्ट्रम चार्ट में **24 गीगाहर्ट्ज बैंड और उससे अधिक आवृत्ति** का स्पेक्ट्रम है। यह अत्यधिक उच्च आवृत्ति की होती है। • यह **कम दूरी पर बहुत तेज स्पीड प्रदान करता है।**

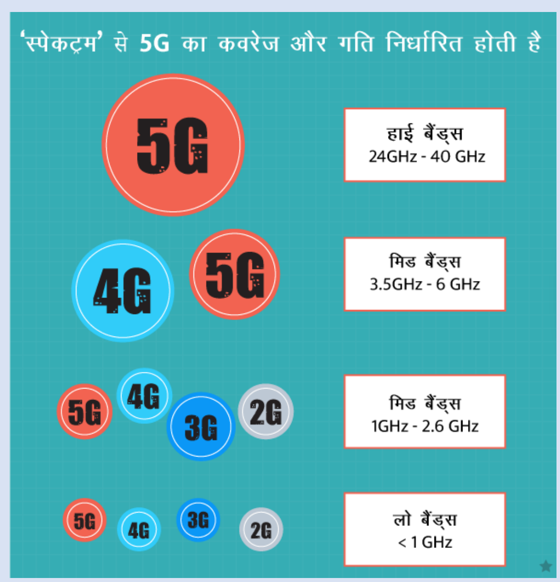

5G को लागू करने में चुनौतियां

- **डिवाइस की उपलब्धता:** उपभोक्ताओं के बीच 5G सेवाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए 5G मानकों और स्पेक्ट्रम के अनुकूल उपकरणों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।
- **उपयुक्त तरंग स्पेक्ट्रम:** 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति का उपयोग करने से नेटवर्क बहुत तेज स्पीड प्रदान करते हैं। हालांकि, उच्च आवृत्तियों में 5G के साथ कई समस्याएं होती हैं, जैसे- शॉर्ट-रेंज, वृक्षों, इमारतों और अन्य वस्तुओं से सिग्नल की रुकावट आदि।

 ©Vision IAS

- **मौजूदा अवसंरचना का फाइबराइजेशन:** वर्तमान में, भारत में केवल 33% टावर फाइबर युक्त बनाए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में यह 80% से 90% है।
    - फाइबराइजेशन नेटवर्क के उस हिस्से को दर्शाता है, जो नेटवर्क के कोर को उसके एज (Edge) से जोड़ता है। यह 5G सेवाओं में बड़ी मात्रा में डेटा के उपयोग को सुगम बनाता है।
- **वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण स्पेक्ट्रम आवंटन:** विभिन्न आवृत्तियों के मामले में वैश्विक समुदाय एवं क्षेत्रीय दूरसंचार संगठनों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
    - सामंजस्यपूर्ण आवंटन से सीमाओं पर रेडियो व्यवधान घटता है। इसके अलावा, यह अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रदान करता है और उपकरणों की लागत को भी कम करता है।
- **नेट न्यूट्रैलिटी मामला:** यदि नेटवर्क स्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है और उपभोक्ताओं को विभेदित अनुभव प्रदान किए जाते हैं तो विशिष्ट उपयोग के अनुरूप तैयार किए गए 5G नेटवर्क के मामले भारत में नेट न्यूट्रैलिटी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन होंगे।
- **साइबर सुरक्षा संकट:** 5G नेटवर्क की प्रणाली में लाखों डिवाइस ऑनलाइन होंगे। नेटवर्क से जुड़े इन डिवाइस से साइबर हमले हो सकते हैं। अतः ऑपरेटर्स को साइबर हमलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

आगे की राह

- 5G तकनीक को अपनी पूर्ण क्षमता से काम करने के लिए **तीन महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता है:**
    - **डिजिटल बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश,** जो बड़े पैमाने पर निजी स्रोतों से आना चाहिए;
    - एक **डिजिटल वातावरण, जो विश्वास उत्पन्न करे;** तथा
    - इसे सक्षम बनाने के लिए **एक आधुनिक नीति और नियामकीय ढांचा।**
- वाणिज्यिक उपयोग के लिए 5G में तेजी लाने के लिए, नियामकों को **सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापना नियमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि** नेटवर्क घनत्व की उभरती चुनौतियों का समाधान हो सके।
- मोबाइल सेवा विकल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, **मोबाइल कराधान ढांचे को और सरल बनाया जाना चाहिए।**
- **पुराने नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।** इसके अलावा निवेश, स्थिरता और नवाचार में बाधा डालने वाली नियामकीय बाधाओं को हटाने या नई प्रणाली में समायोजित करने की आवश्यकता है।
- **उपग्रह संचार वंचित क्षेत्रों में 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकता है।** ऐसे क्षेत्रों में दूर-दराज के गांव, द्वीपीय या पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, जहां स्थलीय बुनियादी ढांचे को स्थापित करना संभव नहीं है।

7.2. क्षय रोग या टीबी (Tuberculosis: TB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP)[162] पर एक मार्गदर्शन-पत्र जारी किया है।

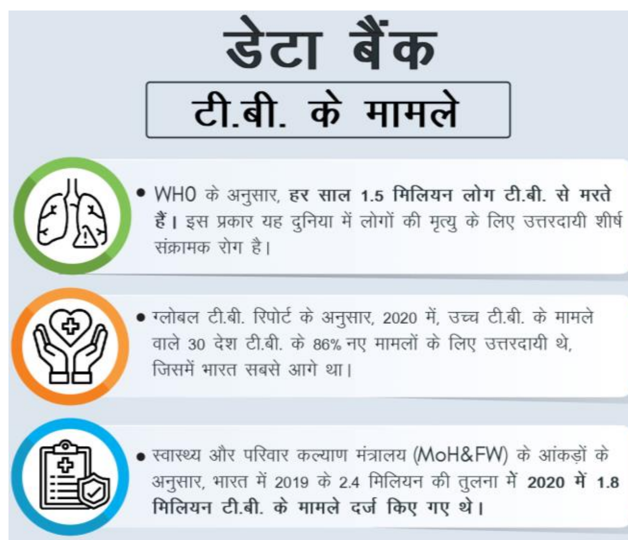

अन्य संबंधित तथ्य

- क्षय रोग (TB) के लिए **NSP** एक **महत्वपूर्ण दस्तावेज** है। यह स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में लक्ष्यों, रणनीतियों, एवं प्राथमिक हस्तक्षेपों के माध्यम से **क्षय रोग के व्यापक नियंत्रण** के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों व हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
    - प्रत्येक लक्ष्य को 'स्मार्ट' (SMART) मानदंड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका अर्थ है:
        - विशिष्ट (**S**pecific),
        - मापन योग्य (**M**easurable),

---

[162] National Strategic Planning

- प्राप्त करने योग्य (Attainable),
- वास्तविक (Realistic), और
- समयबद्ध (Time Bound)।

- यह मार्गदर्शन-पत्र **वर्ष 2015 के टूलकिट का एक संशोधित रूप** है। इसका उद्देश्य **क्षय रोग की रोकथाम, देखभाल और नियंत्रण के लिए एक NSP विकसित** करना है।
- इन निर्देशों/ मार्गदर्शन-पत्र को निम्नलिखित के सहयोग से विकसित किया गया है:
    - विभिन्न राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम,
    - तकनीकी सहभागी,
    - नागरिक समाज,
    - देश और क्षेत्रीय स्तर पर WHO के तकनीकी स्टाफ, और
    - मुख्यालयों में स्थित विभिन्न विभाग तथा
    - टीबी और रणनीतिक योजना विकास के अन्य विशेषज्ञ।

दवा प्रतिरोधी टीबी या ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी:

- **मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी[163]:** यह एक ऐसी टीबी है, जिस पर आइसोनाइज्ड तथा रिफैम्पिसिन जैसी दो सबसे प्रभावी फर्स्ट लाइन दवाओं का भी प्रभाव नहीं होता है।
    - MDR TB एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। वर्ष 2020 में ड्रग **रेज़िस्टेंट** टीबी से ग्रसित प्रत्येक तीन में से केवल एक व्यक्ति ही उपचार प्राप्त करने में समर्थ था।
- **एक्सटेंसिवली ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी (XDR TB)[164]:** यह MDR टीबी का एक दुर्लभ प्रकार है। **यह कम से कम चार प्रमुख टीबी रोधी दवाओं के लिए प्रतिरोधी है।** इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - MDR TB की दवाओं के प्रति;
    - किसी भी फ़्लोरोक्विनोलोन दवा (जैसे- लेवोफ़्लोएक्सिन और मॉक्सिफ़्लोएक्सिन) के प्रति;
    - सेकेंड लाइन की तीन इंजेक्टेबल न दवाओं (जैसे- एमिकैसिन, कैप्रोमाइसिन या केनामाइसिन) में से कम-से-कम एक के प्रति;
- **टोटली ड्रग रेज़िस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस (TDR TB)[165]:** यह टीबी की फर्स्ट और सेकंड लाइन की सभी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है।

क्षय रोग के बारे में:

- यह **'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस'** नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक **संचारी रोग** है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है।
    - यह फेफड़ों के टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खाँसने, छींकने या थूकने पर **हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता** है।
    - **क्षय रोग की दो श्रेणियां निम्नलिखित हैं:**
        - **पल्मोनरी टीबी:** यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, और
        - **एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी:** यह फेफड़ों के साथ अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है।

क्षय रोग के लिए उपचार:

- वर्तमान में, जन्म के समय बच्चों को बेसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG)[166] का टीका लगाया जाता है। इसे सामान्य बोलचाल में 'बीसीजी' का टीका कहा जाता है।
- इसे क्षय रोग के उपचार के लिए वर्ष 1921 में फ्रांस में विकसित किया गया था।
- भारत में, सबसे पहले वर्ष 1948 में BCG वैक्सीन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया और लाखों बच्चों को उनके जन्म के समय या उसके तुरंत बाद यह टीका लगाया गया।

क्षय रोग के उन्मूलन हेतु उठाए गए कदम

- **भारत के प्रयास:**
    - **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP), 2017-2025:** इसके तहत भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार, भारत द्वारा यह लक्ष्य टीबी उन्मूलन के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG), 2030 द्वारा निर्धारित समय सीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त किया जाना है।

---

163 Multidrug-resistant TB: MDR TB

164 Extensively Drug Resistant TB

165 Totally Drug-Resistant Tuberculosis

166 Bacille Calmette-Guerin

- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)[167]: वर्ष 2025 तक देश में टीबी को समाप्त करने की दिशा में तेजी लाने के लिए NTEP के तहत पूरे देश को कवर करने हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और नैदानिक सुविधाओं दोनों का विस्तार किया गया है।
  - NTEP को पहले **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)**[168] के नाम से जाना जाता था।
- **निक्षय पोर्टल:** यह **राष्ट्रीय क्षय रोग सूचना प्रणाली** हेतु विकसित एक पोर्टल है। यह पोर्टल पूरे देश में क्षय रोग के मरीज़ों से जुड़ी सूचनाओं के प्रबंधन और कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के निरीक्षण की दिशा में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है।
  - यह एडवांस विश्लेषण के लिए **क्षय रोग संबंधी सूचनाओं का एक राष्ट्रीय डेटा संग्रह** प्रदान करता है।
- **निक्षय पोषण योजना (NPY):** भारत का NSP, क्षय रोग के सभी मरीजों को **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)**[169] की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा उनकी पोषण संबंधी जरूरतों और टीबी से प्रभावित परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करने हेतु प्रदान की जाती है।
  - यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित है, जिसमें विश्व बैंक का भी आंशिक वित्तपोषण है।
  - यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा टीबी फ्री इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत में क्षय रोग का उन्मूलन करना है।

- **क्षय रोग के उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताएं और प्रयास:**
  - **मॉस्को घोषणा-पत्र, 2017:** यह एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक टीबी के उन्मूलन के लिए टीबी के प्रति वैश्विक अनुक्रिया में बहु-क्षेत्रक कार्रवाइयों और और जवाबदेही को बढ़ाना है।
  - **WHO की क्षय रोग उन्मूलन रणनीति (WHO end TB Strategy):** यह क्षय रोग के उन्मूलन की दिशा में देशों को एक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। इसके तहत वर्ष 2030 तक क्षय रोग संबंधी मामलों में 80% तक की कमी, मौतों में 90% तक की कमी लाई जाएगी और टीबी से प्रभावित परिवारों के लिए कैटास्ट्रोफिक देखभाल लागत को शून्य किया जाएगा।
    - यदि टीबी संबंधी देखभाल की कुल लागत, परिवार की वार्षिक आय के 20% से अधिक है, तो उसे कैटास्ट्रोफिक लागत कहा जाता है।
  - **फाइंड. ट्रीट. ऑल #एंड टीबी (Find. Treat. All. #EndTB):** यह WHO, स्टॉप टीबी पार्ट्नर्शिप तथा ग्लोबल फंड की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य टीबी से ग्रस्त 40 मिलियन लोगों को नैदानिक उपचार प्रदान करना और टीबी के मामलों का पता लगाना है। इसमें ड्रग रेज़िस्टेंट से पीड़ित 3.5 मिलियन बच्चे और 1.5 मिलियन लोग भी शामिल हैं।

यदि उपयुक्त नीतियां बनाई जाएं और उनका पालन किया जाए, नैदानिक एवं लोक स्वास्थ्य का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए और स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर एवं बाहर प्रतिबद्ध एवं समन्वित प्रयास किए जाएं तो क्षय रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। क्षय रोग के कारण होने वाली रोग ग्रस्तता और मृत्यु दर के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए **प्रभावी टीबी नियंत्रण सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार किया जाना** चाहिए।

---

[167] National Tuberculosis Elimination Program

[168] Revised National Tuberculosis Control Program

[169] Direct Benefit Transfer

 ©Vision IAS

7.3. जीनोमिक निगरानी (Genomic Surveillance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के वर्षों में कोविड-19, मंकीपॉक्स आदि सहित कई रोगजनकों और उनके उपभेदों के प्रकोप के कारण जीनोमिक निगरानी के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

जीनोमिक निगरानी के बारे में:

- यह **रोगाणुओं की सतत निगरानी हेतु उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रक्रिया** है। इसके तहत रोगजनक के उपभेदों की पहचान के लिए उनकी आनुवंशिक समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण किया जाता है।
    - जांच सैंपल में रोगाणुओं के विभिन्न उपभेदों की पहचान के लिए वैज्ञानिक जीनोम अनुक्रमण का उपयोग करते हैं।
- महामारी (पैंडेमिक और एंडेमिक) से बचाव हेतु बेहतर तैयारी और अनुक्रिया के लिए जीनोमिक निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    - इससे पहले, जीनोमिक निगरानी प्रणाली भारत और दुनिया भर में पोलियो के उन्मूलन में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है।

भारत में जीनोमिक निगरानी:

- **भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG)[170]:** इसे पूरे देश में SARS-CoV-2 के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया था। यह वायरस के फैलने और उसके विकास की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करेगा।
    - यह 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक समूह है। इसे निम्नलिखित के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है:
        - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय;
        - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT);
        - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और
        - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)।
- **क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएंज़ (RGSL)[171]:** ये किसी प्रासंगिक क्षेत्र से संबंधित जीनोम के अनुक्रमण के लिए क्षेत्रीय केंद्र की प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती हैं।
- **इंडियन ट्यूबरक्युलोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम (InTGS)[172]:** InTGS के गठन हेतु एक प्रस्ताव लाया गया है। यह INSACOG की तर्ज पर कार्य करेगी।

जीनोमिक निगरानी का महत्व:

- **महामारी से बचाव के लिए बेहतर तैयारी करने में सहायक:** जीनोमिक निगरानी, पहले से अनुमानित कार्यवाइयों को और बेहतर बनाने में सरकारों की मदद करती है। इसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए रियल टाइम और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने हेतु महामारी विज्ञान तथा मेटाडेटा को शामिल किया जा सकता है।
- **वैक्सीन के विकास में सहायक:** यह मौजूदा वायरस स्ट्रेन का पता लगाने और उसके विश्लेषण में मदद करता है। यह उभरते और मौजूदा संक्रामक रोगों के वैक्सीन के विकास तथा पुनः डिजाइन में भी सहायक है।
- **रोग का पता लगाने एवं उपचार करने में सहायक:** स्मार्ट निगरानी रोग निदान की तकनीकों या विधियों का विकास करने और मानक पैमाने के अनुसार उनका निर्धारण करने के लिए वास्तविक समय आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। यह दवा कंपनियों को भी अपने अनुसंधान और डिजाइन प्रयासों को आकार देने में मदद कर सकती है।

जीनोमिक निगरानी की मौजूदा चुनौतियां:

- **देशों के बीच असमानता:** जीनोमिक्स की जटिलताओं और कार्यबल की आवश्यकता सहित विभिन्न परिवेशों में अपनी क्षमता बनाए रखने से जुड़ी चुनौतियों के कारण, अधिकांश देश जीनोमिक निगरानी की क्षमता को अपने दम पर विकसित नहीं कर सकते हैं।
- **एकीकरण का अभाव:** जीनोमिक निगरानी के परिणामों का महामारी विज्ञान एवं नैदानिक निगरानी परिणामों के साथ एकीकरण अनुपयुक्त रहा है। साथ ही, इसकी व्यापकता, भौगोलिक प्रतिनिधित्व, समयबद्धता, गुणवत्ता, तुलनात्मक अध्ययन जैसे घटक भी कमजोर हैं।
- **तकनीकी चुनौतियां:** जीनोमिक डेटा को कई स्रोतों से प्राप्त मेटाडेटा के साथ कैसे एकीकृत किया जाए और सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कुशल कम्प्यूटेशनल एल्गोरिदम कैसे तैयार किए जाएं - ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **चिंताजनक नए वेरिएंट:** उभरते हुए नए वेरिएंट (कोविड-19 के समान) के कारण मौजूदा जीनोमिक निगरानी उपकरणों द्वारा नए वेरिएंट की प्रवृत्ति और प्रकृति को समझना मुश्किल हो जाता है।

---

[170] Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium

[171] Regional Genome Sequencing Laboratories

[172] Indian Tuberculosis Genomic Surveillance Consortium

आगे की राह

रोगाणुओं की जीनोमिक निगरानी हेतु **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने एक 10 वर्षीय रणनीति तैयार की है। इनमें शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें):

लक्ष्य (GOAL)	उद्देश्य (OBJECTIVE)	रणनितिक कार्रवाई (STRATEGIC ACTION)
इसका लक्ष्य स्थानीय से लेकर वैश्विक निगरानी प्रणालियों में गुणवत्ता, समयबद्धता और उपयुक्त स्वास्थ्य कार्रवाइयों के लिए जीनोमिक निगरानी को मजबूत करना और उसमें वृद्धि करना है	**उद्देश्य 1** देशों के लिए उपयुक्त और संधारणीय प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करना।	• नीति निर्माताओं के समक्ष **जीनोमिक निगरानी के महत्व की वकालत करना।** • सामर्थ्य और क्षमता परिदृश्य का निर्धारण और निगरानी करना। • **प्रासंगिक और संधारणीय प्रौद्योगिकी समाधान का वितरण करना।** • स्थानीय से लेकर वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए **नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।** • **पहुंच को अधिकतम करने के लिए संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण बाजार को आकार देना।**
	उद्देश्य 2 त्वरित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी के लिए कार्यबल को मजबूत करना।	• **जीनोमिक्स और जैवसूचना–विज्ञान** में प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना और उसे लागू करना। • अभ्यास और ज्ञान आदान–प्रदान संबंधी कार्यक्रमों में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना। • **बाह्य गुणवत्ता आकलन कार्यक्रमों** को लागू करना। • **कार्यबल का विकास करने और उनको जोड़े रखने** के लिए मजबूत कार्यक्रम बनाना।
	उद्देश्य 3 स्थानीय से लेकर वैश्विक लोक स्वास्थ्य निर्णय लेने और कार्रवाई को सुव्यवस्थित करने हेतु डेटा साझाकरण एवं उपयोगिता को बढ़ाना।	• **डेटा और मेटा–डेटा मानकों** पर आम सहमति विकसित करना। • **डेटा साझाकरण और पहुंच (एक्सेस) संबंधी सिद्धांत** को स्थापित करना। • **डेटा साझाकरण समझौते** सुनिश्चित करना। • मानदंडों, मानकों, बेंचमार्क और संदर्भ सामग्री में **सामंजस्य स्थापित करना।** • निगरानी संबंधी पद्धतियों में **जीनोमिक्स का नियमित उपयोग करना।**
	उद्देश्य 4 व्यापक निगरानी पारितंत्र में समयबद्ध मूल्यवर्धन के लिए कनेक्टिविटी को अधिकतम करना।	• **डेटा, नमूना और सूचना साझाकरण को सुविधाजनक बनाना।** • स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर **नेटवर्क लिंकेज को बढ़ाना।** • **वन हेल्थ पार्टनर्स** के साथ लक्षित सहयोग लागू करना। • नियमित, महामारी और वैश्विक महामारी के संदर्भ में **नेटवर्क को मजबूत करना।**
	उद्देश्य 5 आपात की दशा हेतु तत्परता की स्थिति को बनाए रखना।	• जीनोमिक निगरानी प्रणाली पर दबाव का परीक्षण करना। • क्षमता को बनाए रखने के लिए **संयुक्त परियोजनाओं को स्थापित करना या उन्हें बनाए रखना।** • पद्धतियों को मजबूत करने के लिए **आपात के दौरान और बाद की कार्रवाई की समीक्षा करना।**

7.4. स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors: SMRs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग के सदस्य और वैज्ञानिक वी. के. सारस्वत ने सुझाव देते हुए यह कहा है कि **सरकार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए।** इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने एवं पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को बदलने में मदद मिलेगी।

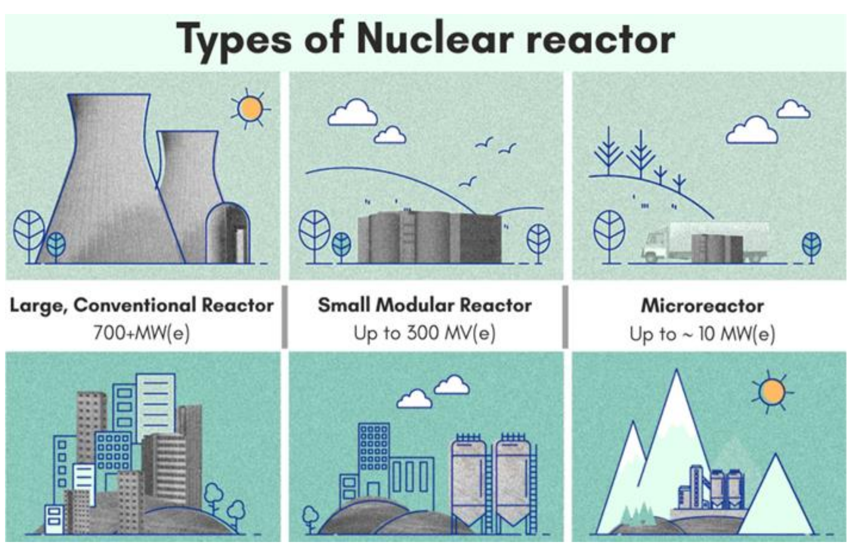

SMRs के बारे में

- SMRs **उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं।** इन **रिएक्टरों की प्रत्येक यूनिट 300 मेगावाट {MW(e)} तक विद्युत उत्पादन कर सकती है।** यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक-तिहाई है।

- **SMR अपेक्षाकृत एक नवीन अवधारणा है,** लेकिन ये परमाणु ऊर्जा को अधिक वहनीय और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद कर सकते हैं।
    - ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष **2035 तक विश्व स्तर पर 21GW क्षमता तक के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जा सकते हैं।** इससे कुल स्थापित परमाणु क्षमता में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 3% हो जाएगी।
    - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)[173] के अनुसार, **वर्तमान में 18 देशों में 70 से अधिक SMR की संकल्पनाएं विकास के अधीन हैं।**
    - **वर्ष 2040 तक** SMR का वैश्विक बाजार प्रति वर्ष **300 अरब डॉलर** होने की संभावना है।
- **SMRs के लाभ**
    - **अल्प फुटप्रिंट:** SMRs ऐसे स्थानों पर लगाए जा सकते हैं, जहां **बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना नहीं** की जा सकती है।
    - **वहनीय:** SMRs की इकाइयों के विभिन्न घटकों का अलग-अलग (Prefabricated) निर्माण किया जा सकता है और **फिर उन्हें साइट पर स्थानांतरित एवं स्थापित** किया जा सकता है। यह इनके निर्माण कार्य को बड़े पॉवर रिएक्टरों के निर्माण की तुलना में अधिक किफायती बनाता है। बड़े विद्युत रिएक्टर अक्सर किसी विशेष स्थान के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं एवं कभी-कभी उनके निर्माण में अधिक समय लग जाता है।
    - **बचत:** SMRs **लागत और निर्माण में लगने वाले समय को कम कर** सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक संख्या में तैयार भी किया जा सकता है।
    - **संधारणीय विकास:** ये **स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं**। साथ ही, ये देशों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं।
    - **ईंधन आवश्यकताओं को कम करते हैं:** SMRs ने ईंधन की जरूरतों को कम कर दिया है। पारंपरिक संयंत्रों **की तुलना में,** SMRs आधारित बिजली संयंत्रों को कम ईंधन आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ जहां पारंपरिक संयंत्रों के लिए प्रत्येक **1 या 2 वर्ष में** ईंधन उपलब्ध कराना पड़ता है, वहीं SMRs आधारित बिजली संयंत्र को एक बार ईंधन उपलब्ध कराने के बाद **3 से 7 साल** तक संचालित किया जा सकता है। कुछ SMRs को **लंबी अवधि के लिए डिज़ाइन** किया जाता है, जहां उन्हें एक बार ईंधन उपलब्ध कराने के बाद **30 साल तक संचालित** किया जा सकता है।

माइक्रोरिएक्टर

- **माइक्रोरिएक्टर,** छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। इनकी **ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट (MW) से कम** होती है।
- हालांकि, अभी तक इस तकनीक का व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। फिर भी, इस तरह के विभिन्न डिजाइनों को उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अधीन शामिल कर लिया गया है। आगामी कुछ वर्षों में इनका व्यावसायिक उपयोग देखा जा सकता है।
- ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि एक बार ईंधन उपलब्ध कराने के बाद इन्हें भी वर्षों तक संचालित किया जा सकता है। **इसके अतिरिक्त, इन्हें दूरदराज के क्षेत्रों, तैनात सैन्य प्रतिष्ठानों एवं प्राकृतिक आपदा प्रभावित स्थानों में छोटे पैमाने पर विद्युत आवश्यकता हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।**

- **SMRs से संबंधित चिंताएं**
    - **परमाणु अपशिष्ट का उत्पादन:** रेडियोधर्मी अपशिष्ट के उत्पादन, प्रबंधन आवश्यकताओं और निपटान विकल्पों के मामले में SMRs की क्षमता पारंपरिक रिएक्टरों से कम है।
    - **इकॉनमीज़ ऑफ़ स्केल:** SMRs बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बिजली का उत्पादन करते हैं। इसलिए, SMRs की लागत, उत्पादन क्षमता की प्रत्येक यूनिट (मेगावाट) के लिए बड़े रिएक्टरों की तुलना में अधिक होगी।
    - **विनियमों का अभाव:** नियामक एवं अन्य अवरोध इनके निर्माण को बाधित कर सकते हैं। ये SMRs के लिए सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को लंबा और अधिक महंगा बना सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)[174] ने** SMRs और उनके अनुप्रयोगों के आलोक में **एक मंच की स्थापना** की है। यह मंच SMRs के विकास के सभी पहलुओं से संबंधित सहयोग को बढ़ावा देने हेतु देशों के लिए एक वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा।
    - IAEA **परमाणु के क्षेत्र में सहयोग हेतु स्थापित एक वैश्विक केंद्र** है।
    - इसकी **स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वैश्विक "एटम्स फॉर पीस" संगठन के रूप में वर्ष 1957 में** की गई थी।
    - इस एजेंसी को **परमाणु तकनीक के सकुशल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित** करने हेतु स्थापित किया गया था। यह एजेंसी **अपने सदस्य देशों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ मिलकर इस उद्देश्य के लिए कार्य** करती है।

---

[173] International Atomic Energy Agency

[174] International Atomic Energy Agency

निष्कर्ष

सभी अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सुरक्षा, बचाव और लचीलेपन प्रदान किया जाए तो SMRs को सफलतापूर्वक व्यावसायिक रूप से तैनात किया जा सकता है। IAEA ने SMRs और उनके अनुप्रयोगों पर एक मंच की स्थापना की है। यह SMRs विकास के सभी पहलुओं से संबंधित समर्थन के समन्वय के लिए देशों के लिए वन-स्टॉप शॉप है।

हालांकि, इसे परिष्कृत और तथ्य आधारित लाइसेंसिंग द्वारा उन्नत किया जाना चाहिए, जो SMR सुरक्षा डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता, कम सार्वजनिक जोखिम और तैनाती के संबंध में लचीलेपन के लाभों को पहचानता हो।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

7.5.1. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन {Quantum Key Distribution (QKD)}

- बेंगलुरू स्थित स्टार्टअप QNu लैब्स ने 'क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन' (QKD) सिस्टम के माध्यम से आधुनिक सुरक्षित संचार की खोज की है।
- QNu लैब्स ने **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) की मदद** से QKD प्रणाली विकसित की है।
  - **iDEX रक्षा नवाचार संगठन (DIO) का एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क** है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है।
  - **iDEX का उद्देश्य** विशेष रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में **नवाचार, उद्यमिता तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा** देने के लिए एक परिवेश का निर्माण करना है।
- यह एक सुरक्षित **संचार प्रौद्योगिकी** है। इसके तहत क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग किया जाता है।
  - इसके तहत संचार में शामिल **दो पक्ष एक साझा गोपनीय कुंजी (key) उत्पन्न** करते हैं। इस कुंजी का उपयोग मैसेज को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है।
- **पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी में,** सुरक्षा आमतौर पर इस तथ्य पर आधारित होती है कि संभावित **हैकर/हमलावर एक निश्चित गणितीय समस्या को हल करने में असमर्थ होता है,** जबकि QKD में **क्वांटम भौतिकी के नियमों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।**
- **ऐसे दो नियम हैं; सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट (Entanglement) -**
  - **सुपरपोजिशन** का अर्थ है कि प्रत्येक क्वांटम बिट एक ही समय में 1 और 0, दोनों को दर्शा सकता है। क्वांटम बिट, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई है।
  - **क्वांटम एंटेंगलमेंट में,** उप-परमाणु कण इस तरह उलझे (जुड़े) होते हैं कि एक में किसी प्रकार का परिवर्तन दूसरे कण को भी बाधित करता है, भले ही दोनों ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर पर हों।

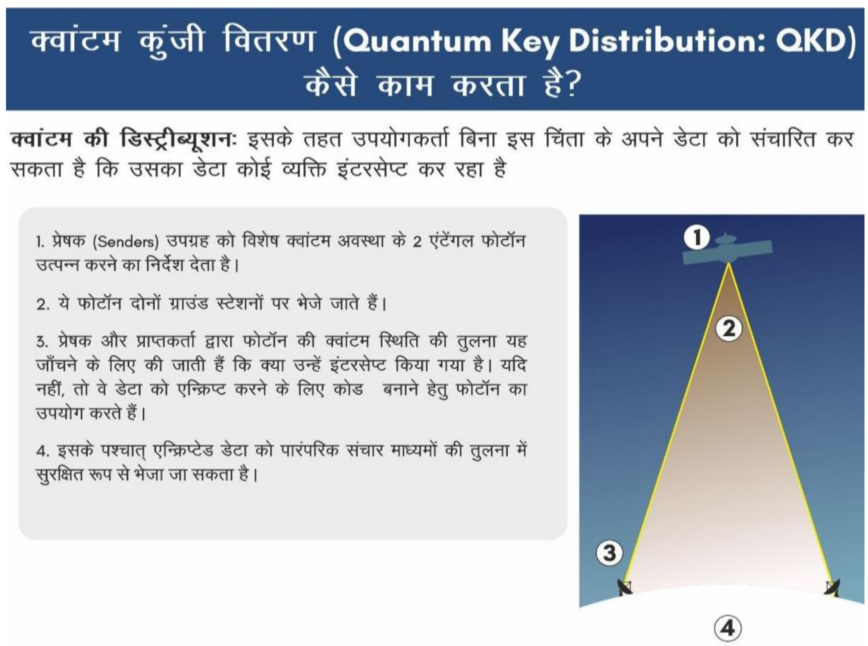

7.5.2. एनोनिमाइजेशन ऑफ़ डेटा (AoD)' पर प्रारूप दिशा-निर्देश {Draft Guidelines on Anonymisation of Data (AoD)}

- **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने जनता से सुझावों के लिए **AoD दिशा-निर्देश और मोबाइल सुरक्षा दिशा-निर्देश (MSG)** पर प्रारूप जारी किए हैं। इन्हें **ई-गवर्नेंस मानकों और दिशा-निर्देशों** के माध्यम से जारी किया गया है।
  - ये दिशा-निर्देश **मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) निदेशालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) पुणे** ने तैयार किए हैं।

- डेटा **एनोनिमाइजेशन** (गुमनामीकरण) एक प्रसंस्करण तकनीक है। यह **व्यक्तिगत पहचान बताने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सूचनाओं को समाप्त** करती है या इनमें संशोधन करती है। इससे पहचान प्रकट होने की संभावना को समाप्त या अत्यधिक कम किया जा सकता है।
  - डेटा जो एनोनिमाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, उसे **एनोनिमाइज्ड डेटा** कहा जाता है।
- **AoD दिशा-निर्देशों के उद्देश्य:**
  - अन्य संस्थाओं के साथ डेटा को संसाधित, प्रकाशित, संग्रहीत या साझा करते समय मामलों के आधार पर डेटा एनोनिमाइजेशन के माध्यम से **निजता की सुरक्षा को बढ़ाना।**
  - कई सेवाओं के एकीकरण के साथ एनोनिमाइजेशन के सिद्धांतों के कार्यान्वयन से **निजता संज्ञान प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद** मिलेगी।
  - **मानक संचालन प्रक्रियाएं** तैयार करना। इससे अलग-अलग संगठनों और सरकारी विभागों को डेटा एनोनिमाइजेशन अवधारणा को लागू करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
- **मोबाइल सुरक्षा दिशा-निर्देशों (MSG) को गोपनीयता, प्रामाणिकता, सत्यापन, जवाबदेही** आदि जैसे मोबाइल सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
  - **MSG मोबाइल सुरक्षा को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं:**
    - मोबाइल डिवाइस सुरक्षा,
    - मोबाइल संचार सुरक्षा और
    - मोबाइल सेवा सुरक्षा।
  - इनमें **निजता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा तथा लेन-देन की सुरक्षा के लिए** मोबाइल सुरक्षा नियंत्रण उपायों की **निम्नलिखित तीन श्रेणियों को परिभाषित किया गया है:**
    - नीति-आधारित उपाय,
    - प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय और
    - उपयोगकर्ता-उन्मुख उपाय।

7.5.3. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन {Smart India Hackathon (SIH) 2022}

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH), 2022 के ग्रैंड फिनाले** को संबोधित किया है।
- **SIH,** शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित **एक राष्ट्रव्यापी पहल है।** इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।**
  - यह छात्रों को **लीक से हटकर विचार प्रस्तुत करने** के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार, यह उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या समाधान की मानसिकता को विकसित करता है।
  - यह मंच **SIH जूनियर और SIH सीनियर के तहत क्रमशः स्कूल (6वीं-12वीं) और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए खुला है।**

7.5.4. आई.टी.यू- क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम {ITU's- Regional Standardization Forum (RSF)}

- हाल ही में, **संचार मंत्रालय** ने 'एशिया' और 'ओशिनिया' क्षेत्र के लिए **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के RSF की मेजबानी की है।**
- ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए **संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।**
- RSF **विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए एक मंच** है। इस मंच पर सतत डिजिटल परिवर्तन और आई.टी.यू. मानकों की भूमिका व उभरते बाजारों में डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकियों का दोहन, डेटा मूल्य श्रृंखला तथा डिजिटल स्वास्थ्य जैसे **मानकीकरण विषयों पर चर्चा की जाती है।**

7.5.5. हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस (Hydrogen Fuel Cell Bus)

- **हाल ही में, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई** है।
- यह बस **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR)** तथा निजी कंपनी **के.पी.आई.टी. टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित** की गई है।
- फ्यूल सेल एक **विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण** है। यह **हाइड्रोजन और वायु का उपयोग** करके विद्युत, ऊष्मा व जल उत्पन्न करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **फ्यूल सेल के उपयोग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं:**
  - परिवहन क्षेत्र;
  - पोर्टेबल: सैन्य क्षेत्र, सहायक बिजली इकाइयां, लैपटॉप आदि; तथा
  - स्टेशनरी: औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ आवासीय भवनों आदि की बिजली जरूरतों को पूरा करना।
- **फ्यूल सेल के लाभ**
  - हाइड्रोजन की उच्च दक्षता और उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण **परिचालन लागत कम** है।
  - यह परिवहन के विकार्बनीकरण (Decarbonization) के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम** है।
  - इसके संचालन में **अधिक शोर नहीं** होता है। साथ ही, **मॉड्यूलर निर्माण** की वजह से लघु आवासीय, ऑटोमोटिव व पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - इसके उपयोग से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली **धूम्र और स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।**
  - बैटरियों की तुलना में यह **अधिक समय तक ऊर्जा** प्रदान करती है।

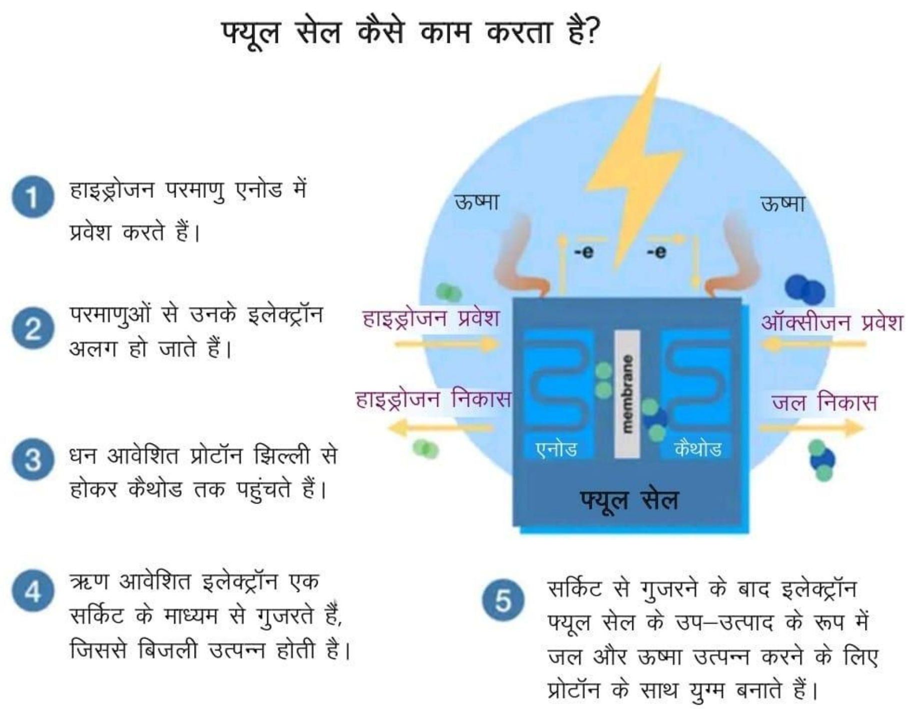

- **फ्यूल सेल से संबंधित चुनौतियां:**
  - हाइड्रोजन गैस के उत्पादन, परिवहन, ज्वलनशीलता और भंडारण के लिए अवसंरचना की कमी है,
  - यह उच्च लागत वाली प्रौद्योगिकी है, तथा
  - सेल प्रणाली के आकार व वायु, ऊष्मा और जल का प्रबंधन आदि जैसी तकनीकी चुनौतियां विद्यमान हैं।

7.5.6. रोशनी (Roshini)

- यह **भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन** है। इस लालटेन में एल.ई.डी. बल्ब को बिजली देने के लिए **समुद्र के पानी** का उपयोग किया जाता है। यह जल विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच **इलेक्ट्रोलाइट** के रूप में कार्य करता है।
  - इसे **'राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान' (NIOT), चेन्नई** ने विकसित किया है।
  - इस प्रौद्योगिकी का उपयोग देश के अंदरूनी इलाकों में भी किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि **इसमें नमक के साथ मिश्रित किसी भी लवणीय/सामान्य जल का उपयोग लालटेन को बिजली देने** के लिए किया जा सकता है।
- **महत्व:**
  - यह **लागत प्रभावी** और संचालित करने के लिए व्यवहार्य है।
  - **यह गरीबों** और जरूरतमंदों, विशेषकर मछुआरा समुदाय के लिए **'ईज़ ऑफ़ लिविंग'** को सुनिश्चित करने में सहायक है।

7.5.7. लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान {Small Satellite Launch Vehicle (SSLV)}

- इसरो का पहला लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। इस विफलता का कारण यह था कि प्रक्षेपण के बाद **उपग्रहों को वृत्ताकार की बजाय गलत अण्डाकार कक्षा में प्रवेश** करा दिया गया था।
    - कक्षा एक वक्राकार पथ है, जिस पर तारे, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह आदि जैसे खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अन्य पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
- **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के बारे में**
    - यह तीन चरणों वाला **पूर्णतः ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष यान** है। यह 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रहों को 500 कि.मी. ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है।
    - इसका उद्देश्य लघु उपग्रहों को LEO में प्रक्षेपित करने के लिए उभरते बाजार की मांग को पूरा करना है।
    - यह **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान** है। इसका द्रव्यमान 110 टन है।

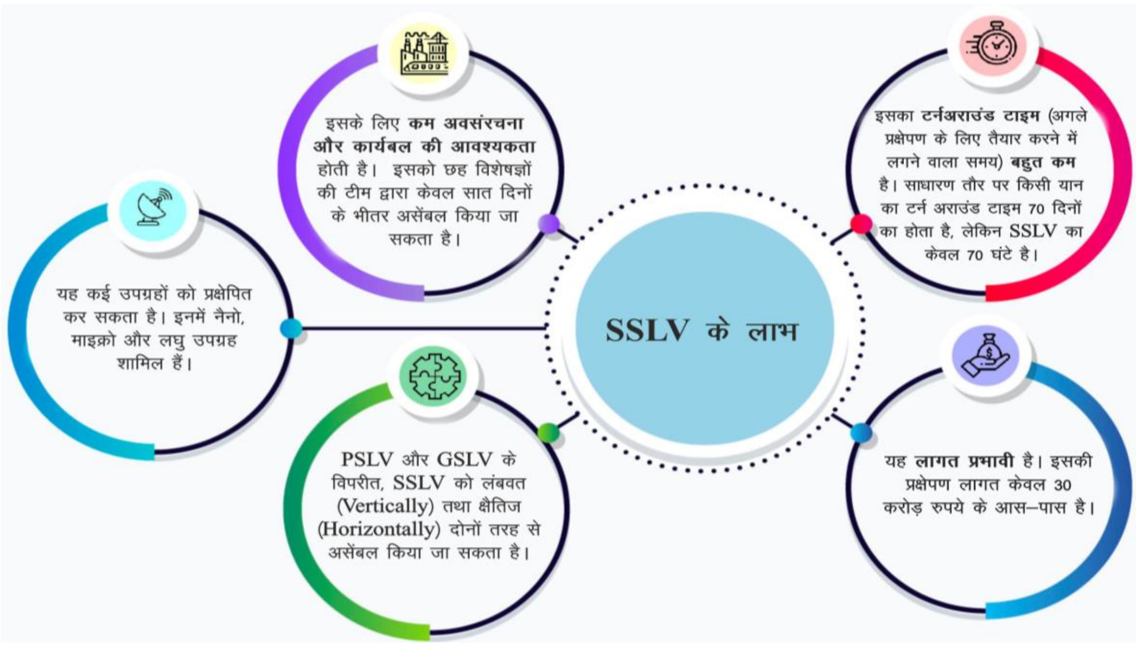

7.5.8. अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए वेधशाला (Observatory to Monitor Space)

- **दिगंतारा** भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। यह उत्तराखंड के **गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (Space Situational Awareness: SSA) वेधशाला** स्थापित करने जा रहा है।
    - यह वेधशाला पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले **10 से.मी. आकार जितने छोटे पिंडों पर भी नजर** रख सकती है।
- **SSA में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **अंतरिक्ष पर्यावरण** का ज्ञान,
    - अंतरिक्ष गतिविधियों के समक्ष किसी भी **खतरे का आकलन** करना और
    - अंतरिक्ष **संपदाओं की सुरक्षा** के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- **SSA वेधशाला का महत्व**
    - यह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष मलबे सहित गहन अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि या घटना पर नज़र रखने में **भारत की सहायता** करेगी।
    - **SSA अवलोकनों में व्यापक अंतराल को दूर** करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच ऐसी सुविधाओं की कमी है।
    - उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों की अवस्थिति, गति तथा प्रक्षेप पथ (Trajectory) का अधिक सटीक पूर्वानुमान करके उनके बीच **टकराव** की संभावना को **कम** करेगी।
    - **गहन अंतरिक्ष (विशेष रूप से भूस्थिर, पृथ्वी की मध्यम और उच्च कक्षाओं) में होने वाली घटनाओं की निगरानी** करने में सहायता करेगी।

- उपमहाद्वीप में **सैन्य उपग्रहों की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की निगरानी** के लिए भारत को स्वदेशी क्षमता प्रदान करेगी। इससे भारत सामरिक लाभ की स्थिति में होगा।

- **SSA की दिशा में उठाए गए कदम**
  - भारतीय उपग्रहों के समक्ष मलबे जनित खतरों और अन्य जोखिमों का पता लगाने के लिए **बेंगलुरु में इसरो (ISRO) का SSA नियंत्रण केंद्र** स्थापित किया गया है। इस केंद्र का नाम **"नेत्र/ NETRA (नेटवर्क फॉर स्पेस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस)"** है।
  - **भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय SSA** व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **SSA तीन मुख्य क्षेत्रों को शामिल करता है:**
  - मानव-निर्मित ऑब्जेक्ट्स की **अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग (SST)।**
  - **अंतरिक्ष मौसम (SWE) निगरानी** और पूर्वानुमान।
  - **नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) की निगरानी** (केवल प्राकृतिक अंतरिक्ष पिंड)।

7.5.9. बृहस्पति (Jupiter)

- नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें ली हैं।
- बृहस्पति की नई तस्वीरों में **विशाल तूफान, रंगीन ऑरोरा** (ध्रुवीय ज्योति), **धुंधले वलय** और इसके दो छोटे उपग्रह- **अमाल्थिया और एड्रास्टिया** की तस्वीरें शामिल हैं।
  - **JWST, एक प्रमुख अवरक्त वेधशाला** है। यह वेधशाला **नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी** के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका मुख्य लक्ष्य **ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर** करने के लिए ब्रह्मांड का अध्ययन करना है।
- **बृहस्पति के बारे में**

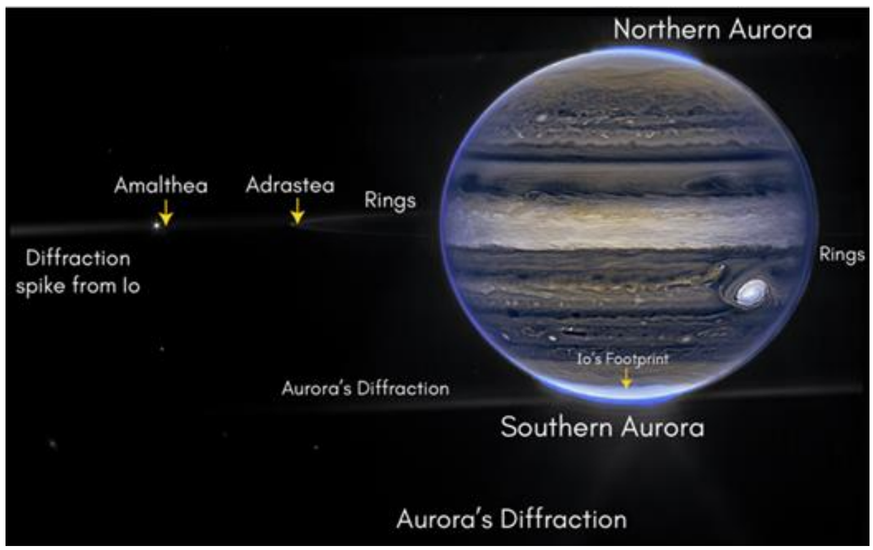

  - **अवस्थिति:** यह क्रम में सूर्य से पांचवां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है।
  - **वलय:** इसके कई वलय हैं, लेकिन **शनि ग्रह के विपरीत, बृहस्पति के वलय बहुत धुंधले हैं और धूल से बने हैं, न कि बर्फ से।**
  - **सबसे छोटा दिन:** सौरमंडल में इसका दिन सबसे छोटा होता है (केवल 10 घंटे का दिन होता है)।
  - **उपग्रह:** बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं। बृहस्पति के चार सबसे बड़े उपग्रह हैं - आयो, यूरोपा, गैनिमीड और कैलिस्टो।
  - **विशाल लाल धब्बे:** इस पर **विशाल लाल धब्बे** (ग्रेट रेड स्पॉट) जैसे बड़े तूफान मौजूद हैं, जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय हैं। हाल ही में, तीन छोटे अंडाकार धब्बे विलय के पश्चात **छोटे लाल धब्बे** बन गए। उनका आकार बड़े लाल धब्बे के आकार का लगभग आधा था।
  - **ऑरोरा:** बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र भी उसके ध्रुवों पर आकर्षक ऑरोरा उत्पन्न करता है। ऑरोरा ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के साथ **सौर पवन के ऊर्जावान कणों से संपर्क** के कारण निर्मित होता है।

7.5.10. नासा (NASA) ने आर्टेमिस-1 मिशन का प्रक्षेपण स्थगित किया (NASA Postpones Launch of Artemis-1 Mission)

- नासा के आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य **चंद्रमा का अन्वेषण** (अध्ययन) करना है। इस अन्वेषण का विशेष उद्देश्य **मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारने** के साथ-साथ संभवतः उससे परे **मंगल और अन्य ग्रहों पर उतारने** की संभावनाएं भी तलाशना है।
  - **आर्टेमिस-1 मिशन एक मानव रहित** परीक्षण उड़ान होगा।
  - **आर्टेमिस-2 में एक चालक दल** होगा।

- केवल **आर्टेमिस-3 मिशन में चंद्रमा पर मानव को उतारने** की संभावना है।
- आर्टेमिस-1 नए **स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट** की पहली उड़ान होने जा रहा था। SLS सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है। इसे **ओरायन (Orion) अंतरिक्ष यान** को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। ओरायन को गहन अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- हाल के वर्षों में **चंद्रमा पर देशों की रूचि बढ़ी है** और इसलिए कई देशों ने आने वाले वर्षों में चंद्र मिशन की योजना बनाई है। **इनमें कुछ प्रमुख मिशन निम्नलिखित हैं:**
    - **चंद्रयान-3:** भारत,
    - **पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर:** साउथ कोरिया,
    - **लूना-25:** रूस,
    - **स्लिम (SLIM):** जापान आदि।
- **चंद्रमा के लिए हाल में रूचि बढ़ने के कारण**
    - **आर्थिक कारण: हीलियम -3,** हीलियम तत्व का एक समस्थानिक है। यह चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर दुर्लभ है। यह नाभिकीय संलयन के लिए एक संभावित ईंधन है।
    - **भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए एक बेस के रूप में:** चंद्रमा पर परीक्षण करने से यह जानने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है।
    - **पृथ्वी का अध्ययन करना:** ऐसा इसलिए, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का साझा अतीत है।

7.5.11. पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ (Earth Records Shortest Day)

- एक रिपोर्ट के अनुसार, **29 जुलाई, 2022** को पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी ने **29 जुलाई** को 24 घंटों के मानक घूर्णन काल को 1.59 मिली सेकंड पहले ही पूर्ण कर लिया।
    - इससे पहले, **पृथ्वी ने 19 जुलाई, 2020 को अपना सबसे छोटा दिन दर्ज किया था।** इस दिन पृथ्वी ने **24 घंटों के मानक घूर्णन काल को 1.47 मिली सेकंड पहले ही पूर्ण कर लिया था।**
- शोधकर्ता अभी भी पृथ्वी की घूर्णन की गति में ऐसी वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगा रहे हैं। उनका अनुमान है कि इसके लिए पृथ्वी के कोर की आंतरिक या बाहरी परतों की प्रक्रियाएं, महासागर, ज्वार, या यहां तक कि जलवायु परिवर्तन भी उत्तरदायी हो सकते हैं।
    - कुछ शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि **पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक ध्रुवों की गति या "चैंडलर वॉबल (Chandler wobble)" भी इसका कारण हो सकता है।**
        - **चैंडलर वॉबल:** यह पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन में होने वाले विचलन को संदर्भित करता है।
- **सामान्य तौर पर पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है,** जो अत्यंत मंद गति से हो रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ी तेज हुई है।
    - लंबे समय तक पृथ्वी के घूर्णन की गति में होने वाली कमी को समायोजित करने हेतु कैलेंडर वर्ष में कभी-कभी लीप सेकंड को जोड़ा दिया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति में होने वाली कमी के लिए ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना एवं इनका फिर से जमना उत्तरदायी होता है।
    - लीप सेकंड को पहली बार **1972 में इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था।**
        - **लीप सेकंड का उपयोग सटीक अंतर्राष्ट्रिय एटॉमिक टाइम और गैर-सटीक ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम (UT1) के मध्य अंतर को समायोजित करने के लिए किया जाता है।**
    - 1972 के बाद से अब तक 27 लीप सेकंड जोड़े गए हैं। आखिरी लीप सेकंड 31 दिसंबर 2016 को जोड़ा गया था।
- कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि जारी रहती है, **तो लीप सेकंड को जोड़ने के बजाए लीप सेकंड को घटाने की आवश्यकता होगी।** इससे सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की घूर्णन गति की दर और परमाणु घड़ियों से प्राप्त माप में सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।
    - परमाणु घड़ियों को **लेंथ ऑफ सेकंड की सटीकता के साथ समय का निर्धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।** सेकंड, आधुनिक समय निर्धारण की आधार इकाई (Base Unit) है।
    - **100 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड की त्रुटि के साथ**, परमाणु घड़ियां इतिहास में सबसे सटीक समय निर्धारित करने वाले उपकरणों में से एक हैं।

- हालांकि, लीप सेकंड को घटाने की शुरुआत **स्मार्टफोन, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों को भ्रमित कर सकती है।**
    - यह समय की सटीकता पर निर्भर रहने वाले **आई.टी. सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए काफी हानिकारक होगा।** साथ ही, इस तरह के टाइम जंप (लिप सेकंड को जोड़ने या घटाने से संबंधित बदलाव) से प्रोग्राम क्रैश या स्टोरेज के टाइमस्टैम्प (किसी दस्तावेज़ की तारीख और समय को रिकॉर्ड करना) में विसंगतियों के कारण डेटा करप्ट हो जाएंगे।

7.5.12. बेटेल्गेयूज़ (Betelgeuse)

- **बेटेल्गेयूज़,** ओरायन तारामंडल का एक चमकदार **लाल विशालकाय (रेड जायंट) तारा** है। रेड जायंट तारकीय विकास के अंतिम चरण में एक मरता हुआ तारा होता है।
- वर्ष 2019 के अंत में **बेटेल्गेयूज़ तारा पहले से कहीं ज्यादा चमकहीन** हो गया था।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्ष 2019 में **बेटेल्गेयूज़ को एक विशाल 'सरफेस मास इजेक्शन' (SME) से गुजरना पड़ा था।** इस प्रक्रिया के दौरान इसने **अन्य तारों की तुलना में 400 बिलियन गुना अधिक द्रव्यमान को निष्कासित किया था।**

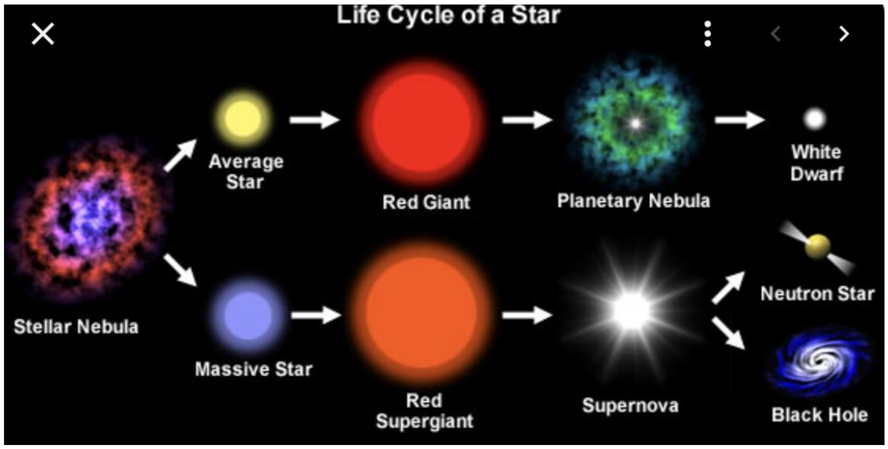

    - एक SME तब होता है, जब कोई तारा **बड़ी मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय प्रवाह** को आसपास के **अंतरिक्ष में निष्कासित कर देता है।** हालांकि, इस SME के पीछे का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।

7.5.13. एक्सो-मून्स (Exo-Moons)

- **भारतीय ताराभौतिकी संस्थान** के वैज्ञानिकों ने **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)** की मदद से रहने योग्य **एक्सो-मून्स** का पता लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है।
    - JWST को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह **नासा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है।** इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास को जानने के लिए उसकी जांच करना है।
- **एक्सो-मून के बारे में**
    - वे **प्राकृतिक उपग्रह हैं, जो एक्सोप्लैनेट की परिक्रमा** करते हैं। **एक्सोप्लैनेट सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं।**
    - अब तक, कई टेलीस्कोप (केपलर हबल स्पेस टेलीस्कोप आदि) का उपयोग करके **5000 एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी** है।
    - हालांकि, **अभी तक इनमें से किसी भी ग्रह के आसपास के प्राकृतिक उपग्रह या एक्सो-मून का पता नहीं चल पाया है।**

7.5.14. पेन प्लस स्ट्रेटेजी (PEN Plus strategy)

- अफ्रीका ने टाइप 1 मधुमेह (T1D), रूमेटिक/आमवाती हृदय रोग (RHD) और सिकल सेल रोग जैसे गंभीर **गैर-संचारी रोगों (NCD)** के निदान के लिए **'पेन-प्लस स्ट्रेटेजी'** नामक रणनीति अपनाई है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2010 में, 'पैकेज ऑफ़ एसेंशियल NCD इंटरवेंशन्स' (PEN) को अपनाया था। PEN **प्राथमिक देखभाल स्तर पर सेवाओं के विकेंद्रीकरण** का समर्थन करने पर केंद्रित है।
- "पेन-प्लस" **प्राथमिक स्तर के अस्पतालों में एक एकीकृत बाह्य रोगी सेवा के माध्यम से गंभीर NCD को संबोधित करने** के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है।

7.5.15. कालाजार या विसेरल लीशमनियासिस (Visceral leishmaniasis/Kala-azar)

- सरकार ने देश से **अगले वर्ष तक कालाजार को समाप्त करने** का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - देश के 633 कालाजार स्थानीय ब्लॉक्स में से, 625 ब्लॉक्स ने पिछले वर्ष उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया था।
- यह एक उष्णकटिबंधीय रोग है। यह एक परजीवी **लीशमैनिया प्रोटोजोआ** के कारण होता है। यह **संक्रमित मादा सैंडफ्लाईज के काटने से** मनुष्यों में प्रसारित होता है।
- यह मलेरिया के बाद **दुनिया का दूसरा सबसे घातक परजीवी जनित रोग** है।
- इसमें अनियमित बुखार, वजन कम होना, एनीमिया तथा प्लीहा और यकृत की सूजन शामिल है।
- भारत में यह **बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** राज्यों में स्थानिक है।

7.5.16. टोमैटो फ्लू (टोमैटो फीवर) {Tomato Flu (Tomato Fever)}

- **केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा राज्य** में टोमैटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं।
- इसके प्रमुख लक्षणों में **बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते** आदि शामिल हैं। यह आमतौर पर **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों को प्रभावित कर रहा है।**
  - यह **एक वायरस** जनित रोग है। इसमें कोविड-19 के समान लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन **यह सार्स सीओवी-2 से संबंधित नहीं है।**
  - इस बीमारी के लिए **अभी तक कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।**

7.5.17. लैंग्या हेनिपावायरस {Langya Henipavirus (LayV)}

- चीन में **'लैंग्या हेनिपावायरस'** नामक एक नए वायरस के 35 मामले दर्ज किए गए हैं।
- यह वायरस **'जीनस हेनिपावायरस'** का हिस्सा है। यह एक **जूनोटिक वायरस** है। यह पहली बार वर्ष 2018 में **छछूंदरों** में पाया गया था।
  - यह वायरस **घरेलू बकरियों** और **कुत्तों** में भी पाया जाता है।
- **लक्षण:** बुखार, थकान, खांसी, भूख न लगना आदि।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** लिवर और किडनी प्रभावित होते हैं।

7.5.18. लंपी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease: LSD)

हाल ही में, लंपी या गांठदार त्वचा रोग (LSD) नामक एक वायरल संक्रमण के कारण पूरे भारत में लगभग 57,000 मवेशियों की मौत हो गई।

LSD के बारे में

- LSD एक **वेक्टर-जनित चेचक रोग** है, जो **कैप्री पॉक्स वायरस (Capri poxvirus)** के कारण होता है। यह दुनिया भर में पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।
  - यह **आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स और शीप पॉक्स** परिवार से संबंधित है।
- LSD मुख्य रूप से **रक्त पर आश्रित कीटों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों और जल भैंस को संक्रमित** करता है।
  - संक्रमण के लक्षणों में जानवर की खाल या त्वचा पर गोलाकार, फर्म नोड्स की उपस्थिति शामिल है जो गांठ के समान दिखती है।
  - संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होना शुरू हो जाता है और दूध का उत्पादन कम होने के साथ-साथ बुखार और जानवरों के मुंह में घाव हो सकते हैं।
  - यह रोग अधिकांशतः अफ्रीकी देशों में फैलता है। 2012 से यह मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप एवं पश्चिम और मध्य एशिया में तेजी से फैल गया है।
  - **भारत में पहली बार 2019 में ओडिशा** से LSD की सूचना मिली थी।

- यह रोग **जूनोटिक नहीं है,** अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है और मनुष्य इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं।
- हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) के सहयोग से लुम्पी-प्रोवासइंड वैक्सीन विकसित की गई है।
    - यह एक सजातीय, जीवित क्षीण टीका[175] है जो विशेष रूप से LSD वायरस के खिलाफ मवेशियों की रक्षा के लिए लक्षित है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

175 Live Attenuated Vaccine

8. संस्कृति (Culture)

8.1. चोल-कालीन मूर्तियां (Chola Era Idols)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार की अनुमति के बाद **तमिलनाडु आइडल विंग सी.आई.डी.** ने **चोल-कालीन कांस्य की छह उत्कृष्ट मूर्तियों** को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये मूर्तियां **कल्लाकुरिची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर सिवन मंदिर** की हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक **राजेंद्र चोल प्रथम** ने करवाया था।
- चोरी की गई छह मूर्तियों में **त्रिपुरंतकम, त्रिपुरसुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति वीणाधारा, संत सुंदरार तथा उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलौह मूर्तियां** शामिल हैं।
    - **पंचलौह शिल्प शास्त्रों** द्वारा निर्धारित पारंपरिक पांच धातुओं का मिश्रण है।
- इन मूर्तियों का निर्माण **लुप्त मोम की ढलाई तकनीक** का उपयोग करके किया गया था।
- **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972** बिना लाइसेंस के ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। इन मूर्तियों को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था।
    - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच **आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि** ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है।

राजेंद्र चोल प्रथम (1014-44 ई.) के बारे में

- राजेंद्र चोल प्रथम, **राजराज चोल (985-1014 ई.) का पुत्र** था। उसने **गंगईकोंड चोल** की उपाधि धारण की थी।
- उसने **कला, धर्म और साहित्य** में अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा **महिपाल** पर विजय के बाद उसने **गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण** करवाया था।
    - उसने **परकेसरी और युद्धमल्ल** की उपाधि धारण की थी।
- उसने **चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा के तट से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक** विस्तारित किया था। (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - चोल शासकों ने समय के साथ अनेक राजधानियों का निर्माण करवाया यथा- **तंजावुर, गंगईकोंडाचोलपुरम आदि।**

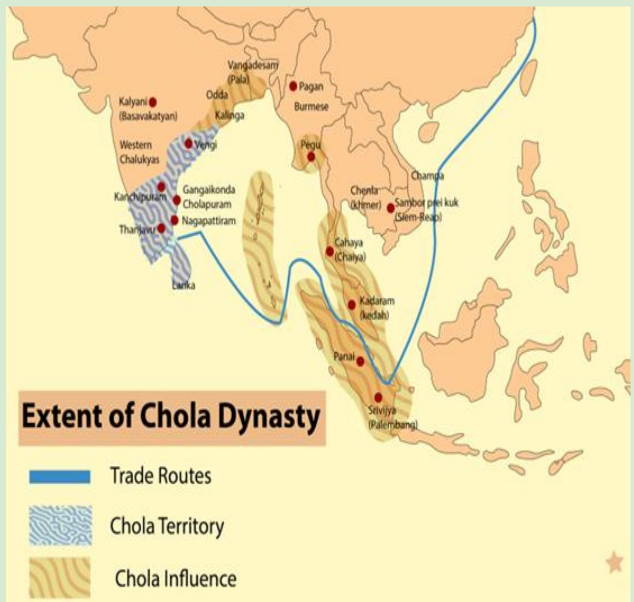

चोल मूर्तिकला के बारे में

- चोल काल अपनी **धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध** है। इस काल की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण **सेरे परड्यू (cire perdue) या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग** करके किया गया था। यह विधि आज भी भारत में प्रचलित है।
    - **यह धातु ढलाई की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाये गए एक सांचे अथवा आकार में डाला जाता है।**
    - एक बार जब यह सांचा बन जाता है, तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघला कर बाहर निकाल दिया जाता है।
- **चोल कालीन कांस्य निर्मित नटराज प्रतिमा में चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा** में दिखाया गया है। यह प्रतिमा अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-
    - इसमें शिव अपने **ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू (डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है) धारण किए हुए हैं।**

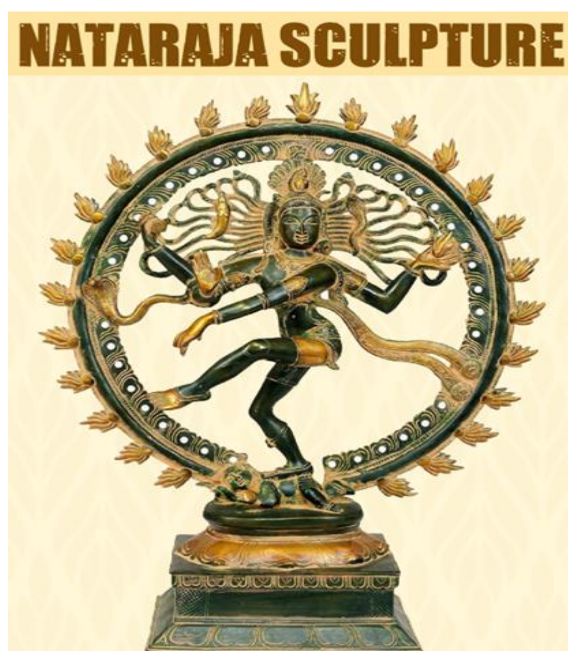

©Vision IAS

- उनके **ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है (यह अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है)।**
- उनका **निचला दाहिना हाथ 'अभयहस्त मुद्रा' में है। यह भय को दूर करने का प्रतीक है।**
- इस **प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ** दिखाया गया है। यह बौने जैसी आकृति **अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य 'अप्समार'** है। यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है।
- शिव का **आगे वाला बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित** करता है। **यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है।**

संपूर्ण चोल काल में कला और स्थापत्य कला में निरंतर सुधार, उन्नति तथा उसका शोधन होता रहा। चोल शासकों ने कुछ शताब्दियों तक ही शासन किया था, परंतु उनका कलात्मक प्रभाव और सांस्कृतिक योगदान समय की कसौटी पर खरा उतरा तथा आज भी कायम है।

चोल कला और स्थापत्यकला (द्रविड़ शैली) के बारे में

- चोल कला और स्थापत्यकला पर **पल्लवों तथा अन्य समकालीन कला एवं स्थापत्यकला शैलियों** का प्रभाव था। इस प्रभाव ने चोलों को **द्रविड़ स्थापत्य शैली को और अधिक उत्कृष्टता** प्रदान करने में मदद की थी।
- चोल कालीन मंदिरों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है- **आरंभिक मंदिर और उत्तरवर्ती मंदिर।**
  - **विजयालय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्यकला** से प्रभावित हैं, जबकि **बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम जैसे** उत्तरवर्ती मंदिरों पर **चालुक्य प्रभाव** दिखाई देता है।
  - **नागर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर एक ऊंची चारदीवारी से घिरे हुए थे।**
- **राजराज चोल (985-1014 ईस्वी)** के समय **तंजावुर में विशाल बृहदेश्वर मंदिर** का निर्माण करवाया गया था।
  - इस मंदिर की संरचना अत्यंत विशाल है। यह वर्गाकार योजना में निर्मित है। मंदिर एक विशाल **स्तंभयुक्त परिधीय प्राचीर (प्राकार)** से घिरा हुआ है। यह प्राचीर **दिशा के देवताओं (अष्टदिकपालों)** को समर्पित देवालयों से युक्त है।
  - मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषताओं में **मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिखर (गोपुरम), एक द्वारमंडप व इसके निकटस्थ दो प्रार्थना सभाकक्ष (मंडप), अंतराल (वेस्टिब्यूल), मुख्य मंदिर शिखर (विमान) और आंतरिक गर्भगृह शामिल हैं।** गर्भगृह में **शिव और अन्य देवताओं** की कई मूर्तियां स्थापित हैं।
- राजराज के पुत्र **राजेंद्र चोल प्रथम (1014-1044 ईस्वी) ने गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर** का निर्माण करवाया था।
  - इस मंदिर के आंतरिक गर्भगृह तक एक सुंदर स्तंभों वाले सभाकक्ष (बाद में फिर से बनाया गया) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
  - इसके **तीन प्रवेश द्वार युग्मों में उत्कीर्ण स्मारकीय संरक्षक देवताओं (द्वारपालों) द्वारा संरक्षित हैं।**
- **राजेंद्र चोल द्वितीय (1143-1173 ईस्वी) ने दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था।**
- ये तीनों मंदिर भगवान **शिव** को समर्पित हैं। इन्हें **यूनेस्को ने 'ग्रेट लिविंग चोल' मंदिरों** के रूप में नामित किया है। **वर्ष 1987** में यूनेस्को ने इन्हें अपनी **विश्व धरोहर स्थल सूची** में शामिल किया था।
- चोल युगीन चित्रकला को मंदिरों के गर्भगृह के चारों ओर **संकरे मार्ग (प्रदक्षिणा पथ)** की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया है।
  - मंदिरों में उत्कीर्ण चित्रों में **भगवान शिव, कैलाश में शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव, संरक्षक राजराज और उनके गुरु कुरुवर का एक चित्र, नृत्यरत आकृतियाँ** आदि शामिल हैं।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

8.2.1. आदिचनल्लूर (Adichanallur)

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थल आदिचनल्लूर का उत्खनन किया है। इस उत्खनन के दौरान **एक विशाल दफन कलश से सोने का मुकुट** प्राप्त हुआ है।

आदिचनल्लूर स्थल का महत्व

- आदिचनल्लूर, दक्षिणी तमिलनाडु के **तूतुक्कुडि जिले में तामिरबरणी नदी की निचली घाटी में स्थित है।**
  - **संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन बंदरगाह कोरकाई, आदिचनल्लूर** से लगभग 25 किमी दूर स्थित है।
- तमिलनाडु में स्थित यह **एक महापाषाणकालीन स्थल है।** यह भारत में उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन **1876 ई.** में एक जर्मन अन्वेषक **एंड्रयू जागोर** ने किया था। बाद में ASI के पूर्व अधीक्षक **एलेक्ज़ेन्डर री** ने उत्खनन किया था।

- विशेषज्ञों का मानना है कि आदिचनल्लूर न केवल **महापाषाण संस्कृति** को प्रदर्शित करता है, बल्कि **लौह युग और संगम युग की ओर संक्रमण काल** को भी दर्शाता है।
    - दक्षिण भारत में सबसे पुराने **लौह युग के स्थल (लगभग 1000 ईसा पूर्व) हल्लूर (कर्नाटक) और आदिचनल्लूर हैं।**
- **आदिचनल्लूर महापाषाणीय समाधि स्थल पर पाए गए कंकाल को भिन्न नृजातीय मूल** का बताया गया है।
- **अधिकांश कंकाल गैर-भारतीय थे।** यह वैश्विक व्यापारियों की उपस्थिति को इंगित करता है।

8.2.2. भारतीय ज्ञान प्रणाली पहल {Indian Knowledge Systems (IKS) initiative}

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' (IKS) पहल के तहत स्कूलों में **75 स्वदेशी खेलों** को शुरू करेगी। इनमें राजा मंत्री चोर सिपाही, पोशम पा, गिल्ली डंडा आदि जैसे खेल शामिल हैं।
- IKS, **शिक्षा मंत्रालय के तहत** 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (AICTE) में स्थापित **एक अभिनव प्रकोष्ठ है।**
- इसे IKS के सभी पहलुओं पर **अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा** देने तथा भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए **IKS को संरक्षित एवं प्रसारित करने** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य कला और साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में **समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना** है।

8.2.3. अनंग ताल झील (Anang Tal Lake)

- **संस्कृति मंत्रालय** ने अनंग ताल को **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958** के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।
- अनंग ताल **कुतुब परिसर के उत्तर-पश्चिम में जोग माया मंदिर के उत्तर में स्थित** है। इसका निर्माण 1,060 ई. में किया गया था।
    - इसके निर्माण का श्रेय **तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय** को दिया जाता है। इस वंश ने **8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच** वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।

- **अनंगपाल द्वितीय** ने इंद्रप्रस्थ को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने **ढिल्लिकापुरी (दिल्ली) को तोमर वंश की राजधानी** बनाया था।
    - उसने **लाल कोट का निर्माण** किया था। इसे बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा **किला राय पिथौरा में विलय** कर दिया गया था। यह भी माना जाता है कि **महरौली (दिल्ली) स्थित लौह स्तंभ** को मध्य भारत के **उदयगिरि से** अनंगपाल द्वितीय ही दिल्ली लेकर आया था।
    - **पृथ्वीराज चौहान** उसका उत्तराधिकारी था। अनंग पाल को पृथ्वीराज चव्हाण के नाना के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी की सेना से पराजित हो गया था।
- राष्ट्रीय स्मारक ऐसे प्राचीन स्मारक और सभी पुरातात्विक स्थल एवं पुरावशेष हैं, जिन्हें **निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है:**
    - **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951 की धारा 3 और 4 के तहत;**
    - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 126 के तहत; या
    - केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से।
- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

8.2.4. यूनेस्को फेलिक्स हौफौएट-बोग्नी शांति पुरस्कार (UNESCO Felix Houphouet-Boigny Peace Prize)

- जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को **'शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों'** के लिए **यूनेस्को फेलिक्स हौफौएट-बोग्नी शांति पुरस्कार, 2022** से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार **जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों** को सम्मानित करता है।
    - यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और यूनेस्को के संविधान के अनुरूप **'शांति' को बढ़ावा देने, खोजने, रक्षोपाय करने या बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान** दिया है।
    - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी।
    - **प्रथम फेलिक्स हौफौएट-बोग्नी शांति पुरस्कार** वर्ष 1991 में 'नेल्सन मंडेला' और 'फ्रेडरिक डब्ल्यू डी क्लार्क' को दिया गया था।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर (Manipulation of Sports Competitions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"मैच फिक्सिंग के आरोप में टेनिस कोच मैक्स वेंडर्स पर प्रतिबंध", "इंटरनेशनल बेटिंग इंटीग्रिटी एसोसिएशन (IBIA) ने 2017 से 2020 के बीच विभिन्न खेलों में विश्व स्तर पर 986 अलर्ट जारी किए".... उक्त सुर्ख़ियां खेलों में हेरफेर के बढ़ते मामलों को उजागर करती हैं। इस संदर्भ में, **इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स (IMFTF)** ने खेल प्रतिस्पर्धाओं में हेरफेर को रोकने के लिए सामंजस्यपूर्ण वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। यह **टास्क फोर्स** 2011 में गठित की गई थी।

खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर का क्या अर्थ है?

"मनुष्यों की कैज़ुअल या संगठित भागीदारी के माध्यम से की जाने वाली प्रतिस्पर्धी शारीरिक गतिविधियों या कौशल के प्रदर्शन" को खेल कहा जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों और कुछ मामलों में दर्शकों का मनोरंजन करते हुए शारीरिक क्षमता और कौशल का उपयोग, रख-रखाव या उसमें सुधार करना है।

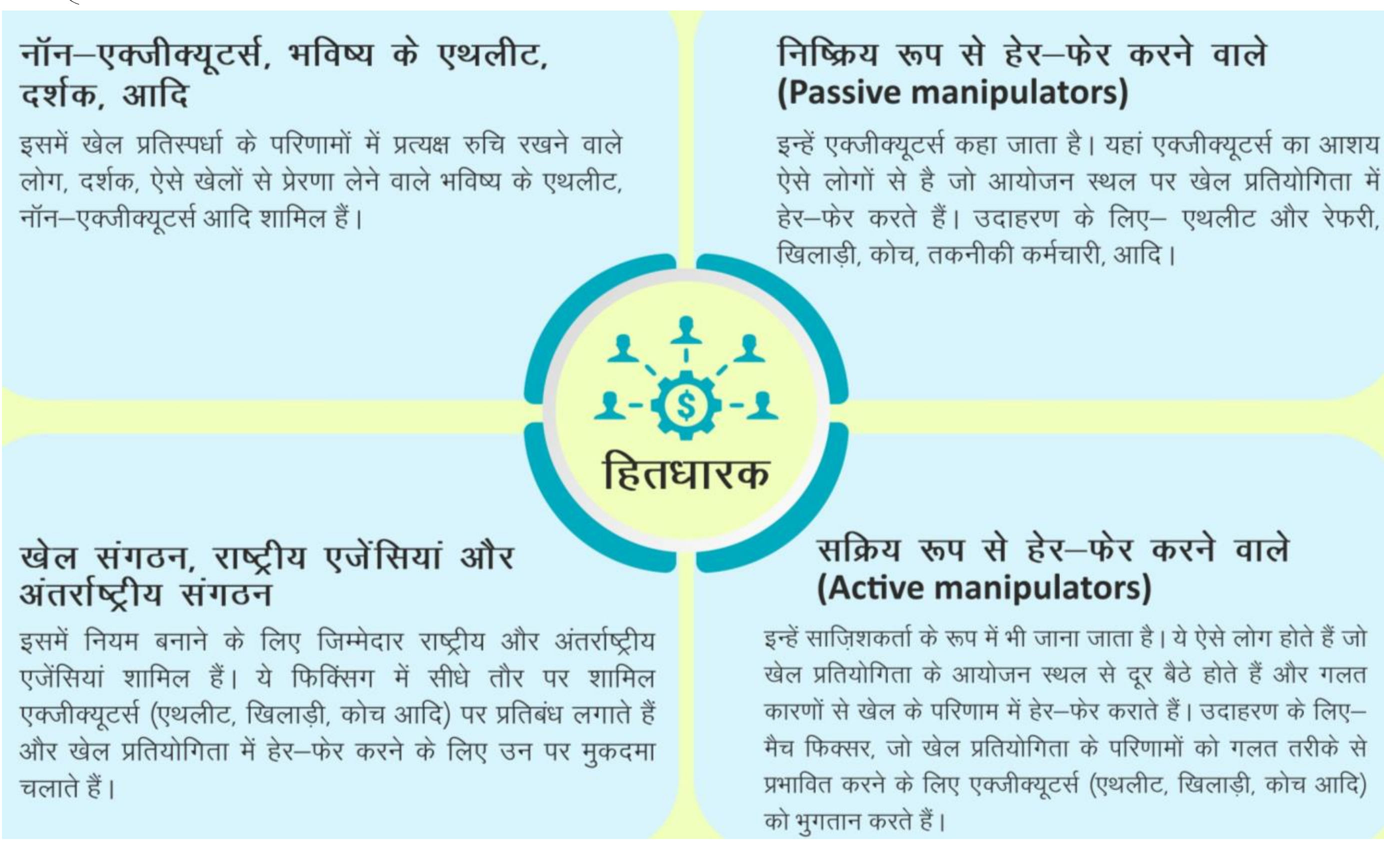

- यह संगठित भागीदारी विभिन्न खेल संगठनों द्वारा शासित होती है। ये संगठन, खेलों के दौरान प्रतिभागियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियम और व्यवहार संबंधी निर्देश तैयार करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक के मूल सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है।** इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अपनाए गए नियमों और उपनियमों को भी शामिल किया गया है। यह परिणामों की अप्रत्याशित प्रकृति को बनाए रखने के लिए **खेलों में ईमानदारी और निष्पक्षता की रक्षा** करता है। साथ ही, यह उत्कृष्टता, मित्रता और आपसी सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देता है।
- **खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर** करने के लिए **परिणाम की अप्रत्याशित प्रकृति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से समाप्त करने** का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसमें स्वयं या दूसरों के अनुचित लाभ के लिए किसी प्रतियोगिता के परिणाम को नियंत्रित करने या किसी खेल आयोजन अथवा उसके किसी भाग के वास्तविक पैटर्न में बदलाव किया जाता है।

 ©Vision IAS

खेलों में हेरफेर के पीछे प्रेरक तत्व कौन-से हैं और यह हेरफेर कैसे किया जाता है?

- **खेल प्रतियोगिता में हेरफेर का उद्देश्य:**
  - इसके तहत खेल से जुड़ी किसी गतिविधि का अनुचित तरीके से फायदा उठाया जाता है। यह किसी टीम, एथलीट या क्लब को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए- खेल में **निष्कासन से बचने, निश्चित रैंक हासिल करने, अन्य टूर्नामेंट्स के लिए अर्हता प्राप्त करने,** आदि के लिए ऐसे हेरफेर किए जाते हैं।
  - इसमें एक साधन के रूप में खेल का उपयोग करके एक **खेल से इतर कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास** किया जाता है। यह लाभ खेल के परिणाम से निरपेक्ष कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए- भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (इत्यादि) के लिए खेलों का उपयोग करना।
- **खेल प्रतियोगिता में हेरफेर के तरीके:**
  - **मैच फिक्सिंग:** खेल पर सट्टेबाजी के माध्यम से पैसा जीतने के लिए प्रतियोगिता में कोई भी अनुचित परिवर्तन करना या यह सुनिश्चित करना कि कोई तीसरा पक्ष सट्टा जीत जाए। उदाहरण के लिए- 2013 में आई.पी.एल. मैच फिक्सिंग की घटना।
  - **अंदरूनी जानकारी:** अपनी टीम की ऐसी गुप्त जानकारी किसी और को देना जो कुछ लोगों, जैसे- एथलीटों, अधिकारियों और सहायक कर्मियों को ही पता होती है। गुप्त जानकारी में **टीम की मुख्य रणनीति, किसी खिलाड़ी को लगी चोट आदि के बारे में सूचना** हो सकती है। ऐसी जानकारी का इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- **क्रिकेट में पिच, टीम आदि के बारे में जानकारी** देना।
  - **डोपिंग:** इसमें एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार के लिए **प्रतिबंधित पदार्थ या तकनीक का उपयोग** किया जाता है। यह **विशेष रूप से शक्ति-आधारित खेलों में** किया जाता है। उदाहरण के लिए- लांस आर्मस्ट्रांग द्वारा ब्लड डोपिंग तकनीक का उपयोग।
  - **टैंकिंग:** किसी प्रतियोगिता में अनुचित खेल लाभ प्राप्त करना, जैसे- अगले दौर में किसी आसान प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए जानबूझकर खेल का कोई दौर हार जाना।
  - **खेल प्रतियोगिता में हेरफेर के अन्य रूपों में** हितों का टकराव, खराब गवर्नेंस, आदि शामिल हैं।

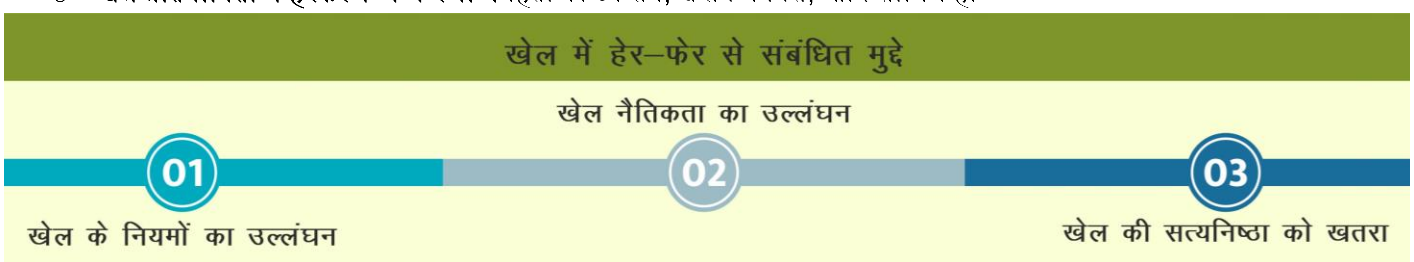

खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर से जुड़े नैतिक मुद्दे कौन-से हैं?

- **अनुचित प्रतिस्पर्धा:** खेलों में हरफेर से अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। यह ईमानदार खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों में खेल नियमों का पालन करने के लिए हतोत्साहित करता है।
- **खेल भावना की कमी:** खेल प्रतियोगिता में हेराफेर करने से टीम, प्रतिद्वंद्वी, प्रशंसकों आदि का अपमान होता है। धन या प्रसिद्धि के लालच में खेल की सकारात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति क्षीण हो जाती है।
- **दर्शकों के लिए निराशा:** लोग खेलों को भावनात्मक लगाव के साथ उत्साह से देखते हैं। खेलों में हेराफेरी की खबरों से दर्शकों का खेल और खिलाड़ियों के प्रति विश्वास कम हो जाता है और वे स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं। इससे समाज में आक्रोश पैदा हो सकता है।
- **देश की प्रतिष्ठा को झटका:** यह मैच फिक्सिंग, डोपिंग आदि से संबंधित उल्लंघनों के लिए देश की वैश्विक छवि को खराब करता है।
  - उदाहरण के लिए- नवंबर 2015 में **रूसी एथलेटिक्स महासंघ को निलंबित** कर दिया गया था। यह निलंबन राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए एथलीटों की राज्य-समर्थित डोपिंग प्रणाली के कारण किया गया था।

खेलों में हेरफेर की प्रथा का दीर्घकालिक प्रसार खेल में लोगों की समग्र रुचि को कम कर सकता है।

खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर के समाधान में क्या चुनौतियां हैं?

- खेलों में सट्टेबाजी के बाजार का आकार और नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। यह वैश्विक और अत्यधिक जटिल होता जा रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी, बिग डेटा और सोशल मीडिया के उभरते उपयोग हैं।
- निषिद्ध पदार्थों की सूची को अपडेट करने में देरी की जाती है, जबकि नए उत्पादों का उद्भव तेज़ी से होता है। इसके अलावा, **डोपिंग परीक्षणों के परिणाम जारी करने में देरी** होती है।
- खेल में हेरफेर के लिए एथलीट्स समूहों को लक्षित करना और युवा खिलाड़ियों को तैयार करना।

- डेटा में हेरफेर करने के लिए **ई-स्पोर्ट्स और वर्चुअल गेमिंग में डिजिटल चीटिंग** का उपयोग किया जा रहा है। इसे **डिजिटल डोपिंग या ई-डोपिंग या तकनीकी धोखाधड़ी/ हैकिंग** भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए- 2019 में ई-साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में ऐसी धोखाधड़ी की गई थी।
- हेराफेरी करने वालों को **दंडित करने में खेल संघों के अधिकार क्षेत्र सीमित** हैं।
- अनुचित लाभ के लिए शोषण की बढ़ती संभावना के कारण संगठित अपराध गिरोहों की भागीदारी।
    - सभी देशों में एक समान नियामक तंत्र की कमी के कारण हेराफेरी करने वालों को दंडित करना कठिन हो जाता है।
    - **शासन निकायों में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे।**

मैकोलिन कन्वेंशन (Macolin Convention)

- **खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर पर यूरोप कन्वेंशन की परिषद, या मैकोलिन कन्वेंशन** एक कानूनी साधन है। यह खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकमात्र नियम है।
- यह 1 सितंबर, 2019 को लागू हुआ। अभी तक 32 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और सात देशों ने इसकी पुष्टि भी की है।
    - **भारत इसका हिस्सा नहीं है।**
- यह खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर को रोकने, उनका पता लगाने और दंडित करने के लिए **सार्वजनिक प्राधिकरणों** से खेल संगठनों, सट्टेबाजी संचालकों तथा प्रतियोगिता आयोजकों के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता है।
- यह खेल में हेरफेर से निपटने के लिए एक कुशल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक सामान्य कानूनी ढांचे का प्रस्ताव करता है।

आगे की राह:

हितधारकों तथा देशों दोनों के लिए खेल से संबंधित वित्तीय दांव, लाभ समान रूप से बढ़ रहे हैं। इसलिए खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए एक 3 स्तंभ वाली रणनीति की आवश्यकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- हेरफेर की पहचान करने के लिए खुफिया सूचना और जांच महत्वपूर्ण है। यह जानना भी जरूरी है कि ये हेरफेर किस प्रकार (modus operandi) किए जाते हैं। इससे जुड़ी जानकारी को अन्य देशों/ निकायों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
    - इस तरह के **हेरफेर की रिपोर्ट करने के लिए** एथलीट्स, कोच और सहयोगी कर्मचारियों हेतु **एक ई-पोर्टल** स्थापित करने से मदद मिल सकती है।
- **सम्मानजनक व्यवहार के सिद्धांतों को निर्धारित करने** के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। खेलों में हेरफेर से निपटने के लिए मूलतः खेल को ही माध्यम बनाया जाना चाहिए। किसी एथलीट के आचरण में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसे शिक्षित किया जाए।
    - इसके जरिए बड़े एथलीट्स को यह एहसास कराया जा सकता है कि खेल में हेराफेरी के लिए पकड़े जाने पर कितना दोषी महसूस करना पड़ता है।
- **उचित विनियमन और कानून, ताकि-**
    - खेलों में हेराफेरी के खिलाफ एक राष्ट्रीय ढांचे के माध्यम से विधायी और संस्थागत अंतराल को समाप्त किया जा सके।
    - खेलों में कुछ विशेष प्रकार के हेरफेर के लिए अनुशासनात्मक और आपराधिक प्रतिबंध लागू किए जा सके, तथा
    - राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सभी प्रमुख हितधारकों के बीच राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समन्वय एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए- पूछताछ के दौरान इंटरपोल के मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स के साथ समन्वय करना।

9.2. मीडिया ट्रायल: स्वतंत्र वाक् और स्वतंत्र सुनवाई के बीच का द्वंद्व (Trial By Media: The Dichotomy Between Free Speech and Free Trial)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कहा है कि “मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, **‘कंगारू कोर्ट’** चला रही है।” आरुषि तलवार मामले में भी न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि मीडिया ट्रायल अदालतों की न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित करता है और सुनवाई की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। इन बयानों ने अदालतों में लंबित मुद्दों पर मीडिया के भ्रामक, पक्षपातपूर्ण और एजेंडा संचालित बहसों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। ये मीडिया ट्रायल और इससे संबंधित नैतिक मुद्दे को भी रेखांकित करते हैं।

मीडिया ट्रायल क्या है?

जब विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया वेबसाइट किसी विशेष मामले के तथ्यों की खुद

मीडिया नैतिकता क्या है?

मीडिया के संदर्भ में, "नैतिकता" को **आत्म-संयम (self-restraint)** के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आत्म संयम लोगों के विश्वास को बनाए रखने, उसे प्रोत्साहित करने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने तथा लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होने देने में सहायक होता है। मीडिया नैतिकता के इस विचार को बनाए रखने के लिए मीडिया में शामिल सभी लोगों को मीडिया नैतिकता के कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा।

व्याख्या करने लगते हैं, तब उसे मीडिया ट्रायल कहा जाता है। इसके पश्चात् मीडिया इन मामलों को आम जनता के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे उस मामले को लेकर उनकी राय प्रभावित होती है।
भारत में मीडिया ट्रायल के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या तथा जेसिका लाल हत्याकांड से जुड़े मामले शामिल हैं।

मीडिया ट्रायल के दो पहलू:

मीडिया ट्रायल में **उन मामलों को प्रकाश में लाने** की क्षमता है, **जहां न्याय नहीं हुआ** है। इस प्रकार, यह दोनों पक्षों के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए- न्यूजीलैंड की लिंडी चेम्बरलिन का मामला, जिसे 1982 में अपने 2 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में 8 साल तक दोषी ठहराया गया था, जबकि वह निर्दोष थी।

दूसरी ओर, मीडिया ट्रायल, बेगुनाही की अवधारणा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यह संदिग्धों, अभियुक्तों, पीड़ितों, गवाहों और उनके निकट संबंधियों की गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

प्रमुख हितधारक और ट्रायल/ सुनवाई में उनकी भूमिका:

हितधारक	ट्रायल में भूमिका
आरोपी व्यक्ति और उनका परिवार	• **व्यक्ति और परिवार पर प्रभाव:** मीडिया ट्रायल का आरोपी और उसके परिवार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। • **सुभेद्यता/ जोखिम:** उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार और रोजगार पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे वे अपराध और शोषण के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।
समाज	• **समाज के प्रति मीडिया की जिम्मेदारी:** एक पत्रकार का यह कर्तव्य होता है कि वह तथ्यों और जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करे। हालांकि, पत्रकार का यह भी कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि मुकदमे में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। • **समाज में न्याय का अवसर:** मीडिया अन्याय के मामलों को प्रकाश में लाता है। मीडिया ने दिवंगत जेसिका लाल और दिल्ली में 2011 के बलात्कार मामले की दिवंगत दामिनी जैसी पीड़िताओं की मदद की है।
सोशल मीडिया और अन्य रूपों में मीडिया	• **मीडिया का व्यापक दायरा:** सोशल मीडिया के आगमन के साथ, मीडिया ट्रायल का दायरा व्यापक हो गया है। इसमें सोशल मीडिया पर आम जनता द्वारा किया जाने वाला मीडिया ट्रायल शामिल है, जो आम तौर पर गलत तरीके से सूचित और सनसनीखेज होता है। • **आम राय को प्रभावित करना:** मीडिया ट्रायल आम जनता की राय को काफी हद तक प्रभावित करता है। यह पीड़ित के लिए टिप्पणियों, भेदभाव इत्यादि के रूप में प्रकट होता है।

मीडिया ट्रायल में शामिल नैतिक मुद्दे

- **निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बाधा:** मीडिया ट्रायल किसी व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई और न्याय पाने के अधिकार को बाधित करता है। इसके अलावा, यह विधि के शासन को खतरे में डालता है।
    - मीडिया ट्रायल, प्राकृतिक न्याय के प्रशासन को बाधित और अवरुद्ध करता है।
- **वाक् और प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग:** मिडिया की बहसों में असंवेदनशील भाषा के उपयोग के उदाहरण सामने आए हैं, जो अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से बदनाम करते हैं।
- **व्यक्ति की गरिमा:** मीडिया ट्रायल बिना सबूत के व्यक्तियों को दोषी ठहरा सकता है। इस प्रकार यह व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को कम करता है।
- **सरकारी संस्थानों पर विश्वास:** मीडिया ट्रायल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। यह न्यायपालिका जैसे संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
- **पत्रकारिता की नैतिक संहिता का उल्लंघन:** मीडिया ट्रायल को पत्रकारिता की अंतर्राष्ट्रीय नैतिक संहिता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय:** दिशा-निर्देशों के पालन के लिए एक आंतरिक तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- आंतरिक लोकपाल और मीडिया काउंसिल ऑफ पीयर्स।
- **डिजिटल मीडिया में नैतिकता पर विमर्श स्थापित करना:** आधुनिक मीडिया के लिए मीडिया नैतिकता पर पुनर्विचार और पुनर्निवेश करने की आवश्यकता है।

○ डिजिटल मीडिया के स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। साथ ही, डिजिटल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए।

- **हमारे लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन जैसी तकनीकों का उपयोग कर मौजूदा प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए- किसी दिए गए समाचार की प्रामाणिकता को रियल टाइम में सत्यापित करने के लिए दोनों तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
- **नागरिक समाज की एक केंद्रीय भूमिका को प्रोत्साहित करना:** डिजिटल मीडिया के आगमन ने प्रभावी रूप से मीडिया का 'लोकतांत्रिकीकरण' किया है। इसके लिए, यह जरूरी है कि नागरिक समाज मीडिया कंटेंट के विनियमन, पर्यवेक्षण और निर्माण में एक अभिन्न भूमिका निभाए।
- **पूर्वाग्रह से बचना:** मीडिया को निष्पक्ष रूप से केवल समाचार प्रसारित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मीडिया को किसी भी मामले पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। उसे केवल मामले से जुड़े तथ्यों का प्रसारण करना चाहिए।

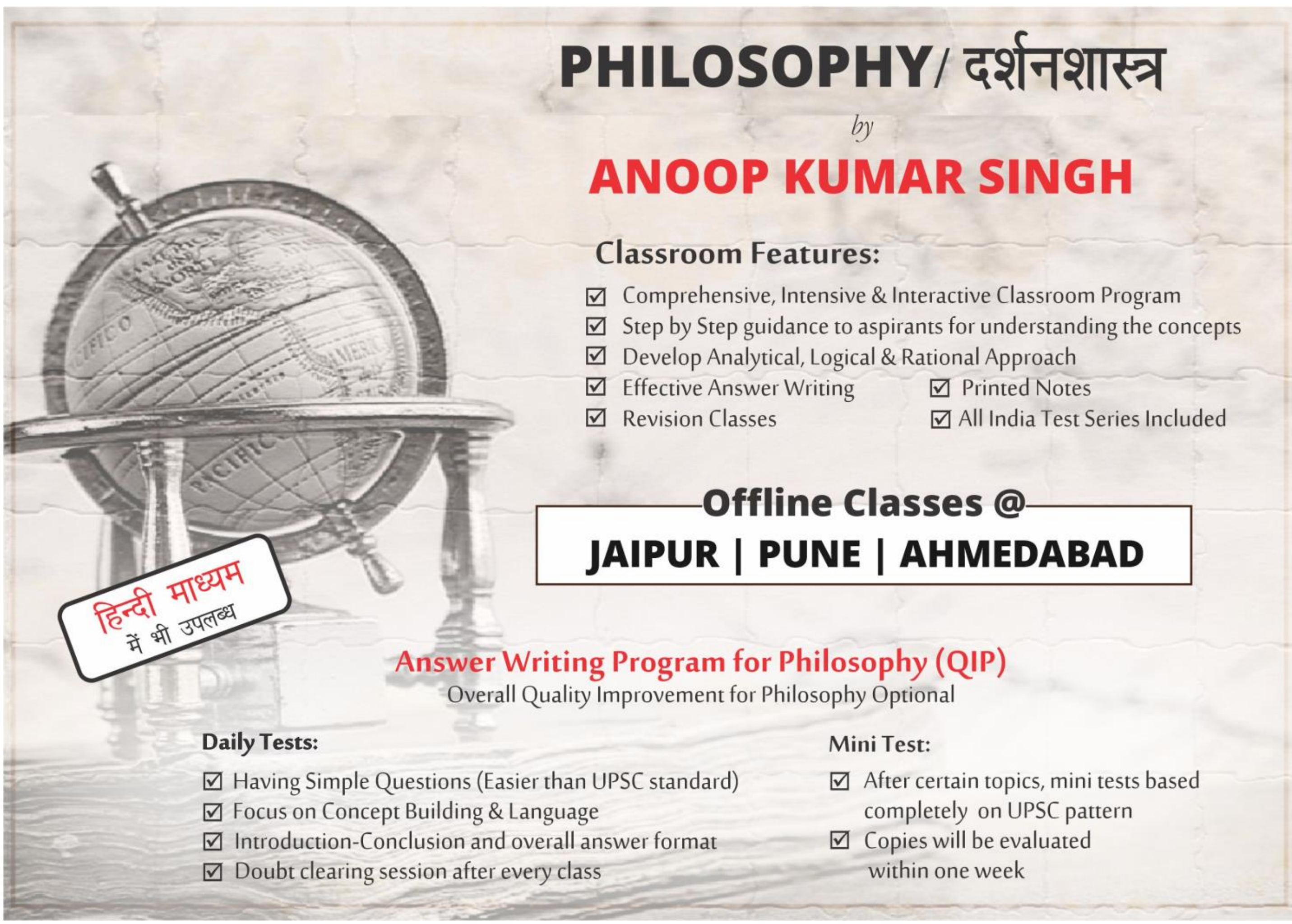

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News)

10.1. स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता हेतु योजना (SMILE Scheme for Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में **"SMILE-75" नामक एक पहल** की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत, **चिन्हित किए गए 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के व्यापक पुनर्वास हेतु** प्रयास किए जाएंगे।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>

इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक लिंकेज आदि जैसी सुविधाओं पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सुविधाओं को राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs)[176] और संस्थानों तथा अन्य की मदद से प्रदान किया जाएगा।

</td>
<td>

स्माइल योजना की दो उप-योजनाएं निम्नलिखित हैं:

"ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना": इस उप-योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

इसमें नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी।
प्रधान मंत्री-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रावधान किए गए हैं।
प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के साथ-साथ एक समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज प्रस्तुत किया गया है। इसकी सहायता से चयनित अस्पतालों में जेंडर-रिअफर्मेशन सर्जरी में सहायता की जाएगी।
इसमें 'गरिमा गृह' के रूप में आवास सुविधा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के लिए आवास, भोजन, कपड़े, मनोरंजन की सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर और मनोरंजक गतिविधियां तथा चिकित्सा सहायता आदि प्रदान किए जाएंगे।
अपराधों के मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह अपराधों के मामलों की निगरानी करेगा। इसके अलावा, यह समय पर पंजीकरण, जांच और अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा।

"भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की योजना"

इसका उद्देश्य लोगों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकलने के लिए आवश्यक सुविधा और पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा, एक ऐसे पारितंत्र का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है, जो भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्ति को निर्धनता से बाहर निकलने में एक सक्षमकारी माहौल प्रदान करता हो।
भिक्षावृत्ति में शामिल भारत का कोई भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त, क्षमता, योग्यता और वांछनीयता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उन्हें स्वरोजगार में शामिल होने तथा गरिमापूर्ण जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।

</td>
</tr>
</table>

[176] Community Based Organizations

	• **वित्त पोषण:** मंत्रालय ने इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है। • आवश्यकता पड़ने पर **राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन** ट्रांसजेंडर समुदाय तथा भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को आवश्यक जानकारी एवं समाधान प्रदान करेंगे।

10.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जारी किए गए हैं।

प्रमुख विशेषताएं

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• देश के **मानव पूंजी विकास** में सहयोग प्रदान करना।
• **कुपोषण संबंधी** चुनौतियों का समाधान करना।
• संधारणीय स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पोषण संबंधी जागरूकता और **खान-पान की उचित आदतों** को बढ़ावा देना।
• प्रमुख रणनीतियों की सहायता से **पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।**
	• **6 वर्ष की आयु तक के बच्चे।**
	• गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)[177]।
	• आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों की **किशोर बालिकाएं** (14-18 वर्ष)।
		• यह **केंद्र द्वारा प्रायोजित एक संचालनरत कार्यक्रम** है।
		• यह एक **एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम** है।
		  ○ पहले **इस योजना को आंगनवाड़ी सेवा योजना (ASS)[178] के नाम से जाना जाता** था।
		  ○ **छह में से तीन सेवाओं** को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित किया जाता है।
		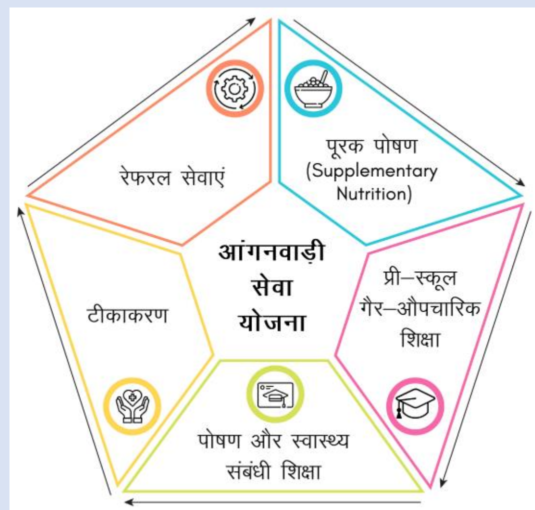
		• **विजन:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोर बालिकाओं (14-18 वर्ष) और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कुपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।
		• **योजना के महत्वपूर्ण घटक:**
		  ○ **POSHAN और किशोरियों के लिए पोषण सहायता: किशोरियों के लिए योजना के तहत,** लक्षित लाभार्थी किशोरियों के आयु वर्ग में संशोधन किया गया है। पहले 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को लक्षित किया गया था। हालांकि, अब असम और पूर्वोत्तर के साथ-साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी **14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियों को लाभार्थी** माना गया है।
		  ○ **आरंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE)[179]** [3-6 वर्ष] तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन (0-3 वर्ष)।
		  ○ आधुनिक व उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित **आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा।**
		  ○ **पोषण अभियान:** इस अभियान के तहत पोषण सुधार एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों/ ग्राम संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों/ स्वयंसेवकों आदि की भागीदारी के साथ प्राप्त किया जाएगा और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
		• यह **अभिसरण, शासन और क्षमता निर्माण** जैसे स्तंभो पर आधारित होगा।

---
177 Pregnant Women and Lactating Mothers

178 Anganwadi Services Scheme

179 Early Childhood Care and Education

- इसके तहत **आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका का विकास** सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह आहार विविधता अंतराल को दूर करने और **पारंपरिक ज्ञान तथा आयुष प्रथाओं** का लाभ उठाने में सहयोग करेगा।
- इसके तहत सप्ताह में कम-से-कम एक बार **बाजरा उपलब्ध कराना** अनिवार्य होगा।
- **लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत** कराना आवश्यक होगा।
  - इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए **बच्चों हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी**। अब यह लाभ माता के आधार कार्ड का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
  - लाभार्थी के पास आधार पहचान न होने पर, **आधार कार्ड की प्राप्ति हेतु लाभार्थी को सहायता प्रदान** की जाएगी।
- **जिला मजिस्ट्रेट,** पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य** करेगा।

वित्त–पोषण का पैटर्न

श्रेणी	सामान्य	वेतन	पूरक पोषण (Supplementary Nutrition)
राज्य/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश	60:40	25:75*	50:50
पूर्वोत्तर/ हिमालयी राज्य (जम्मू–कश्मीर सहित)	90:10	90:10	90:10
बिना विधान सभा वाले केंद शासित प्रदेश	100:0	100:0	100:0

*आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत वेतन केवल आंगनवाड़ी सेवाओं के चयनित कर्मचारियों को दिया जाता है।

- कार्यक्रम के संचालन हेतु **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामुदायिक समर्थन और भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास** करेंगे।
- **बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, अल्प वजन** की व्यापकता की विशिष्ट पहचान हेतु **पोषण ट्रैकर** एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है। **पोषण सेवा वितरण से संबंधित लास्ट माइल ट्रैकिंग** के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यह निर्धारित संकेतकों के आधार पर **सभी आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCs), आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और लाभार्थियों की रीयल-टाइम निगरानी और ट्रैकिंग में मदद** करेगा।
- पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों (VHSNCs)[180] जैसे हितधारकों के सहयोग से **सामाजिक लेखा परीक्षा** को संचालित किया जाएगा।
- इस योजना का **मूल्यांकन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नामित किसी प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष** द्वारा किया जाएगा।

[180] Village Health, Sanitation and Nutrition committees

11. परिशिष्ट: नए रामसर स्थलों की सूची (Appendix: List of New Ramsar Sites)

परिशिष्टः नए रामसर स्थलों की सूची

तमिलनाडु

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊖ करीकिली पक्षी अभयारण्य (Karikili Bird Sanctuary) 	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ इसमें वर्षा आधारित सिंचाई के दो तालाब हैं, लेकिन ये बारामासी नहीं हैं। ⊖ इसे वर्ष 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः ओरिएंटल डार्टर, स्पॉट–बिल्ड पेलिकन, जंगली बिल्ली, बोनट मकाक, सियार, अजगर आदि।
⊖ पल्लीकरणाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट (Pallikaranai Marsh Reserve Forest) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ यह ताजे जल की कच्छ भूमि और आंशिक रूप से लवणयुक्त आर्द्रभूमि से युक्त है। ⊖ यह बाढ़ प्रवण चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों के लिए जलीय अर्थात् एक्वेटिक बफर के रूप में कार्य करता है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः रसेल वाइपर सांप, ग्लॉसी आइबिस, ग्रे–हेडेड लैपविंग, तीतर जैसी पूंछ वाला जल–कपोत (Pheasant-Tailed Jacana) आदि।
⊖ पिचवारम मैंग्रोव (Pichavaram Mangrove) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव पारितंत्र में से एक है। ⊖ यह वेल्लार और कोल्लीडम नदियों के ज्वारनदमुख के बीच स्थित है। ⊖ यह वेलांचाली (Littoral) और स्वैंप फॉरेस्ट (दलदल वन) पर्यावास है। ⊖ यह मुख्य रूप से सफेद झींगे और टाइगर झींगे सहित व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण झींगों का महत्वपूर्ण पर्यावास है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः राइजोफोरा अन्नामलयाना (मैंग्रोव की प्राकृतिक संकर प्रजाति), व्हाइट–बेल्ड हेरॉन, स्पून–बिल्ड सैंडपाइपर, स्पॉटेड ग्रीनशंक, ऑलिव रिडले कछुआ आदि।
⊖ कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य (Koonthankulam Bird Sanctuary) 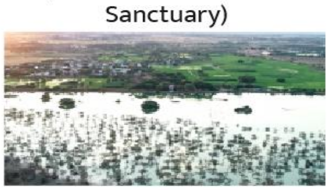	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ इसमें सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला एक तालाब है। यह तालाब कुछ सदियों पहले निर्मित नहरों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। ⊖ यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (Important Bird and Biodiversity Area: IBA) है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः इंडियन पोंड हेरॉन, यूरेशियन विजोन, स्पॉट–बिल्ड पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर, नॉर्दन पिनटेल आदि।
⊖ मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व (Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ यह दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ⊖ इसे मरीन नेशनल पार्क, IBA और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ⊖ माराकेयार (Marakeyars), यहां के मुख्य स्थानीय समुदाय हैं। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः ड्यूगोंग, व्हेल शार्क, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, इंडो–पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फ़िन आदि।

⊙ वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर (Vembannur Wetland Complex) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) का एक हिस्सा है। ⊙ माना जाता है कि यहां मौजूद सिंचाई के तालाब का निर्माण पांड्य राजा वीरनारायण के शासन काल में हुआ था। ⊙ इस तालाब और थेराकल नहर को सिंचाई के उद्देश्य से पझयार नदी से जल प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया था। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: इंडियन रिवर टर्न, स्पॉटेड ग्रीनशैंक, गर्गेनी, ग्रे पेलिकन, महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां, जैसे– इंडोट्रिस्टिचा रामोसिसिमा, सिर्टोकोकम लॉन्गिप्स आदि।
⊙ वेल्लोड पक्षी अभयारण्य (Vellode Birds Sanctuary) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (मध्य एशियाई उड़ान मार्ग) में स्थित है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: इंडियन रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर, पेंटेड स्टॉर्क, पादपों की प्रजातियां, जैसे– कैरेशिका पेडाटा, टेफ्रोसिया पुरपुरिया, कमेलिना तिरंगा आदि।
⊙ वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य (Vedanthangal Bird Sanctuary) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ वेदांतंगल गांव में सिंचाई हेतु उपयोग होने वाला एक छोटा तालाब है। यह चट्टानी मैदानों और अपघर्षित हो चुके कम ऊंचाई वाले टीलों से घिरा हुआ है। ⊙ यह स्थल एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) है। यह भारत के सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियन स्पूनबिल, ब्लैक–क्राउन नाइट हेरॉन, पेंटेड स्टॉर्क आदि।
⊙ उदयमार्तंडपुरम् पक्षी अभयारण्य (Udayamarthandapuram Birds Sanctuary) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ इसमें सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले तालाब हैं, जो मानव निर्मित हैं। ये तालाब नहरों के एक प्राचीन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मेट्टूर बांध से निकली कोरैयार नहर के माध्यम से इसमें जल की आपूर्ति होती है। ⊙ इस भू–क्षेत्र के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से कोरैयार नदी बहती है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियन विजन, नॉर्दर्न पिंटेल आदि।
⊙ चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य (Chitrangudi Bird Sanctuary) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ यह अर्धचंद्राकार प्रकार का एक अभयारण्य है, जो सामुदायिक तालाब के तटबंध के भीतर स्थित है। ⊙ यह वर्ष 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: स्पॉट–बिल्ड पेलिकन, लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरॉन, लार्ज एग्रेट, ओपन बिल्ड स्टार्क, पर्पल हेरॉन और पोंड हेरॉन आदि।
⊙ सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर (Suchindrum Theroor Wetland Complex) 	⊙ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊙ यह सुचिन्द्रम–थेरूर मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। ⊙ इसमें एक मानव निर्मित बारामासी अंतःस्थलीय तालाब है। ⊙ इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: इंडियन कोर्मोरेंट, स्पॉट–बिल्ड डक आदि।

⊖ वदूवूर पक्षी अभयारण्य (Vaduvoor Birds Sanctuary)	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ यह तंजावुर से 25 कि.मी. दूर एक विशाल, मानव–निर्मित वदूवूर झील में स्थित है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः इंडियन पॉण्ड हेरॉन, यूरेशियन विजन, उत्तरी पिनटेल, गार्गेनी आदि।
⊖ कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य (Kanjirankulam Bird Sanctuary)	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ वर्ष 1989 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) भी है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः बबूल के वृक्ष, पेंटेड स्टोर्क, वाइट आइबिस, ब्लैक आइबिस, लिटिल इग्रेट, ग्रेट इग्रेट, वन के पक्षी, जैसे– बी–ईटर्स, बुलबुल, कोयल, मैना, बार्बेट्स आदि।

मध्य प्रदेश

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊖ साख्य सागर आर्द्रभूमि (Sakhya Sagar Wetland)	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ वर्ष 1918 में महाराजा सिंधिया के शासन काल में मनियर नदी पर बांध बनाए जाने से इसका निर्माण हुआ। ⊖ यह जलाशय माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ⊖ इसमें ओपन वाटर और दलदल भू–खंड के साथ–साथ वृक्षावरण वाले तथा छोटे कृषि भू–खंड भी हैं। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः मगर क्रोकोडाइल आदि।
⊖ सिरपुर आर्द्रभूमि (Sirpur Wetland)	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ इसका निर्माण इंदौर के होल्कर शासकों द्वारा कराया गया था। ⊖ यह पिछली दो शताब्दियों में मौजूद है और लगभग प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए हुए है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः कॉमन पोचार्ड, इजिप्शियन वल्चर, इंडियन रिवर टर्न आदि।
⊖ यशवंत सागर (Yashwant Sagar)	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ यह गंभीर नदी पर बने बांध से निर्मित जलाशय है। ⊖ यह इंदौर क्षेत्र में स्थित दो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) में से एक है। साथ ही, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से भी एक है। ⊖ इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर की जल–आपूर्ति के लिए किया जाता है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियांः सारस क्रेन आदि।

ओडिशा

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊖ सतकोसिया गॉर्ज (Satkosia Gorge) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में इसे सतकोसिया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसमें दो निकटवर्ती वन्यजीव अभयारण्य– सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य और बैसिपल्ली अभयारण्य शामिल हैं। ⊖ यह महानदी नदी के गॉर्ज के साथ विस्तृत है। ⊖ दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के संगम स्थल पर नदियां, दलदल और सदाबहार वन मौजूद हैं। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियां: ▪ यहां की मुख्य पादप प्रजातियां हैं– आसन, धौरा, सेमल, भारतीय कांटेदार बांस, कलकत्ता बांस आदि। ▪ यहां के मुख्य प्राणिजात हैं– रेड–क्राउंड रूफ्ड टर्टल, इंडियन नेरो हेडेड सॉफ्टशेल टर्टल, बाघ, ब्लैक–बेलिड टर्न आदि।
⊖ अंशुपा झील (Ansupa Lake) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ यह महानदी की एक गोखुर झील है। साथ ही, यह ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियां: रिनचोप्स एल्बिकोलिस, स्टर्ना एक्यूटिकौडा, स्टर्ना ऑरेंटिया, क्लारियस मगर, साइप्रिनस कार्पियो, वालगो एटू आदि।
⊖ हीराकुंड जलाशय (Hirakud Reservoir) 	⊖ यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ⊖ यह ओडिशा में महानदी पर वर्ष 1957 में बनकर तैयार हुआ सबसे लंबा अर्थफिल बांध है। ⊖ यह जलाशय सालाना 480 मीट्रिक टन मछली, लगभग 300 मेगावाट जलविद्युत और 4,36,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई का स्रोत है। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियां: कॉमन कूट, लेसर व्हिसलिंग डक, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, रेड हेडेड पोचार्ड आदि।
⊖ तंपारा झील (Tampara Lake) 	⊖ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊖ यह गंजम जिले में स्थित ओडिशा की सबसे प्रमुख ताजे पानी की झीलों में से एक है। ⊖ यहां का अवतल बेसिन आस–पास के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आए वर्षा के जल से धीरे–धीरे भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा 'टैम्प' कहा जाने लगा। बाद में स्थानीय लोग इसे 'तंपारा' झील कहने लगे। ⊖ महत्वपूर्ण प्रजातियां: साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचार्ड, रिवर टर्न आदि।

जम्मू और कश्मीर

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊙ हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व (Hygam Wetland Conservation Reserve)	⊙ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊙ यह झेलम नदी बेसिन में स्थित है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है। ⊙ अत्यधिक गाद जमा होने के कारण हाइगम आर्द्रभूमि ने अपनी आर्द्रभूमि संबंधी विशेषताओं को काफी हद तक खो दिया है और कई जगहों पर यह एक स्थलीय भू-भाग में बदल गई है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: रेड क्रेस्टेड पोचाड्र्स, व्हाइट आइड पोचर्ड्स, कॉमन टील कूट्स, ग्रे लेग्स आदि।
⊙ शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिज़र्व (Shallbugh Wetland Conservation Reserve)	⊙ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊙ यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। ⊙ इस क्षेत्र में फ्राग्माइट्स कम्युनिस और टायफा अंगुस्ताता व्यापक प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करते हैं। साथ ही, इस क्षेत्र के खुले जल पर निम्फिया कैंडिडा और एन. स्टेलाटा प्रचुर मात्रा में वृद्धि करते हैं। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: राजहंस, बार गीज़, व्हाइट हील्ड डक, शॉवेलर, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, व्हाइट-आइड पोचार्ड, कॉमन टील, पिनटेल, मैलर्ड, आदि।

महाराष्ट्र

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊙ ठाणे क्रीक (Thane Creek)	⊙ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊙ इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। ⊙ यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ⊙ इस क्रीक में ताजे जल की आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जिनमें उल्हास नदी सबसे बड़ी है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: लगभग 20 प्रतिशत मैंग्रोव प्रजातियां, फ्लेमिंगो आदि।

कर्नाटक

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
⊙ रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य (Ranganathittu Bird Sanctuary)	⊙ यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ⊙ यह कावेरी नदी का एक भाग है। ⊙ इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ⊙ महत्वपूर्ण प्रजातियां: मगर क्रोकोडाइल, स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव, हम्प-बैक महाशीर, चित्तीदार सारस, स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, ब्लैक-हेडेड आइबिस आदि।

मिजोरम

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
पाला आर्द्रभूमि (Pala Wetland)	यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे स्थानीय मारा जनजाति के लोग श्रद्धा के नजरिए से देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियांः सांभर हिरण, जंगली सुअर, बार्किंग हिरण, हूलॉक गिब्बन, पर्णाभ बंदर, स्लो लॉरिस, एलोंगटेड टर्टल, एशियन ब्राउन टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट–शैल टर्टल आदि।

गोवा

आर्द्रभूमि का नाम	प्रमुख विशेषताएं
नंदा झील (Nanda Lake)	यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसमें ताजे जल का मौसमी दलदल भी शामिल है। यह दलदल जुआरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजातियांः ब्लैक हेडेड आइबिस, वॉयर–टेल्ड स्वॉलो, कॉमन किंगफिशर आदि।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

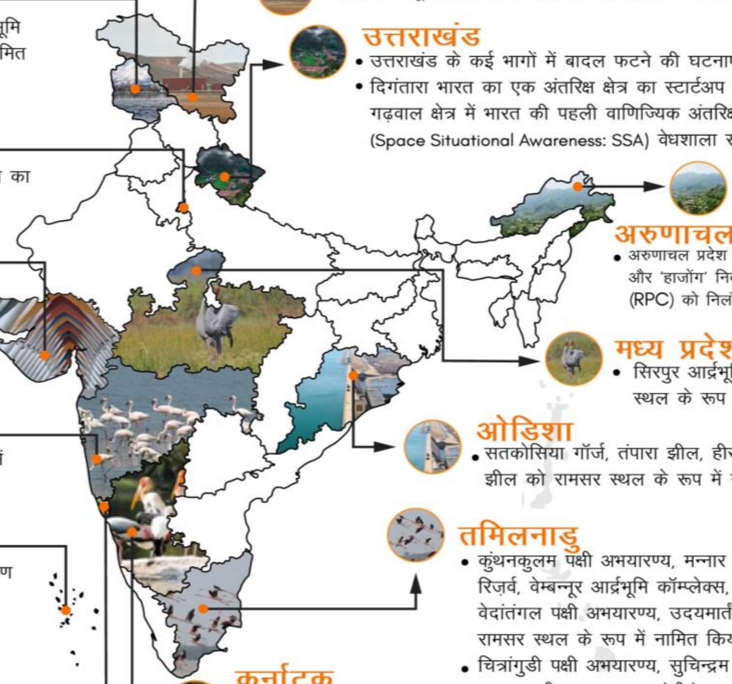

लद्दाख
- लद्दाख में भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम उठाया गया है।

जम्मू-कश्मीर
- हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व, शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।

उत्तराखंड
- उत्तराखंड के कई भागों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- दिगंतारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (Space Situational Awareness: SSA) वेधशाला स्थापित करने जा रहा है।

नई दिल्ली
- अनंग ताल (झील) को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया।

अरुणाचल प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश ने अपने जिलों में हजारों 'चकमा' और 'हाजोंग' निवासियों के 'आवासीय प्रमाण-पत्रों' (RPC) को निलंबित करने का निर्णय लिया है।

गुजरात
- प्रधान मंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर 'अटल सेतु' का उद्घाटन किया है।
- प्रधान मंत्री ने 'भुज-मांडवी नर्मदा शाखा नहर' का उद्घाटन किया है।

मध्य प्रदेश
- सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

महाराष्ट्र
- ठाणे क्रीक को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

ओडिशा
- सतकोसिया गॉर्ज, तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

लक्षद्वीप
- लक्षद्वीप में महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

तमिलनाडु
- कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन बायोस्फीयर रिज़र्व, वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, उदयमार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
- चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, वडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
- अगस्त्यमलाई हाथी रिज़र्व को भारत का 31वां हाथी रिज़र्व अधिसूचित किया गया।

गोवा
- नंदा झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
- गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य बना।

कर्नाटक
- रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

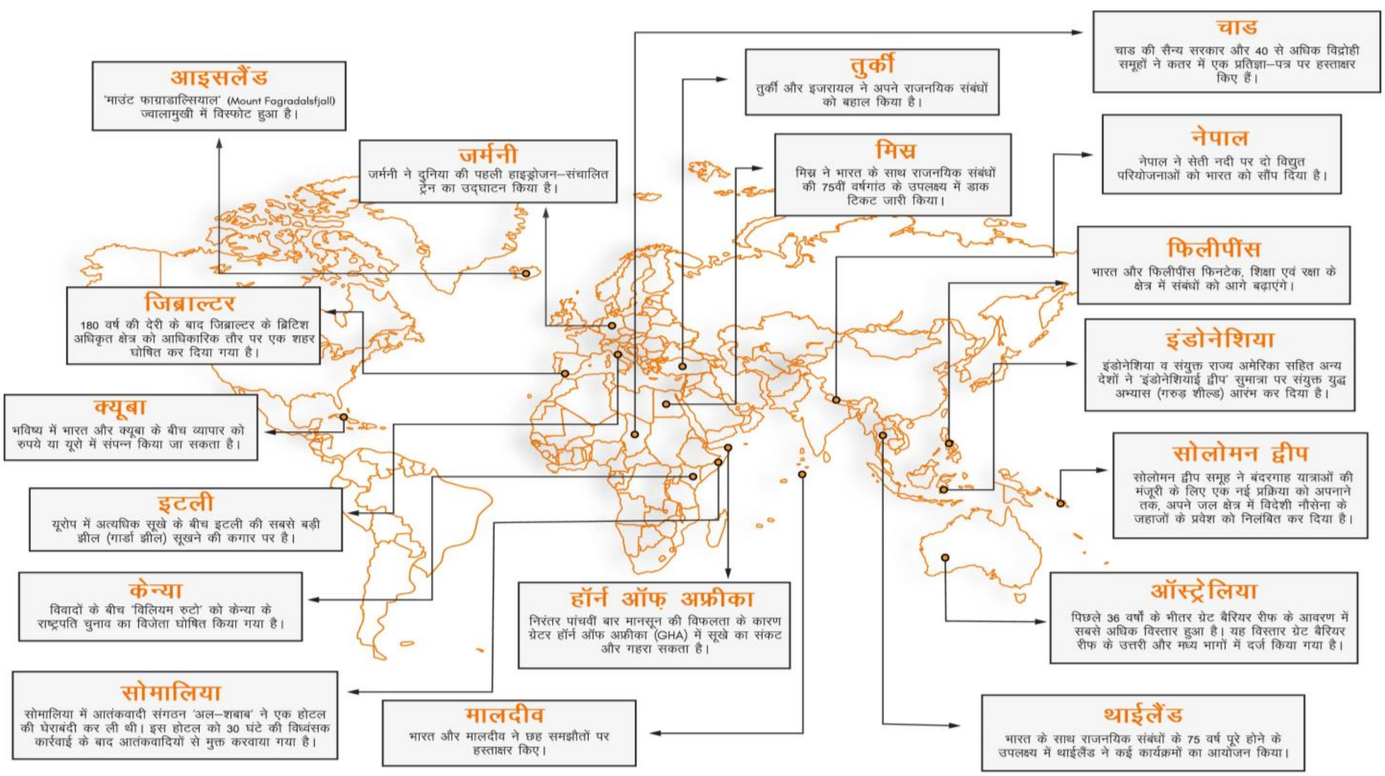

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 लचित बोरफुकन	• असम के मुख्यमंत्री ने **सभी राज्यों से** स्कूली पाठ्य पुस्तकों में **'लचित बोरफूकन' पर अध्याय शामिल करने का आग्रह किया है।** • लचित बोरफुकन, **17वीं शताब्दी के दौरान अहोम वंश (असम) के एक सेनापति थे।** • वे **ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई सरायघाट की लड़ाई के लिए विख्यात हैं।** यहां उन्होंने वर्ष 1671 में मुगलों को पराजित किया था। • लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा 'बोरफुकन' के रूप में नियुक्त किया गया था। ▪ बोरफुकन, **कार्यकारी और न्यायिक** दोनों शक्तियों से संपन्न **पदवी** थी।	**साहस और नेतृत्व क्षमताः** • एक सैन्य प्रशासक के रूप में, उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली **मुगलों के खिलाफ अहोम–सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व** किया।
 दुर्गादास राठौड़	• हाल ही में, रक्षा मंत्री ने 'दुर्गादास राठौड़' की प्रतिमा का अनावरण किया है। • इन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये **मारवाड़ (जोधपुर) के महाराजा जसवंत सिंह के प्रमुख व्यक्तित्व थे।** • इन्होंने **17वीं शताब्दी** में मुगल शासक औरंगजेब से जसवंत सिंह के शिशु राजकुमार **'अजीत सिंह'** की रक्षा की थी। • इन्होंने **1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के बाद,** जोधपुर से मुगलों को निकालकर मारवाड़ पर **राठौड़ वंश के शासन को पुनर्स्थापित किया था।** ▪ इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के पुत्र **अकबर** का भी साथ दिया था।	**धैर्य और निष्ठाः** • मारवाड़ पर **राठौर वंश के शासन को अकेले ही संरक्षित रखने** का श्रेय उन्हें जाता है। • उन्होंने **मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और सत्ता से पूर्ण वैराग्य** दर्शाया और अपने वचन का पालन करते हुए बिना किसी दुविधा के अजीत सिंह को राज्य सौंप दिया।

अरबिंदो घोष
	• 15 अगस्त, 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो घोष की **150वीं जयंती** के रूप में चिह्नित किया गया है।
	• **अरबिंदो घोष**
	  ▪ वह **अनुशीलन समिति** के साथ राष्ट्रवादी राजनीति और **बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल** थे।
	  ▪ **वह कलकत्ता (1906) में नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त** किए गए थे। यहां उन्होंने भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा देना आरंभ किया था।
	  ▪ **मई 1908 में उन्हें अलीपुर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था।**
	  ▪ उनकी **'एकात्म योग प्रणाली'** की अवधारणा का वर्णन उनकी पुस्तक, **'द सिंथेसिस ऑफ योगा' और 'द लाइफ डिवाइन' में किया गया है।**
	  ▪ **उन्होंने वर्ष 1926 में पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम** की स्थापना की थी।
		तर्कवाद और दृढ़ संकल्पः
		• उनका दर्शन तथ्यों, अनुभव और व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है। उनके अनुसार, आध्यात्मिकता तर्क के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी।
		• उन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने **मानव–जीवन के विकास** के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए।

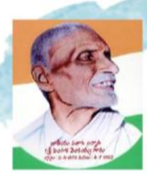 पिंगली वेंकय्या	• राष्ट्र ने **भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार 'पिंगली वेंकय्या'** को श्रद्धांजलि अर्पित की है। • उनका जन्म **आंध्र प्रदेश के 'कृष्णा' जिले** में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और एक **गांधीवादी** थे। वे स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए थे। • उन्होंने **वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक** के लिए एक 'नया ध्वज' तैयार किया था। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' (INC) ने इसे वर्ष **1931** में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। • इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया, जिस पर वर्तमान **'राष्ट्रीय ध्वज'** विकसित हुआ है।	**समर्पण और उत्साहः** • उन्होंने भारत की **स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अत्यधिक समर्पण** दर्शाया और इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। • वह 'राष्ट्र के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में झंडे' के समर्थक थे। उन्होंने **'ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया'** नामक एक पुस्तिका भी लिखी।

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 पांडुरंग सदाशिव खानखोजे	• लोक सभा अध्यक्ष मेक्सिको में 'पांडुरंग खानखोजे' की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। • इनका **जन्म महाराष्ट्र के 'वर्धा' में हुआ था।** • ये **ग़दर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।** ग़दर पार्टी को वर्ष 1913 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने स्थापित किया था। ▪ इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों **के खिलाफ एक क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व करना था।** • **नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (मेक्सिको)** में प्रोफेसर के रूप में, वह मेक्सिको में हरित क्रांति लाने के प्रयासों का हिस्सा थे। उन्होंने सूखे और रोग प्रतिरोधी किस्मों पर जोर देने के साथ उच्च उपज वाली मक्का व गेहूं की नई किस्मों की खेती का अध्ययन शुरू किया।	**विद्वता और देशभक्तिः** • अपने प्रयासों से उन्होंने **मेक्सिको में कृषि को उसकी संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला।** इसके लिए उन्होंने **मक्का व कॉर्न की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास** किया तथा अपने शोध के माध्यम से लगातार योगदान दिया। • उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर संघर्ष किया।
 अन्ना मणि	• गूगल डूडल ने **भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी 'अन्ना मणि'** को श्रद्धांजलि अर्पित की है। • **इनका जन्म केरल में हुआ था।** इन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज और **इंपीरियल कॉलेज, लंदन** से पढ़ाई की थी। • इन्हें **'वेदर वुमन'** के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही, **सौर विकिरण, वायुमंडलीय ओजोन और पवन ऊर्जा मापन पर शोध किया था तथा पत्र प्रकाशित किए थे।** • वह **अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संघ, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी आदि** सहित अनेक संगठनों की सदस्य थीं। • वह वर्ष **1976 में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के उप महानिदेशक के रूप में** सेवानिवृत्त हुई थीं।	**वैज्ञानिक कौशल और समर्पणः** • उन्होंने **सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा उपकरण के क्षेत्र में अपने शोध** के माध्यम से योगदान दिया। • उन्होंने अपने सामने मौजूद सांस्कृतिक बाधाओं को पार किया। उन्होंने महिलाओं की क्षमता को सीमित करने वाले तथा पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बौद्धिक क्षमता को कमतर दर्शाने वाले **लैंगिक भेदभाव का सक्रिय रूप से विरोध** किया।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

वीकली फोकस
प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
बाल अधिकारों का संरक्षण: एक अधूरा एजेंडा?	बाल अधिकार और बाल संरक्षण ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चों को कभी-कभी समाज में कमतर माना जाता है। विभिन्न बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा के तरीकों और साधनों के बारे में भी लोगों के बीच बहुत अधिक अज्ञानता मौजूद है। इसलिए यह डॉक्यूमेंट बाल अधिकारों के विकास की यात्रा का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। साथ ही, यह बतलाता है कि विशेष रूप से भारत में एक ही समय में इन अधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन कैसे किया गया है। यह बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बातों पर भी चर्चा करता है।	
वेब 3.0: एक नई क्रांति की शुरुआत	इंटरनेट के निरंतर विकास ने अकल्पनीय अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। वेब 3.0 इंटरनेट का तीसरा ऐसा संस्करण है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एक समूह को जोड़ता है और इसे अक्सर **"इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग"** के रूप में जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य वेब 3.0 का विश्लेषण करना है, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करना है कि कैसे दिन-प्रतिदिन की चर्या को प्रभावित करने के साथ-साथ यह वर्चुअल अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से नए अवसर पैदा करने के लिए विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य परिवर्तन को सुरक्षित और अबाध रूप से अपनाने के लिए भविष्य की कार्रवाई पर प्रकाश डालना है।	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरकों में से एक के रूप में उद्यम निर्माण के माध्यम से हो रहा है। यहीं पर MSMEs व्यावसायिक नवाचारों के माध्यम से उद्यमशीलता की संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। यह डॉक्यूमेंट भारत में MSMEs के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के इस जीवंत और गतिशील क्षेत्र को सशक्त बनाने और उसके उत्थान के लिए आवश्यक उपाय सुझाता है।	
हाइब्रिड वारफेयर: नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी	वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सूचना क्रांति ने दुनिया को ऐसे परिवर्तन की ओर अग्रसर कर दिया है जिसे मानवता ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। इस परिवर्तन ने लगभग हर चीज को प्रभावित किया है और युद्ध की अवधारणा भी इसके प्रभाव से नहीं बच सकी है। युद्ध के इस बदलते स्वरूप को जानने के लिए 21वीं सदी के हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा की गहरी समझ की आवश्यकता है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, हम जानेंगे कि यह युद्ध की स्थितियां कैसे प्रकट हो रही हैं और भारत सहित अन्य देशों के लिए कैसे अनिश्चितताएं पैदा कर रही हैं। क्या इसका कोई और समाधान है?	

©Vision IAS

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें

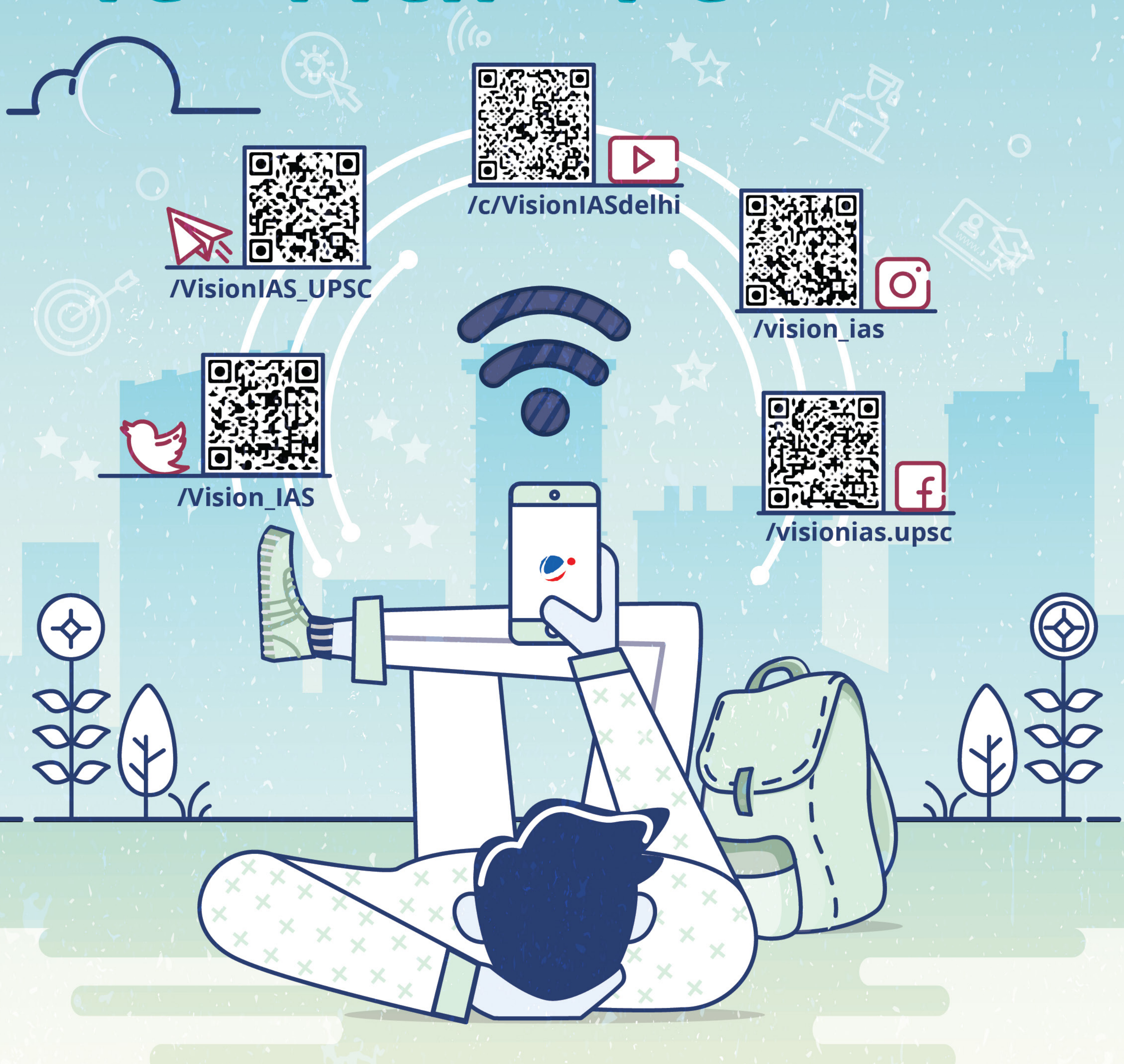

www.visionias.in

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of **Vision Ias**

AIR 2

ANKITA AGARWAL

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

AIR 1

SHUBHAM KUMAR

AIR 3

GAMINI SINGLA

AIR 4

AISHWARYA VERMA

AIR 5

UTKARSH DWIVEDI

AIR 6

YAKSH CHAUDHARY

AIR 7

SAMYAK S JAIN

AIR 8

ISHITA RATHI

AIR 9

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre

635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC